हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

27 फरवरी, 2020

खण्ड–1, अंक–06

अधिकृत विवरण

विषय सूची

वीरवार, 27 फरवरी, 2020

पृष्ठ संख्या

खेल एवं युवा मामले राज्यमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं

तारांकित्त प्रश्न एवं उत्तर

हैफेड के चेयरमैन व हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री तथा डी0ए0वी0 पब्लिक स्कूल, लुखी, जिला कुरूक्षेत्र के अध्यापकों तथा विद्यार्थियों का अभिनन्दन

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

शून्य काल का मामला उठाना

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा उस पर वक्तव्य– गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि संबंधी

सदन की कार्यवाही में परिवर्तन

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा (पुनरारंभ)

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भ तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान।

बैठक का समय बढ़ाना

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ) तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान।

बैठक का समय बढ़ाना

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ) तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान।

बैठक का समय बढ़ाना

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ) तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान।

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 27 फरवरी, 2020

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में दोपहर 11:00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री ज्ञानचंद गुप्ता) ने अध्यक्षता की।

खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री की जन्मदिन की भाुभकामनाएं

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, यह हर्ष का विषय है कि आज हमारे खेल एवं युवा राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह जी का जन्मदिन है। इस अवसर पर सदन की तरफ से उनको बहुत –बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। यह सदन उनके स्वस्थ जीवन, उज्ज्वल भविष्य और दीर्घायु की कामना करता है।

मोहम्मद इलियासः अध्यक्ष महोदय, मैं भी अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से माननीय मंत्री जी को उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूं। उनके इस जन्मदिन के अवसर पर माननीय सदस्यों को मिठाई खिलाई जानी चाहिए।

श्री अध्यक्षः ठीक है।

.....

तारांकित प्र□न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण , अब प्रश्नकाल शुरू होता है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, पहला तारांकित प्रश्न संख्या 308 माननीय सदस्य श्री सुभाष सुधा जी का है, लेकिन आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर देना है, का मैसेज आया है कि वे किसी कार्य में व्यस्त होने के कारण लेट हैं, इसलिए इस प्रश्न को बाद में टेक अप किया जाएगा।

The Number of Resumen Plots

***294. Shri Aftab Ahmed :** Will the Chief Minster be pleased to state the number of the resumed plots re-allotted by the Haryana Urban Development Authority and HSIIDC in the State from 01.01.2015 till to date togetherwith the criteria adopted for it alongwith the details thereof?

@ मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान जी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न शहरी सम्पदाओं में 01.01.2015 से अब तक 113 भूखण्डों को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1977 की धारा 17 के तहत आवंटन के नियमों और शर्तो के उल्लंघन के कारण पुनः गृहित किया गया था, जिनमें से 107 भूखण्डों को बहाल कर दिया गया तथा 6 पुनः गृहित भूखण्डों को नीलामी द्वारा बेचा गया ।

.....

@ Reply received on 29.05.2020.

इसके अलावा हरियाणा राजय औद्योगिक अवसरंचना विकास निगम द्वारा 01.01.2015 से अब तक 49 भूखण्ड पुनः गृहित किए गए। निगम द्वारा 12 भूखण्डों को बहाल किया गया जिन द्वारा भवन का निर्माण अथवा परियोजना को लागू किया गया तथा बकाया राशि का भुगतान किया गया था। 4 भूखण्डों को तत्कालीन दर पर पुनः आबंटित किया गया । 21 भूखण्ड बहाली के बाद आबंटन के लिए उपलब्ध हैं, जिनमें से 12 भूखण्ड आबंटन प्रक्रिया के अनुसार पुनः आबंटित किए जा चुके हैं।

.....

To Remove The Electricity Line

***43. Shri Mewa Singh :** Will the Power Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that a 11000 K.V electricity line is passing over the residential area in village Pipli of Ladwa Assembly Constituency; and

(b) if so, the time by which the above said line is likely to be removed?

बिजली मंत्री (श्री रणजीत सिंह) : (क) एवं (ख) नहीं, श्रीमान।

श्री मेवा सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि मेरे हल्के का पिपली गांव एक बहुत बड़ा कस्बा बन चुका है। वहां पर करंट लगने से 5–6 लोगों की मौत हो चुकी है। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वहां से आवासीय क्षेत्र के ऊपर से संबंधित बिजली की लाइन को हटवाया जाए ताकि लोगों की जान सुरक्षित हो सके।

श्री रणजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि गांव पिपली में आवासीय क्षेत्र के ऊपर से 11000 के.वी. बिजली की लाइन नहीं जा रही है बल्कि वहां पर 66 के.वी. बिजली की लाइन जा रही है। मैं इसके बारे में माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि गांव ढोल माजरा, शाहबाद सब–स्टेशन से निकलने वाली 66 के.वी. बिजली की लाइन को शिफ्ट करना संभव नहीं है क्योंकि नैशनल हाईवे पर फ्लाई ओवर होने के कारण इसको नहीं हटाया जा सकता है। अगर हम फ्लाई ओवर के नीचे से लाइन को निकालने की कोशिश करते हैं तो इसके बराबर में काफी आबादी बसी हुई है इसलिए इसके माध्यम से भी 66 के.वी. की लाइन नहीं निकाल सकते। अगर इस

लाइन को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास होगा तो इसके लिए एक कमेटी बना देंगे और जो एक्सपर्ट हैं, उनसे ओपीनियन ले लेंगे।

श्री मेवा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एक्सपर्ट की राय लेकर वहां से इस 66 के.वी. लाइन को कब तक हटा दिया जायेगा?

श्री रणजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में माननीय सदस्य को नहीं बता सकता हूं लेकिन एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी लाडवा क्षेत्र में मीटिंग के लिए गये थे। इस मीटिंग में यह डिसाइड हुआ था कि एक बार फिर से एक्सपर्ट की राय ले ली जाये। वैसे तो इस 66 के.वी. लाइन को हटाना बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि एक ओर नैशनल हाइवे है और दूसरी ओर कुरूक्षेत्र में एंट्री के लिए भव्य द्वार बना हुआ है इसलिए इस भव्य द्वार को भी नहीं हटा सकते। हमने इसके लिए एक एक्सरसाइज शुरू की थी कि ज्यादा ऊंचे पोल लगा दिए जाएं लेकिन इसके लिए भी हम एक्सपर्ट की राय लेंगे। सरकार यह नहीं चाहती कि इसमें किसी भी व्यक्ति की जान जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके अलावा माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि कमेटी ने इस बात से भी इंकार कर दिया है इसलिए इस विषय पर दोबारा से एक्सपर्ट की राय ली जा रही है।

———————

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, श्री अनिल विज, गृह मंत्री जी का दूर संचार के माध्यम से मैसेज आया है कि दुर्भाग्यवश उनका पैर स्लिप हो गया है इसलिए वे अस्पताल में सीटी–स्कैन करवाने के बाद सदन में उपस्थित होंगे। मेरा इस संबंध में इतना ही कहना है कि इस तारांकित प्रश्न संख्या–284 को बाद में टेक–अप किया जायेगा।

.....

Detail of Farm Houses in Aravalli

*119. **Smt. Seema Trikha :** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to State-

(a) the yearwise details of farm houses developed along with their owner's name, area of the farm houses and the date of releasing electricity connection for the farm houses in Aravali during the year from 2000 to 2020 respectively together with the details thereof;

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government or regularize of approve the said farm houses; and

(c) whether there is any proposal under consideration of the Government for drone recording of Aravali Zone in every 15 minutes by the keeping in view of the sensitive nature of the Zone?

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल) : क. महोदय; फरीदाबाद एवं गुरूग्राम जिले में स्थित अरावली क्षेत्र में फार्म हाउस विकसित हुए हैं। पंजाब भू–संरक्षण अधिनियम, 1900 की धारा 4 व 5 के अधीन अधिसूचित अरावली क्षेत्रों में विकसित हुए फार्म हाउसों का विस्तृत ब्यौरा निम्न सारणी में दर्शाया गया है। इन संस्थानों को बिजली कनैक्शन दिए जाने सम्बन्धि सूचना दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम से ली जा रही है।

क0 सं0	**गॉव का नाम**	**भवन का प्रकार (फार्म हाउस, भादी घर, सस्थां इत्यादि)**	**मुस्तिल नं0**	**किला नं0**	**फार्म हाउस का कुल क्षेत्र (एकड़)**	**भूमि का दर्जा (पं.भू.सं.अ. की धारा 4/5, अरावली पौधारोपण क्षेत्र)**	**स्वीकृति की स्थिति (हॉ/ना)**	
							वन संरक्षण अधिनियम के तहत	**नियंत्रित क्षेत्र अधिनियम के तहत**
जिला का नामः– **फरीदाबाद**								
1	कोट	फार्म हाउस/चार दिवारी	87		0.0247	पं.भू.सं.अ.	नहीं	नहीं
2	कोट	फार्म हाउस/चार दिवारी	87		0.296	पं.भू.सं.अ.	नहीं	नहीं
3	कोट	फार्म हाउस/चार दिवारी	87		0.0494	पं.भू.सं.अ.	नहीं	नहीं
4	कोट	फार्म हाउस/चार दिवारी	87		0.0247	पं.भू.सं.अ.	नहीं	नहीं
5	अनंगपुर	फार्म हाउस	58		5.53	पं.भू.सं.अ.	नहीं	नहीं
6	अनंगपुर	फार्म हाउस			1.6	पं.भू.सं.अ.	नहीं	नहीं
7	अनंगपुर	फार्म हाउस	1378/1/2min		1.21	पं.भू.सं.अ.	नहीं	नहीं
8	अनंगपुर	फार्म हाउस	58		9.33	पं.भू.सं.अ.	नहीं	नहीं
9	अनंगपुर	फार्म हाउस	58		9.33	पं.भू.सं.अ.	नहीं	नहीं
10	अनंगपुर	फार्म हाउस	59 & 60		2	पं.भू.सं.अ.	नहीं	नहीं
11	अनंगपुर	फार्म हाउस	109		1.5	पं.भू.सं.अ.	नहीं	नहीं

12	अनंगपुर	फार्म हाउस	1205		2	पं.भू.सं.अ.	नहीं	नहीं
13	अनंगपुर	फार्म हाउस	1205		1	पं.भू.सं.अ.	नहीं	नहीं
14	अनंगपुर	फार्म हाउस	1351 & 1339		2.24	पं.भू.सं.अ.	नहीं	नहीं
15	अनंगपुर	फार्म हाउस	1351 & 1339		2.24	पं.भू.सं.अ.	नहीं	नहीं
16	अनंगपुर	फार्म हाउस	1378 & 1387		2.2	पं.भू.सं.अ.	नहीं	नहीं
17	अनंगपुर	फार्म हाउस	1378		3	पं.भू.सं.अ.	नहीं	नहीं
18	अनंगपुर	फार्म हाउस	1378		1.2	पं.भू.सं.अ.	नहीं	नहीं
19	अनंगपुर	फार्म हाउस	1378		3.5	पं.भू.सं.अ.	नहीं	नहीं
20	अनंगपुर	फार्म हाउस	1378		2	पं.भू.सं.अ.	नहीं	नहीं
21	अनंगपुर	फार्म हाउस	1379		13.6	पं.भू.सं.अ.	नहीं	नहीं
22	अनंगपुर	फार्म हाउस	1387		2	पं.भू.सं.अ.	नहीं	नहीं
23	अनंगपुर	फार्म हाउस	1388		0.36	पं.भू.सं.अ.	नहीं	नहीं
24	अनंगपुर	फार्म हाउस	1389		0.31	पं.भू.सं.अ.	नहीं	नहीं
25	अनंगपुर	फार्म हाउस	1379		13.6	पं.भू.सं.अ.	नहीं	नहीं
26	अनंगपुर	फार्म हाउस	1379		5	पं.भू.सं.अ.	नहीं	नहीं
27	मेवला महाराजपुर	फार्म हाउस	54	54/17, 18, 19, 21, 22 & 23	2.28	पं.भू.सं.अ.	नहीं	नहीं
28	मेवला महाराजपुर	फार्म हाउस	57	57/3,8	2.19	पं.भू.सं.अ.	नहीं	नहीं
29	मेवला महाराजपुर	फार्म हाउस	74	74/19, 20,21 & 22	0.57	पं.भू.सं.अ.	नहीं	नहीं
30	मेवला महाराजपुर	फार्म हाउस	74	-	0.57	पं.भू.सं.अ.	नहीं	नहीं
31	मेवला महाराजपुर	फार्म हाउस	80	-	0.57	पं.भू.सं.अ.	नहीं	नहीं
32	मेवला महाराजपुर	फार्म हाउस	82,83	82/16,25, 83/20,21	1.74	पं.भू.सं.अ.	नहीं	नहीं
33	मेवला महाराजपुर	फार्म हाउस	83	-	4.5	पं.भू.सं.अ.	नहीं	नहीं
34	मेवला महाराजपुर	फार्म हाउस	108	-	2	पं.भू.सं.अ.	नहीं	नहीं
35	मेवला महाराजपुर	फार्म हाउस	108 & 126	-	4	पं.भू.सं.अ.	नहीं	नहीं
36	मेवला महाराजपुर	फार्म हाउस	109 & 110		12.5	पं.भू.सं.अ.	नहीं	नहीं
37	मेवला महाराजपुर	फार्म हाउस	110		2.5	पं.भू.सं.अ.	नहीं	नहीं
38	मेवला महाराजपुर	फार्म हाउस	110 & 124		12.5	पं.भू.सं.अ.	नहीं	नहीं
39	मेवला महाराजपुर	फार्म हाउस	126		2.5	पं.भू.सं.अ.	नहीं	नहीं
40	मेवला महाराजपुर	फार्म हाउस	58		9.36	पं.भू.सं.अ.	नहीं	नहीं
41	मेवला महाराजपुर	फार्म हाउस	98		3.3	पं.भू.सं.अ.	नहीं	नहीं
42	मेवला महाराजपुर	फार्म हाउस	98		1.5	पं.भू.सं.अ.	नहीं	नहीं
43	मेवला महाराजपुर	फार्म हाउस	108 & 126		3.55	पं.भू.सं.अ.	नहीं	नहीं
44	मेवला महाराजपुर	फार्म हाउस	109		2.4	पं.भू.सं.अ.	नहीं	नहीं
45	मेवला महाराजपुर	फार्म हाउस	22		2.49	पं.भू.सं.अ.	नहीं	नहीं
46	लकड़पुर	फार्म हाउस	19	19/7, 8,9,12,13, 14,17.18,1 9,22,23,24	12.63	पं.भू.सं.अ.	नहीं	नहीं

47	अंखीर	फार्म हाउस	7	7//7,8,9,10,11,12,13,14,17,18,19,20; 8//6,15,16	12.5	पं.भू.सं.अ.	नहीं	नहीं
48	अंखीर	फार्म हाउस	8	8/7,14,17,24	4.34	पं.भू.सं.अ.	नहीं	नहीं
49	अंखीर	फार्म हाउस	9	9	2	पं.भू.सं.अ.	नहीं	नहीं
50	अंखीर	फार्म हाउस	23	23/6,6//10	1.26	पं.भू.सं.अ.	नहीं	नहीं
जिला का नामः– **गुरूग्राम**								
1	दमदमा	फार्म हाउस	25	8/2/1,12,13,14/1,18,19	3.55	पं.भू.सं.अ.	नहीं	नहीं
2	खेरला	फार्म हाउस	7,22	7//14/2,17/1,24/2; 22//4/2,5,6,7,14,15	2.5	पं.भू.सं.अ.	नहीं	नहीं
3	गवालपहाड़ी	फार्म हाउस	82		40.425	पं.भू.सं.अ.	नहीं	नहीं
4	गवालपहाड़ी	फार्म हाउस		84/4/1, 84/4/2, 84/4/3	12.132	पं.भू.सं.अ.	नहीं	नहीं
5	हैदरपुर विरान	फार्म हाउस		343	4.769	पं.भू.सं.अ.	नहीं	नहीं
6	रायेसेना	फार्म हाउस	22	10,11,20	2.999	पं.भू.सं.अ.	नहीं	नहीं
7	रायेसेना	फार्म हाउस/ चार दिवारी	22	23,24,25	2.999	पं.भू.सं.अ.	नहीं	नहीं
8	रायेसेना	फार्म हाउस /चार दिवारी	32	11,20	1.999	पं.भू.सं.अ.	नहीं	नहीं
9	रायेसेना	फार्म हाउस/ चार दिवारी	40	9,10,11,12	3.993	पं.भू.सं.अ.	नहीं	नहीं
10	रायेसेना	फार्म हाउस/ चार दिवारी	79	13,14	1.235	पं.भू.सं.अ.	नहीं	नहीं

ख. नहीं, महोदय ।

ग. नहीं, महोदय ।

श्रीमती सीमा त्रिखा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहती हूं कि अरावली का एरिया दिल्ली से गुजरात राज्य तक लगभग 928 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा इस विषय पर तारांकित प्रश्न लगाने के दो मकसद थे। पहला तो यह है कि अरावली का जो अवैध दोहन हुआ, उसकी वजह से पूरा इलाका पानी की कमी को झेल रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से तारांकित प्रश्न संख्या–119 के भाग 'ग' में 15 मिनट गलती से लिखा गया है यह 15 मिनट नहीं है बल्कि 15 दिन है। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि महीने में दो बार यानी 15 तारीख को और 30 तारीख को ड्रोन रिकॉर्डिंग होगी जो अरावली क्षेत्र में बने हुए फार्म हाउसिज की संख्या है, जिसके ऊपर माननीय हाई कोर्ट के आदेश भी जारी हुए हैं कि कितने फॉर्म हाउसिज को गिराना है। हमारी सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस मामले में सही कार्यवाही करने के भरसक प्रयास किये गये थे जिससे हमारे पर्यावरण और नेचर की बैल्ट दोनों की सुरक्षा हो। अब मैं यह कहना चाहती हूं कि

इस समस्या का सरकार के स्तर पर अभी तक कोई ऐसा हल नहीं निकल पाया है जिससे कि पर्यावरण और नेचर की बैल्ट दोनों का शतप्रतिशत बचाव हो। मैं सरकार से यह जानना चाहती हूं कि क्या इस मामले में सरकार के स्तर पर आने वाले समय में इस प्रकार से काम किया जायेगा जिससे प्रकृति का भी अवैध दोहन न हो और वहीं दूसरी ओर लोगों के साथ भी किसी प्रकार की धोखाधड़ी न हो।

श्री कंवर पाल : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो ड्रोन से अरावली क्षेत्र की निगरानी करवाने का सुझाव दिया है इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहूंगा कि वैसे तो हम समय–समय पर इस क्षेत्र की निगरानी हम ड्रोन से करवाते रहते हैं। माननीय सदस्या के सुझाव के अनुरूप हम भविष्य में ड्रोन से अरावली क्षेत्र की निगरानी की प्रक्रिया के टाईमिंग में बढ़ौतरी कर देंगे। वहां पर जिन लोगों द्वारा फार्म हाउसिज बनाये हैं सरकार ने उनको समय–समय पर नोटिस इशू किये हैं। वहां पर नई कंस्ट्रक्शन पर पूरी तरह रोक लगाई जा चुकी है। इसके बावजूद भी अगर किसी ने वहां पर कंस्ट्रक्शन करने का प्रयास किया तो विभाग द्वारा उस निर्माण को तुरंत गिराने का काम किया गया है। जिन लोगों के वहां पर फार्म हाउसिज हैं उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की हुई है। जो कांत एन्क्लेव गिराने का मामला उजागर हुआ था उसमें सरकार द्वारा माननीय कोर्ट के आदेश का पूरी तरह से पालन किया गया है।

श्रीमती सीमा त्रिखा : अध्यक्ष जी, इस मामले में मेरा एक और निवेदन यह है कि हम भारत को डिजिटल इंडिया की तरफ लेकर जा रहे हैं। आज सारा कुछ कम्प्यूटराईज्ड हो गया है। हम यहां पर बैठे–बैठे मोबाईल पर कोई भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यदि हम अरावली की बैल्ट में वन संरक्षण करने में कामयाब हो पाते हैं तो यह सभी प्राणियों के लिए फायदेमंद साबित होगा। इसी प्रकार से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जल संरक्षण के लिए मिशन पानी नाम से एक व्यापक अभियान चलाया हुआ है। मेरी माननीय अध्यक्ष जी से भी यह बात हुई थी कि इंवॉयरनमैंट एण्ड वॉटर रिसोर्सिज पर एक स्पैशल कमेटी का गठन किया जाये। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जब डार्क जोन में धान की खेती पर रोक लगाई गई वह भी सिर्फ इसीलिए थी कि लोगों को पीने का पानी समुचित मात्रा में मिल सके। जो अरावली का वन क्षेत्र है सरकार इसको वाइल्ड लाइफ सैंक्च्युरी के रूप में भी स्थापित कर सकती है जिससे रेवेन्यू जनरेशन के साथ–साथ हमारी प्राकृतिक सम्पदा भी पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। अगर सरकार ऐसा नहीं कर सकती तो

वहां पर जो करप्शन बढ़ रहा है उसको सख्ती से रोकने के लिए सरकार कोई न कोई कड़ा कानून लेकर आये। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है।

श्री कंवर पाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस मामले में माननीय कोर्ट ने एक सी. ई.सी. कमेटी गठित की हुई है। उसमें विभाग ने अपनी पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत की हुई है। इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश होगा सरकार द्वारा उसका पूरी तरह से पालन किया जायेगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हम अरावली क्षेत्र की निगरानी के लिए ड्रोन के उपयोग को भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ा देंगे ताकि वहां पर उचित तरीके से जांच की जा सके।

श्रीमती किरण चौधरी : स्पीकर सर, यह एक बड़ी अच्छी बात है कि पी.एल.पी.ए. एक्ट के तहत 50 फार्म हाउसिज को फरीदाबाद में और 10 फार्म हाउसिज को गुरूग्राम में अवैध घोषित किया गया है। मैं इस कार्य के लिए सरकार की वाहावाही करती हूं कि सरकार द्वारा इन फार्म हाउसिज को रेगुलराईज नहीं किया जा रहा है। इस बात को सरकार भी मानती है कि अरावली का यह क्षेत्र एक बहुत ही ईको–सैंसिटिव जोन है and this is related to our environment. इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो भी आदेश हैं सरकार द्वारा तुरंत उनके ऊपर कार्यवाही की जानी चाहिए। जैसे सीमा जी ने कहा है कि अरावली के इस क्षेत्र को पूर्ण रूप से फॉरेस्ट कवर में कंवर्ट किया जाये क्योंकि हरियाणा प्रदेश में पहले ही फॉरेस्ट कवर बहुत कम है।

श्री कंवर पाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को यह बताना चाहूंगा कि इस बारे में जैसे भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश होंगे तुरंत उनकी पालना की जायेगी। इस मामले में जो पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट का पहले जो आदेश आया था सरकार द्वारा उसकी पूर्ण रूप से पालना कर दी गई है। भविष्य में भी जैसे ही माननीय कोर्ट के आदेश प्राप्त होंगे उनकी तुरंत पालना की जायेगी। अगर वहां पर किसी प्रकार की कोई इल्लीगल कंस्ट्रक्शन की गई थी हमने उसको तुरंत डिमॉलिश कर दिया है।

श्रीमती किरण चौधरी : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कितनी इल्लीगल कंस्ट्रक्शन को उनके द्वारा डिमॉलिश किया गया है? कांत एन्क्लेव तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद ही डिमॉलिश किया गया था। उसके बाद जो इतनी सारी कंस्ट्रक्शन पी.एल.पी.ए. एक्ट के तहत इतने सारे निर्माण कार्य अवैध घोषित हो चुके

हैं they are awaiting. मंत्री जी यह बतायें कि कांत एन्क्लेव के अलावा और कितनी इल्लीगल कंस्ट्रक्शन को डिमॉलिश किया गया है?

श्री कंवर पाल : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को यह बताना चाहूंगा कि जिनके बारे में माननीय सदस्या बात कर रही हैं वहां पर वे बिल्डिंग्स बहुत पहले की बनी हुई हैं। अब हम वहां पर किसी को भी कोई भी निर्माण कार्य नहीं करने दे रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इस मामले में जैसा भी माननीय कोर्ट का आदेश होगा, उसकी तुरंत पालना की जायेगी।

श्रीमती किरण चौधरी : स्पीकर सर, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से यह कहना है कि इस मामले में सरकार को भी काम करना चाहिए अगर हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना के सहारे ही बैठे रहेंगे तो फिर हम सरकार की सराहना कैसे कर पायेंगे?

श्री कंवर पाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को यह बताना चाहूंगा कि किसी भी व्यक्ति का कोर्ट में जाने का अधिकार होता है। अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में गया है तो उस मामले में जो कोर्ट का फैसला होगा सरकार द्वारा उसी के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी।

श्रीमती किरण चौधरी : स्पीकर सर, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से यह कहना है कि जो कोर्ट के केसिज हैं they are being disposed off by the Court लेकिन जो कोर्ट के अंदर नहीं हैं उनके ऊपर तो सरकार द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है।

श्री कंवर पाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को यह बताना चाहूंगा कि अगर वहां पर कोई अवैध निर्माण किया जायेगा तो उसको तुरंत ही डिमॉलिश किया जायेगा।

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इनके खिलाफ सख्ती बरती जाये तथा जो भी वहां पर अवैध निर्माण कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

श्रीमती सीमा त्रिखा: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या श्रीमती किरण चौधरी जी ने मेरा नाम लिया है, मैं इस बारे में अपनी बात स्पष्ट करना चाहती हूं। मैंने किसी निर्माण को गिराकर साफ करने के लिए नहीं कहा है। मैंने तो हर वित्त वर्ष के मुताबिक डाटा इसलिए मांगा था क्योंकि अरावली क्षेत्र का असली दोहन तो वर्ष 2003 से लेकर वर्ष 2014 तक हुआ है। अगर ये अपनी सरकार में वित्त वर्ष के

अनुसार मालिकों के नाम के साथ डाटा प्रस्तुत करते तो इस सदन के माध्यम से पूरे हरियाणा में उजागर हो जाता कि पूरे भारत में इनसे संबंधित कौन–कौन लोग हैं । अगर इन्होंने समय पर काम किया होता तो आज यह इतनी बड़ी नौबत ही नहीं आती। मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है श्री मनोहर लाल जी की सरकार में वन क्षेत्र संरक्षित हुआ है और लोगों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए इनके प्रयास जारी हैं। मैं तो यही चाहती हूं कि इन नियमों का और कड़ाई से पालन किया जाए।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यही कहना चाहती हूं कि इन अवैध निर्माणों को पनपने न दिया जाए। वहां से अवैध निर्माण हटा कर सफाई की जाए। जब सरकार अच्छा काम करती है तो मैं सरकार की वाहवाही भी करती हूं।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, एक प्रश्न को एक्सटैंशन देने के सवाल पर माननीय सदस्य श्री आफताब अहमद जी ने पूछा था कि ऐसा किस नियम के तहत किया गया है। अब मैं वह नियम इस महान सदन के सामने रखना चाहता हूं। यह प्रावधान हरियाणा विधान सभा के रूल्ज ऑफ प्रोसीजर एण्ड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के रूल 41(2) में निहित है। रूल 41(2)कहता है––

> "in case the answer to a question is not ready before the sitting of the Assembly immediately following the expiry of the period of notice the Speaker may on such intimation by the Minister concerned, extend the time for answering the question, and if the question is on the list of questions it shall not be called on that day."

Functioning of Bus Stand

***272. Shri Balbir Singh :** Will the Transport Minister be pleased to state whether it is a fact that the bus stand of village Israna is not functional; if so, the time by which it is likely to be made functional togetherwith the details thereof ?

परिवहन मंत्री (श्री मूलचन्द भार्मा) : श्रीमान, वर्तमान बस अड्डे को क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है क्योंकि फ्लाई ओवर निर्माण के कारण सर्विस लेन तंग हो गई है।

श्री बलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपके माध्यम से मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि यह बड़ी भारी समस्या है इसलिए इसका समाधान होगा या नहीं होगा? अगर होगा तो कब तक हो जाएगा क्योंकि सारा इसराना ब्लॉक इस समस्या से तंग है। इस ब्लॉक में लगभग 36 गांव लगते हैं और उन सभी गांवों का वहां से आना जाना है।

श्री मूल चन्द भार्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो डिमांड की है उसके लिए हम जगह तलाश कर रहे हैं जैसे ही जगह मिल जाएगी हम उसको शिफ्ट कर देंगे।

.....

To Construct Bye-Pass

***308. Shri Subhash Sudh** : Will the Deputy Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the bye pass (Outer Ring Road) from village Jyotisar, Pehowa road to G.T. Road; if so, the time by which it is likely to be constructed ?

Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala) : No Sir.

श्री सुभाश सुधाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि पटियाला पंजाब से लेकर यू.पी. तक ये मेन सडक हैं जिसकी मुख्यमंत्री ने फोर लेनिंग बनाने के लिए घोषणा भी की हुई है क्योंकि कुरूक्षेत्र एक धार्मिक स्थल है इसलिए वहां पर बहुत टूरिस्ट आता है। अतः यह बाईपास बनाना बहुत जरूरी है। मेरी मंत्री जी से रिक्वेस्ट है कि सर्वे करवाकर इस बाईपास का निर्माण कार्य शुरू करवाया जाए।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) :अध्यक्ष महोदय, यह हाई–वे पंजाब से लेकर कुरूक्षेत्र, लाडवा और यमुनानगर को जोड़ता है लेकिन इसको इन प्रिंसिपल नैशनल

हाई–वे डिक्लेयर करती है और वह उसकी डी.पी.आर. बना रहे हैं। जब वह काम कम्पलीट होगा तब उसके बारे में सोचा जाएगा।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, इसी से संबंधित मेरा भी एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, अगर इस बाईपास से संबंधित ही कोई स्पैसिफिक प्रश्न है तो पूछ सकते हैं

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने वर्ष 2016 में गोहाना का वैस्टर्न बाईपास बनाने की घोषणा की थी जिसके बारे में मैंने विधान सभा में दो बार प्रश्न भी लगाया है।

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, क्या आपका प्रश्न पेहवा के बाईपास से संबंधित है?

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, गोहाना में एक बाईपास बनना था।

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, यह पूरे हरियाणा प्रदेश के बाईपास का प्रश्न नहीं है। यह स्पैसिफिक प्रश्न है। अगर आपको कोई और प्रश्न पूछना है तो आप अपना प्रश्न लगाईये।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैंने इसके बारे में विधान सभा में दो बार प्रश्न भी दिया है। वहां मुख्यमंत्री जी की घोषणा भी हुई है।

.....

Construction Work of Drain

***284. Shri Surender Panwar .:** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the construction work to cover the drain no. 6 passing beside the bus stand of Sonipat City is lying pending; if so, the reasons thereof; and

(b) the action taken by the Government for delaying the said work togetherwith the time by which the said work is likely to be completed?

गृह मंत्री (श्री अनिल विज) : (क) हां, श्रीमान जी इसका कारण यह है कि एजेंसी ने निर्धारित समयावधि में कार्य को पूर्ण नहीं किया और जिसके फलस्वरूप कार्य का अनुबंध रद्द कर दिया गया था।

(ख) कार्य का नए सिरे से निविदा आमंत्रित करने उपरान्त पिछली एजेंसी के जोखिम और लागत के आधार पर निष्पादन किया जायेगा। इस काम को पूरा करने के लिये लगभग 18 महीने का समय लगेगा।

श्री सुरेन्द्र पंवार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि यह टैंडर 25.07.2017 को ड्रेन नं. 6 को कवर करने के लिए हुआ था और 04.08.2017 को इस पर काम शुरू किया गया था। 15 महीने के अवधि में अर्थात इस काम को 3.11.2018 तक पूरा किया जाना था। यह ड्रेन शहर के बीचों बीच बनी हुई है और शहर के दोनों तरफ 4 किलोमीटर तक कालोनियां बसी हुई हैं। जब उन कालोनियों का काम शुरू किया गया तो उससे पूरी ड्रेन बंद होने के कगार पर है जिसके कारण सीवरेज का सारा गन्दा पानी ड्रेन के चारों तरफ बहता है और वह पानी लोगों के घरों में लगभग एक फिट तक घुसा हुआ है। सर, यह मामला लोगों की जिन्दगी से जुड़ा हुआ है। हम बात करते हैं स्वच्छता की, पर्यावरण की लेकिन आज वहां हालत ये है कि लोग वहां नरकीय जीवन जी रहे हैं। इसमें मैं आपको सबसे बड़ी बात यह बताना चाहता हूं कि भूतपूर्व शहरी स्थानीय निकाय मंत्री जी का इन टैंडरों में 5 प्रतिशत का खेल होता रहा है इसलिए मंत्री जी इसकी जांच कब तक कराएंगे? यह काम 3.11.2018 तक समाप्त होना था लेकिन अब तो वह समय भी निकल गया है तो मैं जानना चाहूंगा कि आपने उस एजेंसी के खिलाफ अभी तक क्या कार्रवाई की है? इस संबंध में आपने जांच बिठाई है या नहीं बिठाई? इसी तरह के जो आम दूसरे टैंडर थे वे जिस रेट पर गये हैं यह टैंडर उन टैंडरों से 30–35 प्रतिशत बढ़कर गया है। इस टैंडर के बारे में पूरे शहर में यह चर्चा चल रही है कि उस टैंडर में 3 प्रतिशत का खेल था लेकिन इसमें 5 प्रतिशत लिया गया है इसलिए मैं मत्री जी के ध्यान में एक बात और लाना चाहता हूं कि अब स्थानीय निकाय मंत्री श्री अनिल विज जी हैं लेकिन आज भी सोनीपत में हर जगह जो बोर्ड लगे हुए हैं वह स्थानीय निकाय मंत्री, कैबिनेट मंत्री श्रीमती कविता जैन जी के लगे हुए हैं। आज अगर शहर में एक नाली का भी काम कम्पलीट होता है तो वहां कौरपोरेशन कमिशनर, ठेकेदार और साथ में पूर्व मंत्री श्रीमती कविता जैन जी नारियल तोड़ रही हैं। मैं यह भी आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या उनको सबलेटिंग मंत्री पद दिया गया है क्योंकि वह पूर्व मंत्री दोनों पति–पत्नी कमांडो लेकर घूमते हैं । क्या वे कमांडो उनको सरकार ने सरकारी खर्चे से दिये

हुए हैं? या उन्होंने वे कमांडो पर्सनल अपने खर्चे से लिए हुए हैं? मैं इसका भी जवाब चाहता हूं।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, कुछ लोग जीतकर भी अपने आपको आहत हुआ समझते हैं। माननीय सदस्य ने सदन में अपनी आहत भरी गाथा ही सुनाई है। वैसे इन्होंने उनको हरा दिया था तो बात यही खत्म कर देते तो शायद ज्यादा ठीक रहता। इस तरह से आहत होने से कोई फायदा नहीं होता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र पंवारः अध्यक्ष महोदय, सोनीपत की जनता ने कवित जैन के खिलाफ अपना मैंडेट दिया है। मुझे माननीय गृह मंत्री जी से बड़ी उम्मीद है। हमारे सोनीपत की अढ़ाई लाख जनता ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को हमारे गृह मंत्री जी से बहुत उम्मीदें हैं। जिस दिन इनको गृहमंत्री का पद दिया गया था उसी दिन से लोग कहने लग गए थे कि एक ईमानदार व्यक्ति को यह पद दिया गया है और निश्चित रूप से यह व्यक्ति हर आदमी की सुनवाई करने का काम करेगा।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को साफ तौर से बताना चाहूंगा कि जो कोई भी मुझे किसी अनियमितता के बारे में बताता जा रहा है, उस पर निश्चित रूप से तुरंत प्रभाव से कार्यवाही की जाती है और आगे भी की जाती ही रहेगी। इस बारे में सुरेन्द्र जी आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए।

श्री सुरेन्द्र पंवारः अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी से सोनीपत के साथ साथ पूरे हरियाणा की जनता को बहुत उम्मीदें हैं।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि मैं लोगों की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतरूंगा।

श्री सुरेन्द्र पंवारः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः पंवार साहब, आपने सवाल किया माननीय मंत्री जी ने जवाब दे दिया अब आप प्लीज बैठिए और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र पंवारः अध्यक्ष महोदय, सोनीपत की जनता के साथ साथ पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता को यह पूरा विश्वास और भरोसा है कि हमारे गृह मंत्री साहब किसी दबाव में नहीं आयेंगे और निश्चित रूप कार्रवाई करेंगे अतः मैं अब संबंधित मामले से जुड़ा एक और सवाल माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ। (विघ्न)

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक सवाल तो पूछ लिया और यह फिर से प्रश्न पूछने की बात कह रहे हैं। मेरी माननीय सदस्य को सलाह है कि जैसेकि इन्हें दो सप्लीमैंट्री पूछने का अधिकार है तो यह बाद में अलग से सप्लीमैंट्री प्रश्न पूछ सकते हैं। एक बार मुझे एक सवाल का जवाब तो देने दें। अध्यक्ष महोदय, जिस वर्क की बात सुरेन्द्र जी ने कही है, के बारे में बताना चाहूंगा कि यह वर्क 25 करोड़ रूपये का अलॉट किया गया था और जो ठेकेदार था वह इसका थोड़ा सा काम करके भाग गया था। हमने इस काम की चैकिंग भी करवाई तो पाया कि यह काम एज पर स्पेसिफिकेशन नहीं हुआ था। इसके बाद नोटिस देने की कार्रवाई की गई लेकिन ठेकेदार ने काम नहीं किया तो अब रिस्क एंड कॉस्ट पर जो भी खर्चा आयेगा वह उससे रिकवर किया जायेगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जनता को किसी भी सूरत में दुखी नहीं होने दिया जायेगा। यही नहीं ठेकेदार की अरनेस्ट मनी तथा बैंक गारंटी को भी हमने अटैच कर लिया है और उस फर्म को ब्लैक लिस्ट करने का फैंसला किया है। इसके साथ ही संबंधित मामले के संदर्भ में यह भी बताना चाहूंगा कि पहले ज्वॉयंट वैंचर से ठेके लगाये जाते रहने की एक परंपरा हुआ करती थी। जैसे यदि काम करने वाला कोई फाइनेंशियल बिड की शर्तों को पूरा करने में असमर्थ होता था तो इन शर्तों को पूरा करने के लिए वह छोटे ठेकेदार को भी शामिल कर लेता था जबकि उस छोटे ठेकेदार की काम करने की कैपेसिटी तक नहीं होती थी। अब आर्डर जारी कर दिए गए हैं कि हरियाणा में नगर निगम में कोई भी काम ज्वॉयंट वैंचर से नहीं होगा। अगर कोई वर्क 100 करोड़ से ज्यादा का होगा तो यह बात सोची जा सकती है लेकिन 100 करोड़ से कम कीमत वाला कोई भी काम ज्वॉयंट वैंचर से नहीं होगा क्योंकि इससे काम में क्वॉलिटी नहीं आती है और काम भी समय पर नहीं हो पाता है और जैसाकि माननीय सुरेन्द्र पंवार जी के यहां नाला बनाने की बात है, यह बॉक्स टाइप नाला बनेगा। हम निश्चित रूप से इसको बनवाकर देंगे और अगर कहीं पर भ्रष्टाचार की रिपोर्ट आये तो माननीय सदस्य खुद खड़े हो जायें और अनिल विज को पुकारे तो अनिल विज इनके पास आयेगा और भ्रष्टाचार करने वाले की दुर्गति कर दी जायेगी। (इस समय मेजें थपथपाई गई।)

श्री सुरेन्द्र पंवारः अध्यक्ष महोदय, यही कारण है कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि पूरे हरियाणा की जनता को माननीय गृह मंत्री पर विश्वास है लेकिन इसके साथ मैं

यह भी पूछना चाहूंगा कि अगर भूतपूर्व स्थानीय निकाय मंत्री की इसमें कोई मिलीभगत पाई गई तो क्या उनके खिलाफ माननीय गृह मंत्री जी कार्रवाई करेंगे।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस काम की बात है यह तो अभी तक शुरू ही नहीं हुआ और जब काम शुरू ही नहीं हुआ है तो मिलीभगत की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसके बावजूद भी मैं पूरे सदन को बताना चाहूंगा कि मेरे पास विभिन्न पार्टियों के सदस्यों ने भ्रष्टाचार संबंधी अनेकों केसिज बतायें हैं और मैं उनकी जांच भी करवा रहा हूँ और इनमें जो भी फंसेगा वह चाहे किसी भी पक्ष का क्यों न हो उसे बख्शा नहीं जायेगा।

श्री सुरेन्द्र पंवार : अध्यक्ष महोदय, हमारे घरों में यदि एक दिन भी सीवरेज का पानी इकट्ठा हो जाता है तो घर में रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार से यहां पर कई हजारों मकान हैं जिसमें कई हजार लोग रहते हैं। उनके लिए हम क्या सुविधा कर सकते हैं? मकानों की सुरक्षा का मैटर तो अलग बात है लेकिन इस सीवरेज के पानी से लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ेगा।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, जहां पर ऐसी स्थिति होती है वहां पर ठेकेदार पायलिंग करके काम करता है। ताकि जो पहले से वहां पर ढांचे बने हुए हैं उनको कोई नुकसान न हो। हम इंश्योर करेंगे कि भविष्य में ठेकेदार पायलिंग करके काम करे ताकि किसी भी मकान को नुकसान न पहुँचे। यदि इसके लिए हमें एक्सट्रा बजट भी देना होगा तो हम एक्स्ट्रा बजट का भी प्रावधान करेंगे।

.....

हैफेड के चेयरमैन व हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री तथा डी0ए0वी0 पब्लिक स्कूल लुखी, जिला कुरूक्षेत्र के अध्यापकगण एवं विद्यार्थियों का तथा का अभिनंदन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल): अध्यक्ष महोदय, श्री सुभाष कत्याल, हैफेड के चेयरमैन व हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री आज सदन की वी.आई.पीज. गैलरीज में सदन की कार्यवाही देखने के लिए बैठे हुए हैं, मैं सदन की तरफ से उनका अभिनंदन करता हूँ। इसके साथ ही डी0ए0वी0 पब्लिक स्कूल लुखी, जिला कुरूक्षेत्र के अध्यापकगण एवं विद्यार्थी दर्शक दीर्घा में सदन की कार्यवाही देखने के लिए बैठे हुए हैं, मैं सदन की तरफ से उनका अभिनंदन करता हूँ।

तारांकित प्र□न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

To open a Polytechnic College

***3. Shri Laxman Singh Yadav :** Will the Technical Education Minister be pleased to state-

(a) Whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Government Polytechnic College in Bhakali; and

(b) If so the time by which it is likely to be opened ?

Home Minister (Shri Anil Vij) : No, Sir, There is no such proposal.

श्री लक्ष्मण सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि इस प्रस्ताव के लिए हमारे पास जमीन भी है। इसलिए माननीय मंत्री जी कोसली विधान सभा क्षेत्र के गुरावड़ा और भाकली में बहुतकनीकी संस्थान खोलने के प्रस्ताव स्वीकार कर लें। हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि लोगों को स्किलड पर्सन बनाना है। अध्यक्ष महोदय, इस जमीन के साथ अनेक इन्डस्ट्रीज हैं चाहे वह बावल में हो या फिर धारूहेड़ा में हो। इसके साथ यह जमीन एन0एच0–71 के साथ भी लगती है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 138 गांव हैं और कोई एक भी बहुतकनीकी संस्थान नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लें और हमारे क्षेत्र में बहुतकनीकी संस्थान खोलने की कृपा करें।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, किसी भी ताकतवर देश के लिए बहुतकनीकी संस्थानों, इंजीनियरिंग कॉलेजिज व मैडिकल कॉलेजिज आदि का होना बहुत आवश्यक होता है। लेकिन हमारे हरियाणा प्रदेश में साइंस के प्रति बच्चों की रुचि कम होती जा रही है। जब मैंने यह डिपार्टमैंट टेकओवर किया और देखा कि 64 प्रतिशत, 62 प्रतिशत, 162 प्रतिशत, 259 प्रतिशत, 27 प्रतिशत, 37 प्रतिशत, 62 प्रतिशत आदि हमारे बहुतकनीकी संस्थानों में वैकैन्सीज खाली पड़ी हुई हैं। हमारे प्रदेश के बच्चे बहुतकनीकी संस्थानों में एडमीशन ही नहीं ले रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमें बहुतकनीकी संस्थान खोलने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आस–पास बहुतकनीकी संस्थाएं खुली हुई हैं उनमें भी इन्टैक्ट नहीं है। प्राइवेट बहुतकनीकी संस्थानों में जो इन्टैक्ट है वह 62 प्रतिशत शॉर्ट है। राजकीय एडिड बहुतकनीकी संस्थानों में 37 प्रतिशत शॉर्ट है। ऐसी स्थिति में हमें कोई नया पोलिटैक्निक कॉलेज

खोलना वाजिब नहीं लगता बल्कि अगर वहां पर बच्चें हैं तो हम उनकी आसपास के पोलिटैक्निक्स में जाने की व्यवस्था कर सकते हैं । अगर हमें बसें चलानी पड़ेंगी तो हम बसें चला देंगे । पोलिटैक्निक कॉलेज अपनी बसें खरीद लेंगे । जब तक बच्चों में साइंस के प्रति रुचि न हो तब तक किसी भी तरह से कोई नया पोलिटैक्निक कॉलेज बनाना इस वक्त खोलना वाजिब नहीं है । वह रुचि पैदा होना या न होना शिक्षा विभाग पर डिपैंड करता है । 10वीं कक्षा के बाद बच्चे साइंस लेंगे तो ही वे उसके बाद में पोलिटैक्निक कॉलेज, मैडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे । अगर वे बच्चे साइंस स्ट्रीम में दाखिला न लेकर आर्ट्स या कॉमर्स लेते हैं हैं तो Problem lies there. हमें वहां पर सुधार करना है। एजूकेशन डिपार्टमैंट में ऐजूकेश्निस्ट्स की एक कमेटी बना रहे हैं । उसका काफी काम हो चुका है और उसे हम जल्दी पूरा करेंगे । जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनका फुटफॉल और इंटेक भी 62 परसैंट डाउन जा रहा है । यह बहुत चिंता का विषय है, इसलिए ऐसी स्थिति में मैं कोई भी नया पोलिटैक्निक कॉलेज बनाने की इजाजत नहीं दे सकता ।

श्री लक्ष्मण सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना है कि यह दौड़ तो चलती ही रहती है । कभी टैक्निकल एजूकेशन का जोर होता है, कभी मैडिकल एजूकेशन का जोर होता है तो कभी अकैडमिक एजूकेशन का लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम इसको इग्नोर कर देंगे । हमारे क्षेत्र के साथ इंडस्ट्री लगती है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरे क्षेत्र में इस लाइन का स्कोप काफी है । पोलिटैक्निक कॉलेज देना या न देना तो माननीय मंत्री जी की मर्जी पर निर्भर करता है लेकिन मेरा निवेदन है कि भविष्य में अगर इस तरह का कोई प्रस्ताव हो तो मैं उसकी तैयारी करके माननीय मंत्री जी को फाइल देकर जाऊँगा । धन्यवाद ।

.....

Details of Works Under Amrut Scheme

***316. Shri Bharat Bhushan Batra :** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state the total amount of DPR made for Amrut scheme in Rohtak togetherwith the details of items included therein alongwith the following details thereof-

(a) the details of the area and the length of pipe line of drinking water and sewerage laid down so far ;

(b) the total grant received from central Government in Amrut scheme togetherwith the pending grant thereof; and

(c) the details of the new colonies in which the sewerage lines or drinking water pipe lines have been laid down togetherwith the number of colonies in which the above said lines are likely to be laid down ?

Home Minister (Shri Anil Vij) : Sir, a statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

Following two Detailed Project Reports (DPRs) are approved by competent authority for Rohtak City:-

- Water Supply :- Rs. 97.90 Cr.
- Sewerage Scheme :- Rs. 195.43 Cr.

The detail of items included in DPR of Water Supply is as follows:-

Laying of DI pipe line having size from 100 mm to 500 mm	1,33,562 mtr
Construction of Clear Water Reservoir at various locations	14 Nos.
Construction of S&S tank at village Kanehli	1 No.
Construction of Overhead service Reservoir (OHSR) at Khokra Kot	1 No.
Construction of Water Treatment Plant	6 Nos.
Replacement of Pumping Machinery of Water Work no. 1 & Water Work no. 2.	Job

The detail of items included in DPR of Sewerage Systems is as follows:-

Laying of sewerage pipe line having size from 200 mm to 1400 mm	1,82,705 mtr
House Connections of Sewerage	24820 nos.
Construction of Sewerage Treatment Plant	2 nos.
Up gradation of Sewerage Treatment Plant	1 no.
Construction of Intermediate Pumping Station	7 nos.
Construction of RCC Drain with Gobar Gas Plant in Diary Complex	1 no.

a)

- 1,04,461 metre of Water Supply Pipe Line has been laid down in the following areas:-

Area	Length(In Mtr.)
Garhi Bohar & Kheri Sadh	24427
Village Kanheli & Diary Complex	4207
Village Sunarian Kalan & Khurd	11334
Village Bohar melwan, Bhopan & Pehrawar	17603
Kokhara Kot	17789
Baliana	18080
Rajiv Gandhi Stadium to 1st Water Works	2746
3rd Water Works to Bohar Melwan Water Works	1835
Northern Bye Pass to Rajiv Nagar Boosting Station	1250
Northern Bye Pass to Khokrakot Boosting Station	756

Sunariya Chowk Boosting Station of Ajeet Colony	1249
Kanheli Water Works to Sunariya Kala Water Works	950
Bohar Melwan to Gadhi Bohar Water Works	2235

- 93,775 metre of Pipe Line of Sewerage System has been laid in the following areas:-

Area	Length
Basti Kutana	4289
Barsi Nagar	4171
Khokhra Kot	31294
Srinagar Colony	304
Khedi Sadh	13606
IDC Colony	6111
Gokul Colony	1922
Garhi Bohar, Majra & Friends Colony	16028
Kanheli Village	4934
Kanheli Dairy	1400
Village Singhpura	1155
Jhajjar Road to Sunaria Chowk	1189
Village Peer Bodhi	72
Delhi Road	510
Village Bohar Melwan	5529
Trenchless Sewer	1261

b) The detail of grant received and pending from Central Government under AMRUT Scheme for Rohtak Town is given as under:-

Received Amount	Pending Amount
56.601 Cr.	37.734 Cr.

c)

- The Sewerage Lines has been laid down in the following newly approved colonies/ areas:-

Sr. No.	Colony/Area
1	Basti Kutana
2	Jind Chowk Barsi Nagar
3	Area Near IDC
4	Gokul Colony
5	Garhi Majra & Friends Colony Delhi Road
6	Surya Nagar Singhpura Road

In addition to above, sewerage lines will be laid down in following newly approved colonies/ areas:-

Sr. No.	Colony/Area
1	Ajeet Colony
2	Area Near IDC
3	Basti Village Kutana
4	Gokul Colony
5	Harki Devi Colony
6	Barsi Nagar
7	New Aggarsain Colony
8	Basant Vihar (Ltd. Road)
9	Vishal Nagar
10	Tilak Nagar Extension
11	Basant Vihar

The Water Supply Pipe Lines have been laid down in the following newly approved colonies/ areas:-

Sr. No.	Colony/Area
1	Asthal Bohar
2	Friends Colony Delhi Road
3	Garhi Majra Colony

No water supply pipe line is proposed to be laid in other newly approved colonies.

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि अमरूत स्कीम के तहत होने वाला डी.पी.आर. का काम सरकार के पास बहुत बड़े अधिकारी और अन्य सब कुछ होते हुए भी प्राइवेट एजेंसी को क्यों सौपा गया ? इसके लिए उसे कितनी पेमेंट की गई है ? मेरा माननीय मंत्री जी से कहना है कि वह डी.पी.आर. ग्राउंड लैवल पर सर्वे करके नहीं बनाई गई ।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, डी.पी.आर. का काम गवर्नमैंट ऑफ इंडिया की तरफ से ही वैबकोस को दिया हुआ है ।

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, इसका हवाई जहाज से सर्वे हुआ है । इसका कभी एरियल सर्वे नहीं किया गया ।

श्री अध्यक्ष : बतरा जी, अभी आप माननीय मंत्री जी को जवाब देने दीजिए । इसके बाद आप माननीय मंत्री जी से सैकेण्ड सप्लीमैंट्री पूछ लेना ।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, डी.पी.आर. की पेमेंट के बारे में मैं अपने विभाग से पता करके ही बता सकता हूं । माननीय सदस्य ने हमसे लिखित में यह प्रश्न नहीं पूछा था । माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा था मैंने उसका जवाब उनको दे दिया है ।

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, वहां पर अनाधिकृत कॉलोनियों में वाटर वर्क्स और डी.पी.आर. का काम हुआ है । इसकी इंक्वायरी के लिए एक कमेटी बनाई जानी चाहिए । मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि डी.पी.आर. का जो काम अलॉट हुआ वह किस कैपेसिटी में हुआ है ? मेरा कहना है कि सरकार इसके लिए एक कमेटी बनाकर जांच करवाये कि उन इल्लीगल कॉलोनीज में पाइप डालने आदि का काम क्यों किया गया, इस काम में कौन अधिकारी दोषी हैं और इसकी रिपोर्ट मंगवाकर मुझे सैटिस्फाई किया जाए ।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, अमरूत योजना के तहत किसी भी अनधिकृत कॉलोनी में पाइप डालना, सीवरेज की सुविधा देने आदि काम नहीं किये जा सकते । अगर वहां पर पाइप डाले गए हैं तो I announce a Committee

here और वह कमेटी जांच करेगी कि किन–किन प्राईवेट कॉलोनीज में सीवरेज लाईन डाली गयी है और अगर कोई अनियमितता पायी जाएगी तो संबंधित के अगेंस्ट नसैसरी ऐक्शन लिया जाएगा।

To Develop a Park

***237. Shri Jagdish Nayar :** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to develop a park in Hodal City of Hodal Assembly Constituency; and

(b) if so, the time by which the abovesaid park is likely to be developed; and

(c) whether there is any proposal under consideration of the Government to re-constitute Municipal Committee in Hasanpur City?

Home Minister (Shri Anil Vij) : (a), (b) & (c): No Sir.

श्री जगदीश नायरः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि होडल की आबादी 80,000 है और उस शहर के अन्दर कोई भी पार्क नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी पिछली बार हमारे विधान सभा क्षेत्र में गये थे तो उस दौरान घोषणा करके आये थे। वहां पर पार्क बनाने के लिए बस स्टैंड के पास 6 एकड़ जमीन है और उस जमीन पर पार्क बनाने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि होडल शहर की आबादी 80,000 है, परन्तु फिर भी हमारा होडल शहर पानी की निकासी, पार्क और दूसरी अन्य सुविधाओं से वंचित है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वहां पर पार्क बनाने की बात पर विचार करें।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, किसी भी प्लान्ड सिटी की रिहायशी कॉलोनीज में जन सुविधाओं का होना आवश्यक है, लेकिन दुर्भाग्य से कॉलोनाईजर जब कॉलोनीज काटते हैं तो उस एरिया में ट्यूबवैल्ज लगाने की भी जगह नहीं छोड़ते हैं। विभाग होडल में पार्क बनाने की बात पर सहमत है, लेकिन उसके लिए माननीय सदस्य कोई जगह बताएं। पहले जो जमीन बतायी गयी थी वह ट्रांसपोर्ट

विभाग की थी, परन्तु उस जमीन को ट्रांसपोर्ट विभाग ने देने से मना कर दिया। इसके अतिरिक्त अगर कोई दूसरी जगह बताएंगे तो वहां पर पार्क बना देंगे। पार्क सभी जगहों पर होने चाहिएं और हर शहर में होने चाहिएं।

श्री जगदीश नायरः अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय मंत्री जी से इस बात की उम्मीद है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि इसके अतिरिक्त पार्क बनाने के लिए एक जगह और है। होडल शहर के एक थाने के सामने स्कूल है, जो बिल्कुल बन्द के बराबर है। वह 2 एकड़ जमीन है, इसलिए उस जमीन पर पार्क बनाया जा सकता है।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य लिखकर दे दें। मैं उसके बारे में पता करवा लूंगा कि टाईटल ऑफ लैंड किसका है ? अगर संबंधित जमीन वहां पर म्यूनिसिपल कमेटी को मिल जाएगी तो I assure you on the floor of the House कि संबंधित जमीन पर पार्क बनवा देंगे।

———————————

To Fill up the Posts in CHCs and PHCs

***194. Shri Shishpal Singh :** Will the Health Minister be pleased to state the steps are being taken by the Government to fill up the staff in Community Health Centres and Primary Health Centres of Kalanwali Assembly Constituency togetherwith the time by which all staff/posts in abovesaid Health Centres are likely to be filled up?

Home Minister (Shri Anil Vij) : Sir, the staff is likely to be posted as and when the ongoing recruitment process of doctors is over in March, 2020 and the requisition for other staff sent to Haryana Staff Selection Commission fructify.

श्री शीशपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, कांलावाली में जो सी.एच.सी. है, वह पी.एच.सी. से 2 साल पहले बना दी थी। वहां पर न तो सीनियर मेडिकल ऑफिसर है, न ही डिप्टी मेडिकल ऑफिसर है और न ही डैंटल डॉक्टर है। वहां पर ऑपरेशन थियेटर का एक पद स्वीकृत है, परन्तु वह भी रिक्त है। वहां पर न स्टैनोग्राफर है, न ही रेडियोग्राफर है, न ही नर्सिंग असिस्टैंट्स हैं और न ही अकाउंटैंट है। वहां पर सिर्फ माली, धोबी और पलम्बर ही हैं और ये भी आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत लगे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वहां

पर या तो संबंधित स्टाफ की नियुक्ति की जाए अन्यथा उसको और कुछ बना दिया जाए। यह ठीक है कि डॉक्टर्ज और दूसरे स्टॉफ की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, परन्तु इससे पहले ट्रांसफर पॉलिसी के तहत वहां पर संबंधित डॉक्टर्ज नियुक्ति कर दें ताकि वहां पर सी.एच.सी. जैसी सुविधाएं तो हो जाएं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी स्वास्थ्य मंत्री के साथ–साथ गृह मंत्री भी हैं। माननीय मंत्री जी को पता है कि मेरा कालांवाली क्षेत्र पिछड़ा हुआ है और वहां पर नशे की भी समस्या है। वहां पर डॉक्टर्ज की बहुत ज्यादा कमी है। हम आपसे उम्मीद हैं कि आप जिस प्रकार से प्रदेश में प्रशासन में काम करते हैं तो यह कहा जाता है कि वह काम परफैक्ट होता है। हम चाहते हैं कि आप कालांवाली हल्के की संबंधित समस्याओं के लिए भी ऐसा परफैक्ट काम कर दें ताकि वहां की स्थिति ठीक हो जाए।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, इसी सत्र में इसी प्रकार के जो क्वेश्चन आये थे। मैं उनके बारे में डिटेल्ड जवाब दे चुका हूं कि हमारे पास डॉक्टर्ज की शॉर्टेज है। विभाग में 447 डॉक्टर्ज की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। जिनका 1, मार्च, 2020 को रिटन टैस्ट होगा और आशा है कि मार्च महीने के पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह में संबंधित डॉक्टर्ज लगा दिये जाएंगे। इसके अतिरिक्त हमने 342 कांट्रैक्चुअल डॉक्टरों को अप्वॉयंट करने की नई व्यवस्था शुरू की है जोकि आसान है, इसमें इनको सरकार की तरफ से कोई भत्ता भी नहीं देना पड़ेगा। मैं बताना चाहूंगा कि एम.बी.बी.एस. डॉक्टर को 75 हजार रुपये और स्पेशलिस्ट डॉक्टर को डेढ़ लाख रुपये सैलरी दी जायेगी और मैं सदन में बताना चाहूंगा कि कॉट्रैक्ट के तहत ही इनको भर्ती करने का काम किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, स्टाफ सलैक्शन कमीशन, हरियाणा को हमने 1782 पैरामेडिकल स्टाफ की रिक्विजिशन भेजी हुई है। हम इस बात को मानते हैं कि वहां पर इन पोस्टों को भरने के लिए टाईम लगता है। मैं एक बात सदन में बताना चाहूंगा कि मैं हमेशा ही आउट सोर्सिंग भर्ती के खिलाफ रहा हूं क्योंकि इसमें कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ एक्सपलोइटेशन किया जाता है और इसके अलावा और भी बहुत कुछ होता है। इसीलिए मैंने अपने विभाग में ये आदेश पारित किए हैं कि कांट्रैक्चुअल बेसिज पर भर्तियां करने की जो पार्ट–2 की पॉलिसी बनी हुई है, उसके तहत कांट्रेक्चुअल बेस पर भर्तियां कर ली जायें ताकि वे अधिकारी/कर्मचारी सीधे विभाग से सैलरी प्राप्त कर सके बीच में कोई तीसरा व्यक्ति इनका शोषण न कर सके। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि हम इस समस्या का जल्दी से जल्दी हल निकालने की

कोशिश करेंगे। यह बात इनकी ठीक है कि इनको अपने हल्के के लोगों की चिंता रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है कि हमें प्रदेश के लोगों की चिंता नहीं है। मैंने इन सभी समस्याओं को निपटाने के लिए डेस्क बोर्ड बना रखा है और उसमें प्रदेश के सभी कामकाजों का लेखा–जोखा लिखा होता है और मैं इस डेस्क बोर्ड में रोजाना नोट करता हूं कि मैंने प्रदेश में क्या काम करने हैं लेकिन मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार ने इन भर्तियों के लिए जो मापदंड बना रखे हैं उसी हिसाब से भर्तियां की जाती हैं और पिछली सरकारों में होती रही हैं और हम भी इन मापदंडों के बगैर भर्तियां नहीं कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि कुछ भर्तियों पर माननीय कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाता है और उसका फिर हमें और प्रदेश की जनता को खामियाजा भुगतना पड़ता है इसलिए सरकार ने जो मापदंड इन भर्तियों को भरने के लिए बना रखे हैं, I assure you कि उनके हिसाब से ही भर्तियां की जायेंगी तब हमारे लिए और जनता के लिए भी ठीक होगा।

श्री भी□ापाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि आज प्रदेश में 300 डॉक्टर स्टडी लीव और 50 डॉक्टर डैपुटेशन पर चले गये हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से मंत्री जी से गुजारिश है कि इन डॉक्टर्ज के लिए एक ऐसा क्राईटेरिया फिक्स कर दिया जाये कि इतने डॉक्टर्ज एक साथ स्टडी लीव पर न जायें। अगर इतने डॉक्टर्ज जनता की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भर्ती किए गये हैं तो फिर जनता का इलाज कौन करेगा? मैं समझता हूं कि इतने डॉक्टर्ज स्टडी लीव पर जाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से मंत्री जी से पुनः प्रार्थना है कि वहां पर डॉक्टरों की सेवाएं शुरू करवा दीजिए। हमें चाहे तो कम डॉक्टर्ज ही दे दीजिए ताकि अस्पताल में आने वाले मरीजों का इलाज अच्छे ढंग से हो सके।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि आप मार्च तक इसके लिए इंतजार कर लीजिए, अप्रैल का महीना आपके हल्के के अस्पताल के लिए सुखदायी होगा क्योंकि वहां पर डॉक्टर्ज अप्वॉयंट कर दिए जायेंगे।

श्री मामन खान : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री शीशपाल जी ने जो सदन में क्वैश्चन उठाया है, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हमारे मेवात के अस्पताल में भी रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मामन खान जी, आप तो इस बात के लिए प्वॉयंट ऑफ ऑर्डर के लिए हैंड रेज कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि आप क्वैश्चन पूछने के लिए अपना हाथ खड़ा कीजिए दूसरी बात यह है कि यह एक स्पैसिफिक क्वैश्चन है और इसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने दे दिया है। अगर आपका कोई रिलैवेंट प्रश्न है तो उसको क्वैश्चन के रूप में लायें।

————————

Farmers Covered Under PMFBY

***158. Shri Jagbir Singh Malik** : Will the Agriculture and Farmers Welfare Minister be pleased to state the district wise total number of farmers covered under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna in State?

कृशि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रका□ा दलाल) : श्रीमान जी, खरीफ 2016 से खरीफ 2019 तक 50,34,724 किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कवर किया गया है। किसानों की जिलेवार कवरेज निम्न प्रकार से है।

कम संख्या	जिला	कुलसम्मिलितकिसान
1	सिरसा	543000
2	भिवानी	425074
3	फरीदाबाद	30441
4	कुरुक्षेत्र	230091
5	कैथल	332030
6	पंचकुला	34093
7	रेवाडी	268141
8	हिसार	568858
9	सोनीपत	254393
10	गुरुग्राम	66095
11	करनाल	291551
12	अम्बाला	166402
13	जीन्द	355518
14	महेन्द्रगढ़	280548
15	फतेहाबाद	375077
16	रोहतक	148640
17	झज्जर	140576
18	मेवात	54391
19	पलवल	130202
20	पानीपत	122311
21	यमुनानगर	153372
22	चरखीदादरी	63920
कुलजोड		**5034724**

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो इन्होंने खरीफ 2016 से खरीफ 2019 तक किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कवर करने का जो ब्यौरा दिया है। मैं मंत्री

जी से सिर्फ यही जानना चाह रहा हूं कि कितने किसानों का क्लेम पैंडिंग है और क्लेम पैंडिंग रहने के क्या कारण हैं? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जो कमेटी क्लेम डिसाईड करती है उस कमेटी में कौन–कौन मैम्बर हैं? मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि किन–किन कम्पनियों में किसानों के मुआवजे की राशि पैंडिंग हैं?

श्री जय प्रका□ा दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश में क्लेम डिसाइड करने के लिए दो कमेटियां बनाई गई हैं। एक कमेटी स्टेट लैवल पर बनाई गई और दूसरी कमेटी डिस्ट्रिक्ट लैवल पर बनाई गई है। अध्यक्ष महोदय, अगर डिस्ट्रिक्ट लैवल की कमेटी से कोई हल नहीं निकलता है तो स्टेट लैवल की कमेटी उसका फैसला करती है। किसानों की फसलों के जो केस पैंडिंग पड़े हुए हैं, जैसे कई बार बैंक की अव्यवस्था के कारण केस पैंडिंग रह जाते हैं और कई बार कम्पनी के पास किसानों के प्रीमियम समय पर नहीं पहुंचते हैं, उसके कारण हमारे किसानों के केस पैंडिंग पड़े रह जाते हैं। मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि अगर कम्पनी के पास मुआवजे के लिए किसानों का प्रीमियम पूरा गया है तो ऐसे केसिज पैंडिंग नहीं पड़े हैं।

श्री जगबीर सिंह मलिक : स्पीकर सर, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया है। मैंने माननीय मंत्री जी से यह पूछा था कि इस समय पैंडिंग केसिज की कितनी संख्या है? दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस कमेटी में कौन–कौन आदमी हैं? क्या उस कमेटी में बीमा कम्पनियों के ही आदमी हैं या फिर किसानों के प्रतिनिधि और सरकार के भी रिप्रेजैंटेटिव्स भी हैं? मैं इस कमेटी के कांस्टीचुएशन के बारे में भी जानना चाहता हूं। किसान बैंक से या आढ़ती से कर्ज लेकर खेती करता है क्या उसकी फसल का मुआवजा सैटल होने के बाद किसान को ब्याज के साथ मुआवजा दिया जायेगा या उसको उसकी मूल राशि ही दी जायेगी?

श्री जय प्रकाश दलाल : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि जो डिस्प्यूटिड मुआवजा होता है उसमें ब्याज का कोई प्रॉविजन नहीं होता है। पैंडिंग क्लेम में स्टेट के कृषि अधिकारी होते हैं, कम्पनी के अधिकारी होते हैं। डिस्ट्रिक्ट लैवल की कमेटी में डिप्टी कमिश्नर और डिप्टी डायरैक्टर, एग्रीकल्चर सदस्य होते हैं। स्टेट लैवल की कमेटी के अंदर डायरैक्टर, एग्रीकल्चर और जो बीमा कम्पनी को देखते हैं वे अधिकारी

होते हैं। हरियाणा प्रदेश में अभी तक किसानों का ऐसा कोई ऑर्गेनाईजेशन नहीं बना है कि जो सभी किसानों की पैरवी कर सके। व्यक्तिगत बीमा में प्रत्येक आदमी को कैसे शामिल किया जाये इस बारे में माननीय सदस्य सुझाव दें तो उसके ऊपर सरकार के स्तर पर विचार किया जा सकता है।

श्री जगबीर सिंह मलिक : स्पीकर सर, मैंने यह भी पूछा था कि बीमा कम्पनियों के पास किसानों के मुआवजे के कितने केस अभी तक पैंडिंग हैं और उनके ऊपर अभी तक क्या कार्यवाही हुई है? अगर सरकार द्वारा किसानों के बीमा का प्रीमियम नहीं भरने की वजह से किसानों को उनकी खराब फसल का मुआवजा नहीं मिल रहा है तो इसके लिए या तो केन्द्र सरकार जिम्मेदार है और या फिर राज्य सरकार जिम्मेदार है। केन्द्र या राज्य सरकार के प्रीमियम न देने की सजा किसान क्यों भुगते?

श्री जय प्रकाश दलाल : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि हरियाणा के अंदर रबी की फसल का जो सारे का सारा जो प्रीमियम बीमा कम्पनियों को दिया गया है वह 1672 करोड़ रूपये है और रबी की फसल तक जो मुआवजा किसानों को बांटा गया है वह लगभग 2097 करोड़ रूपये है। इस प्रकार हरियाणा प्रदेश के किसानों को प्रीमियम के मुकाबले मुआवजा लगभग 400 करोड़ रूपये ज्यादा बांटा गया है। (शोर एवं व्यवधान) हरियाणा में हमारी सरकार ने किसानों के हित के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। इस समय हरियाणा सबसे पहले और एकमात्र प्रदेश है जहां पर मुआवजा ज्यादा बंटा है और प्रीमियम कम दिया गया है।

श्री जगबीर सिंह मलिक : स्पीकर सर, मेरे हल्के मे 9 गांवों में और लाडवा हल्के में इतनी भारी ओलावृष्टि हुई। मेरे हल्के के 9 गांवों में 75 परसैंट फसल का नुक्सान हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि मेरे हल्के के 9 गांवों को मुआवजा मिलेगा जहां पर ओलावृष्टि से फसल का 75 परसैंट नुक्सान हुआ है?

श्री जय प्रकाश दलाल : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि माननीय सदस्य अपने हल्के के स्पैशिफिक गांवों की लिस्ट मुझे दे दें। मैं उनकी जांच करवाकर माननीय सदस्य को उसकी रिपोर्ट भिजवा दूंगा।

श्री बिशन लाल सैनी : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पिछले साल मक्के की जो फसल बोई गई थी और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उसका बीमा भी किया गया था लेकिन सरकार के द्वारा उसका जो प्रीमियम भरना था वह क्यों नहीं भरा?

श्री जय प्रकाश दलाल : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि पिछले साल मक्के की जो फसल बोई गई थी अगर माननीय सदस्य के पास ऐसा कोई विषय है तो माननीय सदस्य अपने हल्के के स्पैशिफिक गांवों के किसानों की एक लिस्ट मुझे भिजवा दें मैं उसके बारे में डिटेल्ड रिप्लाई माननीय सदस्य को भिजवा दूंगा।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया कि प्रधानमंत्री बीमा योजना को जो प्रीमियम था उससे ज्यादा इन्होंने मुआवजा बंटवाया है। जब से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है क्या माननीय मंत्री जी प्रत्येक साल का ब्यौरा देंगे? एक तो हर साल का ब्यौरा दिया जाये और दूसरा प्रश्न मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार द्वारा अब इस पॉलिसी में कोई तब्दीली की गई है? क्योंकि यह पूरी दुनिया में पहली एक ऐसी पॉलिसी थी जिसमें पार्टी की विद्–आउट कंसैंट के फसल का बीमा कर दिया जाता था और उसके प्रीमियम का पैसा सम्बंधित किसान के बैंक खाते से काट लिया जाता था। मैंन अखबार में यह पढ़ा है कि अब सरकार द्वारा इस पॉलिसी को ऑप्शनल रखा गया है। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार द्वारा भी इसमें कोई चेंज किया गया है?

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहूंगा कि ऑप्शन के बारे में अभी केन्द्र सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट निर्देश नहीं आये हैं, हरियाणा ने अभी इसमें कोई बदलाव नहीं किया है। जब भी इसमें कोई बदलाव किया जायेगा तो बता दिया जायेगा। जहां तक वर्षवार ब्यौरा उपलब्ध करवाने की बात है तो वह लिखित जवाब के साथ लगाया हुआ है।

Constructions of Gaushala

***56. Shri Shamsher Singh Gogi :** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state it is a fact that 38 acres of Gaucharan land is lying unused in village Katlaheri of Assandh; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to use the above said land for constructing new Gaushala for stray cattle together with the steps taken by the Government to check the problem of stray cattles in Assandh Assembly Constituency?

@उप–मुख्यमंत्री मंत्री (श्री दुश्यंत चौटाला) : हां, श्रीमान् जी, ग्राम पंचायत की इस मलकियत भूमि पर गऊशाला निर्माण बारे कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। गांवों में गऊचरांद की भूमि पर गऊशाला का निर्माण करने के लिए पहले से ही हिदायतें दिनांक 4 फरवरी, 2019 को जारी की जा चुकी है। इसी तरह गांवों में आवारा पशुओं की समस्या से निदान के लिए गांवों में पंचायत द्वारा पशु फाटक/गउग्रह स्थापित करने हेतु पहले से ही हिदायतें दिनांक 3 फरवरी, 2017 को जारी की जा चुकी है।

श्री शमशेर सिंह गोगी: अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है और यह प्रोपोजल भी मैंने ही तैयार करवाई थी, इसकी सलाह मैंने ही दी थी। यह कतलहेड़ी गांव मेरे विधान सभा क्षेत्र का ही गांव है। आप असंध की रिपोर्ट मंगवा कर देख लीजिए वहां पर एक गाय या सांड एक्सीडैंट में रोजाना मर रहा है। कतलहेड़ी में जो गउचरान की भूमि है और गऊशाला के निर्माण के लिए 4 फरवरी, 2019 को जो हिदायतें जारी हुई हैं वे भी मेरे ही प्रयासों से हुई हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इसके लिए कितना पैसा दिया जायेगा और इसको कौन चलाएगा? इस बारे में मेरा यह भी कहना है कि इस गऊशाला को किसी प्राइवेट आदमी को न देकर या तो ग्राम पंचायत द्वारा चलाई जाए या कोई रजिस्टर्ड कमेटी बना कर सरकार के अधीन चलाई जाये। पंचायत की जमीन है और गांव के लोगों को इसमें शामिल करके इसका संचालन किया जाये। इसके लिए कितना फंड दिया जायेगा, कितने दिन में बन कर तैयार हो जायेगी तथा कितने दिन में यह गऊशाला चालू हो जायेगी?

.....

@ Replied by Minister of State for Archaeology & Museums

श्री अध्यक्षः गोगी जी, वे भी तो प्राइवेट लोग ही कहे जायेंगे।

श्री शमशेर सिंह गोगीः अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरी जानकारी है पंचायतें सरकारी होती हैं। मैंने गांव की पंचायत के बारे में कहा है और वहां पर करोड़ों रुपये का नुकसान ये जानवर कर रहे हैं। अगर यह गऊशाला हमारे एरिया में बन जायेगी तो हमारे एरिया के आवारा पशुओं को उसमें रखने की सुविधा हो जायेगी।

श्री अध्यक्षः गोगी जी, आप इनको आवारा न कह कर बेसहारा कह सकते हैं

श्री शमशेर सिंह गोगीः अध्यक्ष महोदय, अभी तक तो वे आवारा ही कहे जाते हैं।

पुरातत्व संग्रहालय राज्य मंत्री (श्री अनूप धानक): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद गऊशाला बना सकती हैं। गऊशाला बनाने का अधिकार उन्हीं को है और पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) नियमावली, 1964 के नियम 6(5) के प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायतें सरकार की पुर्वानुमति उपरान्त अपनी भूमि ऐसे उद्देश्यों, जो सरकार द्वारा जनहित के लिए अनुमोदित किये जायें, हेतु पट्टे पर दे सकती हैं। ग्राम पंचायतें अपनी भूमि निदेशक पंचायत की अनुमति से गौशालाओं को चारा उगाने के लिए पट्टे पर दे सकती हैं। ग्राम पंचायतें अपनी भूमि का प्रयोग अपने स्तर पर गौशालाओं की स्थापना हेतु कर सकती हैं और ये गौशालाएं स्वयं या किसी अन्य ऐजेन्सी के माध्यम से भूमि की मलकियत या पट्टा अधिकार दिये/स्थानांतरित किए बिना गौशालाएं चला सकती हैं। इसके अतिरिक्त पंचायतों द्वारा इस कार्य को स्वयं न करके, भूमि अन्य ऐजेन्सी को दिये जाने की अवस्था में गऊशालाओं के संचालन की इच्छुक इकाइयों को ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव एवं सरकार की पूर्वानुमति उपरान्त गऊशाला अथवा नंदीशाला की स्थापना हेतु जमीन खुली बोली के जरिए अथवा एकल बिड की अवस्था में न्यूनतम पट्टा राशि 5100 रुपये तथा 7100 रुपये प्रति वर्ष प्रति एकड़ की दर से 33 वर्षों के लिए पट्टे पर दिया जा सकता है ताकि स्थापना उपरान्त ढांचागत विकास का समुचित लाभ लिया जा सके। इस उद्देश्य हेतु 200 से 300 पशुओं के लिए 1 एकड़, 500 से 700 पशुओं के लिए 2 एकड़ तथा 1000 से 1200 पशुओं के लिए 3 एकड़ भूमि, 2000 पशुओं के लिए 4 एकड़ भूमि तथा इससे अधिक पशुओं के लिए 5 एकड़ भूमि उपलब्ध करवाई जा सकती है। भूमि उपलब्ध करवाने हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाना आवश्यक होगा तथा प्रस्ताव पारित होने के उपरान्त

इच्छुक पार्टियों द्वारा उपायुक्त अथवा हरियाणा गौ–सेवा आयोग में आवेदन किया जायेगा।

श्री भाम□ोर सिंह गोगी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि गांव कतलाहेड़ी की पंचायत के पास ऐसा कोई साधन नहीं है कि वह वहां पर गौशाला तैयार कर सके। मैं यह नहीं चाहता कि यह गौशाला भी गौशालाओं के माफिया के हाथों में जाए। मैं यह बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ सदन में कह रहा हूं। सरकार चाहे इसकी जांच करवा ले कि वहां के किसान रात भर भाग–भाग कर इन आवारा गायों के झुंड से अपने खेतों को कैसे बचाते हैं । वे उन गायों को पकड़कर ट्रैक्टर–ट्राली में या किसी ट्रक में डालकर गौशाला में ले जाते हैं और वहां गौशाला के दरवाजे पर खड़े होकर भीख मांगते हैं कि आप इन गायों को गौशाला के अन्दर ले लो लेकिन गौशाला वाले इतने माफिया हैं कि वे उन गायों को गौशाला में नहीं लेते हैं। करनाल के जो पहले डी.सी. थे वह अब वहां से बदल गये हैं। मैंने उनसे कहकर एक दिन आवारा गायों से भरा ट्रक गौशाला में उतरवाया था उससे पहले 12 घण्टे तक वह लड़के भूखे प्यासे गौशाला के सामने खड़े रहे लेकिन गौशाला माफिया ने उस गायों से भरे ट्रक को उतरने नहीं दिया था। जब सरकार की तरफ से उनको फंड मिल जाता है तो गौशाला के ही लोग अपनी गौशाला से गायों का ट्रक भरकर दूसरी गौशाला के पास उतार आते हैं ताकि जो आवारा गाय हैं, वे धक्के खाती फिरें। एक तरफ तो गऊ हमारी माता है और दूसरी तरफ हम माता को घर से निकाल रहे हैं। इसका इन्तजाम सरकार को करना चाहिए। अगर गौशालाओं का टैंडर करोगे तो उस टैंडर को कोई गौशाला माफिया ही ले जाएगा।

□िक्षा मंत्री(श्री कंवर पाल) : अध्यक्ष महोदय, सरकार कोई गौशालाएं नहीं चला रही है और न ही कोई गौशालाएं भविष्य में चलाएगी। यह ठीक है कि अगर कोई भी सामाजिक संगठन इस प्रकार का कार्य करना चाहे तो सरकार उसमें सहयोग देने के लिए तैयार है।

.....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण अब प्रश्नकाल समाप्त होता है।

.....

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र□नों के लिखित उत्तर

NOC for Tubewell Connections

***280.Shri Devender Singh Babli :** Will the Power Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that in the last scheme the NOC for tubewell connections were given to more than 140 farmers without completing the process with the involvement of the officers of the department; and

(b) if so, the action taken by the Government against the officers responsible for the same?

बिजली मंत्री (श्री रणजीत सिंह) : श्रीमान, कृषि उद्देश्य के लिए नलकूप कनैक्शन जारी करने के लिए बिजली विभाग द्वारा कोई एन.ओ.सी./अनुमति अपेक्षित/जारी/स्वीकार नहीं की जाती है।

हालांकि, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण के दिशा–निर्देशों के अनुसार अधिसूचित क्षेत्र यानि डार्क जोन में पीने के पानी के उद्देश्य के लिए जिला के जिला उपायुक्त द्वारा अनुमति दी जाती हैं।

.....

Construction of Roads

***127. Shri Lila Ram :** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state the time by which the construction work of following roads is likely to be completed

(a) Village Ujana to village Kultaran;

(b) Patiala road to Khurana road alongside the drain;

(c) Village Sanghan to village Guhna; and

(d) Village Keorak to village Jagdishpura via Ujana alongside the footpath of the drain?

उप मुख्यमंत्री (श्री दुश्यंत चौटाला) :(क), (ख) (ग) व (घ) कोई प्रस्ताव नहीं होने के कारण, समय सीमा नहीं दी जा सकती।

.....

To Drain Out Rainy Water

***136. Shri Amarjeet Dhanda :** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that many villages such as Lajwana Khurd, Fatehgarh, Lajwana Kalan, Shamlo Kalan, Gatauli and other adjacent villages have been affected by flood due to rainy water; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to make proper arrangement to drain out the rainy water from the abovesaid villages?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : (क) हां, श्रीमान जी ।

(ख) हां, श्रीमान जी ।

.....

To Open Mining in Faridabad

***58. Shri Neeraj Sharma :** Will the Mines and Geology Minister be pleased to State whether it is a fact that the mining has been stopped in Faridabad area; if so, the reasons thereof togetherwith the steps taken by the Government to open the mining in the above said area?

परिवहन मंत्री (श्री मूल चंद भार्मा) : श्री मान् जी, विवरण सदन के पटल पर रखा है।

विवरण

श्री मान् जी, जिला फरीदाबाद व जिला गुड़गांव तथा नूंह के अरावली क्षेत्र में खनन मई 2002/फरवरी 2009 से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित कानूनी मामलों की वहज से बंद पड़ी है। राज्य सरकार ने मामले को सूचीबद्ध करने तथा इसके निर्णय हेतु मामला नई दिल्ली में अपने स्थायी वकील के माध्यम से भारत के अटॉर्नी जनरल के साथ उठाया ।

वर्तमान में जिला फरीदाबाद के यमुना नदी क्षेत्र में खनन कार्य बंद है क्योंकि पूर्व में प्रदान किये गए खनन ठेकों को रद्द किए जाने के बाद उन क्षेत्रों का भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी सतत् रेत खनन दिशानिर्देश व माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किये गए आदेश दिनांक 05.04.2019 के अनुसार ताजा सर्वे करवाया जा रहा है।

क्षेत्र से संबंधित मुद्दों, खनिज की भरपाई आदि के मद्देनजर पूरे नदी तल क्षेत्र की फिर से जाँच हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के माध्यम से उपग्रह इमर्जियों की सहायता से करवाई जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नीलामी/खनिज अनुदान प्रदान करने के बाद कोई विवाद पैदा न हो।

Construction of College Building

***52. Shri Pardeep Chaudhary :** Will the Education Minister be pleased to state whether it is a fact that the Government Girls College, Raipur Rani is running without its own building; If so, the time by which the building of the said college is likely to be constructed togetherwith the details thereof ?

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल) :

(क) हां, श्रीमान् जी ।

(ख) राजकीय कन्या महाविद्यालय, रायपुर–रानी की इमारत का निर्माण 30.04.2020 तक पूर्ण कर दिया जाएगा।

.....

To Set Up Solid Waste Management Plant

***149. Smt. Geeta Bhukkal :** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state the time by which construction work of the Solid Waste Management Plant at Jhajjar is likely to be started?

गृह मंत्री (श्री अनिल विज) : महोदय, श्रीमान्जी, कार्य की प्रकृति इस प्रकार की है कि कोई निश्चित तिथि नही दी जा सकती।

.....

Expenditure Incurred On Gita Jayanti Mahotsav

***34. Shri Abhay Singh Chautala :** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state-

(a) the item wise details of expenditure incurred in organizing the International Gita JayantiMahotsavat Kurukshetra by Kurukshetra Development Board during the period from 23.11.2019 to 10.12.2019; and

(b) the details of expenditure incurred on the visits of V.I.Ps. and officers to the above said event by Kurukshetra Development Board ?

x`g ea=h ¼Jh vfuy fot½ % ¼d½ dq#{ks= fodkl cksMZ }kjk fnukad 23-11-2019 ls 10-12-2019 rd dq#{ks= esa vk;ksftr fd, x, vUrjkZ"Vªh; xhrk egksRlo ij 8]94]71]239@& : ¼vkB djksM+ pkSjkuos yk[k bdgÙkj gtkj nks lkS mUrkyhl :i;s½ dh jkf'k [kpZ dh xbZA [kpZ dh xbZ jkf'k dk en okbZt C;kSjk lnu ds iVy ij j[kk gSA

¼[k½ dq#{ks= fodkl cksMZ }kjk fof'k"V O;fDr;ksa rFkk vf/kdkfj;ksa dh ;k=k ij vyx ls jkf'k [kpZ ugha dh xbZA

ब्यौरा

Øekad	C;kSjk	jkf'k
1	सांस्कृतिक कार्यक्रम	8463872.00
2	भोजन एवं जलपान	3062000.00
3	हरियाणा पर्यटन, होटल एवं धर्मशाला में आरक्षित करवाई गई आवास व्यवस्था	4615658.00
4	स्मृति चिन्ह और उपहार जैसे कि डायरी, पैन, बैग इत्यादि	1649947.00
5	अस्थायी विद्युत कनैक्शन, कनैक्शन के लिए ए0सी0डी0 का उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम को भुगतान	7183525.00
6	अस्थाई टैन्टेज	4500640.00
7	प्रचार एवं प्रसार	2864170.00
8	पुष्प सज्जा एवं परिवेश निर्माण	2693000.00
9	फोटोग्राफी व विडियोग्राफी	569160.00
10	18000 स्कूली बच्चों द्वारा किये गये अष्टादश श्लोकी गीता पाठ का खर्च	2984690.00
11	साउंड सिस्टम की अस्थाई व्यवस्था	411425.00
12	कलाकारों तथा क्राफ्ट्समैन के लिये बिस्तरों की व्यवस्था	300240.00
13	प्रकाशन सामग्री कॉफी टेबल बुक सहित	1247677.00
14	लाल किला, इंडिया गेट, नई दिल्ली में हुई प्रैस कॉन्फ्रैंस	2325025.00
15	अन्तर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अवसर पर 6 दिनों के लिए मल्टीमीडिया शो	11500000.00

16	सफाई व्यवस्था	2723038.00
17	सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए मुख्य पण्डाल का निर्माण, सिविल वर्क्स, टैन्टेज, साउंड सिस्टम, विद्युतीकरण एवं विद्युत उपकरण, सजावट, जैनरेटर सैटों की डीजल सहित व्यवस्था।	11000000.00
18	ई–रिक्शा की किराए पर व्यवस्था तथा चार्जिंग स्टेशन की स्थापना	477300.00
19	हरियाणा पवेलियन की स्थापना	3417000.00
20	अस्थाई सी0सी0टी0वी0 एवं एल0ई0डी0 की अस्थाई व्यवस्था	2665656.00
21	अन्तर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी	4400000.00
22	विभिन्न स्थानों पर रंगोली की स्थापना	209979.00
23	शैक्षणिक एवं खेल प्रतियोगिताएं जैसेकि पेंटिंग वर्कशॉप एवं मैराथन दौड़	2754810.00
24	ट्रांसपोर्टेशन चार्जिज, पैट्रोल, डीजल, पौधे, महाआरती एवं दीपदान के लिए सामग्री, बीमा, हेलीकाप्टर किराया तथा फायर वर्क्स इत्यादि	2989002.00
25	वैब बेसड पीपल काउंटर	411425.00
26	लोक निर्माण विभाग के माध्यम से ब्रह्मसरोवर, ज्योतिसर और अन्य तीर्थों पर करवाए गए रंगरोगन तथा मुरम्मत इत्यादि के कार्य	4052000.00
	कुल	**89471239.00**

(आठ करोड़ चौरानवे लाख इकहत्तर हजार दो सौ उन्तालीस रुपये)

To Upgrade Ateli as Sub-Division

***121. Shri Sita Ram :** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade Ateli as Sub-Division and village Dongra Ahir as Sub-Tehsil; if so, the details thereof?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुश्यंत चौटाला) : नहीं, श्रीमान् जी।

.....

अतारांकित प्र□न एवं उत्तर

To Implement Old Pension Scheme

38. Shri Amit Sihag : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to implement Old Pension Scheme for the employees of State; if so, the time by which it is likely to be implemented

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : नहीं श्रीमान जी, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

.....

Upgradation of Schools

63. Smt. Naina Singh Chautala: Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the Middle Schools of villages Huee, Kheri Batter, Pichopa, Dadma, Jewali, Kari Rupa of Badhra Assembly Constituency as High Schools; if so, the time by which these schools are likely to be upgraded?

शिक्षा मन्त्री (श्री कंवर पाल) : नहीं, जी, ये विद्यालय स्तरोन्नति के नार्मस पूरे नहीं करते।

.....

To Open a Cancer Hospital

15. Dr. Krishan Lal Middha : Will the Health Minister be pleased to state-

(a) the total number of Cancer cases detected in the State during the years 2018-19 to 2019-20; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to open a special hospital for Cancer in Jind City; if so, the time by which it is likely to be opened ?

गृह मंत्री (श्री अनिल विज) : (क) श्रीमान जी, वर्ष 2018–19 से 2019–20 (दिसम्बर, 2019) के दौरान कैंसर के 9820 मामलें पाए गए ।

(ख) नहीं, श्रीमान जी।

.....

To open Ayurvedic Dispensary

65. **Smt. Naina Singh Chautala:** Will the Ayush Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open Ayurvedic Dispensary in village Mandoli of Badhra Constituency; if so, the time by which it is likely to be opened?

गृह मंत्री (श्री अनिल विज) : नही, जी।

.....

Shiftingof Bus Stand

8. Shri Pardeep Chaudhary : Will the Transport Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of Government to shift the Bus Stand ofPanchkula on Panchkula-Yamunanagar Highway at MajriChowk of Panchkula; if so, the time by which it is likely to be shifted togetherwith the details thereof?

परिवहन मंत्री (श्री मूल चन्द भार्मा) : नहीं, श्रीमानजी।

Construction of Fly Over

46. Shri Sita Ram Yadav : Will the PW (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the fly over on Ateli – Kanina Railway crossing in Kanina; if so, the time by which it is likely to be constructed?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यन्त चौटाला) : नहीं, श्रीमान् जी।

.....

Upgradation of Schools

64. Smt. Naina Singh Cahutala : Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the Government High Schools of villages Bhandwa and KheriBura of Badhra Assembly Constituency as Government Senior Secondary School; if so, the time by which these are likely to be upgraded?

शिक्षा मन्त्री (श्री कंवर पाल) : नहीं, जी, ये विद्यालय स्तरोन्नत के नार्मस पूरे नहीं करते।

.....

To Open Institute for Technical Education

39. Shri Amit Sihag : Will the Technical Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the

Government to open any institute for Technical Education in Dabwali together with time by which it is likely to be opened ?

गृह मंत्री (श्री अनिल विज) : नहीं, श्रीमान जी।

.....

Upgradation of Schools

26. Shri Kuldeep Bishnoi : Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the Government schools of villages Kabrel, Khara, Barwala, Dhobhi Girls School, Jhidi, Sanjay Nagar and BirBabran of Adampur assembly constituency; if so, the time by which the abovesaid schools are likely to be upgraded?

शिक्षा मन्त्री (श्री कंवर पाल) : नहीं, श्रीमानजी, ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

.....

Punjabi In School Teachings

50. Shri Shamsher Singh Gogi : Will the Education Minister be pleased to state-

(a) The total Number of private and Government schools teaching Punjabi; and

(b) Whether Punjabi language is under NSQF or it is officially Haryana's only second language?

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल) :

(क) श्रीमानजी, राज्य मे 1490 निजी विद्यालय एवं 1223 राजकीय विद्यालय हैं, जहां पर पंजाबी भाषा पढाई जाती है।

(ख) नही, श्रीमानजी, पंजाबी भाषा 'राष्ट्रीय कौशल पाठ्यक्रम ढांचा' (एन0एस0क्यू0एफ0) के अन्तर्गत नही आती। शिक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 29 मई, 1996 के तहत पंजाबी भाषा को हरियाणा राज्य में द्वितीय भाषा घोषित किया गया है।

.....

To Open A Government Dispensary

66. Smt. Naina Singh Chautala, M.L.A.: Will the Health Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Government Dispensary in village Pichopa Khurd of Badhra Constituency; if so, the time by which it is likely to be opened?

गृह मंत्री (श्री अनिल विज) : नहीं, श्रीमान् जी।

.....

To Open A Sports Academy

20. **Shri Pardeep Chaudhary :** Will the Minister of State for Sports & Youth Affairs be pleased to state whether there is any proposal under consideration of Government to open a Sports Academy in the block Raipur Rani; if so, the time by which it is likely to be opened together with the details thereof?

खेल एवं युवा मामले मंत्री (सरदार संदीप सिंह) : श्रीमान् जी, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

.....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज जीरो ऑवर नहीं है । आज दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगे हुए हैं उनके ऊपर ही चर्चा होगी। उनमें से एक ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–16 है और ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–01 और 09 को भी समान विषय का होने के कारण ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–16 के साथ ही जोड़ दिया गया है। स्थगन प्रस्ताव संख्या–02 (शोर एवं व्यवधान) माननीय सदस्यगण, आप अपनी–अपनी सीट्स पर बैठें। आज जीरो ऑवर नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

.....

भून्यकाल का मामला उठाना

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, आज जीरो ऑवर क्यों नहीं है?(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आज जीरो ऑवर के अन्दर दो ध्यानाकर्षण प्रस्तावों को लेकर आए हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, उसके बाद जीरो ऑवर टेकअप कर लें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा जी, आज जीरो ऑवर नहीं है। जीरो ऑवर में ही हमने ये दोनों ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखे हैं।(शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, यह तो गलत बात है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा जी, समय की सीमा है। समय की सीमा के अन्दर हमने ये डिसीजन लिया है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, आप हाऊस को एक घण्टा बाद तक चला लेना। आप हाऊस को ढाई की बजाए तीन बजे खत्म कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, बहुत सारे सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा नहीं की है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, आप हाऊस को बाद में और बढ़ा दीजिए। (शोर एवं व्यवधान) अभी तो हमारे मैंबर भी नहीं बोले हैं। यही तो मौका होता है मैंबरों के बोलने का।

श्री कंवर पाल : हुड्डा साहब, राज्यपाल के अभिभाषण पर आपके सारे मैंबर बोल लेंगे।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने अगर किसी सदस्य को नहीं बोलने देना तो वह आपकी मर्जी है।(शोर एवं व्यवधान) देखिए 2:30 बजे तक हमारा एक सीमित समय है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, जीरो ऑवर ही एक ऐसा मौका है जिसमें मैंबर अपनी बात रख सकते हैं। अगर आपको समय की दिक्कत है तो आप हाऊस को एक घण्टा और बढ़ा देना।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, आपके जो सदस्य नये आए हैं उनको बोलने का समय नहीं मिलेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, आप हाऊस को एक घण्टा और बढ़ा देना।(शोर एवं व्यवधान)

स्वास्थ्य मंत्री(श्री अनिल विज) : सर, इनका मकसद हाऊस को चलने देना नहीं है। ये यहां से भागना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, ये कालिंग अटैंशन मोशन आपके ही दिये हुए हैं। क्या आप उनके ऊपर चर्चा नहीं करना चाहते हैं।(शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आपने यह एक बहुत अच्छा प्रैसीडैंट डाला है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, जीरो ऑवर जरूरी नहीं है।(शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, यह कन्वेंशन है।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : हुड्डा साहब, आप मुझे बताईये कि यह कौन सी किताब में है।(शोर एवं व्यवधान) आप इस किताब में जीरो ऑवर दिखाईए (शोर एवं व्यवधान) जो रूल्ज ऑफ प्रौसीजर एण्ड कंडक्ट ऑफ बिजनेस है उसमें कोई जीरो ऑवर नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, जीरो ऑवर किसी किताब में नहीं होता है। कन्वैंशन से होता है। (शोर एवं व्यवधान) और यहां से कन्वैंशन हो चुकी है। हर चीज किताब में नहीं होती है।

श्री अध्यक्ष : मुझे लगता है कि अगर हमने जीरो ऑवर शुरू किया तो वह आपको मंजूर ही नहीं है। आपके समय में आज तक जो परम्परा रही है उनमें बहुत सारे ऐसे सैशन रहे हैं जिनमें जीरो ऑवर हुआ ही नहीं है इसलिए आज जीरो ऑवर के अन्दर ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा होगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, ऐसा न करो। एक कन्वैंशन होती है। आज आपने कन्वैंशन बना दी है। अच्छा काम किया है।(शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, जनता के हित की बात को उठाने के लिए अगर जीरो ऑवर रखने की बात कही जा रही है तो आपको उस बात को मान लेने में क्या हर्ज है।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः देखिए आज केवल ध्यानकर्षण सूचना पर ही चर्चा होगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, सदन की कुछ कंवेंशंज होती हैं और आपने इस दिशा में अच्छा काम भी किया है। अतः आपको जीरो ऑवर की बात मान लेनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, मैं सदन की कंवेंशंज के हिसाब से ही काम कर रहा हूँ। आप लोगों ने ध्यानाकर्षण सूचना दी है और बावजूद इसके आप जीरो ऑवर की मांग कर रहे हो? मैं आपको, आप लोगों द्वारा दी गई ध्यानाकर्षण सूचना पर चर्चा करने की बात कह रहा हूँ और आप लोग जीरो ऑवर की बात कर रहे हैं इसका मतलब यह हुआ कि आप लोग अपने ध्यानाकर्षण सूचना के प्रति गम्भीर नहीं हैं। (शोर एवं व्यवधान)

गृह मंत्री (श्री अनिल विज): अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे विपक्ष के साथियों से पूछना चाहता हूँ कि आखिर विधान सभा के कौन से रूल के तहत विपक्ष के साथी जीरो ऑवर रखने की बात कह रहे है।(शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, अगर आप एक घंटे का जीरो ऑवर नहीं रख सकते तो इसको आधा घंटे का रख सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

गृह मंत्री (श्री अनिल विज): अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से हमारे विपक्ष के साथियों से जानना चाहता हूँ कि विधान सभा के कौन से रूल के तहत विपक्ष के साथी जीरो ऑवर की मांग कर रहे हैं। मेरे पास हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली की यह बुक है इसमें कहीं पर भी जीरो ऑवर से संबंधित कोई कोई रूल नहीं है। इसमें किसी प्रकार के जीरो ऑवर का प्रावधान मैंशन नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) जीरो ऑवर तो हमारे इन विपक्ष के साथियों की एक तरह से धांधलेबाजी है ताकि ये सदन को विषय से भटका सकें।

(शोर एवं व्यवधान) वैसे तो ये लोग कहते हैं कि इनकी ध्यानाकर्षण सूचनाओं को सदन में लगाया जाये। (शोर एवं व्यवधान) अब ध्यानाकर्षण सूचनाओं को सदन में लगाया जा रहा है तो अब ये लोग जीरो ऑवर का बहाना बनाकर सदन से भागने की तैयारी में हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः देखिये, आप लोगों ने ध्यानाकर्षण सूचनायें दी हैं उनको सदन में लगाया गया है तो इसमें आप लोगों को क्या दिक्कत है। आप लोग के व्यवहार से ऐसा लगता है कि आप अपनी ध्यानाकर्षण सूचना पर बोलना ही नहीं चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, यह लोग सदन से भागना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः देखिये, आप लोग सदन का समय खराब मत कीजिए और ध्यानाकर्षण सूचना पर ही अपनी बात रखें। (शोर एवं व्यवधान) आज जीरो ऑवर नहीं होगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, आपने सदन में इतनी अच्छी कंवेंशन डाली हैं तो अगर जीरो ऑवर आज रख देंगे तो क्या हो जायेगा।(शोर एवं व्यवधान) ऐसा लगता है कि आप तो दो दिन में ही पलट गए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः देखिये, आज जीरो ऑवर नहीं है और केवल ध्यानाकर्षण सूचना पर ही चर्चा होगी। (शोर एवं व्यवधान) यह आप लोगों द्वारा दी गई ध्यानाकर्षण सूचना ही है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, हम प्वायंट ऑफ आर्डर की मांग करते हैं तब आप हमारी नहीं सुनते, लिखकर देते हैं तब भी नहीं सुनते ऐसे हाउस नहीं चलता? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, जीरो ऑवर का तो विधान सभा की नियमावली में कोई प्रावधान ही नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, आपके साथ हम लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। आपने जो सदन में बड़ी अच्छी कंवेंशन डाली हैं अगर जीरो ऑवर कर देंगे तो क्या हो जायेगा।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, अगर कंवेंशन डाली है तो मैं उसको ठीक तरह से निभा भी रहा हूँ। आप लोगों ने जो ध्यानकर्षण सूचना दी है, मैं उसके उपर चर्चा करवाना चाहता हूँ लेकिन आप उस पर चर्चा करने को तैयार ही नहीं हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भपूेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, सदन का समय बाद में आधा घंटा बढ़ा लीजिय और इस तरह से आज जीरो ऑवर का प्रावधान कर दें तो क्या गलत है। हम आपकी हर बात मानते हैं आपको भी हमारी बात मान लेनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हमें फिर सदन से बाहर जाना पड़ेगा।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, विधान सभा की नियमावली में जीरो ऑवर का कोई उल्लेख नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, आपको जीरो ऑवर से क्या दिक्कत है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः देखिए, आप लोगों ने ध्यानकर्षण सूचना दी हुई है मैं इस पर चर्चा के लिए आप लोगों को आग्रह कर रहा हूँ आपको इसमें क्या दिक्कत है। (शोर एवं व्यवधान) आप ध्यानाकर्षण सूचना पर चर्चा करने को तैयार ही नहीं हैं। (शोर एवं व्यवधान) मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप ध्यानाकर्षण सूचना पर चर्चा कीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, ध्यानकर्षण सूचना पर भी चर्चा हो जायेगी और दूसरे कार्य भी हो जायेंगे लेकिन आप एक बात तो हमारी मान सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः बतरा जी, प्लीज आप बैठिए। (शोर एवं व्यवधान) देखिए जो महत्वपूर्ण विषय हैं उनको आपने लिखकर भेजा है। हम उन विषयों पर चर्चा करवाने चाहते हैं लेकिन आप उन विषयों पर चर्चा नहीं करना चाहते। (शोर एवं व्यवधान) जीरो

ऑवर की बात कहने का आपका मतलब यह है कि आप किसी भी अन्य मुद्दों पर चर्चा तो करना चाहते हैं लेकिन जो महत्वपूर्ण विषय हैं उन पर आप चर्चा से बच रहे हैं। यह नहीं हो सकता। (शोर एवं व्यवधान) आप जो बार बार जीरो ऑवर की बात कर रहे हैं इसका मतलब तो यह है कि आपने जो विषय लिखकर दिए हैं, वह महत्वपूर्ण इशू नहीं हैं। (शोर एवं व्यवधान) अगर आप समझते हैं कि यह महत्वपूर्ण इशू हैं तो फिर इन विषयों पर चर्चा कीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, आपने इस सदन में लोक सभा के स्पीकर महोदय को बुलाकर अच्छी परंपरा शुरू की थी। उसी परिपेक्ष्य में मेरा निवेदन है कि आपको जीरो ऑवर की परमिशन देनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः किरण जी, लोक सभा के माननीय स्पीकर महोदय को इस सदन में बुलाकर बिल्कुल अच्छा काम किया है लेकिन आप लोगों को भी इसे समझने की जरूरत है?

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट होती है और विधान सभा, विधान सभा होती है। विधान सभा की नियमावली में कहीं पर भी जीरो ऑवर के बारे में नहीं लिखा है। (शोर एवं व्यवधान) यह सदन विधान सभा की नियमावली के हिसाब से चलता है। (शोर एवं व्यवधान) अगर नहीं चलता है तो बताओं? जब सदन विधान सभा की नियमवाली से चलता है और इसमें जीरो ऑवर का कोई प्रावधान नहीं है तो फिर हाउस की कार्यवाही को चलने दो।(शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है इन लोगों ने इस नियमावली को पढ़ा ही नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) अगर पढ़ा है तो यह लोग बतायें कि किस रूल के तहत जीरो ऑवर का प्रावधान है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, हर चीज लिखी हुई नहीं होती है, यह बात भी माननीय गृह मंत्री को मालूम होनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः देखिये, पहले ध्यानाकर्षण सूचना पर ही चर्चा होगी। एक घंटे के बाद यदि समय बचेगा तो फिर उसको जीरो ऑवर के रूप में मान लिया जायेगा।(शोर एवं व्यवधान) अभी आप बैठिए और पहले ध्यानकर्षण सूचना पर ही चर्चा होगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, अगर आप अब जीरो ऑवर शुरू कर दें तो आपको क्या दिक्कत है?(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः देखिए, मेरे पास जो ध्यानकर्षण सूचना दी गई है इसको 15–20 सदस्यों द्वारा दिया गया है। (शोर एवं व्यवधान) अगर आप इस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं तो इस ध्यानाकर्षण सूचना को वापिस ले लीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, आपने घोटालों सें संबंधित एक भी ध्यानाकर्षण सूचना को एडमिट नहीं किया है।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मलिक साहब, उनको भी देखेंगे अभी आप प्लीज बैठिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर इतनी ज्यादा डिबेट हो गई है अब तो जीरो ऑवर को शुरू कर ही देना चाहिए।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः किरण जी, पहले ध्यानाकर्षण सूचना पर चर्चा कीजिए। (शोर एवं व्यवधान) एक घंटे के बाद अगर कोई समय बचेगा तो हम उस समय को जीरो ऑवर ट्रीट करके चर्चा करेंगे। पहले ध्यानकर्षण सूचना पर ही चर्चा होगी। (शोर एवं व्यवधान) इन ध्यानाकर्षण सूचना को आप लोगों ने ही दिया है।(शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जीरो ऑवर की परम्परा आपने ही डाली है और आज आप ही इसे खत्म कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बहन जी, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी तो आपकी पार्टी के सदस्यों द्वारा ही दिया गया है, इसलिए पहले महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा हो जाने दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि आप अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

.....

वॉक–आउट

श्री आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, पहले आप जीरा ऑवर में जो हमारे विभिन्न महत्वपूर्ण इशूज हैं, उन पर चर्चा करवाइये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं तो आप लोगों से कहता हूँ कि आपके द्वारा दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को वापिस ले लीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री महीपाल ढांडा : अध्यक्ष महोदय, जीरो ऑवर पर चर्चा करवाना या नहीं करवाना यह आपके ऊपर निर्भर करता है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 कमल गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, असली बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी के सदस्यगण ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, यदि आप शून्य काल को स्थगित करेंगे तो हम वॉक–आउट करने के लिए तैयार हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती भागुकन्तला खटक : अध्यक्ष महोदय, आप जीरो ऑवर क्यों स्थगित कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, बहुत से माननीय सदस्यगण जीरो ऑवर में महत्वपूर्ण इशू पर बोलना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी तो आपकी पार्टी के द्वारा ही दिया गया है। (शोर एवं व्यवधान) आप लोग ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर डिस्कस नहीं चाहते, इसलिए मुझे लगता है कि आप लोग वॉक–आउट करेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, यह कहां पर लिखा हुआ है कि शून्य काल को स्थगित नहीं किया जा सकता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूशण बत्तरा : अध्यक्ष महोदय, आप शून्य काल को स्थगित मत कीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आज पहले ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर ही चर्चा होगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, हमने शून्य काल में महत्वपूर्ण विषयों को उठाना था, लेकिन आज आपने शून्य काल को स्थगित कर दिया है, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए इसके विरोध में हम सदन से वॉक–आउट करते हैं।

(इस समय सदन में उपस्थित भारतीय राश्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य भून्य काल को स्थगित किए जाने के विरोध में सदन से बर्हिगमन करके चले गये।)

ध्यानाकर्शण प्रस्ताव –

गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि संबंधी तथा उस पर वक्तव्य

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे श्री सुरेन्द्र पंवार, विधायक तथा अन्य दस विधायकों सर्व श्री सुभाष गंगोली, मेवा सिंह, प्रदीप चौधरी, बिशन लाल, वरूण चौधरी, श्रीमती शैली, शमशेर सिंह गोगी, जगबीर सिंह मलिक, श्रीमती गीता भुक्कल तथा नीरज शर्मा द्वारा गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने बारे ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 16 प्राप्त हुई है, मैंने इसको स्वीकार कर लिया है। ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 1 और 9 जो कि श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक द्वारा दी गई हैं, समान विषय का होने के कारण ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 16 के साथ जोड़ दी गई हैं। डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान, विधायक तथा अन्य छह विधायकों सर्वश्री धर्म सिंह छोकर, आफताब अहमद, राव दान सिंह, श्रीमती गीता भुक्कल, राजेन्द्र सिंह जून तथा सुभाष गंगोली द्वारा दिये गये स्थगन प्रस्ताव संख्या 2 को मैंने ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 29 में परिवर्तित कर दिया है तथा समान विषय का होने के कारण इसे ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 16 के साथ जोड़ दिया है। अब श्री वरूण चौधरी, विधायक हस्ताक्षरी होने के नाते अपनी सूचना पढ़ें चूंकि हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 73(2) के तहत ज्यादा से ज्यादा पांच सदस्य एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर अपनी सप्लीमैंट्री पूछ सकते हैं, इसलिए ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 16, 29 और 1/9 के प्रथम हस्ताक्षरी के अलावा 2 और सदस्य भी इस पर अपनी सप्लीमैंट्री पूछ सकते हैं। अब श्री वरूण चौधरी जी अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पढ़े (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि श्री वरूण चौधरी जी अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पढ़े, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। सदन में जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव चर्चा करने के लिए आपको दिया गया है वह मैंने दिनांक 27 जनवरी, 2020 और दिनांक 7 फरवरी, 2020 को दिया हुआ था। सदन में बार–बार यह कहा जाता है कि यह सदन 'हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम' की बुक के मुताबिक चलेगा। हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम–73 में देखेंगे तो जिसका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पहले दिया होता है उसी को ही पहले बोलने का अधिकार दिया जाता है। उसके साथ जो दूसरे माननीय सदस्यगण ध्यानाकर्षण प्रस्ताव देते हैं उनको इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के साथ जोड़ा जाता है। मैंने यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पहले दिया है, इसलिए मेरे से पहले जो नाम जोड़े गए हैं या फिर आपने मेरे से पहले जिन दूसरे माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दिया है वह 'हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम' के मुताबिक नहीं है, इस रूल्ज बुक में इस बारे में साफ–साफ लिखा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : अभय जी, जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आपने दिया था, उसे नामंजूर करने का नोटिस आपको दे दिया गया था।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इसमें एक और बात लिखी है । आपने लिखा है कि आपकी तरफ से 5 कॉलिंग अटैंशन मोशंज दिए गए हैं और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आप इन पांचों कॉलिंग अटैंशन मोशंज पर चर्चा कर सकते हो । यह मुझे आपके ऑफिस की तरफ से कहा गया था । कल जब मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोल रहा था तो मुझे केवल 5 मिनट का समय देकर उन 5 कॉलिंग अटैंशन मोशंज पर बोलने नहीं दिया गया और मेरा माइक बंद करके अगले माननीय सदस्य का नाम बोल दिया गया । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, कल आप कुल 18 मिनट्स तक बोले हैं । इसका हमारे पास रिकॉर्ड है । (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं इतने समय तक नहीं बोला हूं क्योंकि कई सदस्यों ने मेरा समय बर्बाद किया था । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, सदन में हर सदस्य का सम्मान है । सबका पूरा सम्मान है । (विघ्न) आपको कुल 6 मिनट का समय दिया गया था लेकिन इसके

बावजूद आप कल 18 मिनट्स तक बोले थे । मैं नहीं समझता कि आपके समय का कोई अतिक्रमण किया गया है । (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, कल मुझे बोलते समय इंट्रप्ट किया गया था । (विघ्न) मैं यह नहीं कहता कि मुझे कितनी देर तक बोलने दिया गया और कितनी देर तक नहीं बोलने दिया गया । (विघ्न) मैं तो यह कह रहा हूं आपने मुझे कल बोलने की इजाजत दी थी कि गवर्नर ऐड्रैस पर मैं अपनी 5 कॉलिंग अटैंशन मोशंज पर बोल सकता हूं लेकिन जब मैंने बोलना शुरू किया । (विघ्न) मैंने तो उस समय तक एक भी कॉलिंग अटैंशन मोशन को टच नहीं किया था लेकिन उससे पहले ही मेरा माइक बंद कर दिया गया और मुझे बिठाकर दूसरे सदस्य को बोलने के लिए कह दिया गया ।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, हमने इस महान सदन की अनुमति से सभी सदस्यों के सदन में 6–6 मिनट बोलने का समय तय किया था । (विघ्न) इस समय सदन में लीडर ऑफ अपोजीशन भी बैठे हैं । उनकी सहमति से यह तय किया गया था कि हर सदस्य को सदन में 6 मिनट तक बोलने का अवसर मिलेगा । आप कल 6 मिनट की बजाय 18 मिनट तक बोले थे । मैं समझता हूं कि जो 2 नये सदस्य चुनकर आए हैं आपने उनके समय को भी लिया है जोकि गैर–वाजिब है । मेरा मानना है कि सदन में सभी सदस्य समान हैं और सभी को बोलने का समान मौका मिलना चाहिए । मेरा प्रयास है कि सभी सदस्य सदन में बोलें, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो समय दिया गया है उसके अंदर ही आप अपनी बात समाप्त कर लें ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप सदन का कल का रिकॉर्ड निकलवा लें कि मेरे से पहले जो सदस्य सदन में बोल रहे थे उन्होंने कितना–कितना समय लिया है । इससे पता चल जाएगा कि बाकी सदस्यों ने 5 मिनट का समय लिया लिया है या आधा घण्टा लिया है ।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं । आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की इजाजत से उनकी पार्टी के सदस्यों को 6 मिनट से ज्यादा समय के लिए बुलवाया गया था । उन्होंने कहा कि आप अमूक माननीय सदस्य को निर्धारित समय से ज्यादा बोलने दीजिए और हमारी पार्टी के बोलने के निर्धारित समय में से इस को काट लेना । इस तरह से उनको ऐडजस्ट किया गया था । अगर किसी पार्टी के 5 माननीय सदस्य हैं तो 6 मिनट प्रति

सदस्य के हिसाब से उनके कुल 30 मिनट बनते हैं । उस 30 मिनट के समय में चाहे तो विधायक दल का नेता अकेला बोल सकता है या बाकी के सब सदस्य कुल 30 मिनट तक बोल सकते हैं ।

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब तो यह हुआ कि नेता प्रतिपक्ष नहीं चाहेगा तो कोई अन्य माननीय सदस्य बोल ही नहीं पाएगा ।

श्री अध्यक्ष : राम कुमार जी, हर माननीय सदस्य सदन में बोल सकता है । हमने आपको भी तो सदन में बुलवाया है । हर सदस्य के लिए कुल 6 मिनट का समय निर्धारित किया गया है । अगर नेता प्रतिपक्ष कहे कि इनका समय बढ़ा दो और हमारी पार्टी का समय कम कर देना तो हम ऐसा कर देते हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हाउस को यह जानकारी होनी चाहिए कि अगर मुझे उन 5 कॉलिंग अटैंशन मोशंज के लिए गवर्नर एड्रैस पर चर्चा के समय बोलने के लिए लिखित रूप से आपके ऑफिस से लैटर गया है तो फिर मुझे उन पांचों विषयों पर बोलने का समय क्यों नहीं दिया गया ?

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, हर माननीय सदस्य के लिए हाउस में बोलने का 6 मिनट का समय निर्धारित किया गया है । उस तय समयावधि में यह आप पर निर्भर करता है कि आप एक विषय पर अपनी बात रखते हैं या पांच विषयों पर अपनी बात रखते हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, कॉलिंग अटैंशन मोशन के विषय पर केवल 6 मिनट में अपनी पूरी बात कैसे रखी जा सकती है ? अगर मैं नशे के मुद्दे पर बात करूं तो आप बताइये कि केवल 6 मिनट में मैं इस पर सारी बात कैसे खत्म कर सकता हूं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, हाउस में कॉलिंग अटैंशन मोशन पर अकेले आपको ही नहीं बोलना है बल्कि पूरे हाउस को बोलना है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको अपनी 5 कॉलिंग अटैंशन मोशंज दी थी । आपके ऑफिस की तरफ से मुझे सूचित किया गया था कि आपको उन सभी कॉलिंग अटैंशन मोशंज पर बोलने का समय मिलेगा । अब आप मुझे बोलने के लिए सिर्फ 6 मिनट का समय दे रहे हो । यह हाउस को चलाने का कैसा तरीका है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, हमने आपको सूचित किया था कि आपने जो कॉलिंग अटैंशन मोशंज दी थी उनको एडमिट कर लिया गया है और कल आप सदन में उन पर बोलना ।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह है कि हाऊस कायदे कानून से नहीं चल रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अभय सिंह जी, प्लीज, आप बैठ जाएं। अब माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र पंवार जी अपनी बात रखेंगे।

श्री सुरेन्द्र पंवार: अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह है कि हाऊस रूल्ज के मुताबिक नहीं चल रहा है। इस तरह से तो आप अपनी मर्जी के फैसले कर रहे हैं। आप पैरा नं0 73 में जो लिखा हुआ है, उसको पढ़ लें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सुरेन्द्र जी, आप अपनी बात रखें। अगर आप संबंधित विषय पर बोलना नहीं चाहते हैं तो दूसरे माननीय सदस्यों को बोलने दें।

श्री सुरेन्द्र पंवार: अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सुरेन्द्र जी, आप अपनी बात रखें। अगर आप संबंधित विषय पर बोलना नहीं चाहते हैं तो दूसरे माननीय सदस्यों को बोलने दें।

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैंने भी 5 कॉलिंग अटैंशन मोशंज अलग–अलग मुद्दों पर दिये थे, उनमें नशे की समस्या के बारे में भी कॉलिंग अटैंशन मोशन दिया था, लेकिन आपने उसमें मेरा नाम नहीं लिया। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: किरण जी, आपने एक भी कॉलिंग अटैंशन मोशन साईन करके नहीं दिया। मेरे पास आपके द्वारा दिये गये कॉलिंग अटैंशन मोशन की कॉपीज हैं और अगर आप चाहें तो मैं संबंधित कॉपीज आपको दिखा सकता हूं।

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, यह गलत बात है। बगैर साईन किये हुए कोई भी माननीय सदस्य अपना कॉलिंग अटैंशन मोशन नहीं भेजता है। अध्यक्ष महोदय, यह गलत बात है क्योंकि मैंने अपना कॉलिंग अटैंशन मोशन साईन करके भेजा हुआ है। आपके पास पता नहीं कौन सी कॉपी आयी हुई है। मेरे पास भी मेरे द्वारा साइन की हुई संबंधित कॉलिंग अटैंशन मोशन की कॉपी है। अध्यक्ष महोदय, आपने हाऊस में अच्छी परम्परा डाली थी, वह खत्म की जा रही है। माननीय विधायक मेहनत करके अपने–अपने संबंधित विषयों पर कॉलिंग अटैंशन मोशनज

लिखकर भेजते हैं, परन्तु उनका कोई जवाब नहीं दिया जाता है। मैंने 5 कॉलिंग अटैंशन मोशन्ज दिये थे और आज भी एक नशे की समस्या के ऊपर दिया था।

श्री अध्यक्षः किरण जी, आप नशे की समस्या के ऊपर जिस कॉलिंग अटैंशन मोशन की बात कर रही हैं। उस पर अभी डिस्कशन शुरू नहीं किया गया है, इसलिए अभी आप गन्ने के विषय पर ही अपनी बात रख लें।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, आपने इसमें मेरा नाम नहीं बोला है, इसलिए इसमें मेरा नाम भी एड कर लें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, आप इस कॉलिंग अटैंशन मोशन में माननीय सदस्या का नाम भी एड कर दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः किरण जी, आप गन्ने के विषय पर अपनी बात रख लें। मैं 2 मिनट में आपके द्वारा भेजे गये लैटर मंगवाकर दिखा दूंगा।

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, आप माननीय सदस्या द्वारा विधान सभा सचिवालय को भेजा हुआ, उनका असली कागज दिखा दें। (विघ्ने)

श्री अध्यक्षः मलिक जी, अगर किसी कागज पर साईन नहीं हैं तो आप उसको असली कागज समझेंगे या नकली समझेंगे ?

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं संबंधित कागज की असली कॉपी मंगवा लूंगी जिस पर मैंने अपने साइन करके भेजे थे। (इस समय माननीय सदस्या ने आसन के पास जाकर माननीय अध्यक्ष महोदय को संबंधित कॉपी दिखायी।)

श्री अध्यक्षः किरण जी, प्लीज, आप बैठ जाएं। माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र पंवार जी अपनी बात रखेंगे।

श्री वरुण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को बोलते हुए 23 मिनट का समय हो चुका है, परन्तु अभी तक संबंधित विषय पर कोई बात ही शुरू नहीं की गयी है।

श्री सुरेन्द्र पंवारः अध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सीरियल नम्बर 21 नशा व नशे की तस्करी के संबंधित है।

श्री अध्यक्षः सुरेन्द्र जी, आपका कॉलिंग अटैंशन मोशन तो गन्ने के मूल्य के ऊपर था। क्या आपको पता ही नहीं है कि कौन सा प्रस्ताव दिया था ?

श्री सुरेन्द्र पंवारः अध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सीरियल नम्बर 16 गन्ने के मूल्य के बारे में है।

श्री अध्यक्षः सुरेन्द्र जी, अगर आपके पास संबंधित कॉलिंग अटैंशन मोशन की कॉपी नहीं है तो किसी दूसरे सदस्य को बोलने दें।

श्री सुरेन्द्र पंवारः अध्यक्ष महोदय, यह विषय दोनों कॉलिंग अटैंशन मोशंज में है।

श्री अध्यक्षः वरूण जी, आप संबंधित कॉलिंग अटैंशन मोशन को पढ़ दें।

श्री वरुण चौधरीः स्पीकर सर, पिछले 5 सालों में गन्ने का मूल्य 30 रुपये प्रति क्विंटल की दर से ही बढ़ाया गया है।

श्री अध्यक्षः वरुण जी, पहले आपका जो प्रस्ताव है, उसको पढ़ें। फिर उसके बाद उसके ऊपर चर्चा होगी।

CALLING ATTENTION NOTICE NO. 16

Shri Varun Chaudhary: Speaker Sir, I and S/Shri Surender Panwar, MLA, Subhash Gangoli, MLA, Mewa Singh, MLA, Pardeep Chaudhary, MLA, Bishan Lal , MLA, Smt. Shalley , MLA Shamsher Singh Gogi, MLA, Jagbir Singh Malik, MLA, Smt. Geeta Bhukkal, MLA and Neeraj Sharma, MLA want to draw the kind attention of this august House towards a matter of an urgent and great public importance that the BJP-JJP coalition Government is working against the interest of farmers, especially sugarcane growers. The Haryana unit of Bharatiya Kisan Sangh (BKS) demanding an increase in the price of sugarcane. The farmers threatened to lock down all the sugar mills in the state if the prices are not revised by the Government. The BKS termed the incumbent Government as anti-farmers and said that in the past five years, the Government has increased the price of sugarcane by only Rs. 30 per quintal. The Government is aiming to double the farmers income by 2022 but as per its performance in the past five years, it does not seem anywhere close to that target. During crushing season of 2018-19, the rate of early-variety of sugarcane was Rs. 340 per quintal, Rs. 335 for mid variety and Rs. 330 for the late variety . After the formation of State in 1966, the rate of sugarcane was Rs. 95 per quintal. After that upto 2005 (In BJP-INLD Government), it was increased upto Rs. 117 per quintal, only an increase of Rs. 22/- thereafter, during the regime of Congress Government (2005-2014), the price of sugarcane was increased from Rs. 117 to Rs. 310 per quintal (increase of Rs. 193). On the other hand , the BJP Government increased the price of sugarcane Rs. 30 (during the last five years). But the farmers are demanding an increase of at least Rs. 50 or more otherwise they will stage a protest outside 14 Sugar Mills in Haryana & thereafter all the Sugar Mills will be locked down.

We, therefore, request the Government to suitable increase the cane price in the interest of the farmers community.

ध्यानाकर्शण सूचना संख्या 1

ध्यानाकर्शण सूचना संख्या 16 के साथ संलग्न

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 1 के द्वारा, श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहते है कि प्रदेश में डीजल, खाद, दवाइयाँ, बीज आदि के महंगा होने के बावजूद सरकार ने अभी तक गन्ने के रेट नहीं बढ़ाए हैं जिसके कारण गन्ना उत्पादक किसान बहुत परेशान है। गन्ना उत्पादक किसानों की मांग है कि गन्ने का समर्थन मूल्य 400 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए। गन्ने की बोंडिंग के हिसाब से पर्ची न मिलने और गन्ने की कीमत समय पर न मिलने से किसानों की समस्याऐं और भी बढ़ रही है और मजबूरी में अपना गन्ना औने–पौने भावों पर बेचना पड़ रहा है। गन्ने के रेट न बढ़ाए जाने के कारण प्रदेश के कई जिलों में गन्ना किसान अपना रोष जाहिर करने के लिए गन्ने की होली जला रहे हैं। प्रदेश के गन्ना उत्पादक किसानों में सरकार के प्रति गहरा रोष व आक्रोष व्याप्त है।

ध्यानाकर्शण सूचना संख्या 9

ध्यानाकर्शण सूचना संख्या 16 के साथ संलग्न

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 9 के द्वारा, श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहते है कि हरियाणा प्रदेश का गन्ना उत्पादक किसान गन्ने का सही मूल्य न मिलने के कारण आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा है। प्रदेश में डीजल, खाद, दवाईंया, बीज आदि के महंगा होने के बावजूद सरकार ने अभी तक गन्ने के रेट नहीं बढ़ाए हैं जिसके कारण गन्ना उत्पादक किसान बहुत परेशान है। गन्ना उत्पादक किसानों की मांग है कि गन्ने का समर्थन मूल्य 400 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए। गन्ने की बोंडिंग के हिसाब से पर्ची न मिलने और गन्ने की कीमत समय पर न मिलने से किसानों की समस्याऐं और भी बढ़ रही है और मजबूरी में अपना गन्ना औने–पौनें भावों पर बेचना पड़ रहा है। गन्ने के रेट न बढ़ाए जाने के कारण प्रदेश के कई जिलों में गन्ना किसान अपना रोष जाहिर करने के लिए गन्ने की होली जला रहे हैं। प्रदेश के गन्ना उत्पादक किसानों में सरकार के प्रति गहरा रोष व आक्रोष व्याप्त है।

ADJOURNMENT MOTION NO. 2 CONVERTED INTO CALLING ATTENTION NOTICE NO. 29 CLUBBED WITH ADMITTED CALLING ATTENTION NOTICE NO.16

S/Shri Aftab Ahmed, MLA, Rao Dan Singh, MLA, Smt. Geeta Bhukkal, MLA, Rajinder Singh Joon, MLA, Subhash Gangoli, MLA, Dr. Raghuvir Singh Kadian, MLA and Dharam Singh Chhoker, MLA want to draw the kind attention

of this august House towards a matter of an urgent and great public importance that BJP-JJP coalition Government is working against the interest of farmers, especially sugarcane growers. The Haryana unit of Bharatiya Kisan Sangh (BKS) demanding an increase in the prices of sugarcane. The farmers threatened to lock down all the sugar mills in the state if the prices are not revised by the Government. The BKS termed the incumbent Government as anti-farmers and said that in the past five years, the Government has increased the price of sugarcane by only Rs. 30 per quintal. The Government is aiming to double the farmers income by 2022 but as per its performance in the past five years, it does not seem anywhere close to that target. During crushing season of 2018-19, the rate of early-variety of sugarcane was Rs. 340 per quintal, Rs. 335 for mid-variety and Rs. 330 for the late-variety . After the formation of State in 1966, the rate of sugarcane was Rs. 95 per quintal. After that upto 2005 (In BJP-INLD Government), it was increased upto Rs. 117 per quintal, only an increase of Rs. 22/- thereafter, during the regime of Congress Government (2005-2014), the price of sugarcane was increased from Rs. 117 to Rs. 310 per quintal (increase of Rs. 193). On the other hand , the BJP Government increased the price of sugarcane Rs. 30 (during the last five years). But the farmers are demanding an increase of at least Rs. 50 or more otherwise they will stage a protest outside 14 Sugar Mills in Haryana & thereafter all the Sugar Mills will be locked down.

Not only this, the farmers of Ambala and Naraingarh are protesting for non-payment of dues for their sugarcane crop. Few farmers have been given post-dated cheques with the year mentioned as that of 2020, further heightening their apprehensions.

वक्तव्य

कृशि एवं किसान कल्याण मंत्री(श्री जय प्रका□ा दलाल):

1. जैसाकि आपको विदित कि भारत सरकार प्रत्येक वर्ष गन्ने के निष्पक्ष एवं लाभान्वित मूल्य (एफ.आर.पी) की घोषणा करती है। हालांकि, हरियाणा के किसानों को बेहतर मूल्य देने के लिये, राज्य सरकार ने हमेशा एक उच्चतर राज्य सुझावित मूल्य (एस.ए.पी) की घोषणा की है। यह श्रेय राज्य सरकार को जाता है कि पिराई सीज़न 2014–15 से 2018–19 तक गन्ना किसानों को अदा किये जाने वाले राज्य सुझावित मूल्य (एस.ए.पी) पूरे देश में सबसे अधिक थे। वर्तमान पिराई सत्र 2019–20 के लिये किसानों को अदा किए

जाने वाले राज्य सुझावित मूल्य (एस.ए.पी) 340 रुपये प्रति क्विंटल अगेती किस्मों के लिये तथा 335 रुपये प्रति क्विंटल अन्य किस्मों के लिये है, जो पूरे देश में भी सबसे अधिक है।

2. कुछ अन्य राज्यों जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश, उतराखण्ड, तमिलनाडु और बिहार भी अपने राज्य के गन्ना किसानों को अदा किये जाने वाले गन्ने के राज्य सुझावित मूल्य (एस.ए.पी) की घोषणा करते हैं। शेष राज्य अपने किसानों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित निष्पक्ष तथा लाभन्वित मूल्य (एफ.आर.पी) पर गन्ना मूल्य का भुगतान करते हैं। हालांकि, पिराई सीज़न 2005–06 से 2013–14 तक, अन्य राज्य (जैसे उत्तर प्रदेश तथा उतराखण्ड) हरियाणा की तुलना में अपने किसानों को अधिक राज्य सुझावित मूल्य (एस.ए.पी) का भुगतान कर रहे थे। जबकि, राज्य सरकार द्वारा सीजन 2014–15 से 2019–20 के दौरान देश के अन्य सभी राज्यों की तुलना में किसानों को गन्ने का सबसे अधिक मूल्य अदा किया जा रहा है।

भारत सरकार द्वारा सीज़न 2019–20 के लिए गन्ने का निष्पक्ष एवं लाभान्वित मूल्य (एफ0आर0पी) 10.00 प्रतिशत रिकवरी के आधार पर प्रति 0.1 प्रतिशत रिकवरी बढ़त पर 2.75 रुपये प्रति क्विंटल की बढोतरी के साथ 275 रुपये प्रति क्विंटल की दर से निर्धारित किया गया है। एफ0आर0पी0 तथा हरियाणा द्वारा पिछले पाँच सीज़नों व वर्तमान सीज़न 2019–20 के लिए निर्धारित किए गए एस.ए.पी. निम्न अनुसार हैः–

पिराई सीजन	भारत सरकार द्वारा निर्धारित एफ.आर.पी (रू0प्रति क्विंटल)	हरियाणा द्वारा निर्धारित राज्य सुझावित मूल्य (एस.ए.पी) (रू0प्रति क्विंटल)		
		अगेती किस्में	मध्यम किस्में	पछेती किस्में
2014–15	220.00 (9.5 प्रतिशत चीनी रिकवरी पर आधारित)	310	305	300
2015–16	230.00 (9.5 प्रतिशत चीनी रिकवरी पर आधारित)	310	305	300
2016–17	230.00 (9.5 प्रतिशत चीनी	320	315	310

	रिकवरी पर आधारित)			
2017–18	255.00 (9.5 प्रतिशत चीनी रिकवरी पर आधारित)	330	325	320
2018–19	2275.00 (10 प्रतिशत चीनी रिकवरी पर आधारित)	340	335 (अन्य किस्में)	
2019–2020	275.00 (10 प्रतिशत चीनी रिकवरी पर आधारित)	340	335 (अन्य किस्में)	

3. यह सर्वविदित है कि बाजार की ताकतों (forces) के कारण चीनी की कीमत में 2014–15 से चीनी के मूल्य में तेजी से गिरावट आई है जिसने चीनी मिलों की भुगतान क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला था। स्थिति से निपटने के लिए, राज्य सरकार ने पिराई सत्र 2014–15, 2015–16, 2017–18 और 2018–19 के दौरान पहली बार निजी चीनी मिलों को सब्सिडी/ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित निष्पक्ष एवं लाभान्वित मूल्य (एफ0आर0पी) तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए गए राज्य सुझावित मूल्य (एस0ए0पी0) के अन्तर को कम करने हेतू राज्य सरकार द्वारा वर्तमान पिराई सीजन 2019–20 के लिए राज्य की सहकारी चीनी मिलों के साथ–2 निजी चीनी मिलों के लिए सब्सिडी घोषित की गई है ताकि राज्य के किसानों को गन्ने का भुगतान समय पर किया जा सके।

4. वर्ष 2014–15 से 2018–19 तक का औसत चीनी मूल्य 3160 रुपये प्रति क्विंटल है और उक्त मूल्य के आधार पर, गन्ने के राज्य सुझावित मूल्य (एस.ए.पी) की गणना 316 रुपये प्रति क्विंटल (रूपये 3160÷10=316.00 या 316 रुपये प्रति क्विंटल) की जा सकती है, जबकि 2014–2015 से 2018–19 तक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए गए गन्ने का वास्तविक औसत राज्य सुझावित मूल्य (एस0ए0पी0) 322 रुपये प्रति क्विंटल है। इसका अर्थ यह है कि गन्ना किसानों के हितों को सुरक्षित करने के लिये राज्य सरकार ने गन्ने का अधिक मूल्य निर्धारित किया जोकि औसत चीनी मूल्य के आधार पर गणना किए एस.ए.पी से तुलनात्मक रूप से 6 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है।

यह ध्यान देने योग्य है कि पिछली अवधि के दौरान, वर्ष 2005–06 से 2013–14 तक औसत चीनी मूल्य 2398 रुपये प्रति क्विंटल था तथा उक्त मूल्य के आधार पर उक्त अवधि के लिए गन्ने के राज्य सुझावित मूल्य (एस0ए0पी0) की गणना 240 रुपये प्रति क्विंटल (रूपये 2398÷10=239.80 या 240 रुपये प्रति क्विंटल) की जा सकती है। जबकि पिछली अवधि में निर्धारित 2005–2006 से 2013–14 तक वास्तविक औसत राज्य सुझावित मूल्य (एस0ए0पी0) 202 रुपये प्रति क्विंटल था। इसका अर्थ यह है कि औसत चीनी मूल्य के आधार पर गणना किए गए राज्य सुझावित मूल्य (एस0ए0पी0) की तुलना में गन्ने का मूल्य काफी कम निर्धारित किया गया था।

यह स्पष्टतया स्पष्ट है कि 2014–15 से 2018–2019 तक की अवधि के औसत चीनी मूल्य की अपेक्षा औसत गन्ने का मूल्य तुलनात्मक रूप से अधिक रहा है, जबकि पिछली अवधि 2005–06 से 2013–14 के औसत चीनी मूल्य की तुलना में उक्त अवधि का औसत गन्ना मूल्य काफी कम रहा है।

5. गन्ने की किस्मों, मोढी/पेड़ी एवं गन्ने की बौन्डिंग के अनुसार सख्ती से गन्ने की पर्चियां जारी की जाती हैं तथा कम्प्यूटर आधारित प्रणाली तैयार की गई है। पिराई हेतु प्रति एकड़ गन्ने की उपलब्धता का अनुमान बीज/निजी क्रशरों/गुड़ खांडसारी तथा जूस आदि के लिये बेचे गए गन्ने को छोड़कर पिछले सीजन के दौरान सप्लाई किए गए गन्ने की कुल मात्रा तथा वर्तमान सीजन में गन्ने के अधीन कुल क्षेत्र व फसल के स्वास्थ्य के आधार पर किया जाता है।

किसान अपनी पड़ता की पात्रता और ऑफर के विरुद्ध होने वाली सम्भावित गन्ने की पैदावार के अनुसार अपनी ऑफर करता है। चीनी मिल द्वारा विवरण का सत्यापन किया जाता है तथा उसी अनुसार किसान के साथ गन्ने की विशेष मात्रा की आपूर्ति हेतू अनुबन्ध किया जाता है, जोकि 15 प्रतिशत तक भिन्न (अंतल) हो सकता है। चीनी मिल की अनुमानित पिराई क्षमता/मांग से ज्यादा गन्ने का उत्पादन होने की अवस्था में गन्ने की ऑफर की गई मात्रा अनुपातिक (चतवतंजं) प्रतिशत के आधार पर स्वीकार की जाती है। तब इन आंकड़ो का, आपूर्ति के तरीके (उवकम) जैसे कि गन्ना खरीद केन्द्र/मिल गेट, के विवरण सहित कम्प्यूटर में इन्द्राज किया जाता है। तदानुसार चीनी मिल की दैनिक पिराई क्षमता पर विचार करते हुए अनुपातिक

आधार विवरण (बंसमदकमत) तैयार किया जाता है तथा यह कैलेंडर गन्ना किसान के साथ पिराई सीज़न के आरम्भ में सांझा किया जाता है।

सीज़न के मध्य में किसानों को उस अनुमानित फालतू गन्ने (कैलेन्डिंरग मात्रा से ज्यादा) हेतु चीनी मिल को आवेदन करने की छूट होती है, जिसकी उन्हें उत्पादन की सम्भावना होती है तथा उसी अनुसार किसानों के क्लेम का भौतिक निरीक्षण करने उपरान्त कैलेन्डर को बढ़ा दिया जाता है। पर्चियां जारी करने के कार्य को कम्पयूटर आधारित सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है तथा इसमें पर्चियां जारी करने के कार्यों में किसी भी छेड़छाड़ की सम्भावना नहीं है। केवल जले गन्ने के मामलों में (जहां किसान आग लगने की किसी दुर्घटना का सामना करता है, जिसके कारण गन्ना जल जाता है) उस गन्ने को समायोजित (बबवउउवकंजम) करने हेतू आपातकालीन पर्चियां जारी की जाती हैं। अन्यथा मिल प्रशासन के पास बारी (जमतउ) से बाहर की पर्चियां जारी करने का कोई विवेक (कपेबतमजपवद) नहीं है।

इस प्रकार गन्ने की बोन्डिंग के अनुसार किसानों को गन्ने की पर्चियां पारदर्शिता से जारी की जा रही हैं।

6. वर्तमान पिराई सीज़न 2019–20 (15.02.2020 तक की स्थिति अनुसार) 1199.27 करोड़ रुपये की राशि के कुल 353.36 लाख क्विंटल मात्रा का गन्ना खरीदा जा चुका है, जिसमें से 694.90 करोड़ रुपये, चीनी मिलों को गन्ना आपूर्ति किए गए गन्ने हेतू, गन्ना किसानों को अदा की जा चुकी है तथा शेष 504.37 करोड़ रुपये की राशि विभिन्न चीनी मिलों की ओर बकाया गन्ना मूल्य के रूप में देय है। जैसाकि पिराई कार्य चरम स्तर पर है, सम्बन्धित चीनी मिलों द्वारा किसानों को गन्ने की अदायगी की जा रही है।

नारायणगढ़ चीनी मिल को छोड़कर, राज्य में किसी भी चीनी मिल (सहकारी तथा निजी दोनों) के विरूद्ध पिछले सीज़नों का कोई बकाया गन्ना मूल्य देय नहीं है, जिसने पिराई सीज़न 2018–19 के लिए 35,31,07,000 रुपये के पी0डी0सी0 (post dated cheques) किसानों को जारी किए थे, जिसमें से 29,82,07,000 रुपये का भुगतान किया जा चुका है तथा शेष 5,49,00,000 रुपये की राशि के दिनांक 17.03.2020 तक भुगतान की संम्भावना है।

7. राज्य सरकार द्वारा पिराई सीज़न 2014–15 से 2018–19 तक किए गए निष्ठावान तथा असाधारण प्रयासों के कारण कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं। प्रमुख उपलब्धियां निम्न प्रकार है :–

(i) सीज़न 2005–06 से 2013–14 के दौरान गन्ने की औसत उत्पादकता 686.20 क्विंटल प्रति हैक्टेयर थी, जो सीज़न 2014–15 से 2018–19 तक बढ़कर 782.80 क्विंटल प्रति हैक्टेयर हो गई जो कि पहले की समय अवधि (2005–06 से 2013–14 तक) से 14.07 प्रतिशत अधिक है। इस प्रकार किसानों को प्रति ईकाई क्षेत्र में गन्ने का अधिक उत्पादन मिला है तथा परिणामस्वरूप गन्ने की फसल से शुद्व आय अधिक प्राप्त हुई है ।

(ii) सीज़न 2005–06 से 2013–14 तक गन्ने की औसत पिराई 473.24 लाख क्विंटल थी, वह सीज़न 2014–15 से 2018–19 तक बढकर 645.31 लाख क्विंटल हो गई। जोकि पहले की अवधि के मुकाबले 36 प्रतिशत अधिक है। इसका अर्थ है कि राज्य के किसानों ने चीनी मिलों को अधिक मात्रा में गन्ने की आपूर्ति की है तथा पहले से अधिक आय प्राप्त की है।

(iii) सीज़न 2005–06 से 2013–14 तक, राज्य में चीनी का औसत उत्पादन 45.00 लाख क्विंटल था। जबकि सीज़न 2014–15 से 2018–19 तक, चीनी का औसत उत्पादन 66.45 लाख क्विंटल रहा, जोकि पिछली अवधि के मुकाबले 47.08 प्रतिशत अधिक है।

(iv) सीज़न 2005–06 से 2013–14 तक राज्य में चीनी की औसत रिकवरी 8.98 प्रतिशत थी जो सीज़न 2014–15 से 2018–19 तक बढ़कर 10.02 प्रतिशत हो गई है, जोकि पिछली अवधि की तुलना में 11.5 प्रतिशत अधिक है।

(v) सीज़न 2005–06 से 2013–14 तक सभी चीनी मिलों की कुल पिराई क्षमता 44572 टन पिराई दैनिक (टी0सी0डी0) थी जोकि सीज़न 2014–15 से 2018–19 तक बढ़कर 47200 टन पिराई दैनिक (टी0सी0डी0) हो गई है, जोकि पिछली अवधि की तुलना में 6 प्रतिशत अधिक है।

8. राज्य में चीनी मिलों को आधुनिकीकरण, सह–उत्पादन सयंत्रों तथा इथेनॉल संयंत्र की स्थापना से भी लैस किया गया है। चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने तथा उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए पिराई क्षमता में भी बढ़ोतरी की गई है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैः–

(i) 20 करोड़ रुपये की राशि के निवेश के साथ, पिराई सीजन 2018–19 के दौरान सोनीपत चीनी मिल की पिराई क्षमता में 1600 टी.सी.डी. से 2200 टी.सी.डी. की बढ़ोतरी की गई है, जो कि प्रारम्भिक टीथिंग (teething) समस्या के उपरान्त अब आपेक्षित पिराई दर के साथ सफलतापूर्वक कार्य कर रही है।

(ii) पिराई क्षमता वृद्धि के प्रथम चरण में सहकारी चीनी मिल, पलवल ने माह दिसम्बर, 2019 में पिराई क्षमता 1600 टी.सी.डी. से 1900 टी.सी.डी. की बढ़ोतरी की है तथा पिराई क्षमता में वृद्धि के द्वितीय चरण में पिराई क्षमता को 1900 टी.सी.डी. से 2200 टी.सी.डी. की वृद्धि का कार्य माह अक्तूबर, 2020 तक पूर्ण हो जाएगा।

(iii) जिला पानीपत के गांव डाहर में, 356 करोड़ रुपये की लागत के साथ 5000 टी.सी.डी. (7500 टी.सी.डी. तक विस्तार योग्य) का एक नया चीनी मिल स्थापित करने का फैसला लिया गया है। कार्य पहले ही आरम्भ हो चुका है तथा उम्मीद है कि यह नया मिल आगामी सीज़न 2020–21 में पिराई कार्य आरम्भ कर पाएगा। इस नये संयत्र में चीनी मिल, शाहबाद तथा रोहतक के आधार (पैटर्न) पर सह–उत्पादक संयत्र भी स्थापित किया जाएगा। चीनी मिल, शाहबाद तथा रोहतक द्वारा वर्ष 2018–19 के दौरान 24 मैगावॉट की क्षमता (शाहबाद) तथा 14 मैगावॉट (रोहतक) के सह–उत्पादक संयत्र से क्रमशः 18.61 करोड़ रुपये तथा 10.21 करोड़ रुपये की आमदन हुई है।

(iv) इसी प्रकार करनाल सहकारी चीनी मिल के मौजूदा स्थल पर 3500 टी.सी.डी. (5000 टी.सी.डी. तक विस्तार योग्य) का एक नये प्रोजैक्ट, 1800 मैगावाट क्षमता के सह–उत्पादन संयत्र के साथ चीनी रिफानरी सहित, के स्थापना का कार्य प्रक्रिया में है। प्रोजैक्ट की लागत 263 करोड़ रुपये है। कार्य पहले ही आरम्भ हो चुका है तथा इसका परिचालन नवम्बर, 2020 तक हो सकेगा।

(V) 99 करोड़ रुपये की लागत से शाहबाद सहकारी चीनी मिल में 60 के. एल.पी.डी. की क्षमता के एक इथेनॉल प्रोजैक्ट की स्थापना की जा रही है, जिसके लिए पहले ही निविदा दी जा चुकी है तथा प्रोजैक्ट कार्य लगभग फरवरी, 2021 तक पूर्ण हो जाएगा।

(vi) सहकारी चीनी मिल, रोहतक में 16 मैगावॉट क्षमता का सह–उत्पादन संयत्र स्थापित है तथा इस चीनी मिल में 16 के.एल.पी.डी. क्षमता का इथेनॉल संयत्र स्थापित करने की योजना है।

(vii) सहकारी चीनी मिल, कैथल की पिराई क्षमता को 2500 टी.सी.डी. से 3500 टी.सी.डी.करने के साथ–2 लागत लाभ विश्लेषण के आधार पर 50 के. एल.पी.डी. का इथेनॉल प्लांट और सह उत्पादन का कार्य विचाराधीन है। राष्ट्रीय संघ के साथ दैनिक प्रगति रिपोर्ट (डी0पी0आर) बनाने का कार्य प्रगति पर है।

(viii) आकर्षक व सुविधाजनक पैकेजिंग और बेहतर बिक्री रणनीति बनाकर चीनी की बिक्री के लिए और रिफाइंड शुगर (सल्फर फ्री) से एक पारदर्शी ऑनलाईन तंत्र लगाकर बेहतर चीनी बिक्री प्राप्ति को प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे है।

(ix) हैफेड चीनी मिल, असंध ने पिराई क्षमता को 2500 टी.सी.डी. से बढाकर 3500 टी.सी.डी. करने के लिए डी0पी0आर0 तैयार कर ली है और इस पर विचार किया जा रहा है। इस मिल में 6 मैगावाट क्षमता का सह उत्पादन (विद्युत) संयत्र है।

(x) नारायणगढ़ में 25 मैगावाट प्रति घंटे की क्षमता का सह उत्पादन विद्युत संयत्र है तथा अपनी पूरी क्षमता से चल रहा है।

(xi) पिकाडली एग्रो इन्डस्ट्रीज लि0 भादसों (निजी क्षेत्र) अपनी पिराई क्षमता 5000 टी.सी.डी. से 5500 टी.सी.डी. बढ़ाने की योजना बना रही है। मिल में 3 मेगावाट क्षमता का सह उत्पादन संयत्र स्थापित है।

9. हरियाणा सरकार अपने कार्यकाल के दौरान सीज़न 2014–15 से 2019–2020 तक देश में सर्वाधिक गन्ने का राज्य सुझावित मूल्य (एस.ए.पी) दे रही है।

इसी प्रकार 2013–14 से 2019–2020 तक, अन्य फसलों जैसे चना, सरसों तथा बाजरा की एम.एस.पी. में भी 36 से 60 प्रतिशत तक की काफी वृद्धि हुई है। वर्ष 2013–14 में बाजरे का एम.एस.पी 1,250 रुपये प्रति क्विंटल था। जो वर्ष 2019–20 में बढ़कर 2,000 रुपये प्रति क्विंटल हुआ है, जो कि मूल्यों में 60 प्रतिशत की वृद्धि है। वर्ष 2013–14 में चना का एम.एस.पी 3,100 रुपये प्रति क्विंटल था जो वर्ष 2019–20 में बढ़कर 4,875 रुपये प्रति क्विंटल हुआ है, जो कि मूल्यों में 57.25 प्रतिशत की वृद्धि है। इसी प्रकार वर्ष 2013–14 में सरसों का एम.एस.पी 3050/– रुपये प्रति क्विंटल था। जो वर्ष 2019–20 में बढ़कर 4425/– रुपये प्रति क्विंटल हुआ है, जो कि मूल्यों में 45.08 प्रतिशत की वृद्धि है। हमारी सरकार प्रत्येक सम्मान में गन्ना किसानों के कल्याण हेतु प्रतिबद्ध है।

10. इसके अलावा, किसानों को उनकी उपज का लाभान्वित मूल्य प्रदान करने तथा बिक्री में संकट से बचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा तिलहन और दलहन जैसे सूरजमुखी, सरसों, मूंग और चना की खरीद के लिए वर्ष 2015–16 से मूल्य समर्थन योजना (पी.एस.एस) भी लागू की जा रही है। वर्ष 2017–18 से, राज्य सरकार ने भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मात्रा के मुकाबले अधिक मात्रा में तिलहन और दालों की खरीद की है। जिसका विवरण निम्न अनुसार है :–

(i) राज्य सरकार द्वारा राज्य के किसानों के अति हित में विपणन सीज़न 2019–20 के दौरान किसानों द्वारा मंडियों में लाई गई 6.13 लाख मीट्रिक टन सरसों की पूरी मात्रा की खरीद की गई है। जबकि, भारत सरकार ने पी.एस.एस. के तहत केवल 2.51 लाख मीट्रिक टन की मात्रा स्वीकृत की थी।

(ii) राज्य सरकार द्वारा विपणन सीज़न 2019–2020 के दौरान हैफेड व हरियाणा वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के माध्यम से 5,388 रुपये प्रति क्विंटल की दर से एम0एस0पी0 पर 13,156 मीट्रिक टन सूरजमुखी की मात्रा खरीदी गई। जबकि भारत सरकार ने पी.एस.एस. के तहत केवल 2,375 मीट्रिक टन सूरजमुखी की मंजूरी दी थी।

(iii) पी.एस.एस के अन्तर्गत 4,620 रुपये प्रति क्विंटल की दर से एम.एस.पी. पर हरियाणा राज्य में पहली बार 2,000 क्विंटल चने की

मात्रा की खरीद की गई। वर्ष 2019–2020 के दौरान 3726 मीट्रिक टन मात्रा की मूंग भी एम.एस.पी. पर 7,050 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदी गई है। जबकि भारत सरकार द्वारा पी0पी0एस0 के अन्तर्गत 2,575 मीट्रिक टन की मात्रा स्वीकृत की गई थी।

(iv) राज्य सरकार द्वारा विपणन सीज़न 2019–20 के दौरान किसानों द्वारा मंडियों में लाई गई 3.10 लाख मीट्रिक टन सरसों की पूरी मात्रा को भी खरीदा गया है, जिसमें से भारत सरकार ने टी0पी0डी0एस0 के अन्तर्गत केवल 1.00 लाख मीट्रिक टन बाजरे को वितरित करने की स्वीकृति दी गई।

(v) राज्य सरकार द्वारा इन फसलों की खरीद पर पी.एस.एस/बिना पी.एस.एस के तहत अब तक 105 करोड़ रुपये की राशि की प्रतिपूर्ति की गई है। वर्ष 2019–2020 के दौरान संशोधित अनुमान के तहत बजट का प्रावधान करने हेतु सरकार को 373.92 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं यह भी बताना चाहूंगा कि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार के शासन में पिराई सीजन वर्ष 2014–15 से 2018–19 के दौरान देश में गन्ने का सर्वाधिक मूल्य दिया गया है। वर्तमान पिराई सीजन 2019–20 के लिए निर्धारित किया गया गन्ने का मूल्य भी देश में सर्वाधिक है। भारत सरकार द्वारा गन्ने का एफ.आर.पी. निर्धारित किया जाता है तथा कुछ राज्य जैसे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखण्ड द्वारा गन्ने का एस.ए.पी. निर्धारित किया जाता है। सीजन वर्ष 2011–12 तथा वर्ष 2012–13 में पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखण्ड में हरियाणा के मुकाबले गन्ने का अधिक मूल्य दिया जाता था। जबकि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वर्ष 2014–15 से वर्ष 2019–20 सीजन तक उक्त सभी राज्यों जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड से अधिक गन्ने का रेट दिया है। वर्ष 2014–15 में चीनी के मूल्य काफी कम थे तथा गन्ना किसानों को उनके गन्ने के मूल्य के भुगतान हेतु वर्ष 2014–15 से वर्ष 2018–19 तक सहकारी चीनी मिलों को कुल 1948 करोड़ रुपये तथा निजी चीनी मिलों को 286.68 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया गया है। पिराई सीजन वर्ष 2017–18 तथा वर्ष 2018–19 में सहकारी चीनी मिलों को कुल 117.18 करोड़ रुपये तथा निजी चीनी मिलों को कुल 120.54 करोड़ रुपये सब्सिडी के तौर पर किसानों के

गन्ने के भुगतान हेतु दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार के कार्यकाल वर्ष 2014–15 से वर्ष 2018–19 में चीनी के औसत मूल्य 3160 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ने का औसत मूल्य 316 रुपये प्रति क्विंटल बनता था, जबकि उक्त अवधि का गन्ना औसत मूल्य 322 रुपये प्रति क्विंटल दिया गया जो कि मैं समझता हूं कि तुलनात्मक रूप से 6 रुपये प्रति क्विंटल ज्यादा दिया गया था। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार की अवधि वर्ष 2005–06 से वर्ष 2013–14 तक चीनी के औसत मूल्य 2398 रुपये प्रति क्विंटल बनते हैं इसके आधार पर उक्त अवधि के लिए गन्ने का औसत मूल्य 240 रुपये प्रति क्विंटल बनता था जबकि उक्त अवधि में गन्ने के मूल्य का औसत 202 रुपये प्रति क्विंटल दिया गया। इस प्रकार पिछली सरकारों द्वारा गन्ने के मूल्य काफी कम निर्धारित किए गए थे। चीनी मिलों द्वारा गन्ने के सर्वोपरि प्राइस हेतु उपलब्धता के आधार पर गन्ने की बॉण्डिग की जाती है और बॉण्ड किये गये गन्ने की सप्लाई हेतु किसानों को पर्चियां दी जाती हैं और कम्प्यूटराईज्ड कैलेडरिंग की जाती है। जिसको पिराई का कार्य आरम्भ होने से पूर्व किसानों से भी सांझा किया जाता है। कैलेडरिंग के आधार पर ही पर्चियां जारी होती हैं जोकि पूर्णतया पारदर्शी होती हैं। पिराई सीजन 2005–06 से 2013–14 के दौरान गन्ने की औसत उत्पादकता 686.20 क्विंटल प्रति हैक्टेयर थी जोकि पिराई सीजन 2014–15 से पिराई सीजन 2018–19 तक बढ़कर 782.80 क्विंटल प्रति हैक्टेयर हो गई है अर्थात् गन्ने की प्रौडक्टिविटी में 14.07 प्रतिशत की बढ़ौतरी हुई है। इस प्रकार प्रति इकाई क्षेत्र में गन्ने के अधिक उत्पादन से किसानों की आय बढ़ी है। पिराई सीजन 2005–06 से 2013–14 तक गन्ने की औसत पिराई 473.24 लाख क्विंटल थी जो पिराई सीजन 2014–15 से 2018–19 तक 645.31 लाख क्विंटल हो गई है अर्थात् 26.7 परसैंट की बढ़ौतरी इसमें हुई है। इस प्रकार राज्य के किसानों ने चीनी मिलों को अधिक मात्रा में गन्ने की आपूर्ति की है तथा गन्ने की फसल से किसानों को पहले से ज्यादा इंकम हुई है। सीजन 2005–06 से 2013–14 तक सभी चीनी मिलों की कुल पिराई क्षमता 44,572 टन थी जो वर्तमान सरकार के कार्यकाल के वर्ष 2015–16 से 2018–19 में 47,200 टन हो गई थी ताकि किसान ज्यादा से ज्यादा गन्ना प्रदेश की चीनी मिलों में लेकर आ सके। इस प्रकार से गन्ने की पिराई क्षमता में भी लगभग 6 परसैंट की बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान दूसरी फसलें जैसे चना, सरसों और बाजरा के एम.एस.पी. को भी बढ़ाया गया है। (विघ्न) स्पीकर सर, कालिंग अटैंशन मोशन

में यह प्रश्न पूछा गया है कि सरकार किसान की आमदनी को कैसे बढ़ायेगी। मैं इसी प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, कालिंग अटैंशन मोशन में यह कहा गया है कि हमारी सरकार किसान की आमदनी को नहीं बढ़ा पाती। मैं यहां पर सरकार द्वारा किसान की आमदनी को बढ़ाने के लिए कौन–कौन से तरीके अपनाये जायेंगे मैं यहां पर उनकी जानकारी दूंगा। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, हरियाणा प्रदेश में 34.99 लाख हैक्टेयर में खेती होती है जिसमें सिर्फ 1.10 लाख हैक्टेयर में गन्ने की खेती होती है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, कालिंग अटैंशन मोशन में शूगरकेन के प्राईसिज को बढ़ाने के बारे में पूछा गया है।

श्री जे.पी. दलाल : अध्यक्ष जी, कालिंग अटैंशन मोशन में यह भी पूछा गया है कि हमारी सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी को किस प्रकार से बढ़ाया जायेगा? स्पीकर सर, इसी तरह से बहुत सी चीजों के एम.एस.पी. में हमने बढ़ोतरी की है। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जो कालिंग अटैंशन मोशन का जवाब दे रहे हैं वह एक प्रकार से सदन का समय खराब करने वाली बात है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जे.पी. दलाल : अध्यक्ष जी, मैं बार–बार यही कहना चाहता हूं कि कालिंग अटैंशन मोशन में यही पूछा गया है कि हमारी सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी को किस प्रकार से बढ़ाया जायेगा? मैं उसी का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। यह मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि यह बताना बहुत जरूरी है। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, कालिंग अटैंशन मोशन में इस बाबत जो कहा गया है मैं उसे आपको पढ़कर सुनाता हूं। इसमें लिखा है कि –

> "The Government is aiming to double the farmers income by 2022 but as per its performance in the past five years, it does not seem anywhere close to that target."

जो लिखा हुआ है मुझे इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। (शोर एवं व्यवधान) जो कालिंग अटैंशन मोशन में लिखा हुआ है उसका जवाब देना जरूरी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, कालिंग अटैंशन मोशन में किसानों की आय को दुगुणा करने के बारे में पूछा गया है। मैं ये आपको पढ़कर सुना देता हूं –

"The Government is aiming to double the farmers income by 2022 but as per its performance in the past five years, it does not seem anywhere close to that target."

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, आप कालिंग अटैंशन मोशन को ऊपर से पढ़ें उसमें यह लिखा हुआ है कि-

"The BKS termed the incumbent Government as anti-farmers and said that in the past five years, the Government has increased the price of sugarcane by only Rs.30 per quintal."

श्री जे.पी. दलाल : स्पीकर सर, आप ये भी पढ़ें-

"The Government is aiming to double the farmers income by 2022 but as per its performance in the past five years, it does not seem anywhere close to that target."

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, आपकी पार्टी के माननीय सदस्यों ने जो कालिंग अटैंशन मोशन दिया है उसमें यह भी लिखा गया है कि किसानों की इनकम को दुगुणा करने की जरूरत ही नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) हुड्डा साहब, आप इस कालिंग अटैंशन मोशन को एक बार फिर से पढ़ लें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के साथियों की तरफ से जो ध्यानाकर्षण सूचना दी गई है उसमें यह बात लिखी हुई है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, हमने जो लिखा हुआ है वह कंटीन्यूटी में पढ़ा जाता है उसको इनआईसोलेशन नहीं पढ़ा जाता है। आप इस वाक्य को पीछे से पढ़ कर देखिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, आपने जो बात ध्यानाकर्षण सूचना में दी हुई हैं उनका पूरा जवाब तो मंत्री जी को देना ही पड़ेगा। आपने अपनी ध्यानाकर्षण सूचना में किसानों की आय दोगुनी करने से संबंधित बात लिखी हुई है तो उसका जवाब मंत्री जी दे रहे हैं, उनको जवाब देने दीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, जो लिखा होता है वह पूरा पढ़ा जाता है उसको इनआईसोलेशन नहीं पढ़ा जाता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो ध्यानाकर्षण सूचना दी है उसको सिर्फ गन्ने तक सीमित नहीं रखा है इसीलिए मैं पूरा जवाब दे रहा हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आफताब अहमदः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जवाब देना ही नहीं चाहते हैं इसीलिए इधर–उधर की बातें कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आफताब जी, मंत्री जी आपकी लिखी हुई बातों का ही जवाब दे रहे हैं, उनको जवाब देने दीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, आप पढ़े–लिखे हैं, आप ही देख लीजिए इसमें क्या लिखा हुआ है। उसको इनआईसोलेशन नहीं पढ़ा जाता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, आपने अपने ध्यानाकर्षण सूचना में लिखा हुआ है। उसमें आपने सरकार को एलेज्ड किया है। आपने ही कहा है कि सरकार किसानों की आय को दोगुनी करने के नजदीक भी नहीं है। इसीलिए मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, उनको जवाब देने दीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, आपका पूरा नाम श्री ज्ञान चन्द गुप्ता है। अगर मैं इसको सिर्फ गुप्ता पढ़ूं तो यह गलत होगा। मंत्री जी भी यही कर रहे हैं। इसको पूरा पढ़ा जाना चाहिए, इनआईसोलेशन में नहीं पढ़ा जाना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपनी ध्यानाकर्षण सूचना में जो बातें लिखी हुई हैं मैं उन्हीं का जवाब दे रहा हूं। ये किसानों के हित की बातें सुनना ही नहीं चाहते हैं। इन्होंने सवाल पूछा है लेकिन जवाब सुनना नहीं चाहते। मेरा आपके माध्यम से कांग्रेस के साथियों से अनुरोध है कि ये जवाब सुन तो लें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, आप सभी को बैठाइये। आपने जो ध्यानाकर्षण सूचना दी है उसमें आपने सरकार को एलेज्ड किया है कि सरकार किसानों की आमदनी को दोगुनी करने के नजदीक भी नहीं है। अब मंत्री जी जवाब दे रहे हैं कि सरकार कैसे किसानों की आमदनी को दोगुनी करेगी। आप उनका जवाब सुनना नहीं चाहते। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपनी ध्यानाकर्षण सूचना में लिखा हुआ है कि–

> "The Government is aiming to double the farmers income by 2022 but as per its performance in the past five years, it does not seem anywhere close to that target."

मैं उसी का तो जवाब दे रहा हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, आप पढ़े–लिखे हैं, ज्ञानी हैं। हमने जो ध्यानाकर्षण सूचना दी है मैं उसको पढ़ कर सुनाता हूं कि हमने क्या लिखा है? हमने लिखा है कि–

> "The Haryana Unit of Bharatiya Kisan Sangh(BKS) demanding an increase in the prices of sugarcane. The farmers threatened to lock down all the sugar mills in the State if the prices are not revised by the Government. The BKS termed the incumbent Government as anti-farmers and said that in the past five years, the Government has increased the price of sugarcane by only Rs. 30 per quintal."

यह बात शुगरकेन के कांटैक्स्ट में कही गई है। आप इसका ट्रांसलेशन करवा लो। यहां अंग्रेजी के बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। कॉन्टैक्सट देखा जाता है। इन आईसोलेशन कोई होता है क्या ?

श्री अध्यक्ष : हुड्डा जी, यह इन आईसोलेशन नहीं है। यह तो कॉन्टीन्यूएशन में है। आप प्रस्ताव को आधा नहीं पढ़ सकते। आप प्रस्ताव को पूरा पढ़ेंगे।

Shri Bhupinder Singh Hooda: Sir, that is in context with sugarcane price only nothing else.

Mr. Speaker: O.K. You won't listen.

Shri Bhupinder Singh Hooda: Sir, we want to hear only about sugarcane price.

कृशि मंत्री(श्री जय प्रका□ा दलाल) : अध्यक्ष महोदय, इसमें साफ लिखा हुआ है कि–

> "The Government is aiming to double the farmers income by 2022 but as per its performance in the past five years, it does not seem anywhere close to that target."

मुझे इसका जवाब तो देना है। (शोर एवं व्यवधान) नहीं–नहीं फार्मर इंकम।

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल) : अध्यक्ष महोदय, इसमें केवल किसान की आय दुगुनी करनी है। इसमें गन्ने के रेट दुगुने करने की बात नहीं कही गई है। किसान की टोटल आमदन दुगुनी करनी है। अब वह किस तरीके से होगी वह कृषि मंत्री जी बता रहे हैं।(शोर एवं व्यवधान) दलाल साहब आप आगे पढ़िये। आपने जो प्रश्न किया है उसके बारे में आपको मंत्री जी बता रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश दलाल : स्पीकर सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसान की आमदनी को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार दीर्घ संकल्प है और हमारी सरकार ने किसान की आमदनी को दुगुना करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप किसानों की बात क्यों नहीं सुनना चाहते? मंत्री जी, किसानों की बात कर रहे हैं और आप किसानों की बात सुनना नहीं चाहते हैं।

श्री जय प्रकाश दलाल : अध्यक्ष महोदय, ये लोग किसानों की बात को सुनना नहीं चाहते हैं कि किसान को फायदा कैसे होगा । (शोर एवं व्यवधान) आप कैसे किसान हितैषी हैं जो किसानों के फायदे की बात नहीं सुनना चाहते हैं।(शोर एवं व्यवधान) आप किसान हितैषी होने का ढ़ोंग करते हैं।(शोर एवं व्यवधान) किसानों की आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए उस बात को सुनना नहीं चाहते हैं।(शोर एवं व्यवधान)

श्री कंवर पाल : अध्यक्ष महोदय, जब ये सारा इतिहास पढ़ेंगे तो उससे इनको पता चलेगा कि इन्होंने किसानों के लिए क्या किया है?(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, कॉन्टीन्यू कीजिए।(शोर एवं व्यवधान) इसका मतलब ये है कि आपने जो प्रस्ताव भेजा है उसको आपने पूरी तरह से नहीं पढ़ा है।(शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब हम अनपढ़ हैं।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, मैं अनपढ़ नहीं कह रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि आपने इस प्रस्ताव को पूरी तरह से पढ़ा नहीं है।

श्री जय प्रका□ा दलाल : हुड्डा साहब, आप इसको पूरा पढ़ लीजिए। अध्यक्ष महोदय, हम प्रदेश के सभी किसानों की आय को बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसमें गन्ना किसान भी शामिल हैं। 100 प्रतिशत में से 3.1 प्रतिशत जमीन पर गन्ना किसान हैं और 96.9 प्रतिशत दूसरे किसान हैं इसलिए सभी किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार प्रयासरत है। मैं यहां सदन में सरकार के द्वारा किये जाने वाले प्रयास के बारे में बताना चाहता हूं कि वर्ष 2013–14 में बाजरे का एम.एस.पी 1250/–रुपये क्विंटल था जो बढ़कर वर्ष 2019–2020 में 2000/–रुपये क्विंटल हो गया है जिसमें 60 प्रतिशत बढ़ौतरी हुई है। वर्ष 2013–14 में चने का एम.एस.पी 3100/–रुपये प्रति क्विंटल था जो बढ़कर वर्ष 2019–2020 में 4875/–रुपये क्विंटल हो गया है जिसमें 57.25 प्रतिशत की बढ़ौतरी हुई है। वर्ष 2013–14 में सरसों का एम.एस.पी 3050/–रुपये क्विंटल था जो बढ़कर वर्ष 2019–2020 में 4425/–रुपये क्विंटल हो गया है जिसमें 45.08 प्रतिशत की बढ़ौतरी हुई है। हमने तिलहन और दलहन जैसे सूरजमुखी, सरसों,मूंग, और चना की खरीद के लिए वर्ष 2015–16 में से मूल्य समर्थन योजना(पी.एस.एस.) भी लागू की गई है। वर्ष 2017–18 से राज्य सरकार ने भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मात्रा के मुकाबले अधिक मात्रा में तिलहन और दालों की खरीद की है। हमारी सरकार ने वर्ष 2019–2020 में किसानों द्वारा मंडियों में लाई गई 6.13 लाख मीट्रिक टन सरसों को पूरी मात्रा में खरीदा है।(शोर एवं व्यवधान) जबकि भारत सरकार ने पी.एस.एस. के तहत केवल 2.51 मीट्रिक टन स्वीकृत की है लेकिन हमारी सरकार ने वर्ष 2019–2020 में 13156 मीट्रिक टन सूरजमुखी की खरीद की है। जबकि भारत सरकार ने केवल 2375 मीट्रिक टन सूरजमुखी की स्वीकृति दी थी। (शोर एवं व्यवधान) हरियाणा राज्य में पहली बार 2000 क्विंटल चना खरीदा गया है। (शोर एवं व्यवधान) किसानों द्वारा मंडी में लाई गई 3.10 लाख मीट्रिक टन बाजरा की पूरी की पूरी मात्रा हमारी सरकार ने खरीदी है। राज्य सरकार द्वारा इन फसलों की खरीद पर बिना पी.एस.एस. के 105 रुपये की राशि प्रतिपूर्ति की गई है।(शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, –––(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, आपने इस प्रस्ताव को पढ़ा नहीं है।(शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रका□ा दलाल : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2014–15 में किसान को ट्यूबवैल की बिजली पर 5234/–करोड़ रुपये तक की सब्सिडी दी जाती थी । आज के दिन हमारी सरकार 7139.72 करोड़ रुपये की सब्सिडी दे रही है। प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को 2098 करोड़ रुपये का मुआवजा वितरित किया है। (शोर एवं व्यवधान) इसी तरह से प्रदेश में वर्ष 1974 से लेकर वर्ष 2014 तक 6,56,620 हैक्टेयर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचाई के अन्तर्गत आता था उसको हमारी सरकार ने बढ़ाकर 7,60,000 हैक्टेयर किया है।(शोर एवं व्यवधान)

(इस समय इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के कुछ सदस्य वैल में आ गए और माननीय अध्यक्ष के साथ तर्क–वितर्क करने लगे।)

श्री अध्यक्षः देखिये, मेरे आप सभी माननीय सदस्यों से अपील है कि आप लोग अपनी सीट पर जाकर बैठिए और सदन की कार्यवाही को चलने दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती शकुंतला खटकः अध्यक्ष महोदय, आप जवाब दीजिए? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः शकुंतला जी, आपको तो यह तक पता नहीं है कि मैटर क्या चल रहा है। आप अपनी सीट पर जाकर बैठिए। (शोर एवं व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल): अध्यक्ष महोदय, मेरा विपक्ष के साथियों से अनुरोध है कि उन्हें अपने इस ध्यानाकर्षण सूचना को वापिस ले लेना चाहिए और दूसरी ध्यानाकर्षण सूचना दे देनी चाहिए तो इस तरह से समस्या का समाधान हो सकता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः ऐसा लगता है आपको आप लोगों द्वारा दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की पूरी जानकारी नहीं है। अतः आप जब भी सदन में आए तो पूरी तैयारी के साथ आया करें। (शोर एवं व्यवधान) आप प्लीज अब तो बैठ जाये माननीय मुख्यमंत्री जी आपके द्वारा दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब दे रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती शकुंतला खटकः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः शकुंतला जी, मैं फिर कहता हूँ कि आपको तो यह तक पता नहीं है कि इसमें क्या लिखा हुआ है? (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती शकुंतला खटकः अध्यक्ष महोदय, मुझे तो बहुत कुछ पता है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मरीज का इलाज कैसे किया जाता है। (शोर एवं व्यवधान)

मोहम्मद इलियासः अध्यक्ष महोदय, आप हमारे सांझे हैं हमारा भी आप पर पूरा अधिकार है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः इलियास जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है लेकिन बावजूद इसके मैं फिर कहना चाहूंगा कि जो आप लोग सदन में लिखकर देंगे, जवाब केवल उसी लिखी हुई बात का मिलेगा। (शोर एवं व्यवधान) जब भी कोई प्रस्ताव बनाते हो तो एक बार उसको ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) माननीय सदस्यगण, माननीय मुख्यमंत्री जी आपके ध्यानाकर्षण के संबंध में सारी बातें स्पष्ट करने के लिए अपना जवाब दे रहे हैं अतः आप प्लीज बैठिए।(शोर एवं व्यवधान)

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण सूचना को कुछ खास किस्म की भावना के साथ सभी सदस्य सदन में लेकर आते हैं। ध्यानाकर्षण सूचना में कई प्रकार के विषय को शामिल किया जाता है लेकिन जिन ध्यानकर्षण सूचनाओं का कॉमन विषय होता है उन सभी को क्लब करके समान विषय वाली एक ध्यानकर्षण सूचना का प्रारूप तैयार कर दिया जाता है। यदि दिए गए विभिन्न प्रकार के ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की मंशा या भावना अलग–अलग भी रही हो और उनको किसी वजह से समान विषय का समझकर क्लब कर भी दिया गया हो तो भी जो उत्तर दिया जाता है उसको अच्छी तरह से पढ़कर ही दिया जाता है। मैं अभी सदन में तो नहीं बैठा था लेकिन जहां बैठा था, वहां सदन की सारी कार्यवाही को सुन रहा था। हमारे कईं माननीय सदस्यों की भावना यह रही होगी कि गन्ने का रेट नहीं बढ़ा है, उसको बढ़ाना चाहिए तथा किसी की भावना किसान की आय को डबल करने की हो सकती है या कोई सदस्य प्रिक्योरमैंट के विषय पर अपनी भावना प्रकट करना चाहता हो या कोई सदस्य किसान को अन्य दूसरी सुविधायें देने की भावना रखता हो, उन सबके बारे में माननीय मंत्री जी ने एक कंबाईंड उत्तर देने की कोशिश की थी। मैं समझता हूँ कि उस उत्तर को सुन लेना चाहिए था। आज ऐसा नहीं है कि सत्र का आखिरी दिन है और माननीय मंत्री जी जवाब देने से बच जायेंगे। (विघ्न)

श्रीमती भाुकंतला खटक : अध्यक्ष महोदय, इस तरह से कैसे कम्बाइन्ड किया जा सकता है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : बहन जी, आप बिना बात के वैसे ही बीच में खड़ी हो जाती हैं। रूल्ज के मुताबिक ही कम्बाइन्ड किया हुआ है, आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, सभी सदस्यों के जवाबों का उत्तर दिया जाता है। लेकिन कुछ माननीय सदस्यगण चाहते हैं कि पहले गन्ने का उत्तर दिया जाये। अध्यक्ष महोदय, किसान की आमदनी दोगुनी का विषय कोई छोटा विषय नहीं है बल्कि यह बहुत बड़ा विषय है। यह ऐसा विषय भी नहीं है कि गन्ने के उत्तर के साथ बाकी चीजें गौण हो जाती है। जहां तक गन्ने का विषय है, इस संबंध में प्रदेश की अपनी नीति, अपना बजट और अपनी परिस्थितियां होती हैं और उसमें कौन सा लॉजिक कहाँ ठीक बैठता है यह उस समय के हिसाब से रेट तय होता है। गन्ने का रेट बढ़ना चाहिए, यह कौन नहीं चाहता होगा कि रेट नहीं बढ़ना चाहिए। गन्ने के रेट बढ़ाने की स्थिति सबकी हो सकती है लेकिन गन्ने का रेट कब बढ़ता है और कब नहीं बढ़ता है, इसका हमारा एक इतिहास रहा है। मेरे पास आज का नहीं बल्कि वर्ष 1975–76 से गन्ने के रेट का इतिहास है। अध्यक्ष महोदय, एक समय हमारे प्रदेश का समय ऐसा भी आया जैसे कि माननीय शिक्षा मंत्री जी बता रहे थे कि गन्ने की अगेती वैराइटी का रेट 26 रुपये प्रति क्विंटल का था और पांच वर्ष के बाद 26 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ने की बजाए कम हो गया। यह भी हरियाणा के इतिहास में घटित हुआ है और यह कांग्रेस की सरकार चौधरी भजन लाल जी की सरकार में हुआ था। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1980 में गन्ने का रेट बढ़ाकर 26 रुपये प्रति क्विंटल किया गया था। लेकिन वर्ष 1982 में 26 से घटाकर 22 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया। वर्ष 1983 में रेट 23 रुपये, वर्ष 1984 में 24 रुपये प्रति क्विंटल किया गया था। अध्यक्ष महोदय, उस समय क्या परिस्थितियां रही होंगी, इस बात का मुझे पता नहीं है। (विघ्न) वर्ष 1985 में गन्ने का रेट 27 रुपये प्रति क्विंटल किया गया था यानी 5 वर्ष के बाद गन्ने के रेट में केवल 1 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ौत्तरी हुई थी। अध्यक्ष महोदय, एक समय ऐसा भी आया जब 5 वर्षों तक लगातार गन्ने का रेट 110 रुपये प्रति क्विंटल ही रहा। इसका मतलब यह हुआ कि उस पीरियड के अनुसार हरियाणा की परिस्थितियां ऐसी रही होंगी जिसमें गन्ने के रेट नहीं बढ़ाये जा सकते। अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात नहीं है कि हम जनता के बीच में नहीं रहते हैं और किसानों से नहीं मिलते हैं। किसान हमें भी कहते हैं कि हमारे गन्ने का रेट बढ़ाओ। अध्यक्ष महोदय, गन्ने का रेट बढ़ाने की

जितनी हमारी गुंजाइश थी, उतनी हमने जरूर बढ़ाई है। पिछले 5–6 वर्षों में लगातार चीनी के रेट 2400 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 3000 रुपये प्रति क्विंटल के बीच में चल रहा था और अब जाकर चीनी का रेट 3100–3200 रुपये प्रति क्विंटल हुआ है। हमारी सारी की सारी को–ओपरेटिव शुगर मिल्ज घाटे में चल रही हैं। प्राइवेट शुगर मिल्ज वो भी घाटे में चल रही हैं। घाटे के कारण यदि इन शुगर मिल्ज को और ज्यादा घाटा होगा तो शुगर मिल्ज खत्म हो जायेंगी। अल्टीमेटली नारायणगढ़ शुगर मिल ने तो हमें नोटिस दे दिया कि हम इस शुगर मिल को बंद करना चाहते हैं और आप इस शुगर मिल को टेकओवर कर लीजिए। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से आज नारायणगढ़ शुगर मिल बंद होने के कगार पर खड़ी है। लेकिन हम इस शुगर मिल के वित्तीय हालात की समीक्षा कर रहे हैं। ताकि हम किसी तरह से इस शुगर मिल की इन्कम को बढ़ा सके। हमने शुगर मिल की देख–रेख और इनकम बढ़ाने के लिए डी.सी. को उसका इंचार्ज बनाया हुआ है । आज किसान की मांग रेट बढ़ाने की नहीं है बल्कि उसकी मांग समय पर पैसा मिलने की है । आज पेमेंट में केवल 15 दिन की देरी है । इससे ज्यादा कोई देरी नहीं है । नहीं तो ऐसा समय था जब किसान को 2–2, 4–4, 6–6 महीने तक पैसे के लिए भटकना पड़ता था । मैं स्वयं किसान का बेटा हूं, इसलिए बता रहा हूं । गांव बनियानी में हमारे पिताजी 4–5 एकड़ जमीन में गन्ना बोते थे । हम रोहतक की मिल में गन्ना लेकर जाते थे । रोहतक की गन्ना मिल की क्या हालत थी यह विपक्षी सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि ये स्वयं उस एक्टिविटी में शामिल थे । उसकी आज भी इंकवायरी चल रही है, इसलिए मेरा कहना है कि हमने सरकार के नाते से सारे तथ्य और परिपेक्ष्य देखें हैं । हमने केवल किसी एक व्यक्ति के कहने पर या किसी ऑर्गेनाइजेशन के कहने पर ऐसा नहीं किया है । किसानों के अपने संगठन हैं । उनको अपने विषय सरकार के सामने रखने चाहिए, मांग करते रहना चाहिए । एक मांग पूरी होने पर दूसरी मांग करनी चाहिए । यह अच्छी बात है । सरकार से जो मिल जाए अच्छा है लेकिन हमने किसान संगठनों से कहा है कि आप गन्ने के भाव बढ़ाने के लिए मत कहिये । ऐसा भी नहीं है कि हमने गन्ने के भाव नहीं बढ़ाए हैं । हमने गन्ने का भाव 310–340 रूपये प्रति क्विंटल अर्थात 30 रूपये प्रति क्विंटल बढ़ाया है । भले ही वह 9 परसैंट है । (विघ्न)

13:00 बजे

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, माननीय मुख्य मंत्री महोदय गन्ने के विषय पर ही जवाब दे रहे हैं ।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय सदन के नेता हैं लेकिन वे शुगर मिलों में गन्ने के भाव के बारे में ऐलोबोरेट कर रहे हैं । यहां पर यह विषय नहीं था । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, अब आप कह रहे हैं शुगरकेन का इशू नहीं था ।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, यहां पर व्यवस्था का इशू था । मैं इसमें आपकी रूलिंग चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, सी.एम. साहब इसकी व्यवस्था के बारे में ही बता रहे हैं ।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, हमारा इशू था कि– We want to draw the kind attention of this august House towards a matter of an urgent and great public importance that the BJP-JJP coalition Government is working against the interest of farmers, especially sugarcane growers.

श्री अध्यक्ष : आपने इसमें ही सब कुछ बोल दिया कि against the interest of farmers.

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो रिलीफ क्लेम किया है वह यह है कि– They, therefore, request the Government to suitable increase the cane price in the interest of the farmers community. कॉलिंग अटैंशन मोशन के विषय में रूल 73 (3) कहता है कि–

> "Not more than one matter shall be raised at the same sitting."

सर, यह व्यवस्था का प्रश्न है कि – whether more than one matter can be discussed at the same time and in the same Calling Attention or not?

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, आप रूल 73(4) पढ़िए, इसमें लिखा है कि–

> "In the event of more than one matter being presented for the same day, priority shall be given the matter which in the opinion of the Speaker, is more urgent and important."

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, यह हमारी कॉलिंग अटैंशन मोशन है । मैं पूछता हूं कि इस एक कॉलिंग अटैंशन मोशन में more than one issue can be discussed or not? आप रूलिंग दे दीजिए ।

Smt. Kiran Chaudhry: Speaker Sir, there should be a separate Calling Attention for the separate issue. अगर एक कॉलिंग अटैंशन मोशन में एक से ज्यादा इश्यू डिस्कस किये जा सकते हैं तो हम आगे से ऐसा ही कॉलिंग अटैंशन मोशन दे देंगे।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, आप रूलिंग दे दें कि more than one matter can be discussed in the same Calling Attention Notice. आप इस पर अपनी रूलिंग दे दो । (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इतनी देर से सदन का समय व्यर्थ जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, आपने अपने नोटिस में फार्मर्स की बात की है । मैं समझता हूं कि इस पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन में बड़ा ही डिटेल्ड रिप्लाई दिया है । (शोर एवं व्यवधान) हमारे पास आपका एक नोटिस आया है । आपने अलग–अलग नोटिस नहीं दिए हैं । ये सब चीजें एक नोटिस में आई हैं । आपने एक नोटिस में ही चार इशू उठाए हैं । अगर हमारे पास अलग–अलग नोटिस आए होते तो हम उनको अलग–अलग डील करते । (शोर एवं व्यवधान)

Smt. Kiran Chaudhry: Speaker Sir, you have to take the entire Calling Notice in toto.

श्री अध्यक्ष : किरण जी, अगर आपका कोई नोटिस अलग आता तो हम उसको क्लब करते । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आप सैग्रीगेट नहीं कर सकते ।

श्री अध्यक्ष : किरण जी, हम सैग्रीगेट कर सकते हैं ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, अगर आप सैग्रीगेट करने की बात कर रहे हैं तो आप अपनी रूलिंग दे दीजिए । If it is your ruling then next time we will include more than one matter in one Calling Attention Notice.

श्री अध्यक्ष : किरण जी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि जब आप कोई कॉलिंग अटैंशन मोशन दें तो उसे एक सब्जैक्ट पर दें । अगर आप 4 सब्जैक्ट्स मिक्स कर दोगे तो चारों का ही रिप्लाई देना पड़ेगा ।

Shri Aftab Ahmed: Speaker Sir, this matter only to raise the prices of sugarcane.

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब दे रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : आप सब बैठ जाइये । अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, आप पार्लियामैंट्री अफेयर्स मिनिस्टर से ओपिनियन ले लो ।

Mr. Speaker: The matter to double the farmers' income is also mentioned in this Calling Attention Notice. आप डबल इनकम के बारे में कह रहे हैं । (शोर एवं व्यवधान) हां, यह इंट्रप्रिटेशन नहीं है । मैंने आगे भी पढ़कर सुनाया था । जो आप कॉलिंग अटैंशन मोशन देते हैं वह थोड़ा क्लीयर दिया करें । उसमें कई मुद्दे मिक्स नहीं होने चाहिए ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे विधान सभा का सदस्य बने 6 साल हो गये हैं । इसके बावजूद मुझे विपक्ष का रवैया आज तक समझ में नहीं आया । पहले तो ये कहने लगे कि आप इस विषय पर बोलो और जब उस पर हमारे माननीय मंत्री जी ने जवाब देकर आगे जानकारी देनी शुरू की तो फिर ये कहने लगे कि आप गन्ने के विषय पर बोलिये । अब मैं गन्ने के रेट के विषय पर बोल रहा हूं तो ये किताब उठाकर खड़े हो गए । (शोर एवं व्यवधान) वह बात खत्म हो गई । अब मैंने टेक ओवर कर लिया है और ये अब भी विरोध कर रहे हैं तो इस का मतलब यह है कि ये मेरी बात को न सुनने के लिए ही किताब उठाकर लाए हैं । मैं जब जवाब दे रहा हूं तो फिर ये किताब उठाकर क्यों ले आए ? मैं कह रहा हूं कि मैं माननीय सदस्य के प्रश्न का जवाब दे रहा हूं । (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय को कहना चाहती हूं कि अब बात वर्ष 2022 तक किसान की आय बढ़ाने की है । इसके लिए इनको सदन में चर्चा करनी पड़ेगी । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, आप जो लिखकर देंगी आपको उसी का जवाब दिया जाएगा ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह है कि विपक्ष जो कहता है वह सच है और हम जो कहते हैं वह झूठ है । झूठ के सहारे पर चलने की जरूरत नहीं है । मैं सदन के नेता के नाते जवाब दे रहा हूं इसके बावजूद ये फिर से खड़े

हो गए । मेरा कहना है कि ऐसा नहीं है कि हम यह नहीं चाहते कि किसान/गन्ने के किसान की आय न बढ़े । हम चाहते हैं कि किसान की आय बढ़े । उनकी आय अवश्य बढ़नी चाहिए लेकिन उस गन्ने को जिसने खरीदना है हमें उसकी स्थिति भी देखनी चाहिए । आज गन्ने का मोल–भाव सरकार तय करती है लेकिन इसको खरीदने का काम को–ओपरेटिव मिल्स या प्राइवेट मिल्स के पास है । इसे सीधा सरकार नहीं खरीदती है । उनके खरीदने की क्षमता या वायबिलिटी कितनी है हमें उसका ध्यान रखना पड़ेगा । ये सभी पिछले कई वर्षों से घाटे में चल रही हैं । हरियाणा में किसान को गन्ने का रेट 340 रूपये प्रति क्विंटल की दर से मिलता है जोकि आज देशभर में सबसे ज्यादा है । पूरा देश गन्ने का रेट नहीं बढ़ा पा रहा क्योंकि उनकी मजबूरी है, इसका मतलब तो यह है कि हमारी सरकार भी उस सीमा से आगे कैसे बढ़ पायेगी? हम इस बात को मानते हैं कि रेट बढ़ाने के बहुत तरीके हैं। **(इस समय उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)** उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि हम इन सभी मिलों की एक–एक करके लगातार क्षमता बढ़ाने का काम कर रहे हैं और इन मिलों में अतिरिक्त आय कैसे हो, इस पर भी विचार किया जा रहा है और हम बहुत जल्द इथेनॉल का प्लांट लगाने का काम करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, गन्ने की क्वांटिटी, किसान के गन्ने की फसल का उत्पादन और जो बायो प्रौडक्ट है, वह कैसे बढ़े? इन सब बातों की गहनता पर विचार–विमर्श करने के लिए बहुत सी एजेंसियां लगी हुई हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार गन्ने की किस्म बदलने के प्रयास भी कर रही है और चीनी की रिकवरी किस प्रकार से बढ़ाई जाये उस बारे में भी सरकार विचार कर रही है। आज चीनी की रिकवरी 9 प्रतिशत से लेकर 11.5 प्रतिशत तक है। हमारी सरकार का यही प्रयास है कि इसे और बढ़ाया जाये अगर चीनी की रिकवरी बढ़ जाती है तो कुल मिलाकर शुगर मिलों की आय बढ़ जायेगी और सरकार के लिए गन्ने का रेट बढ़ाना भी संभव हो जायेगा और फिलहाल ऐसा करना संभव नहीं है। फिर भी हमारी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में गन्ने के रेट में 30 रुपये की बढोत्तरी की है परन्तु हमारी सरकार के लिए इस वर्ष गन्ने के रेट बढ़ाने की गुंजाइश नही थी और इस बारे में भी मैंने निवेदन किया था कि गन्ने का रेट इस बार सरकार बढ़ा नहीं पायेगी। अगर आने वाले कुछ महीनों में गुंजाइश बन जाती है तो हम गन्ने का रेट बढ़ाने का काम करेंगे। पहले चीनी का दाम 2500 रुपये प्रति क्विंटल था। हमारी सरकार आने के बाद चीनी का दाम 3000 रुपये प्रति क्विंटल किया था। आज हमारी सरकार गन्ना किसानों को

340 रुपये प्रति क्विंटल की दर से देश में उच्चतम लाभप्रद मूल्य के हिसाब से भुगतान कर रही है। अगर आज चीनी का रेट 3300 रुपये प्रति क्विंटल होता है at par जिसको break even कहते हैं। इस break even पर आयेगा और हमें लगता है कि रेट आगे बढ़ सकता है तो रेट बढ़ने के बाद अगले वर्ष में इस पर विचार करेंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने गन्ने के बारे कहा और कुछ माननीय सदस्यों के गन्ने के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आये थे। हम यह बात मानते हैं कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने हमारी बात मानी, इसके लिए हम उनका बहुत–बहुत धन्यवाद करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जब सरकार गन्ने का रेट फिक्स करती है तो कभी चीनी की कीमत से गन्ना नहीं तोला जाता है। मैं बताना चाहूंगा कि गन्ने की कीमत लागत के हिसाब से फिक्स होती है। मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि एक क्विंटल गन्ने के उत्पादन पर कितनी लागत आती है? उपाध्यक्ष महोदय, जब किसान को गन्ने की लागत भी पूरी नहीं मिलेगी तो गन्ने के रेट बढ़ाने ही पड़ेंगे। जैसे सरकार दूसरी अन्य फसलों के लिए एम.एस.पी. फिक्स करती है ताकि किसान की लागत पूरी हो।

श्री जय प्रका□ा दलाल : हुड्डा साहब आप भी एक किसान हैं और मैं भी एक किसान हूं लेकिन मैं समझता हूं कि गन्ना बाकी फसलों से ज्यादा लाभकारी होता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : दलाल साहब, गन्ने की कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कितनी है?

श्री जय प्रका□ा दलाल : हुड्डा साहब, मेरे हिसाब से गन्ने की कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन 170 रुपये प्रति क्विंटल है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि अगर 170 रुपये प्रति क्विंटल कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन गन्ने की आती है तो हम आज ही अपने पद से त्यागपत्र दे देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी एक जिम्मेदार पद पर बैठ कर इस महान सदन में गन्ने के रेट के बारे में गलत बयानबाजी कर रहे हैं। (विघ्न)

श्री जय प्रका□ा दलाल : हुड्डा साहब, आप बता दें कि एक क्विंटल गन्ने के उत्पादन पर कितनी लागत आती है?

श्री उपाध्यक्ष : हुड्डा साहब, प्लीज आप बैठ जायें। माननीय मंत्री जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। **(इस समय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)**

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, हमारी हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो सदस्य ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सिग्नैटरीज हैं, वही सदस्य संबंधित मंत्री से क्वैश्चन पूछ सकते हैं। जो विपक्ष के माननीय सदस्यों ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए हैं, उनमें हुड्डा साहब का नाम नहीं है and they can not ask the question. अध्यक्ष महोदय, माननीय हुड्डा साहब किस रूल के तहत बोलने के लिए खड़े हुए हैं। They should not disrupt the House unnecessarily. As per procedure he can not ask the question. Only signatories can ask the questions.

श्री रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब ने मंत्री जी से कोई क्वैश्चन नहीं पूछा है।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, इस कालिंग अटैंशन मोशन पर जिन माननीय सदस्यों ने साईन किये हुए हैं मैंने उनके नामों को पढ़कर सुनाया था। अब श्रीमती शैली जी अपना सप्लीमैंट्री क्वैश्चन पूछें।

श्रीमती शैली : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह पूछना चाहूंगी कि जो हमारा किसान गन्ना उगाता है वर्ष 2022 तक उसकी आय को दुगुना किस प्रकार से किया जायेगा? सरकार द्वारा अपने 6 साल के शासनकाल के दौरान सिर्फ 30 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ने के रेट बढ़ाये गये हैं। इसी प्रकार से किसानों को मिल से पेमेंट भी नहीं मिल रही है। नारायणगढ़ शुगर मिल से गन्ना किसानों को पिछले साल की पेमेंट भी अभी तक नहीं मिली है। जिसके लिए प्रभावित किसानों द्वारा पिछले तीन महीने से वहां पर धरना दिया जा रहा है। (विघ्न) अगर यही हालात रहे तो सरकार किस प्रकार से वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दुगुना कर देगी? मैं इसके लिए सरकार से मांग करती हूं कि गन्ने के रेट्स में कम से कम 400/– रूपये प्रति क्विंटल की जल्द से जल्द वृद्धि की जाये। सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण आज प्रदेश का किसान दोहरी मार से पीड़ित है क्योंकि एक तरफ तो उसकी फसल का

उसको उचित दाम नहीं मिल रहा है और दूसरी ओर गन्ने सहित सभी फसलों की लागत में बहुत ही ज्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है क्योंकि खाद, बीज और डीजल के रेट्स लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही है कि गन्ने से चीनी की रिकवरी बढ़ी है। इनकी यह बात ठीक है I agree. मुख्यमंत्री जी यह बतायें कि इस मामले में कंट्राडिक्शन कैसे चलेगी एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि गन्ने से चीनी की रिकवरी बढ़ी है और दूसरी तरफ गन्ने के रेट्स नहीं बढ़ा रहे हैं।

श्री मनोहर लाल : स्पीकर सर, मैं यह कहा है कि हमारी सरकार द्वारा गन्ने से चीनी की रिकवरी बढ़ाने के प्रयास किये गये हैं। सरकार के प्रयासों के बावजूद भी गन्ने से चीनी की जितनी रिकवरी बढ़नी चाहिए थी उतनी नहीं बढ़ी है। गन्ने से चीनी की पूरी रिकवरी न होने के कारण ही आज प्रदेश की लगभग सभी शुगर मिल्ज घाटे में हैं। आज भी को–ऑपरेटिव शुगर मिल्ज की रिकवरी एक क्विंटल गन्ने में से 10 किलोग्राम से ज्यादा कहीं पर भी नहीं है। प्राईवेट मिल्ज आज भी एक क्विंटल गन्ने से 11.50 किलोग्राम से 11.75 किलोग्राम प्राप्त करने की सीमा तक पहुंची हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को यह बताना चाहूंगा कि गन्ने से चीनी की रिकवरी बढ़ी है जब से हम हरियाणा प्रदेश में वर्ष 2012 में गन्ने की नई वैरायटी 238 लेकर आये उसके बाद से गन्ने से चीनी की रिकवरी बढ़ी है जिससे हरियाणा प्रदेश की सभी शुगर मिल्ज की आमदनी भी बढ़ी है। मैं यही कह रहा हूं कि जब शुगर मिल्ज की आमदनी बढ़ी है तो गन्ने का रेट भी बढ़ना चाहिए। हम यही चाहते हैं कि किसानों को उनके गन्ने की कीमत लागत के हिसाब से बढ़ाकर दी जानी चाहिए।

श्री धर्म सिंह छोक्कर : स्पीकर सर, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आज किसान के गन्ने का रेट बढ़ाने की बात नहीं है बल्कि आज गन्ना उत्पादक किसानों को गन्ने की समय पर पेमैंट की समस्या है। उन्होंने यह भी बताया कि गन्ना किसानों की आज से 15 दिन पहले तक की पेमैंट की जा चुकी है। मैं यह बात पहले भी कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं कि पानीपत जिला जिसमें मेरी समालखा कांस्टीचुएंसी भी आती है वहां के किसानों का 34.25 करोड़ रुपये पिछले से पिछले साल के कुल दो साल के इकबालपुर शुगर मिल (उत्तराखण्ड) में

अभी तक पेंडिंग हैं। इसमें 70 परसैंट गन्ना पानीपत शुगर मिल के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का है और 22 परसैंट गन्ना करनाल शुगर मिल के अधीन क्षेत्र का है। दिसम्बर, जनवरी और फरवरी में उतराखंड की इकबालपुर शुगर मिल में जो किसानों का गन्ना गया है उसकी पेमैंट अभी बकाया है। हमारे पानीपत ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र से विधायक साथी श्री महिपाल ढांडा जी कह रहे थे कि पूरी पेमैंट हो गई है तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि उनके विधान सभा क्षेत्र के किसानों का भी दो साल का गन्ने का बकाया इकबालपुर शुगर मिल की तरफ पैंडिंग है। उस पैसे को निकलवाने की जिम्मेदारी भी हमारी ही बनती है। अध्यक्ष महोदय, या तो पानीपत में पूरी गन्ना पिराई की जाए और यदि पानीपत मे गन्ना पिराई पूरी नहीं हुई तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री महिपाल ढांडाः अध्यक्ष महोदय, हम तो पहले ही कह रहे हैं कि पानीपत शुगर मिल की क्षमता बढ़ाई जाए लेकिन माननीय साथी का कहना यह है कि पानीपत की शुगर मिल की क्षमता बढ़ाने की जरूरत नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री धर्म सिंह छौक्करः अध्यक्ष महोदय, मैं तो यही कह रहा हूं कि अगर उस गन्ने की पिराई पानीपत मे हो जाती तो किसानों को इकबालपुर नहीं जाना पड़ता। इसलिए उनके पैसे की पेमैंट करवाई जाये, उनकी पेमैंट न होने की जिम्मेदारी किसकी है? अध्यक्ष महोदय, हम तो किसान हैं और गन्ने की खेती करते हैं, माननीय सदस्य श्री ढांडा जी को खेती के बारे में पूरी जानकारी नहीं है ये तो मुर्गी पालते हैं। इनको किसान और किसान की समस्याओं के बारे में पता ही नहीं है। इनकी तो मुर्गियों की हैचरी है इनको गन्ने के बारे में पता ही नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः छौक्कर साहब, आप अपनी भाषा को मर्यादित रखें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री महिपाल ढांडाः अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी की बात सही नहीं है, मेरे पास भी 24 एकड़ में गन्ने की फसल है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री धर्म सिंह छौक्कर : अध्यक्ष महोदय, हम किसान हैं और गन्ना भी पैदा करते हैं और जिन समस्याओं का सामना पानीपत का गन्ना उत्पादक किसान कर रहा है उनके बारे में हमें पता है। इनका और मेरा हलका साथ–साथ लगते हैं। ये कभी अपने हलके में जा कर किसानों से पूछें कि उनको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज ये कह रहे हैं कि पानीपत शुगर मिल की क्षमता बढ़ गई

है, अगर क्षमता बढ़ती तो लोगों को अपना गन्ना लेकर इकबालपुर और ज्वाला जी की मिलों में क्यों जाना पड़ता? पानीपत शुगर मिल की आज भी इतनी बुरी हालत है कि किसान दुखी हो कर दूसरे राज्यों में अपना गन्ना बेचने पर मजबूर है। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि अगर पानीपत मिल की क्षमता बढती तो किसान इकबालपुर क्यों जाते? लोग हमारे पास आ कर रोते हैं कि छौक्कर साहब हमारा पैसा निकलवा दीजिए और मैं इस काम के लिए इकबालपुर 10 बार जा चुका हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि उतराखंड के मुख्यमंत्री जी से बात करके इन गरीब किसानों का गन्ने का बकाया पैसा दिलवा दें क्योंकि वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। महिपाल ढांडा जी कह रहे हैं कि किसानों का पैसा बकाया ही नहीं है जबकि इनके हलके के किसानों के भी 12 से 14 करोड़ रुपये बकाया हैं। ये किसान विरोधी बात करते हैं, इनको किसानों की पीड़ा का पता ही नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः छौक्कर साहब, आप इसी विषय पर अपनी बात कीजिए, आप किसी को टारगेट मत कीजिए। आप अपने विषय से न हटें।

श्री धर्म सिंह छौक्कर : सर, मैं तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर ही अपनी बात रख रहा हूं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में शुगरकेन के बारे में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है इसीलिए मैं गन्ने के बारे में बोल रहा हूं। अभी कुछ देर पहले माननीय शिक्षा मंत्री जी बोल रहे थे।

श्री अध्यक्षः आप अपनी बात रखिए, शिक्षा मंत्री जी ने क्या बोला उसके बारे में न जाएं।

श्री धर्म सिंह छौक्करः अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोल रहे थे मैं इसलिए उनके बारे बोल रहा हूं। जहां तक गन्ने पर प्रति एकड़ या प्रति क्विंटल होने वाले खर्च की बात है तो मैं उसकी डिटेल बता देता हूं। गन्ने की खेती पर प्रति क्विंटल 318/– रुपये खर्च आता है। इसमें खाद, बिजली, पानी, गन्ना, खेत की जुताई तथा तेल इत्यादि का बहुत ज्यादा खर्च आता है। इस प्रकार से एक एकड़ गन्ने पर लगभग 1,28,000/– रुपये खर्च आता है। आज किसानों को गन्ने का भाव 340 रुपये प्रति क्विंटल दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है कि हर बार गन्ने का भाव नहीं बढ़ाया जा सकता है। उनकी यह बात भी ठीक है कि एक व्यवस्था होती है और व्यवस्था के अनुसार चलना भी

चाहिए। अभी कुछ सदस्य कह रहे थे कि किसी समय में 24 और 26 रुपये प्रति क्विंटल के भी भाव होते थे और आज 340/– रुपये प्रति क्विंटल का भाव है। अध्यक्ष महोदय, उस समय 24 और 26 रुपये की वैल्यू भी होती थी। हम भी किसान के बेटे हैं, गन्ना बोते हैं और मिलों में लेकर जाते हैं लेकिन आज 340 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का भाव बहुत कम है। आज का विषय शुगरकेन से संबंधित है, आज गन्ने की क्या स्थिति है? गन्ने की आज क्या दुर्दशा है? शुगरमिल की आज क्या पोजिशन है? हमारा पानीपत, समालखा और करनाल का किसान आज भी अपने गन्ने को यू.पी में लेकर जा रहा है और मैं यह दावे के साथ कहता हूं कि वहां जब किसान अपना गन्ना लेकर जाता है तो वहां कितने एक्सीडैंट होते हैं, कितनी लूट होती हैं जिससे आज किसान रो रहा है और आज ये बी.जे.पी. के नेता हाथ खड़े कर कह देते हैं कि किस किसान के साथ ऐसा हुआ है। धन्यवाद।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, पहले तो आप मुझे यह बता दें कि मैं कितनी सप्लीमैंट्री पूछ सकता हूं। एक पूछ सकता हूं, दो पूछ सकता हूं या तीन पूछ सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : अभय जी, जब सप्लीमैंट्री पूछने का समय होगा उस समय मैं बता दूंगा। अभी तो आप विषय के ऊपर शॉर्ट में चर्चा करें। आपने गन्ने के मूल्य के ऊपर जो कहना है वह कहें। (शोर एवं व्यवधान) सप्लीमैंट्री के लिए मैंने पहले ही कहा है कि प्रस्ताव एक होगा और उसके ऊपर चार सप्लीमैंट्री आएंगी।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, अभी सदन के नेता वर्ष 1974–75 से लेकर अब तक की बड़े विस्तार से हाऊस को जानकारियां दे रहे थे कि गन्ने का भाव क्यों नहीं बढ़ाया गया? वे बता रहे थे कि किसके राज में कितना बढ़ा और किसके राज में कितना नहीं बढ़ा उसकी भी चर्चा हुई है। मैं कहना चाहूंगा कि आपकी बी.जे.पी. की सरकार ने चाहे वह केन्द्र की है, चाहे वह प्रदेश की है किसान की आय को वर्ष 2022 में दुगुना करने की बात कही है।

श्री अध्यक्ष : अभय जी, आप किसान की आय पर नहीं गन्ने व गन्ने के मूल्यों के ऊपर बोलिये। अभी इसी विषय को लेकर पहले बहुत हो चुका है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे एक चीज बता दें क्या गन्ना बोने वाला किसान नहीं है और मैं भी यही कह रहा हूं कि किसान की आय दुगुनी करने की बात आई है।

श्री अध्यक्ष : मैं भी यही कह रहा हूं । जब मैं यह कह रहा था तो कादियान साहब कह रहे थे कि यह ठीक नहीं है।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, आप उनकी बात क्यों कर रहे हैं। उनकी बात अलग है मैं अपनी बात कर रहा हूं। आप मुझे उनके साथ मत जोड़िये।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, किसान की आय दुगुनी करने की बात आई है। मैं मुख्यमंत्री जी से एक चीज जानना चाहूंगा कि जब शुगरमिल किसान को पर्चियां देती है, बाउंडिंग करती है तो वह एक एकड़ में कितना गन्ना खरीदती है और एक एकड़ में किसान का कितना गन्ना होता है। शायद इस बात की जानकारी शुगरमिल के अधिकारियों ने या ऑफिसर गैलरी में बैठे ऑफिसर्ज ने आपको नहीं बताई। आप कह रहे थे कि मैं एक किसान का बेटा हूं और हमारे यहां खुद का गन्ना बोया जाता है। वह एक समय था जब किसान के खेत में एक एकड़ में 200, 300, 400 क्विंटल गन्ना हुआ करता था लेकिन आज की तारीख में किसान के खेत में प्रति एकड़ में लगभग 600 क्विंटल गन्ना होता है। अब जो नई–नई किस्में आई हैं उनसे किसान के खेत की फसल की प्रति एकड़ में और ज्यादा बढ़ौतरी हुई है। जब किसान के खेत में 600 क्विंटल गन्ना हो रहा है तो फिर किसान को 300 क्विंटल प्रति एकड़ की पर्ची क्यों दी जाती है? सरकार कहती है कि 300 क्विंटल प्रति एकड़ गन्ना तो सरकार खरीदेगी, कोऑपरेटिव मिल और प्राईवेट मिल खरीदेंगे लेकिन जो किसान का 300 क्विंटल गन्ना खेत में बच गया है उसको वह कहां ले जाएगा? अभी जो धर्म सिंह छौक्कर कह रहे थे वह बात बिल्कुल सही है क्योंकि मुझे सोनीपत के किसान मिले, पानीपत के किसान मिले और करनाल के किसान मिले। वहां के किसानों ने खुलकर एक बात की चर्चा की कि हमें जो बौंडिंग की पर्चियां मिलती हैं उसके मुताबिक हमारी फसल उससे दो–ढाई गुणा ज्यादा है और बाकी जो गन्ना बचता है उसको हमें या तो पिराई के लिए गुड़ के लिये देना पड़ता है या फिर अगर किसी दूसरे शुगरमिल को बेचकर आते हैं तो उसको यू.पी. में लेकर जाना पड़ता है और यू.पी. में जो प्राइवेट मिले हैं वह जब किसान का गन्ना खरीदती है तो किसान की पेमेंट रोक लेती है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी यहां सदन में बैठे हुए हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि पिछले तीन साल से उनके निर्वाचन क्षेत्र करनाल के किसानों, सोनीपत के

किसानों और पानीपत के किसानों का जो गन्ना उत्तर प्रदेश में गया है, उसकी पेमेंट्स आज तक भी नहीं हुई हैं। आज भी ये किसान अपनी पेमेंट को लेकर बार बार चक्कर काट रहे हैं जिसकी वजह से उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है और हरियाणा की सरकार बार–बार किसान हित की बात करती हुए किसान की आय दोगुनी करने की बात करती है, यदि यह सरकार किसान का हित करना ही चाहती है तो कम से कम उन किसानों को उनका पैसा मिल जाये इसके लिए वहां के मुख्यमंत्री जी से बात करनी चाहिए और ऐसा करके यू.पी. के प्राइवेट मिल वालों से पैसा दिलवाने का काम करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात करती है लेकिन यह तो जब होगा जबकि सरकार 'कैप' सिस्टम को हटाने का काम करेगी और एक एकड़ से किसान का 600 क्विंटल गन्ना खरीदने का काम किया जाये लेकिन 600 क्विंटल गन्ना खरीदने की बात तो सरकार करती ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं कल भी इसी विषय पर बात करते हुए कह रहा था कि सरकार ने जो सरसों की खरीद की है उसकी भी यही हालत है। किसान की प्रति एकड़ से मुश्किल से 25 क्विंटल ही सरसों की खरीद की जाती है जबकि किसान के खेत में प्रति एकड़ 150–150 क्विंटल सरसों पैदा होती है और इस तरह से उस किसान को बाकी बची सरसों बाजार में 1000 रूपये प्रति क्विंटल सस्ते रेट पर बाजार में बेचकर आनी पड़ती है तो अगर किसान अपनी फसल सस्ते में बेचकर आयेगा तो सरकार उसकी आय दोगुनी कैसे करेगी? सरकार के पास कौन सा ऐसा जादुई तरीका है जिससे वह पलक झपकते ही किसान की आय को दोगुना कर देगी। अध्यक्ष महोदय, गन्ने का रेट बढ़ाना समय की मांग है। (विघ्न)

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल): अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे एक कांग्रेस पार्टी के साथी बोल रहे थे कि गन्ने की प्रति एकड़ फसल पर कुल मिलाकर एक लाख रूपये का खर्चा आता है और अभय जी कह रहे हैं कि प्रति एकड़ 600 क्विंटल गन्ना पैदा होता है। अगर इस हिसाब से देखें तो गन्ने का जो रेट चल रहा है उस हिसाब से एक एकड़ का गन्ना दो लाख चार हजार रूपये का बिक गया। अब जब लागत एक लाख है और बिकता दो लाख चार हजार का है तो फिर किसान को घाटा कहां रहा?

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी कांग्रेस के सदस्यों की बात को मेरी बात से क्यों जोड़ रहे हैं। मैं जो कह रहा हूँ माननीय मंत्री जी को वह बात सुननी चाहिए और केवल मेरी ही बात का जवाब देना चाहिए। ये कांग्रेस के लोग तो सरकार के साथ मिले हुए हैं। मैं तो लट्ठ बरगा अकेला खड़ा हूँ और सरकार को केवल मेरी बात सुननी चाहिए और किसी अन्य पार्टी के सदस्यों के साथ मेरी बात को नहीं जोड़ना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, सरकार, कांग्रेस के साथ मिली हुई है और बिना मतलब के कामों पर सदन का समय बर्बाद कर रही है। अभी जो ध्यानाकर्षण सूचना का मामला था उस पर सरकार और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर सदन का करीबन डेढ़ घंटा खराब कर दिया। अध्यक्ष महोदय, अगर आज सदन में किसी विषय पर बात करने जरूरत है तो वह सबसे पहले नशे की समस्या है जिस पर एडजर्नमैंट नोटिस तक दिया गया है लेकिन सरकार ने उस पर चर्चा तक नहीं कराई और मुझे तो ऐसा लगता है कि जब इस विषय पर चर्चा कराने का समय आयेगा तो कह दिया जायेगा कि समय नहीं बचा है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी अपना रिप्लाई देना है इसके लिए इस पर अब चर्चा नहीं की जायेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जितनी भी शुगर मिलें हैं चाहे चाहे प्राइवेट मिलें हैं या चाहे कोआपरेटिव शुगर मिलें हैं, किसान जब इन मिलों में अपना गन्ना डालकर आता है तो क्या किसान की पेमेंट 15 दिन के अंदर नहीं कर दी जानी चाहिए? पंजाब शुगरकेन एक्ट के मुताबिक अगर किसान के गन्ने की 15 दिन में पेमेंट नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में उसको गन्ने की वास्तविक कीमत से 15 परसेंट कीमत बढ़ाकर किसान को पेमेंट देनी होगी। वही एक्ट हमारे यहां भी लागू होता है तो क्या ऐसी परिस्थिति में क्या सरकार इस एक्ट के मुताबिक किसान को पेमेंट लेट होने की अवस्था में गन्ने की वास्तविक कीमत से 15 परसेंट ज्यादा पेमेंट दिलवाने का काम करेगी? अध्यक्ष महोदय, आज भी किसानों की पेमेंट मिलों में रूकी हुई है। जहां तक मिलों में गन्ने की पिराई का सवाल है इसके बारे में अखबारों के अंदर जो खबरें छपी हैं मैं उनके बारे में बताता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र करनाल जिले के किसान लगातार गन्ने के मसले पर धरने और प्रदर्शन कर रहे हैं। इस संबंध में अखबार में खबर छपी है कि किसानों की पंचायत ने किया कल महापंचायत बुलाने का फैसला। यह कही और नहीं हो रहा बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र करनाल में ऐसा हो रहा है। इस मीटिंग में किसानों ने फैसला किया कि गन्ने

का जो लागत मूल्य है उन्हें उससे कम पैसा मिलता है इसलिए सरकार को गन्ने की कीमत को बढ़ाने का काम करना चाहिए। अब ऐसी परिस्थिति में सरकार को किसान के गन्ने की कीमत बढ़ाने का काम करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के खुद के निर्वाचन क्षेत्र के किसान गन्ने के रेट के मामले में संतुष्ट नहीं हैं और गन्ने के दामों के प्रति असंतुष्टता जाहिर करते हुए पलवल के किसानों ने तो एक बड़ा आंदोलन चलाया है और बहुत लंबे समय तक उन्होंने इस विषय पर मिल के आगे धरना भी दिया। यहां पर हजारों की संख्या में किसान इक्ट्ठे होकर धरने पर बैठ गए थे। डॉ. बनवारी लाल, जो सरकार में मंत्री है खुद यहां गए थे और काफी मशक्कत के बाद मिल की मशीन को चालू कराकर आए थे तब किसानों ने घेराव किया था और सरकार ने आश्वासन दिया था कि किसानों की जो दिक्कतें हैं उनको दूर करने का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, आज मैं इस शुगर मिल की हालत के बारे में सदन को बताना चाहता हूँ। सरकार जिस शुगर मिल में पिराई की शुरूआत करने जा रही थी, उस शुगर मिल को लगभग 24 करोड़ रुपये की लागत से रि–मॉडिफाई करेंगे यह सरकार की तरफ से तय किया गया था। इस प्रकार से सरकार ने इस शुगर मिल की रि–मॉडिफाई के लिए 24 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था और उसमें से 12 करोड़ रुपये खर्च भी कर दिए थे। उस शुगर मिल में पिराई की मशीनों के मुताबिक लगभग 16 हजार क्विंटल गन्ने की हर रोज पिराई होनी चाहिए था। लेकिन शुगर मिल बड़ी मुश्किल से 2 से 3 घंटे ही चलती थी, बाकी समय ब्रेक डाउन ही रहती थी। जब किसानों का गन्ना शुगर मिल में गया हुआ हो और उसकी पिराई नहीं हो रही हो तो वह गन्ना पड़े–पड़े सूखने लगता है। इस प्रकार से गन्ने का वजन कम होता जायेगा। उन किसानों ने जिन्होंने अपनी ट्रॉलियां गन्ने से भर कर शुगर मिल के अंदर या शुगर मिल के बाहर खड़ी कर रखी हैं उस शुगर मिल ने उन गन्ने से भरी ट्रॉलियों को तोलने का काम भी नहीं किया है कि उनकी ट्रालियों में कितना गन्ना है? इस प्रकार से गन्ना सूखने के कारण किसानों का बड़ा नुकसान हो रहा है। गन्ना किसानों को लेकर हुड्डा साहब और संबंधित मंत्री जी में कहसुनी हुई कि इसकी लागत क्या है। मैं कहता हूँ कि यह बात ठीक है कि लागत ज्यादा है। इसका भी एक कारण है क्योंकि महँगाई बढ़ रही है। इस प्रकार से डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इसलिए महँगाई बढ़ेगी तो फसल की लागत भी बढ़ेगी। खाद के दाम, कीटनाशक दवाइयों के दाम और गन्नों के बीज के दाम भी बढ़े हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा खेतों

में गन्ना काटने, छीलने व भराई करने की लेबर के रेट भी बढ़ रहे हैं। इन सबका खर्चा किसान के ऊपर ही आयेगा। यदि महँगाई कम हो तो ठीक है। यदि महँगाई बढ़ रही है तो गन्ना किसानों के रेट भी बढ़ने चाहिए। यदि सरकार गन्ना किसानों के रेट नहीं बढ़ायेगी तो सौ फीसदी जो गन्ना किसान हैं वे गन्ने की होली जलायेंगे। इसके लिए उन्होंने धरनें एवं रोष प्रदर्शन भी किए हैं। उन्होंने कहा है कि गन्ने को आग लगा देंगे। एक तरफ तो सरकार बार–बार किसान हितैषी होने की बात करती है और कहती है कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, हम किसानों को खुशहाल करेंगे और हम किसानों को पता नहीं किस जगह पर लाकर खड़ा करेंगे? लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने गन्ना किसानों को सड़कों पर रोष प्रकट करने के लिए मजबूर कर रखा है और शुगर मिल्ज के आगे धरना प्रदर्शन करने के लिए भी मजबूर कर रखा है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के हर जिले में जहां पर गन्ने की पैदावार होती है वहाँ पर गन्ना किसानों ने गन्ने का रेट बढ़वाने के लिए धरना प्रदर्शन किया हुआ है। जब किसान परेशान हैं तो फिर सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि उन किसानों को संतुष्ट किया जाये। इस प्रकार से महँगाई के हिसाब से सरकार को गन्ने का रेट बढ़ाना चाहिए। मेरे हिसाब से गन्ने का रेट 400 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, आप अपनी स्पीच शॉर्ट कर दें।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं अपशब्द नहीं कह रहा हूँ, केवल किसानों के बारे में ही सदन में कह रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, मैं भी आपको अपशब्द नहीं कह रहा हूँ बल्कि यह कह रहा हूँ कि बाकी माननीय सदस्यों को भी बोलना है, इसलिए आप अपनी स्पीच को शॉर्ट कर दें। अभय जी, हर सदस्य की बोलने की एक समय सीमा निर्धारित की हुई है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, सदन में बोलने से अच्छा यह है कि मैं बाहर प्रैस के सामने जाकर बोलूं। क्या यह बात अच्छी रहेगी।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, इस तरह का काम तो आप करते ही रहते हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और मैं किसानों के बारे में ही सदन में चर्चा कर रहा हूँ और आप कह रहे हैं कि अपनी स्पीच को शॉर्ट करे लें। इस बात के लिए भी सदन को दिक्कत है।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, चर्चा के लिए सदन को कोई दिक्कत नहीं है लेकिन बाकी माननीय सदस्यों को भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। उनको भी सदन में बोलने का राईट है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप पहले बाकी माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दीजिए, मैं बैठ जाता हूँ। धन्यवाद।

श्री बलराज कुंडू: अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर मैंने भी कॉलिंग अटैंशन मोशन दिया हुआ है, इसलिए मुझे भी संबंधित इशू पर बोलने के लिए समय दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: कुंडू साहब, इस विषय पर आपने कोई प्रस्ताव नहीं दिया है।

श्री बलराज कुंडू: अध्यक्ष महोदय, मैंने इसी विषय पर अपना कॉलिंग अटैंशन मोशन दिया था, परन्तु आपने उसे रिजैक्ट कर दिया। कोई भी नया माननीय सदस्य अच्छा सुझाव दे सकता है, इसलिए उसकी बात को सुनना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को एक बात बताना चाहूंगा और सभी माननीय सदस्य भी बड़े एक्सपीरियंस से अपनी बात रख रहे थे। मैं एक बात आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा और माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी 100 प्रतिशत सत्य बोला है कि जब संबंधित शुगर मिल्ज इतने बड़े लॉस में चल रहे हैं तो उन शुगर मिल्ज से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वे गन्ने के रेट्स बढ़ा देंगे। यह बहुत बड़ी जड़ है आप कोई भी बिजनेस का प्रौडक्ट ले लीजिए। उसमें जो रॉ मैटीरियल होता है और वह जिस भी फैक्टरी में जाता है। जब तक वह फैक्टरी प्रॉफिट में नहीं होगी, तब तक उस रॉ मैटिरियल का रेट नहीं बढ़ सकता है। मैंने इस बारे में इतना बड़ा कागजों का पुलिंदा बनाकर माननीय मुख्य मंत्री जी को दिया था। मैंने कल भी इसी विषय के बारे में अपनी बात रखी थी। पिछले 4–5 सालों का रिकार्ड देखें। पहले संबंधित शुगर मिल्ज का लॉस लगभग 12 से 13 करोड़ रुपये था, परन्तु आज कोई भी शुगर मिल ऐसी नहीं है जिसका लॉस 100 करोड़ रुपये से ज्यादा न हो। पिछले 4 साल में 3300 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है। आप इनकी जांच करवाएं। पलवल, कैथल

करनाल, रोहतक और पानीपत में किसानों ने जितने एजिटेशन किये हैं, उनमें किसानों ने यही ब्लेम लगाया था कि सभी शुगर मिल्ज में लूट चल रही है। आप इस मामले की जांच करवाएं, जिससे लॉस होने की सारी जड़ें अपने बाहर आ जाएंगी। इससे सभी चीजों का समाधान हो जाएगा। जब हमारे शुगर मिल्ज प्रॉफिट में होंगे तो किसानों के गन्ने की फसलों के भाव ऑटोमैटिक बढ़ जाएंगे। जब तक संबंधित शुगर मिल्ज लॉस में चलेंगे, तब तक किसानों के गन्ने के भाव नहीं बढ़ेंगे। यानी जब तक लॉस में चलेंगे, तब तक गन्ने के भाव कैसे बढ़ेंगे ? अध्यक्ष महोदय, यह लॉस नहीं बल्कि घोटाला है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि उसकी जांच करवायी जाए और सबसे पहले उन शुगर मिल्ज के घाटे को पूरा करें। सरकार द्वारा संबंधित घोटाले को बन्द करवाया जाए क्योंकि जब तक घोटाले बन्द नहीं होंगे। तब तक शुगर मिल्ज के लॉस कम नहीं होंगे। इसका नटशैल यही है। मान लीजिए, आप अपने लड़के को थानेदार बनाना चाहते हैं, लेकिन थानेदार बनने के पहले उसको टैस्ट देना पड़ेगा, फिजिक्ल टैस्ट क्लीयर करना पड़ेगा और फिर उसका मैरिट के आधार पर सैलेक्शन किया जाएगा। जब तक संबंधित शुगर मिल्ज का सिस्टम ठीक नहीं किया जाएगा, तब तक वे प्रॉफिट में नहीं आएंगे और प्रॉफिट में नहीं आएंगे तो गन्ने के रेट भी नहीं बढ़ेंगे।

.....

सदन के कार्यक्रम में परिर्वतन

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अगर सदन की अनुमति हो तो दूसरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को दिनांक 4.3.2020 को टेक अप कर सकते हैं क्योंकि आज बहुत सारे माननीय विधायकगण ऐसे हैं जो महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण पर नहीं बोले हैं। इसके अतिरिक्त आज ही आदरणीय लीडर ऑफ दि हाऊस ने उनका जवाब भी देना है। इसलिए समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए अगर सदन की अनुमति हो तो दूसरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को दिनांक 4.3.2020 को टेक अप कर लिया जाए।

.....

ध्यानाकर्शण प्रस्तावों की सूचनाएं

चौधरी आफताब अहमदः अध्यक्ष महोदय, मैंने पैडी प्रोक्यूरमैंट स्कैम के रिगार्डिंग एडजर्नमैंट मोशन दिया हुआ था, इसलिए उसका फैसला भी कर लें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आफताब जी, आपके एडजर्नमैंट मोशन पर भी फैसला कर दिया जाएगा।

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, मैंने भी हरियाणा शुगर फेडरेशन के शुगर मिलों की क्षमता बढ़ाने में अनियमितताओं बारे एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया हुआ था, परन्तु आपने उसको डिसअलाउड कर दिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अगर सदन की सहमति हो तो दूसरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को दिनांक 4.3.2020 को टेक अप कर लिया जाए। अगर माननीय सदस्यगण सहमत हों तो बताएं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, ठीक है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्य राव चिरंजीव और माननीय सदस्य श्री भारत भूषण बत्तरा के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को सरकार के पास कमैंट्स के लिए भेज दिया है और सरकार से कमैंट्स आने के बाद उसकी कॉपी संबंधित सदस्यों को सर्कुलेट करवा देंगे। माननीय सदस्यगण अब महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भ होगा।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि अभी संबंधित विषय पर माननीय सदस्यों को एक–एक सवाल और पूछने दें और उसके लिए सभी माननीय सदस्यों को एक–एक मिनट का समय दे दिया जाए।

श्री अध्यक्षः डॉ0 साहब, इस विषय पर 5 मैम्बर्ज पहले ही अपनी बात रख चुके हैं। अगर आप कहते हैं तो ठीक है। मैं आपकी पार्टी के एक माननीय को अपनी बात रखने के लिए समय दे देता हूं। अब माननीय सदस्य श्री बिशन लाल जी अपनी बात रखेंगे।

.....

ध्यानाकर्शण प्रस्तावों की सूचनाएं (पुनरारम्भ)

श्री बिशन लालः स्पीकर सर, जैसा अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि वे भी एक किसान हैं और उन्होंने भी गन्ने की फसल की बिजाई की है। उनकी यह बात ठीक है। मैं इस मौके पर सदन को अवगत करना चाहूंगा कि जो हमारे यमुनानगर, कुरूक्षेत्र और अंबाला की बैल्ट है, वह विशेष तौर पर गन्ने की फसल की बैल्ट है। अगर वहां पर एक किसान के पास 5 एकड़ जमीन है तो उसमें से कम से कम अढ़ाई एकड़ जमीन पर वह सिर्फ गन्ने की ही खेती करता है और बाकी बची हुई जमीन पर वह दूसरी फसलों की बिजाई करता है। इस प्रकार से

गन्ने के ऊपर यहां पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। स्पीकर सर, ऐसा है कि वहां पर एक सरस्वती शुगर मिल है और यह एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल है। यानी पूरे एरिया में एक नम्बर की शुगर मिल है। इसमें गन्ने की पिराई भी लगभग 1 लाख क्विंटल पर डे के हिसाब से होती है। जैसा कि यहां पर चर्चा में भी बात आयी है कि गन्ने का रेट कम हुआ है और इसके बारे में अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने भी माननीय मंत्री जी से भी सवाल पूछा है। स्पीकर सर, मैं जो बात यहां पर करूंगा वह तथ्यों के आधार पर ही करूंगा। अगर हम एक एकड़ जमीन का गन्ने की फसल पर खर्चा निकाले जिसमें खेत की जुताई, बुआई और दूसरी चीजें भी शामिल हैं तो उसमें आज के टाईम पर इन चीजों का कम से कम 5 हजार से कम खर्चा नहीं होता है। इस प्रकार से उसमें देशी खाद की 2 से 3 ट्रालियां डालते हैं जिसमें 7,000 से 8,000 रुपये के करीब खर्चा आता है। इसके अतिरिक्त बीज भी 30 से 35 रुपये तक प्रति क्विंटल के हिसाब से एक एकड़ में लगता है। जो कि आज के रेट के हिसाब से लगभग 15,000 से भी ऊपर का आता है। इस प्रकार से दवाइयां और कीटनाशक का एक एकड़ के हिसाब से 3,000 रुपये का खर्चा आता है। इसी प्रकार बिजाई की लेबर का भी एक एकड़ पर 3,000 रुपये के हिसाब से खर्चा आता है। इसी तरह से डी.ए.पी/यूरिया खाद डालने के लिए भी एक एकड़ में लगभग 3,000 करोड़ रुपये लगते हैं। इसी प्रकार दो बार गन्ने की बंधाई भी होती है, उसमें भी 4,000 रुपये का खर्चा आता है। इसके बाद फिर गन्ने की छिलाई का खर्चा आता है। इसमें आज से 5–7 साल पहले लेबर का खर्चा 18 से लेकर 20 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आता था, परन्तु आज वही खर्चा बढ़कर 50–60 रुपये प्रति क्विंटल के बीच में पहुंच गया है। यानी गन्ने की छिलाई के रेट भी बढ़ गये हैं और दूसरी चीजों के रेट भी बढ़े हैं। इसी प्रकार शुगर मिल्ज तक गन्ना पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन में भी लगभग 5,000 से 6,000 रुपये तक का खर्चा आता है। इसी प्रकार बिजली, पानी का खर्चा भी अलग से आता है। इन सभी चीजों के खर्चे मिलाकर प्रति एकड़ पर लगभग 70,000 रुपये का खर्चा आता है। अगर किसान अपनी मजदूरी लगाये और जमनी का ठेका भी इसमें शामिल करेगा तो प्रति एकड़ 1 लाख रुपये का खर्चा पहले से ही आ जाता है। अगर इन सभी चीजों को देखा जाए तो गन्ने का रेट बढ़ाया जाना चाहिए ताकि किसानों को लाभ हो सके। अभी माननीय सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला जी बोल रहे थे कि किसानों की एक एकड़ में लगभग 600 क्विंटल प्रति

एकड़ की पैदावार होती है। स्पीकर सर, हमारे एरिया में एक एकड़ में इतना गन्ना नहीं निकलता है। अभी माननीय मुख्य मंत्री जी भी यहां पर बैठे नहीं हैं। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि वहां पर 300 से 350 क्विंटल गन्ना प्रति एकड़ में पैदा होता है और इससे ऊपर गन्ने की पैदावार की एवरेज नहीं निकलती है। आज के हिसाब से किसानों की प्रति एकड़ गन्ने की फसल के रेट लगाएं तो 1,20,000 रुपये की आमदनी होती है, परन्तु उसका खर्चा भी लगभग उतना ही होता है। आप यह बताएं कि किसानों के पास क्या बचेगा ? अभी एक बात का जिक्र आया था कि शुगर मिल्ज की आमदनी के हिसाब से गन्ने की फसलों के रेट्स बढ़ाये जाने चाहिएं। स्पीकर सर, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि शुगर मिल्ज चीनी का रेट तो देख लेते हैं, परन्तु दूसरी चीजों को नहीं देखते। अभी माननीय सदस्य श्री बलराज सिंह कुंडू जी ने अपनी बात रखी है, वे भी अपनी जगह पर ठीक हैं। इसमें शीरा भी निकलता है जिसका रेट तकरीबन मार्केट में 700 रुपये प्रति क्विंटल रहता है और ये शीरा भी संबंधित शुगर मिल्ज बेचते हैं। इसी प्रकार मैला भी निकलता है और उसका रेट प्रति क्विंटल 80 रुपये होता है। इसके अतिरिक्त खोई भी निकलती है जिसको पेपर मिल्ज में 200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बेचा जाता है। इसी प्रकार से जो चीनी का रेट है, वह अगर 30–31 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से है तो भी ऐसी बात नहीं है कि गन्ने का रेट बढ़ नहीं सकता है। स्पीकर सर, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है और मेरा माननीय मंत्री जी से भी कहना है कि गन्ने का रेट बढ़ाया जाए। यह सभी माननीय सदस्यों की डिमांड भी है। गन्ने का रेट प्रति क्विंटल 400 रुपये कर दिया जाए, तभी किसानों को लाभ होगा। अब तक तो किसानों की गन्ने की फसल पर उतनी ही लागत आती है और उतने की ही पैदावार होती है। इस प्रकार से किसानों की आमदनी दोगुनी कैसे होगी ? सरकार कह रही है कि हम किसानों की आमदनी दोगुना कर देंगे, परन्तु किसानों की आमदनी जब तक दोगुनी नहीं होगी तब तक उनके गन्ने की फसल के रेट नहीं बढ़ाये जाएंगे। इसलिए सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए और सरकार को गन्ने की फसल की लागत के हिसाब से फौरी तौर पर इसके रेट बढ़ा देने चाहिए।

.....

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा पुनरारम्भ तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भ होगा।

श्री महीपाल ढांडा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके पास पिछले 3–4 दिनों से माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए पर्चियां भेज रहा था लेकिन आज आपने मुझे बोलने का समय दे ही दिया, मैं इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद और शुक्रिया करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं पुनः आपका धन्यवाद करता हूं कि सरकार ने वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने का जो निर्णय लिया है। अध्यक्ष महोदय, सही मायने में हमारी सरकार के क्या विजन है, उनको दर्शा रहा है कि सरकार की जो नीतियां और योजनाएं हैं, उन नीतियों और योजनाओं को हर विभाग प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करे और इसमें जो अधिकारी और कर्मचारी इस काम की आउटपुट देंगे, उनको वर्तमान सरकार 25 दिसम्बर, 2020 को सम्मानित करने का काम करेगी और मैं समझता हूं कि उन कर्मचारियों और अधिकारियों के हौंसलों को उड़ान देने वाला एक कदम होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों को बड़े ध्यान से सुन रहा था कि जिस दिन से इस महान सदन में माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हुई थी, उस दिन मैं सामने के बैंचों पर बैठे हुए हमारे सम्मानित सदस्यों को बड़े गौर से देख रहा था, उनको सुन रहा था और महसूस भी कर रहा था कि पिछले 5 वर्षों में पहली बार सामने वाले बैंचों पर बैठे हुए सम्मानित सदस्यों के चेहरे पर खुशी की झलक नजर आ रही थी। अध्यक्ष महोदय, मैं यह सोच कर हैरान हुआ कि इनको खुशी क्यों हुई है, मगर मुझे कारण ध्यान में आया कि सामने बैंच पर सम्मानित सदस्य राव दान सिंह जी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं इसलिए मैं राव दान सिंह जी को बहुत–बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इनके आ जाने से वेंटिलेटर पर पड़ी हुई कांग्रेस पार्टी को इन्होंने उस दिन ऑक्सीजन दी और इनके साथ बैठे हुए सम्मानित सदस्यों ने भी थोड़ा सा मुस्कराने का हौंसला दिखाया। उसके बाद इन सभी ने यहां पर बड़ी धुआंधार बैटिंग की और बड़े जोर–शोर से बोले। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : महीपाल जी, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा की रिप्लाई तो माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे, प्लीज आप अपने हल्के से संबंधित बात कीजिए।

श्री महीपाल ढांडा : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात ही कर रहा हूं क्योंकि मैंने इनके प्वॉयंट्स नोट किए थे, मैं उन्हीं प्वॉयंट पर अपनी बात सदन में रख रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : महीपाल जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि उन प्वॉयंट्स का जवाब तो लीडर ऑफ दि हाउस ही देते हैं इसलिए आप सदन में अपनी बात ही कहें।

श्री महीपाल ढांडा : अध्यक्ष महोदय, ठीक है, मैं सदन में अपनी बात ही रखूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि विपक्ष के सदस्य झूठ पर झूठ बोलते गये और इन्होंने यह झूठ बोला कि किसानों की फसल की खरीद नहीं हुई। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि किसानों की फसल की खरीद कहां पर नहीं हुई? हमारी सरकार ने किसानों की हर फसल की खरीद की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनको कहना चाहता हूं कि माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में सरकार का पूरा का पूरा विजन बताया कि प्रदेश में कितने मीट्रिक टन सूरजमुखी खरीदी, कितनी मीट्रिक टन सरसों खरीदी और कितना मीट्रिक टन बाजरा खरीदा। इसके बाद इन्होंने कहा कि किसान की फसल पर 25 क्विंटल तक की कैप लगा दी। मैं सदन में यह कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में ज्यादातर छोटे किसान हैं और हमारी सरकार ने हर किसान की फसल को खरीदने के लिए 25 क्विंटल तक का प्रावधान कर रखा है। मैं समझता हूं कि प्रदेश के सभी किसान लगभग 90 प्रतिशत से ज्यादा कवर हो जाते हैं। हमारी सरकार ने किसानों की फसलों को खरीदने का ऐसा सिस्टम बनाया है कि आज तक ऐसा सिस्टम किसी भी सरकार ने नहीं बनाया होगा। इसके अलावा सरकार ने इसी कडी के तहत एक नया कदम भी उठाया है कि ''मेरी फसल मेरा ब्यौरा'' के माध्यम से फसलों की खरीद की जायेगी लेकिन इस योजना को भी कुछ लोगों ने ढकोसला बताया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार को पता नहीं होना चाहिए कि हरियाणा प्रदेश में कितनी लैंड पर कितना गन्ना बोया गया, कितनी जीरी बोई गई, कितना गेंहू बोया गया, कितनी सरसों बोई गई, कितना बाजारा बोया, कितनी मूली, शलगम, प्याज और अन्य फसलें/सब्जियां बोई गईं? अगर इन फसलों/सब्जियों का रिकॉर्ड सरकार के पास होगा तो हमें आने वाले दिनों में किसानों की फसलों/सब्जियों की खरीद में आने वाली जो समस्या होती हैं, वह समस्या भी दूर होगी और उसकी व्यवस्था और उसका प्रबंधन करने में सरकार को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अध्यक्ष

महोदय, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए इतनी अच्छी योजना देने का काम किया है मैं समझता हूं कि शायद ही ऐसा किसी सरकार ने किया हो। **(इस समय सभापतियों की सूची में एक सदस्य श्री असीम गोयल चेयर पर आसीन हुए।)**

श्री बि□ान लाल सैनी : सभापति महोदय, सरकार ने किसानों की 25 क्विंटल फसल सिर्फ कागजों के माध्यम से ही खरीदी है।

श्री महीपाल ढांडा : बिशन लाल जी, अगर मैंने कोई ऐसी बात कह दी तो विपक्ष के नेता से लेकर सभी सदस्यों के स्प्रिंग लग जाएंगे। सभापति महोदय, मैं इस संबंध में यही कह रहा था कि ''मेरी फसल मेरा ब्यौरा'' योजना का इतना बड़ा काम है कि हमारे किसानों को प्रदेश में कोई भी समस्या आ जाये तो उसमें यह है कि हम लोग उस समस्या को आने से पहले ही उसका समाधान कैसे करें। अध्यक्ष महोदय, हमारे किसान भाईयों के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की सरकार ने एक बहुत अच्छा सिस्टम उपलब्ध करवाया है। अध्यक्ष महोदय, इन्हीं कारणों की वजह से हमारी सरकार को पता लगेगा कि ''भावांतर भरपाई योजना'' में कौन सा ऐसा किसान है, जिस किसान को इसका लाभ नही मिला है, कई बार किसान लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। अगर वह किसान ''मेरी फसल मेरा ब्यौरा'' योजना के अंतर्गत आ गये हैं तो उस किसान को फसल में किसी भी तरह का नुकसान होता है तो किसान को ''भावांतर भरपाई योजना'' के माध्यम से मुआवजा लेने में कोई कठिनाई नहीं आयेगी। यह इतनी अच्छी योजना है लेकिन सामने बैठे कुछ लोग यह बोल रहे थे कि यह भावांतर भरपाई योजना क्या है और इस भावांतर भरपाई योजना में वास्तव में हुआ क्या है? मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी द्वारा 10 करोड़ रूपये से ज्यादा की धनराशि प्रभावित किसानों के खातों में सीधे–सीधे डाल चुके हैं। स्पीकर सर, हमारी सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रदेश के सभी किसानों की सभी फसलों को खरीदा है। इतना ही नहीं किसानों की उपज की पेमेंट भी सीधे–सीधे उनके खातों में डालने का काम हमारी सरकार द्वारा किया गया है। सभापति महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि यहां पर कांग्रेस पार्टी के माननीय साथियों द्वारा हरियाणा प्रदेश में हो रहे दूध उत्पादन के बारे में भी बात की गई। ये यह तो मानते हैं कि हरियाणा प्रदेश में दूध उत्पादन बढ़ा है लेकिन इन लोगों का यह भी कहना है कि कहीं हरियाणा प्रदेश में दूध उत्पादक भाईयों द्वारा दूध के नाम पर

जहर का तो उत्पादन नहीं किया जा रहा है? सभापति जी, मेरी आपसे यह रिकवैस्ट है कि कांग्रेस पार्टी के लोगों को इसके लिए सदन में माफी मांगनी चाहिए। (विघ्न)

श्री सभापति : महीपाल जी, आप कृपया गवर्नर एड्रैस पर ही अपनी बात रखें। (शोर एवं व्यवधान) महीपाल जी आप जल्दी कंक्लूड करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मही पाल ढाण्डा : सभापति महोदय, कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा यहां पर बहुत से हवाई फॉयर किये गये। हांसी–बुटाना नहर का जो हवाई फॉयर था वह तो इतना जबरदस्त था कि उससे एक मच्छर भी नहीं मरा। मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि ये इस बात की जानकारी सदन में दें कि कांग्रेस पार्टी की सरकार के शासनकाल में हरियाणा प्रदेश में कुल कितने एकड़ जमीन की सिंचाई हांसी–बुटाना से हुई है? ये यहां पर इसी प्रकार की हवाई बातें करते हैं जिनमें हकीकत में कुछ होता नहीं है। कांग्रेस पाटी के माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि जो जी.एस.टी. तो हमारी नकल है क्योंकि जी.एस.टी. को तो हमारी सरकार लेकर आई थी। में इनसे यह पूछना चाहता हूं कि अगर जी.एस.टी. को इनकी सरकार लेकर आई थी तो इन्होंने उसको लागू क्यों नहीं किया। इनकी ऐसी प्रवृत्ति है और ये यही कहना चाहते हैं कि अगर जी.एस.टी. इनकी सरकार द्वारा लागू किया जाता तो तब तो वह ठीक होता और अगर हमारी पार्टी की केन्द्रीय सरकार ने जी.एस.टी. को लागू कर दिया है तो फिर उसके बारे में इनके शीर्षस्थ नेता बोलते हैं कि यह तो गब्बर सिंह टैक्स है। यह तो उसी प्रकार से कमाल हो गया कि इनका प्यार तो प्यार और हमारा प्यार पंगा। अगर हमारी सरकार जी.एस.टी. को लागू करती है तो ये कहते हैं कि यह गलत है और अगर इनकी योजना थी तो फिर क्या इनकी यह योजना ठीक थी। (शोर एवं व्यवधान) सभापति जी, ये यहां पर अखबारों की बड़ी–बड़ी खबरें लेकर आये और उनमें पढ़कर यह बताया गया कि देखो हरियाणा का नाश हो गया, मर गये। हमने पूछा कि भाई यह तो बताओ कि कहां पर मर गये तब ये अखबार दिखाते हैं और कहते हैं कि यह अखबार में छपा हुआ है। मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या इनको उस समय के अखबार की एक भी कटिंग नहीं मिली जिसमें इनकी सरकार के समय के तमाम मंत्री और विधायक जो सी.एल.यू. की दुकान खोलकर बैठे थे और 2–2 करोड़ रूपये में प्रति एकड़ के हिसाब से सी.एल.यू. देते थे। क्या इनको उस समय की ऐसे अखबारों की कटिंग्स नहीं मिली। इनकी पार्टी के जो नेता माननीय सुप्रीम

कोर्ट द्वारा दोषी करार दिये गये हैं उनके सम्बन्ध में इनको अखबार की कोई कटिंग नहीं मिली कि ये देखो हमारे नेताओं के कारनामे। क्या इस प्रकार के अखबारों की कटिंग को इन्होंने सदन में दिखाने का साहस किया? (विघ्न) सभापति महोदय, एक बात कांग्रेस पाटी के माननीय सदस्यों ने यह भी कही कि हमने लैंड मॉर्टगेज का भट्ठा बिठा दिया। मैं इनको यह बताना चाहूंगा कि हमने लैंड मॉर्टगेज बैंक का भट्ठा नहीं बिठाया अपितु लैण्ड मॉर्टगेज बैंक और को–ऑपरेटिव बैंक के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के किसानों को जो समय पर लोन की अदायगी करते हैं उनको हमारी सरकार ने बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध करवाया। प्रदेश के ऐसे अनेको अनेक किसान जो किसी कारणवश अपने ऋण की अदायगी नहीं कर पा रहे थे और जो डिफॉल्टर हो गये थे उनको भी हमारी सरकार ने एकमुश्त योजना चलाकर One time settlement के माध्यम से उनका 23 करोड़ रूपये से ज्यादा का कर्ज हमारी सरकार द्वारा माफ किया गया है।

श्री सभापति : महीपाल जी, आप कृपया करके सम–अप कीजिए। सभापति महोदय, मैं तो यही कहूंगा कि एक विषय सम्मानित चेयर ने भी उठाया था कि हरियाणा एक–हरियाणवी एक, भारत एक भारतीयता एक। मैं कहता हूं कि उस पर इन लोगों को भी अमल करना चाहिए लेकिन वे अमल करेंगे कहां से? इनके बारे में तो मुझे एक शेर याद आ रहा है कि हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। अगर हर शाख पर उल्लू बैठा हो तो ये क्या जानें हरियाणा एक–हरियाणवी एक, ये क्या जाने भारत एक भारतीयता एक?

श्री सभापतिः ढांडा साहब, आप इसको कंकल्यूड कीजिए।

श्री महीपाल ढांडाः सभापति महोदय, मैं कंकलूड कर रहा हूं। यहां पर शुगर मिल का भी एक विषय उठाया गया था। उस विषय में हमारे आदरणीय बतरा जी द्वारा एक बहुत बड़ी बात पानीपत और रोहतक की शुगर मिल के बारे में बोली गई है। मैं आपके माध्यम से उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि हम सभी लोगों को एक डाटा निकलवा कर दिया जाये कि कांग्रेस के समय में रोहतक शहर में जो शुगर मिल थी उसको उठा कर भाली आनंदपुर गांव में 2009 में स्थापित किया गया था। मैं पूछना चाहता हूं कि उस समय एक बहुत बड़ा स्कैंडल रोहतक में भी और अखबारों में खूब उछला था। उसकी वजह यह थी कि जो शुगर मिल शुरू की गई उसमें चीनी का उत्पादन हुआ ही नहीं और जब मैंने इसकी जानकारी लेने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि उस शुगर मिल में से जो चीनी पैदा हुई है वह

20,000 /– प्रति किलोग्राम पड़ी है। इतना बड़ा स्कैंडल हुआ क्या उसका जिक्र कभी इस सदन में हुआ? रोहतक शुगर मिल में आज तक कितना बड़ा घपला और घोटाला हुआ है उसकी एक लिस्ट दी जाए तथा यह भी बताया जाए कि आज हमारी सरकार में उस मिल में कितनी चीनी बन रही है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री सभापतिः महिपाल जी, आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें और भी बहुत से सदस्यों को बोलना है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अमित सिहाग : सभापति महोदय, माननीय साथी इधर–उधर की बातें करके हाउस का समय बर्बाद कर रहे हैं। अभी और भी बहुत से सदस्यों को अपनी बात रखनी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री महीपाल ढांडाः सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को कहना चाहता हूं कि मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है इसके बारे में मुझे न सिखाएं। मुझे क्या बोलना है इसकी जानकारी मुझे है। सभापति महोदय, अब में पीने के पानी के बारे में अपनी बात रखना चाहता हूं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा गया है कि हर घर को नल के माध्यम से पीने का पानी मुहैया करवाया जायेगा। इसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी की जो "जल मिशन योजना" है उसके तहत हर घर को नल के माध्यम से पीने का पानी मुहैया करवाया जायेगा और यह एक बहुत अच्छी योजना है। इस योजना को अगले 2 साल में पूरा करने के लिए जो विजन रखा गया है, मैं समझता हूं कि यह हमारे लिए मील का पत्थर साबित होगा। उसके लिए जो कनैक्शन के 2 हजार रुपये लगने थे उसके बारे में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वह कनैक्शन भी हम फ्री लगायेंगे। सभापति महोदय, अब मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की एक बात रख कर अपनी वाणी को विराम दूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछले सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 79 कालोनियों को वैध किया था। उन्हीं कालोनियों में हमारी बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज भी हैं। उन्हीं कालोनियों में इंडस्ट्रीज भी हैं और उनके कर्मचारियों के घर भी हैं। सर, मेरा निवेदन है कि जिस तरीके से हमारी कालोनियों को वैध किया गया है उसी तरीके से उसी पैटर्न पर जो इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं अगर उनको भी रेगुलराईज किया जाए तो मैं समझता हूं कि उसमें हमारे लोगों को दुगुना लाभ मिलेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूशण बतरा : सभापति महोदय, मेरी टर्न है प्लीज आप मुझे बोलने दीजिए।

श्री सभापति : बतरा जी, मैंने मामन खां का नाम लिया है। प्लीज आप बैठिये। हर बार आप खड़े हो जाते हैं। यह ठीक बात नहीं है।(शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूशण बत्रा : सभापति महोदय, यह कोई तरीका नहीं है। जिस आदमी को पता ही नहीं है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। आप उसको बोलने दे रहे हैं।(शोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति : बत्रा जी, आप आराम से बात करिये। आपका बात करने का तरीका ठीक नहीं है। आप बैठिये।(शोर एवं व्यवधान)

चौधरी मामन खान : सभापति महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में नागरिकों को गुणवत्ता और आधुनिकता से भरपूर सेवाएं प्रदान करने की चर्चा की है तथा कुछ मुख्य सेवाएं निःशुल्क प्रदान करने का भी वादा किया है।(शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूशण बत्रा : सभापति महोदय, आपका यह तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है।

श्री सभापति : बत्रा जी, पहले आप अपने तरीके को ठीक कीजिए। आपके साथी बोल रहे हैं। आपको यहां बैठने की इतनी लयाकत होनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी मामन खान : सभापति महोदय, ताजा आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में लगभग 750 डॉक्टरों की अभी भी कमी बनी हुई है जबकि सरकार को सत्ता में आए हुए लगभग साढ़े पांच साल हो गये हैं। आज आम आदमी की सोच है कि अगर सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर उपलबध नहीं होंगे तो जनता को स्वास्थ्य सेवाएं कैसे उपलब्ध हो पाएंगी? हकीकत में सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर व पैरा मैडिकल स्टाफ की भारी कमी है जिसके कारण जनता को प्राईवेट होस्पिटलों में डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है जहां उनको पैसा भी अधिक खर्च करना पड़ता है। कई सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य संबंधी उपकरण उपलब्ध नहीं हैं। कहीं अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, कहीं एक्सरे मशीन नहीं है और जहां उपकरण उपलब्ध हैं तो वहां

तकनीकी स्टाफ नहीं है। वहां रेडियोलोजिस्ट, सोनोलोजिस्ट नहीं हैं। तकनीकी स्टाफ न होने के कारण वहां लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।

श्री सभापति : मामन खां जी, क्या आप पढ़कर ही बोलेंगे। **(इस समय उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)**

चौधरी मामन खान : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने वर्ष 2014 में अपने घोषणा पत्र में यह वादा किया था कि हर जिले में एक मैडिकल कॉलेज, एक अस्पताल बनाया जाएगा। अब आपकी सरकार को बने हुए लगभग साढ़े पांच साल हो गये हैं लेकिन आज भी सरकार कहीं पर कोई होस्पिटल शुरू नहीं कर पाई है। राज्य में 501 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुले हुए है जो इस समय केवल 366 केन्द्र ही काम कर रहे हैं जोकि 27 प्रतिशत की कमी को दर्शाता है। ग्रामीण आंचल में स्वास्थ्य सेवाओं की बेहद कमी को देखते हुए ग्रामीण तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एंबुलैंस की सेवाओं की उपलब्धता को सह सुनिश्चित करें। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे मेवात में भी एक नलहड़ मैडिकल कॉलेज है और एक माण्डी खेड़ा में होस्पिटल है लेकिन उसमें आज तक भी रेडियोलोजिस्ट, सोनोलोजिस्ट नहीं दिये गये हैं। यहां तक कि वहां मैडिकल कॉलेज बहुत बड़ा है वहां भी कोई रेडियोलोजिस्ट नहीं है। जब वहां रेडियोलोजिस्ट नहीं है तो किस तरह तो एम.आर.आई करेंगे, किस तरह सी.टी.स्कैन करेंगे तो फिर बीमारियों का पता कैसे लगाया जाएगा कि किस मरीज को क्या बीमारी है। अतः मेरा आपसे आग्रह है कि हमारे वहां ये सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। मेरे हल्के में एक बहुत बड़ा गांव साकरस है जिसमें वर्ष 2012 में तकरीबन 26000 की आबादी थी लेकिन वर्ष 2012 से लेकर अब तक उस गांव की आबादी लगभग 30000 से ज्यादा है और सरकार की पोलिसी में ये है कि जहां 30000 से ज्यादा आबादी हो वहां एक पी.एच.सी. बनाई जाए। उस गांव में पिछले तीन सालों में कम से कम 72 आदमियों की कैंसर नामक बीमारी से मौत हुई है इसलिए इतने बड़े गांव में सब स्टेशन की जगह पी.एच.सी. बनाई जाए ताकि उस गांव के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में डॉक्टर्ज की बहुत कमी है मगर जो डॉक्टर्ज हैं वे सिर्फ और सिर्फ एम.एल.आर. काटने के अलावा और कुछ नहीं करते हैं। उनका मकसद एक ही है कि पैसा कैसे कमाया जाए। मैं यह कहता हूं कि वहां जितने भी डॉक्टर्ज हैं अगर गांव में कोई भी झगड़ा हो जाता है और उनमें से कोई भी अपने

शरीर पर कुछ ब्लेड मार कर आ जाते हैं तो वह डॉक्टर्ज सीधा शार्प लिखते हैं ताकि उनका पुलिस में केस दर्ज हो जाए उसके बाद फिर पुलिस उनको लूटती है। इस तरह की स्थिति मेवात में डॉक्टर्ज और पुलिस के आफिसर्ज ने बना रखी है जिसमें सुधार लाने की बहुत जरूरत है। माननीय गृह मंत्री जी सदन में बैठे हुए हैं उनको इन बातों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश में पिछले पांच सालों में महिलाओं, दलितों, व्यापारियों व आम नागरिकों के साथ अपराधों में निरंतर वृद्धि हो रही है। वर्ष 2019 के हरियाणा स्टेट क्राइम ब्यूरों के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में कुल 1066 हत्यायें, 1653 बलात्कार, 3513 अपहरण, 18644 महिलाओं के विरूद्ध अपराध तथा 817 अनुसूचित जाति के लोगों के विरूद्ध घटनायें हुई हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार कानून एवं व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं करना चाहती है।(घंटी)

उपाध्यक्ष महोदयः मामन जी आप एक मिनट में अपनी बात पूरी करें। आपको बोलते हुए काफी समय हो गया है। अतः आप प्लीज बैठिए।

चौधरी मामन खानः उपाध्यक्ष महोदय, मैं बस एक मिनट में अपनी बात पूरी कर लूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा प्रदेश में कानून व व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ का मिशन हरियाणा में शुरू किया था लेकिन बावजूद इसके हरियाणा में जिस प्रकार से महिलाओं के विरूद्ध अपराधों में निरंतर वृद्धि हो रही है इससे स्पष्ट हो जाता है कि हरियाणा सरकार महिलाओं और नाबालिगों को सुरक्षा देने में नाकाम है।(घंटी)

उपाध्यक्ष महोदयः मामन जी आप आप प्लीज बैठिए और अपना लिखा हुए हमें दे दीजिए। निश्चित रूप से इसको प्रोसिडिंग्ज का पार्ट बना दिया जायेगा।(शोर एवं व्यवधान)

चौधरी मामन खानः उपाध्यक्ष महोदय, मैं बस एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा उसके बाद मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। अतः आप जनाब से अनुरोध है कि मुझे मेरी बात पूरी कर लेनी दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदयः मामन जी, आपको बस एक मिनट में अपनी बात पूरी करनी है। उसके बाद आपको समय नहीं दिया जायेगा।

चौधरी मामन खानः उपाध्यक्ष महोदय, ठीक है मैं एक मिनट में अपनी बात पूरी कर दूंगा। अब मैं पुलिस के रवैये पर अपनी बात सदन में कहना चाहूंगा। हमारे क्षेत्र में जितने भी वैवाहिक झगड़े के जो मामले हो रहे हैं उनमें मेवात की पुलिस सीधे–सीधे 376–डी के तहत केस दर्ज करती है। लड़के की मां, बाप, भाई या फिर चाहे चाचा ही क्यों न हो उनके खिलाफ इस धारा के तहत केस दर्ज कर दिए जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या वैवाहिक मामलो के झगड़े में बलात्कार की धारा 376–डी लग सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, इस धारा के तहत केस बनाकर पुलिस न जाने किस–किस तरह से टार्चर करती है और फिर धारा 376–डी के तहत फंसे लोगों को इससे बाहर निकालने के नाम पर गोरख धंधा किया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, इस धारा के तहत पहले एस.एच.ओ. केस दर्ज करता है फिर यह केस डी.एस.पी. के पास जाता है और वहां से फिर दूसरे डी.एस.पी. के पास जाता है। कुल मिलाकर कहने का भाव यह है कि मेवात मे डॉक्टर्ज और पुलिस ने मिलकर कानून एवं व्यवस्था को खोखला करके रख दिया है। (घंटी) उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मेवात की पुलिस धारा 389–बी का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रही है। इस धारा के तहत कम से कम दस साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान होता है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी सदन में बैठे हुए हैं, मेरा आपके माध्यम से उनसे आग्रह है कि इन धाराओं पर कंट्रोल किया जाये और जायज केस में जायज धारा ही लगाई जाये। इन्ही शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

श्री रामकरणः उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ और सरकार से कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी सबसे पहली डिमांड यह है कि हमारे यहां गांव तंगोर व छोटा जुड़ाना के बीच मारकंडा नदी पर पुल बनाने की बहुत जरूरत है और इसके साथ ही मंजी साहब गुरूद्वारे से लेकर नया गांव तक के बीच पड़ने वाले मारकंडा नदी पर भी पुल बनाने की बहुत जरूरत है। अगर ये पुल बन जाते हैं तो यहां के बाशिंदों को लंबा चक्कर काटकर नहीं आना पड़ेगा और यह पुल इन गांवों की कनेक्टिविटी में भी बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होंगे। दूसरी मेरी डिमांड यह है कि लोगों के घरों के उपर जा रही बिजली की तारों को हटाने का काम किया जाना चाहिए इसकी वजह से मेरे क्षेत्र के लोग बहुत ज्यादा परेशान है। इसके अतिरिक्त मेरी यह भी डिमांड है कि

मेरे क्षेत्र में जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग उनको भी सरकार की तरफ से प्लॉट देने का काम करना चाहिए क्योंकि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले इन लोगों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त हमारे क्षेत्र में जोहड़ों की रिटेनिंग वाल बनाने की भी बहुत जरूरत है और इनसे इस तरह से पाईप निकालने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए ताकि जोहड़ों के फालतू पानी को जमींदार अपने फसलों की सिंचाई भी कर सके और जरूरत पड़े तो इसी पाइप लाइन से जोहड़ों के पानी की निकासी भी की जा सके। जोहड़ों के ओवर फलो होने से हमारे क्षेत्र में सड़कें खराब हो जाती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, लाडवा रोड पर जो शुगर मिल है वहां तक जाने के लिए फोर–लेन की सड़क होनी चाहिए। बराड़ा रोड पर जो जगह बची हुई है वहां पर खेल ग्राउण्ड का निर्माण होना चाहिए ताकि बच्चें वालीबॉल वगैरह गेम्ज खेल सकें। इसी रोड पर जो गुरूद्वारा है उसके पास पुल का निर्माण होना चाहिए। जी.टी.रोड होने के कारण हमें बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और बहुत सारी वहां पर सड़क दुर्घटनाएं भी होती हैं क्योंकि बस स्टैण्ड, कोर्ट सब कुछ दूसरी तरफ है, इसलिए पैदल जाने के लिए अलग से रास्ते का प्रबंध सरकार को करना चाहिए। इससे हमारे क्षेत्र के निवासियों को बहुत ज्यादा सुविधा मिल जायेगी। शाहाबाद में सीवरेज के पानी की निकासी का काम भी होना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे मांग है कि मेरे हल्के की सारी समस्याओं को दूर किया जाये। दादूपुर नलवी नहर का निर्माण होना चाहिए क्योंकि इससे मजदूर, किसान व सभी हल्के के लोगों को फायदा पहुँचेगा। हमारे क्षेत्र में जल स्तर काफी नीचे चला गया है। दादूपुर नलवी नहर की मांग हमारे साथ लगते दूसरे क्षेत्रों की भी है, इसलिए इस नहर के बनने से मजदूर किसान सभी लोगों को फायदा जरूर मिलेगा। वक्फ बोर्ड की जमीन के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए क्योंकि वहां पर लोगों ने इस जमीन पर 25–30 सालों से अपने मकान और दुकानें बना रखी हैं और उनको बार–बार खाली करने के नोटिस दिए जाते हैं, मैं तो कहता हूँ कि उनके दुकान या मकान की रजिस्ट्री उनके ही नाम होनी चाहिए, जिससे उनका भला हो सके। समय के अभाव के कारण मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ । जय हिन्द।

श्री धर्मपाल गोंदर (नीलोखेड़ी) (अ.जा.) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। सदन में माननीय सदस्यों का ऐसा व्यवहार देखकर मुझे नहीं लगता कि हम अपने देश और प्रदेश में सुधार कर पायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले सदन से कहना चाहता हूँ कि इस माईक की लम्बाई ऊँची करवाई जाये क्योंकि हमें झुककर बोलना पड़ता है। मेरे ख्याल से पंजाब विधान सभा में तो माइक की लम्बाई एक–एक गज की है। कल माननीय सदस्य श्री राकेश दौलताबाद जी 10 मिनट बोले और उन्होंने मुझसे कहा कि झुक कर बोलने से मेरी कमर में दर्द हो गया है, मैंने उनसे कहा था कि कल मैं अपनी स्पीच के जरिए सदन में जरूर इस बारे में जिक्र करूँगा।

श्री उपाध्यक्ष : गोंदर साहब, आप अपनी सीट से सीधे खड़े होकर बोलिए, सभी को आपकी आवाज सुनाई देगी।

श्री धर्मपाल गोंदर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सभी विधायकों से अनुरोध है कि वे कई बार आवाज उठाते हैं कि उनके हल्कों में पंचायतों के पास बहुत ज्यादा जमीन पड़ी है । मेरा सभी माननीय मंत्रीगण और माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे उस जमीन को वन विभाग को दे दें । वन विभाग उनको उसमें अच्छे फलदार पौधे लगाकर देगा । यह मेरा आपसे निवेदन है । उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर इस समय लगभग सभी दलों के माननीय सदस्य बैठे हैं । बहुत–से माननीय सदस्य एक–दूसरे पर उंगली उठाते हैं लेकिन जब कोई पार्टी इलैक्शन के समय जीतने की स्थिति में होती है तो वे उसमें शामिल हो जाते हैं । मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे एक–दूसरे पर उंगली न उठाएं क्योंकि हो सकता है कि उन्हें कल उसी पार्टी में शामिल होना पड़ जाए । अतः मेरा कहना है कि वे एक–दूसरे माननीय सदस्य के साथ झगड़े न करके आपस में अच्छा बिहेव करें । उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि सदन में हम कुल 7 आजाद विधायक हैं । अतः हमको सदन में बोलने का पूरा समय अवश्य दिया जाए । उपाध्यक्ष महोदय, इस समय हम आजाद विधायकों की स्थिति ऐसी हो गई है जैसे 2 शराबियों के बीच फंसे हुए एक शेर की स्थिति होती है । मैं सदन को इस घटना के बारे में बताता हूं । एक बार 2 शराबी शराब पीकर जंगल में चले गये । वहां पर कुछ देर बाद एक शेर आ गया । उस शेर की परवाह न करते हुए वे दोनों शराबी आपस में झगड़ने लगे । पहला शराबी कहने लगा कि शेर अंडे देता है ।

दूसरा शराबी कहने लगा कि शेर बच्चे देता है । उन दोनों शराबियों की बातों को सुनकर शेर डरते/शर्माते हुए वहां से चला गया । शेर के जाने के बाद वहां पर एक सेठ आ गया । उस सेठ को दोनों शराबियों ने पकड़ लिया और अपनी–अपनी बात उसको बताई । सेठ ने उन दोनों शराबियों को लड़ते हुए देखा तो उसने सोचा कि अगर मैंने इनमें से किसी भी एक शराबी की बात पर हां कही और दूसरे शराबी को ना कह दिया तो वह शराबी मुझे पीटेगा । अतः जब उन शराबियों ने उस सेठ से पूछा कि शेर अण्डे देता है या बच्चे तो उसने उत्तर दिया कि शेर जंगल का राजा होता है । उसकी मर्जी है कि वह मन करे तो अण्डे दे और मन करे तो बच्चे दे । अतः मेरा निवेदन है कि सदन में हम आजाद विधायकों का ख्याल रखा जाए ।

श्री उपाध्यक्ष : धर्मपाल जी, हमने आपका चुटकुला सुन लिया है । आपकी डिमाण्ड पर गौर करते हुए सभी आजाद विधायकों का ध्यान रखा जाएगा ।

श्री धर्मपाल गोंदर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि गांवों में बने हुए तालाबों पर लोगों ने कब्जा किया हुआ है । (शार एवं व्यवधान)

मोहम्मद इलियास : उपाध्यक्ष महोदय, आप इनको मत रोको ।

श्री उपाध्यक्ष : इलियास जी, आप बैठिये । आप तो हरियाणा सरकार में मंत्री भी रहे हो ।

श्री धर्मपाल गोंदर : उपाध्यक्ष महोदय, गांवों में जितने भी तालाब थे उन पर या तो कब्जा हो गया है या फिर वे मिट्टी से भर गए हैं । इससे गांवों के पानी की निकासी की बहुत दिक्कत है । मेरा निवेदन है कि आप माननीय सदस्यों की बजाय वहां के अधिकारियों को आदेश दें कि जिस गांव में तालाब ओवरफ्लो है अधिकारी स्वयं उसका सर्वे करके उसको 3 पोंड, 5 पोंड बनाएं । मेरे हल्के के कई गांवों में पानी की निकासी की बहुत दिक्कत है । उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि इसका हल करवाया जाए।

श्री सुधीर कुमार (गुरूग्राम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बतौर विधायक पहली बार चुनकर हरियाणा विधान सभा में पहुंचा हूं । मैं खुशकिस्मत हूं कि गुरू द्रोण की नगरी की जनता ने मुझे अपना प्रतिनिधि चुना है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया । सबसे पहले मैं 14वीं हरियाणा विधान सभा के बजट सत्र में दिए गए माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने वर्ष 2020 को

सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किया है । मेरा मानना है कि यह एक अति सराहनीय कदम है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस नेता में अपना आत्मबल हो और स्ट्रोंग डिटरमिनेशन हो, वही नेता सुशासन की तरफ सोच सकता है। माननीय मुख्य मंत्री श्री मनोहर लाल जी का आभारी हूं और साधुवाद देता हूं कि उन्होंने सुशासन की तरफ सोचा है। हम कभी कल्पना किया करते थे कि क्या अपने राज्य में कभी सुशासन आएगा, लेकिन अब लग रहा है कि कुछ अच्छा होने जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कुछ डाटा रखना चाहता हूं। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि हॉस्टिल्ज में डॉक्टर्ज हैं, कुछ ने कहा है कि स्कूल्ज में टीचर्ज नहीं हैं। मेरा कहना है कि सम्मानित विधायक निर्णायक न बनें। वे जैजमैंटल न बनें। इस बात की गणना चूंकि 'सुशासन संकल्प वर्ष' मनाया जा रहा है। जब फरवरी, 2021 में सैशन के दौरान सदन में बैठेंगे तो उसका निर्णय उस समय हो जाएगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अपना मानना है कि रिवैन्यू रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन करना बहुत बड़ा ट्रिमैंडस जॉब है। रिवैन्यू रिकार्ड बहुत वॉल्यूमिनस रिकार्ड है। अगर उसका डिजिटलाईजेशन करते हैं तो जहां हम सोच रहे हैं कि किसानों की आय डबल हो। इस हिसाब से भी अगर संबंधित रिकार्ड डिजिटलाईज्ड हो जाता है तो यह उनके लिए बहुत बड़ी मद्द है। आय बढ़ाने के साथ–साथ अगर उसका खर्च कम होता है तो यह भी बहुत अच्छा काम है। एक किसान को साल में कम से कम 4 बार रिवैन्यू ऑफिस जाना पड़ता है। फिर उसमें चाहे अपनी जमाबंदी, खसरा, गिरदावरी या इन्तकाल लेने के लिए जाना पड़ता हो, परन्तु अगर उसको एक बटन पर सब कुछ उपलब्ध है तो यह किसानों के लिए सरकार की तरफ से बहुत परोपकारी कदम होगा और साथ में गांवों का लाल डोरा से मुक्त होने से भी बहुत बड़ी सहायता मिली है। सभी माननीय सम्मानित सदस्य बैठे हैं और वे कह रहे थे कि सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है ? सभी माननीय सम्मानित सदस्य बैठे हुए हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहूंगा कि गांवों की आबादी है और अगर एक रिवैन्यू स्टेट है। उसमें अगर आबादी के हिसाब से देखें तो गांवों में किसान रहता है। जब उसके पास सेलडीड की कॉपी होगी और उसमें उसका हदोदरबा होगा, उसकी डाईमैंशंज होगी, उसकी ईस्ट और वैस्ट की भुजाएं होंगी तो उसकी प्रॉपर्टी का डिटरमिनेशन हो जाएगा। पहले लाल डोरा में ऑनरशिप नहीं होती थी। सिर्फ जिसका कब्जा होता था, वही उसका मालिक होता है। माननीय

उपाध्यक्ष महोदय, जब कभी कोई आदमी अपना घर तोड़कर लाल डोर में कंस्ट्रक्शन शुरू करता है तो उसमें 70 प्रतिशत केसिज में मुकदमें शुरू हो जाते हैं क्योंकि संबंधित लोगों के पास ऑनरशिप का प्रमाण नहीं होता है। अगर कोई मसखरा या उसके परिवार का कोई आदमी कोर्ट में मुकदमा डाल दे तो ऑनरशिप साबित करने में 20 वर्ष का समय लग जाता है। अभी कुछ सम्मानित सदस्यों ने अखबार की कटिंग लेकर कुछ बातें करनी शुरू की थी। आदरणीय सदस्य श्री महीपाल ढांडा जी ने कहा है कि गुरूग्राम में सी.एल.यू. का खेल हुआ। माननीय सदस्य श्री भारत भूषण बत्तरा ने कहा है कि संबंधित मामले की इन्कवायरी होनी चाहिए। मैं अखबार की कटिंग न लेकर आपके माध्यम से उनको कहना चाहूंगा कि इन्क्वायरी के बारे में तो पता नहीं क्या होगा और उसका रिजल्ट क्या आएगा ? हो सकता है कि माननीय सदस्य को इन्कवायरी के दौरान अपने शब्दों को वापिस लेना पड़े। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने Civil Appeal No.8788 of 2015 (Rameshwar & Others v/s State of Haryana & others) में एक जजमैंट दी है, उसके बारे में बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से सी.एल.यू. के नाम पर खेल खेला गया था। इसमें लिखा हुआ है कि–

> "A. Haryana Development and Regulation of Urban Area Act, 1975, Section 3 - Land Acquisition Act, 1894 Section 4 and 6 Purchase of land after acquisition - Fraudulent transactions - Land notified for acquisition purchased by private builders after date of notification - Land owners persuaded to enter into transactions with builders - Price received greater than rate awarded - State Government arrived at decision for withdrawal of acquisition - Clear indication of awareness of builders that award would not be declared and acquisition would be dropped."

उपाध्यक्ष महोदय, उस दौरान क्या हुआ था कि वहां पर सरकार द्वारा लैंड एक्विजिशन करने के लिए सैक्शन 4 लगाया गया था और वहां पर किसानों को प्रैशराईज किया गया कि उनकी जमीन नॉमिनल रेट्स पर ऐक्वायर होने जा रही है। इसके बाद वहां पर कुछ बिल्डर्ज को छोड़ दिया गया और उन बिल्डर्ज ने किसानों को कहा कि यहां पर सैक्शन 4 लगा हुआ है, इसलिए आप हमें जमीन बेच दो। उन बिल्डर्ज ने किसानों को डराकर उनकी संबंधित जमीन खरीद ली तथा उसके बाद सैक्शन 6 लगाकर संबंधित जमीन को रिलीज कर दिया गया। इस प्रकार धोखाधड़ी करके सभी बिल्डर्ज ने संबंधित किसानों की जमीन सस्ते रेट्स पर खरीदकर हजारों करोड़ रुपये कमाए। (घंटी) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नया जन

प्रतिनिधि होने के नाते मेरा परम कर्त्तव्य बनता है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में हुए विकास कार्यों को सदन के पटल पर रखूं और साथ में समस्याओं को भी प्रस्तुत करूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं 1 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने सभी माननीय सदस्यों के लिए उनके अपने क्षेत्रों की डिवल्पमैंट करवाने के लिए 5–5 करोड़ रुपये की ग्रान्ट देने की एक योजना बनायी है। इसमें मैंने एक एम.एम.यू. (मोबाईल मेडिकल यूनिट) का प्रपोजल बनाकर सरकार के पास भेजा है क्योंकि मेरे गुरूग्राम विधान सभा क्षेत्र का हॉस्पिटल डिस–मैंटल होने जा रहा है और उसको बनने में लगभग 5 साल का समय लगेगा। दूसरा सामान्य हॉस्पिटल बादशाहपुर के सैक्टर 10ए में है। इस सामान्य हॉस्पिटल के अलावा मेरे विधान सभा क्षेत्र में कोई हॉस्पिटल नहीं है। इसके लिए मैंने कहा है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की जनता को अपना ईलाज करवाने के लिए 5 एम.एम.यू. दी जाएं।

श्री उपाध्यक्षः सुधीर जी, अगर इसके अतिरिक्त आप जो बातें कहना चाहते हैं, उन बातों को लिखित में दे दें।

श्री सुधीर कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ–साथ मेरा यह कहना है कि किसानों की लैंड एक्वायर की गई थी लेकिन उनको सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं दिया गया। उनको मुआवजा न मिलने के कारण उन पर ब्याज लग रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह कहना है कि एच.एस.वी.पी. को निर्देश दिए जाएं कि किसानों की लैंड जल्दी से जल्दी ऑक्शन कर दे ताकि उनको जल्दी ही मुआवजा मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष : सुधीर जी, आप लिखकर के दे दीजिए आपकी इस स्पीच को प्रोसीडिंग्स का पार्ट बना लिया जायेगा।

श्री सुधीर कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात एक मिनट में समाप्त कर दूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि गुरूग्राम जिले में 900 मीटर का एक एम्युनिशन डिपो है और उसी 900 मीटर के दायरे में वहां के लोग रहते हैं लेकिन उन लोगों को सरकार की तरफ से कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उन लोगों को

मूलभूत सुविधाएं दी जायें और इस पर माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिए थे कि 300 मीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को मूलभूत सुविधाएं दी जानी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि 300 मीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को कहीं अन्य जगह पर विस्थापित कर दिया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जब तक उन लोगों को विस्थापित नहीं कर दिया जाता तब तक सरकार उन लोगों को मूलभूत सुविधाएं देने का काम करे।

श्री उपाध्यक्ष : सुधीर जी, प्लीज आप अपनी बात लिखकर के दे दीजिए।

श्री सुधीर कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से एक छोटी सी प्रार्थना और है कि गुरूग्राम में कुछ प्राइवेट कॉलोनी हैं और ये कॉलोनियों एम. सी. के अंडर आ गई हैं। बिल्डर ने उन प्राइवेट कॉलोनियों से कई करोड़ रुपये मैंटीनैंस के रूप में भी ले लिए हैं। (विघ्न)

श्री बि□ान लाल सैनी : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का समय दीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिक : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी अपनी बात सदन में रखना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मलिक साहब, प्लीज आप बैठ जायें। आपने पहले भी तो 20 मिनट तक सदन में चर्चा की है। (विघ्न) प्लीज, आप सभी बैठ जायें।

श्री जगबीर सिंह मलिक : उपाध्यक्ष महोदय, हमें बोलने के लिए पूरा टाईम नहीं दिया गया था। (विघ्न)

परिवहन मंत्री (श्री मूलचंद भार्मा) : उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के सभी सदस्य सदन में बार–बार खड़े होकर दूसरे सदस्यों को डिस्टर्ब करने लग जाते हैं। इन लोगों को आपने सत्ता पक्ष के सदस्यों के मुकाबले में अधिक टाईम दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : मलिक साहब, आप राव साहब से पूछ लीजिए कि विपक्ष के सदस्यों को बोलने के लिए कितना–कितना टाईम मिला है और कितना टाईम सत्ता पक्ष के सदस्यों को बोलने के लिए मिला है। इसका मेरे पास रिकॉर्ड है चाहे तो आप देख सकते हो। (विघ्न)

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल) : मलिक साहब, आप टोटल टाईम की परसैंट्ेज के हिसाब से चैक कर लीजिए कि कितना टाइम सत्ता पक्ष के सदस्यों को बोलने के लिए मिला है और कितना टाइम विपक्ष के सदस्यों को बोलने के लिए मिला है। मैं समझता हूं कि सत्ता पक्ष के सदस्यों के मुकाबले में विपक्ष के सदस्यों को बोलने के लिए लगभग 5–10 परसैंट अधिक टाईम ही मिला है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, आप तो एक बार में सत्ता पक्ष के दो सदस्यों को चर्चा करने के लिए समय दे रहे हो (शोर एवं व्यवधान)

श्री बिशन लाल सैनी : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का समय दीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिशन लाल जी, प्लीज आप बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कंवर पाल : मलिक साहब, हुड्डा साहब भी सदन में उपस्थित हो गये हैं इसलिए आप हुड्डा साहब से ही पूछ लीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिशन लाल जी, आप प्लीज बैठ जायें। मैं यह कह रहा हूं कि अब सदन में हुड्डा साहब भी आ गये हैं। हुड्डा साहब ने यह कहा था कि हमें चर्चा करने के लिए समय मिलता है उसमें से इनको समय दे दीजिए लेकिन हम फिर भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो इस बार नये सदस्य चुनकर आये हैं उनको भी दो–दो, तीन–तीन मिनट चर्चा करने के लिए मिले इसलिए आप गलत कह रहे हो कि एक बार में सत्ता पक्ष के दो सदस्यों को चर्चा करने के लिए समय दे रहे हो क्योंकि सत्ता पक्ष के एक सदस्य को चर्चा करने के लिए सिर्फ 3 मिनट का समय ही दिया है जबकि विपक्ष के एक सदस्य को 20–25 मिनट तक चर्चा करने के लिए समय दिया है। मैं यही कहना चाहता हूं कि सभी सदस्यों को चर्चा करने का समय दिया जायेगा।

श्री लक्ष्मण सिंह यादव (कौसली) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया उसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। माननीय राज्यपाल महोदय ने 20 फरवरी, 2020 को अपना अभिभाषण सदन में रखा था और इस अभिभाषण पर सभी सदस्यों ने पिछले 4 दिन से महत्वपूर्ण चर्चाओं में भाग लिया और माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सरकार का प्रतिबिंब होता है और सरकार ने आने वाले वर्षों में क्या कार्य

करने हैं, उसकी पूरी जानकारी अभिभाषण में होती है और हमारी सरकार ने अनेक जन कल्याण योजनाओं की तरफ विशेष ध्यान दिया है जो बहुत ही सराहनीय है । इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, ज्यादातर समय शोर–शराबे में निकल गया इसलिए मैं अपनी बात इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहूंगा कि :–

आओ मिलकर काम करें,
हरियाणा का नाम करें
केवल न व्यवधान करें
मुद्दों पर सब ध्यान धरें।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अगर हाउस की सहमति हो तो सदन की बैठक का समय 1 घंटे के लिए बढ़ा दिया जाए?

आवाजें : ठीक है जी।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, सदन की बैठक का समय 1 घंटे के लिए बढ़ाया जाता है।

.....

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारंभ) तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान

श्री लक्ष्मण सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय हैल्थ मिनिस्टर से निवेदन है कि मेरे हल्के के गांव गुरावड़ा में जो सी.एच.सी. है उसको जल्दी से जल्दी 50 बैड का हॉस्पिटल बनाया जाये। इसके साथ ही साथ उसमें एक ट्रामा सैंटर भी खुलवाया जाये क्योंकि एन.एच. संख्या 71 पर रोहतक–पानीपत तक कोई ट्रामा सैंटर नहीं है। ट्रामा सेंटर के लिए गुरावड़ा सही जगह है क्योंकि वह एन.एच. संख्या 71 पर पड़ती है। मेरा आपके माध्यम से माननीय हैल्थ मिनिस्टर से यह भी निवेदन है कि गांव बोहतवास अहीर में पहले से ही मंजूर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का कार्य आरम्भ करवाया जाये। इसी प्रकार से गांव झाल

में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण करवाया जाये। ऐसे ही गांव करावरा मानकपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को अपग्रेड करके सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण करवाया जाये। इसी तरह से गांव टूमना में उप स्वास्थ्य केन्द्र को अपग्रेड करके उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का दर्जा दिलाया जाये। हमारी सरकार द्वारा आज आयुर्वेद पर भी बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। मैं पिछले पांच साल से यह बराबर देख रहा था कि प्रदेश में कई जगहों आयुर्वैदिक कॉलेजिज खोलने के लिए बजट भी अलॉट किया गया है। मेरे हल्के में गुरावड़ा और भाकली में दोनों जगहों पर मुख्य सड़क के साथ लगती 18 एकड़ जमीन पंचायत द्वारा आयुर्वैदिक कॉलेज और हॉस्पिटल के लिए उपलब्ध करवाई जा रही है। मेरी सरकार से मांग है कि मेरे हल्के में इन दोनों जगहों में से एक स्थान पर 18 एकड़ जमीन पर आयुर्वैदिक कॉलेज और हॉस्पिटल खोलने का कार्य जल्द से जल्द आरम्भ करवाया जाये। अध्यक्ष जी, यह कहा जाता है कि आयुर्वेद आयु का वेद जानने के लिए है और आयुर्वेद पद्धति पूरे शरीर के सिस्टम को ठीक करती है जबकि एलोपैथी सिम्पटम्ज को ठीक करती है। हमारी सरकार आयुर्वेद पर ध्यान दे रही है यह बहुत अच्छी और सराहनीय बात है। हमारी सरकार ने सरसों की खरीद कुछ समय पहले की थी। इसी प्रकार से हमारी सरकार द्वारा बाजरे की खरीद भी नये रेट पर की गई है। पूरे देश में यह काम हमारी सरकार ने सबसे पहले किया है। सरकार द्वारा मेरे दक्षिणी हरियाणा की इन दो क्रॉप को ही कैश क्रॉप माना गया है। मैं इसके लिए भी अपनी सरकार का धन्यवाद करता हूं। इसके साथ मेरा भी सरकार से यह निवेदन है कि जिस प्रकार से दूसरे माननीय सदस्यों ने भी सदन में यह बात उठाई है कि सरकार द्वारा जो प्रति एकड़ के हिसाब से 8 क्विंटल ही सरसों की खरीद की जाती है उसको बढ़ाकर 12 क्विंटल प्रति एकड़ किया जाये। मेरी यह भी मांग है कि कोसली की अनाज मण्डी में भण्डारण क्षमता को बढ़ाने के लिए वहां पर दो शैड का और निर्माण करवाया जाये। इसी तरह से वहां पर एक सरकारी धर्म कांटा भी स्थापित किया जाये ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। मैंने सरकार से यह भी निवेदन किया था कि हरियाणा में भी किसानों की फसल खरीदने के लिए 10–10 किलोमीटर की दूरी पर अस्थायी मण्डियों का निर्माण करवाया जाये, ताकि किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े, एक जगह भीड़ भी न हो और किसानों को अपनी उपज को बेचने के लिए ज्यादा डीजल की खपत करके कहीं दूर न जाना

पड़। जब तक यह व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक मेरे डहीना ब्लॉक में और जाटूसाना ब्लॉक में नई स्थायी अनाज मण्डी का निर्माण जल्दी से जल्दी करवाया जाये। हम इस मण्डी के लिए जमीन देने के लिए तैयार हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो कोसली में बाई–पास बनाने की घोषणा की गई थी, उसका काम भी तुरंत शुरू करवाया जाये। इसी प्रकार से कोसली नगर पालिका की भी घोषणा हुई थी उसको भी जल्दी से जल्दी पूरा किया जाये अगर कोई दिक्कत हो तो तुरन्त उसका समाधान किया जाये। कोसली और भाकली की नगर पालिकाओं का विवाद था। इस सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि जिस प्रकार से पटौदी और हैली मण्डी में दो नाम से नगरपालिकायें हैं उसी प्रकार कोसली और भाकली की अलग–अलग नगरपालिकायें बना दी जायें। मेरी यह भी मांग है कि गांव नाहड़ को बिजली विभाग के सब–डिवीजन का दर्जा दिलवाया जाये क्योंकि वहां पर पंचायत द्वारा तैयार करके बिल्डिंग भी पॉवर डिपार्टमैंट को दी जा चुकी है। इसके अलावा भी वहां पर सभी संसाधन उपलब्ध हैं। कोसली सब–डिवीजन को कृषि विभाग के सब–डिवीजन का भी दर्जा दिलवाया जाये। इसी प्रकार से कोसली डिवीजन में सिंचाई विभाग का भी एक्स.ई.एन. ऑफिस नहीं है। सिंचाई विभाग के एक्स.ई.एन. का ऑफिस रेवाड़ी में है। मेरी सरकार से मांग है कि सिंचाई विभाग के एक्स.ई. एन. ऑफिस को भी रेवाड़ी से जल्दी से जल्दी कोसली में स्थानांतरित किया जाये। इसी प्रकार से डहीना ब्लॉक में बी.ई.ओ. ऑफिस भी खोलने की कृपा की जाये क्योंकि जब डहीना ब्लॉक बन गया है तो वहां पर बी.ई.ओ. का ऑफिस होना ही चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय जी, मेरा आपके माध्यम से सरकार से बार–बार यही निवेदन है कि मैंने जो उपरोक्त मांगें यहां पर उठाई हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री चिरंजीव राव (रेवाड़ी): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं राज्यपाल महोदय का अभिभाषण पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि यह अभिभाषण बहुत बड़ा झूठ का पुलिंदा है इसीलिए शायद राज्यपाल महोदय ने इसको पूरा नहीं पढ़ा। सबसे पहले जब मैंने स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि उसमें कुछ बातें बहुत बढ़ा–चढ़ा कर कही गई हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी मनेठी

में एम्स की घोषणा करके गये थे लेकिन आज तक उस पर कोई काम नहीं हुआ है। आज तक मनेठी के एम्स के लिए जमीन भी आबंटित नहीं हुई है। मनेठी के एम्स के साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में भी एक एम्स की घोषणा हुई थी तथा उसी के साथ गुजरात के राजकोट में भी एक एम्स की घोषणा हुई थी। गुजरात में राजकोट के एम्स का मास्टर प्लान बन चुका है तथा टैंडर भी हो चुका है परन्तु हमारे मनेठी के एम्स का अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है। इसी प्रकार से हमारे रेवाड़ी के सिविल हॉस्पिटल की हालत बहुत खराब है। वहां पर डॉक्टर्स के 14 पद हैं लेकिन एक भी डॉक्टर उपस्थित नहीं रहता है। इसी प्रकार से रेवाड़ी के ट्रॉमा सैन्टर में 10 डॉक्टर हैं लेकिन एक भी डॉक्टर उपस्थित नहीं है सभी छुट्टी पर हैं। इसके अतिरिक्त सारणवास में एक पॉलीक्लीनिक खोला गया है जिसका कई सालों बाद उद्घाटन हुआ है। उस पॉलीक्लीनिक में न तो कोई मशीन है, न अल्ट्रासाउंड मशीन है, न ही हाइड्रोलिक टेबल है और न ही ऐनेसथीसिया की सुविधा है। वहां पर कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं महिला सुरक्षा के बारे में अपनी बात रखना चाहता हूं। महिला सुरक्षा के बारे में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बड़ी–बड़ी बातें कही गई है। आपको जानकर अजीब लगेगा कि पिछले 10 महीने में हरियाणा में 1400 बलात्कार हुए हैं। पिछले दिनों मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें निर्भया फंड के केन्द्र सरकार की तरफ से हरियाणा को आबंटित फंड में से केवल 70 प्रतिशत पैसे का उपयोग हुआ है। इसके अलावा आप देखेंगे कि हमारा रेवाड़ी के तेजपुरा मौहल्ले में एक स्कूल है जिसका पिछले दिनों मैं औचक निरीक्षण करने गया था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि उन बच्चों से जब मैंने बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि खट्टर अंकल को कहना कि इस मौत की बिल्डिंग से हमें बाहर निकालें। मेरे औचक निरीक्षण करने के बाद एक ऐसा स्कूल जिसमें न टॉयलेट है और न मिड–डे–मील की कोई सुविधा है और न ही वहां पर कोई टीचर है। मेरे जाने के बाद मात्र 70 हजार रुपये वहां पर उसको ठीक करने के लिए भेजे। वह एक ऐसी बिल्डिंग है जो कभी भी गिर सकती है। आप बताइये कि जिस बिल्डिंग में 100 बच्चे पढ़ते हों अगर वह बिल्डिंग गिर जाती है तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? इसके अलावा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में ईज ऑफ लिविंग और लोन की बहुत बड़ी बात की गई हैं। हमारे रेवाड़ी जिले में एक राजगढ़ गांव है और वहां पर अमर सिंह नाम के एक किसान ने 1,44,000/– रुपये का लोन लिया था। उसकी

पत्नी निर्मला को एब्यूजिव बिहेवियर के तहत पुलिस ने गिरफ्तार किया जिसके बाद उसने सुसाइड कर लिया था लेकिन अभी तक पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। इसी प्रकार से रेवाड़ी का बस स्टैंड बनाने के लिए कांग्रेस सरकार में घोषणा की गई थी और कांग्रेस सरकार में ही उसकी जमीन भी एक्वायर कर ली गई थी तथा लोगों को जमीन का कम्पनसेशन भी मिल चुका है लेकिन आज तक वहां पर कोई काम शुरू नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त जहां तक सरकार के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात है तो आपकी ही सरकार की सहयोगी जन–नायक जनता पार्टी है जिन्होंने वृद्धावस्था पेंशन 5100/– रुपये करने की घोषणा की थी लेकिन उसमें केवल 250/– रुपये की वृद्धि की गई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जैसा हमारे साथी श्री रामकुमार गौतम जी ने कहा था कि अगर यह पेंशन 5100/– रुपये हो जाती तो हम लोगों को शकल दिखाने के लायक हो जाते। हमारे कांग्रेस विधायक दल के नेता चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने भी हरियाणा में 5100/– रुपये वृद्धावस्था पेंशन देने की घोषणा की थी। अगर नहरों की बात की जाए तो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में हांसी–बुटाना नहर का कोई जिक्र नहीं किया गया है। आज वह मामला माननीय कोर्ट में तो लम्बित है लेकिन अभिभाषण में उसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। यह नहर हमारे दक्षिण हरियाणा के लिए तो लाइफ लाइन है। अगर यह नहर नहीं होगी तो हमारा किसान खुशहाल कैसे होगा? इसी प्रकार से नशे के बारे में पंजाब के बारे में कहा जाता था कि उड़ता पंजाब है। आज अगर हम उड़ता हरियाणा कहें तो इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र रेवाड़ी की बात बताऊं कि रेवाड़ी में भी चिट्टा उपलब्ध है। ज्यादातर लोग कहते हैं कि चिट्टा हिसार और सिरसा में ज्यादा बिकता है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारे दक्षिणा हरियाणा के लोगों की नशों में भी यह चिट्टे का नशा पहुंच चुका है।

श्री उपाध्यक्षः चिरंजीव जी, आप जल्दी से अपनी बात कम्पलीट कीजिए।

श्री चिरंजीव राव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कम्पलीट ही कर रहा हूं। मैं बोलना तो बहुत कुछ चाह रहा था। मैं चाहता हूं कि मेरे और साथी भी इस विषय पर बोलें। अब हमारी एक्साइज पोलिसी ऐसी आई है जिसको पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार चाहती है कि घर–घर में शराब पहुंचे। मुझे लगता है कि इस एक्साईज पोलिसी के विषय पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार किसानों के लिए स्वामी नाथन रिपोर्ट को लागू करे ताकि लोगों को जो परेशानी हो रही है, वह न

हो । पी.एल.पी. एक्ट के ऊपर भी बात की गई उसके अन्दर हमारी सरकार जो चेंजिज लेकर आ रही है अगर उसके ऊपर भी सरकार ध्यान देगी तो मैं उनका बहुत आभारी रहूंगा। एक हमारे धारूहेड़ा सैक्टर–6 के अन्दर जल भराव की एक बहुत पुरानी समस्या है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर उसके ऊपर भी सरकार ध्यान देगी तो मैं सरकार का बहुत–बहुत शुक्रगुजार होऊंगा। जय हिन्द, जय भारत।

श्री प्रमोद कुमार विज (पानीपत भाहर): उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्मानित सदन में महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के उपरान्त आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। हरियाणा सरकार का वर्ष 2020 सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और जन हित की योजनाएं प्रदेश में हर जगह लागू हैं। मैं एक बात साझा करता हूं कि मुझे आज इस सदन में बोलने का जो मौका मिला है वह मौका मुझे पानीपत की जनता ने दिया है। यह वह सदन है जहां पूजनीय बाऊजी ने 25 साल तक इस सदन में पांच बार विधायक बनकर यहां के अनेक बड़े–बड़े नेताओं चौधरी बंसी लाल, चौ. देवी लाल, चौ. ओमप्रकाश चौटाला, चौ. भजन लाल जी के साथ बैठने का मौका मिला था। उस सदन को मेरा कोटि–कोटि प्रणाम है। मैं चार दिन से देख रहा हूं कि जैसेकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। ग्रामीण क्षेत्र और कृषि के क्षेत्र की बहुत सारी बातें मेरे बहुत सारे साथियों ने बहुत अच्छे तरीके से रखी हैं। उन बातों को न दोहराते हुए मैं उद्योग जगत की कुछ बातें सदन के सामने रखना चहूंगा। मैं जल संरक्षण की बात के लिए हमारे मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी और हमारे देश के प्रधान मंत्री माननीय मोदी जी बहुत चिन्तित हैं। इस ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि औद्योगिक नगरियों के अन्दर हर रोज करोड़ों लीटर पानी उद्योगों के लिए इस्तेमाल हो रहा है और वही पानी उनका जीवन भी है। मेरी प्रार्थना यह है कि वहां जैड.एल.डी. का प्रोविजन किया जाए वही एक सोल्यूशन है। पानीपत इंडस्ट्री को आप जानते हैं कि वह टैक्सटाईल नगरी है और वहां पर जब तक जैड.एल.डी. का प्रोविजन नहीं होगा तब तक वहां का जल स्तर दिन प्रतिदिन नीचे जाता जाएगा हालांकि यह प्रक्रिया बहुत महंगी है। इसके लिए सहायता के रूप में सैंटरल गवर्नमैंट 50 प्रतिशत राशि प्रदान करती है और 25 प्रतिशत राशि स्टेट गवर्नमैंट की तरफ से आती है और बाकी की जो 25 प्रतिशत राशि है वह सैंकड़ों करोड़ रुपयों में है जिसको उद्योगपति नहीं दे सकते हैं। उसके लिए कोई योजना

बनाई जाए चाहे किसी वर्ल्ड बैंक से लोन लिया जाए या किसी फाउंडेशन से इसके लिए कंट्रीब्यूशन ली जाए ताकि हम हरियाणा में जल संरक्षण कर सकें। इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हरियाणा के अन्दर अभी तक जल बोर्ड का निर्माण नहीं हुआ है। अगर हमें पानी के लिए कोई भी ट्यूबवैल लगाना हो तो उद्योगपति को उसकी परमीशन के लिए सैंटर गवर्नमैंट में अप्लाई करना पड़ता है और हम यह लगातार देख रहे हैं कि उसके लिए कई–कई साल तक वहां फाईल खड़ी रहती है लेकिन किसी को परमीशन नहीं मिलती है। इसी के साथ मैं सदन का ध्यान एक बात की और दिलाना चाहता हूं कि उद्योग के लिए जो बिजली का एम.एस. कनैक्शन है वह 50 किलोवाट से बढ़ाकर 100 किलोवाट कर दिया जाए तो उद्योग के लिए यह एक बहुत बड़ी राहत होगी। हरियाणा सरकार ईज ऑफ डूईंग बिजनेस के लिए संकल्पबद्ध है। मैं सदन का ध्यान इस ओर दिलाते हुए कहना चाहूंगा कि अगर हमें आज एक कम्प्लाईंड यूनिट चलानी है तो वह हमारी कम्प्लाईंड यूनिट इण्डियन लेवल से नहीं है। हमें वह कम्प्लाईंड इंटरनैशनल लेवल पर करनी पड़ती है जिसके लिए हमें 66 सर्टिफिकेट चाहिए। यानि एक फैक्ट्री चलाने के लिए 66 सर्टिफिकेट चाहिए उसमें 20 हमें रिकॉर्ड की.पी. ऑन दि साइट है इसलिए इस प्रक्रिया को सिम्पल किया जाए। वैसे हमें इसमें पहले से थोड़ी राहत मिली है, राहत मिली है। मेरी प्रार्थना है कि इसमें और काम करने की जरूरत है जिसकी तरफ मैं मंत्री जी का ध्यान दिलवाना चाहता हूं कि एक्सपोर्ट में पानीपत का बहुत पोटैंशियल है और उसके लिए मैं उद्योग को लेकर बहुत चिन्तित हूं इसलिए सरकार इसकी ओर ध्यान दे। इसके साथ–साथ पानीपत के अन्दर जो अनाधिकृत कालोनियां बनी हुई हैं उनमें से जो रैजिडैंशियल थी, उनको रेगुलराईज कर दिया गया है और हमने उद्योग की तरफ भी माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान दिलवाया है निश्चित तौर पर हमें उसका भी कुछ निदान मिलेगा। अब मैं स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए सैक्टर्ज के प्रावधान के विषय पर भी प्रार्थना करना चाहता हूँ। हुडा द्वारा या फिर एच.एस.आई.आई.डी.सी. द्वारा कुछ सैक्टर्ज स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए बनाने चाहिए तभी जाकर अनाधिकृत कालोनियां या बस्तियां बसने से रुक पायेंगी। इसी तरह रेजिडेंशियल क्षेत्र के लिए भी मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जैसे पंडित दीन दयाल उपाध्याय नाम से जो एक योजना है उसके तहत हमें बी.पी.एल. गरीबों व इकोनोमिकल वीकर सैक्शन के लिए भी कुछ सैक्टर्ज काटने का काम करना चाहिए। जहां तक हैल्थ की बात है, के संदर्भ में

कहना चाहूंगा कि सरकार ने पानीपत में जो एक बहुत सुंदर अस्पताल बनाकर दिया है उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री श्री अनिल विज जी का भी बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूँ। यहां पर बस थोड़ी सी स्टॉफ की कमी है जिसके बारे में माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में इस कमी को भी पूरा कर दिया जायेगा। अब मैं खिलाड़ियों के बारे में एक सुजेशन देना चाहूंगा। हमारी सरकार ने खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी–बड़ी इनाम राशि रखी हुई हैं कि जब कोई खिलाड़ी इंटरनेशनल गेम जीतकर आता है चाहे वह ओलम्पिक हो, चाहे एशियन गेम्ज हों, चाहे कॉमनवैल्थ गेम्ज हो तो उनको बड़े–बड़े अवार्ड दिए जाते हैं। मेरी प्रार्थना है कि जब कोई प्लेयर उन गेम्ज में जाने के लिए सिलेक्ट हो जाता है तो उस समय उसको पैसों की मदद की बहुत ज्यादा जरूरत होती है अगर उनको उसी समय कुछ राशि सरकार की तरफ से दी जाये तो यह उनके लिए बहुत फायदेमंद होगी अगर सरकार ऐसा करेगी तो हमारे खिलाड़ियों के प्रति यह बहुत बड़ी मेहरबानी की बात होगी। अब मैं पानीपत की एक अति महत्वपूर्ण समस्या की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पानीपत में पिछले कोई अर्से से मिसिंग चिल्ड्रन की बहुत बड़ी समस्या फेस की जा रही है।(घंटी)

उपाध्यक्ष महोदयः प्रमोद जी, अगर आपके पास रिटन है तो वह आप हमें दे दें, उस लिखित स्पीच को प्रोसिडिंग्ज का पार्ट बनवा दिया जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री प्रमोद विजः उपाध्यक्ष महोदय, मैं बस एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मिसिंग चिल्ड्रन की बात हो रही थी। 248 बच्चे पानीपत में पिछले चार साल से मिसिंग हैं जिनमें से 71 बच्चे तो मिल गए हैं लेकिन 177 बच्चे अभी तक ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं मेरा निवेदन है कि सरकार को इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए इनकी सी.बी.आई. से जांच करवानी चाहिए ताकि असलियत का पता चल सके। (घंटी) इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

श्री सोमबीर सांगवान (दादरी) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के पिछले पांच साल के कार्यकाल में समाज के अंदर दो चीजों के लिए एक बहुत ही अच्छा मैसेज गया है अर्थात एक तो बिना पर्ची और खर्ची के जो

हमारे युवाओं को नौकरी मिली उसका और दूसरा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय। इन कामों की वजह से लोगों का सरकार में विश्वास बढ़ा है। यह दोनों ही काम बहुत सराहनीय हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सदन में हम सब जिम्मेवार सदस्य बैठे हुए हैं अतः मैं आप सबके सामने आज हरियाणा प्रदेश में घर–घर तक फैल चुकी नशे की समस्या पर बात रखना चाहूंगा। सवाल है कि हम कैसा हरियाणा चाहते हैं? उपाध्यक्ष महोदय, हर गांव में नशे की समस्या से ग्रसित काफी बड़ी संख्या में नौजवान इस तरह घूमते नज़र आ जायेंगे कि जैसे आवारा बछड़े घूम रहे होते हैं। इनके पास कोई रोजगार नहीं है जिसकी वजह से इनकी शादियां तक नहीं हो रही हैं। यह नौजवान हिंदुस्तान का भविष्य है लेकिन इनको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है ताकि इन नौजवानों का भविष्य उज्ज्वल हो सके इसलिए उपाध्यक्ष महोदय मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि तुरंत प्रभाव से सख्त से सख्त उठाकर नशे की समस्या पर अंकुश लगाया जाये और जो दूसरी समस्या है कि जो ऑन लाइन प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न प्रकार नौकरियों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षायें आयोजित की जा रही हैं इनको नकल रहित बनाया जाये क्योंकि होता क्या है कि बच्चा पेपर दे रहा है चंडीगढ़ में और ऑन लाइन सिस्टम के माध्यम से नकल करवाई जा रही है जम्मू एंड कश्मीर से। इस प्रकार की व्यवस्था से 90 प्रतिशत नम्बर लेने वाला मेहनती बच्चा फेल हो रहा है और 30 परसेंट पाने वालों का नकल के आधार पर नौकरियों में सिलेक्शन हो रहा है। मैं समझता हूँ कि तुरंत प्रभाव से इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले काफी सालों से रेप की घटनायें बढ़ती ही जा रही है। यह एक सामाजिक बुराई है। इस बुराई को रोकने के प्रति हम सबका कर्त्तव्य बनता है। हमें विचार करना पड़ेगा कि कैसे बेहतरीन समाज का निर्माण किया जा सके। रेप जैसी घटनाओं से छोटी–छोटी बच्चियों का भविष्य खराब हो रहा है। मेरा विचार है कि इस बुराई को रोकने में पंचायतों का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। कोर्ट में ज्यादा से ज्यादा फांसी की सजा होती है लेकिन इस तरह की बुराई को रोकने के लिए सामजिक भय की ज्यादा आवश्यकता होती है। समाजिक पंचायतों के महत्व को यदि इस तरह के जघन्य कार्यों में शामिल किया जायेगा तो आदमी के दिमाग में यह बात घर करेगी अगर ऐसा कुछ किया तो समाज के लोग क्या कहेंगे। मतलब सामाजिक भय इस तरह की जघन्य घटनाओं की रोकथाम में बहुत अहम साबित हो सकता है। अतः माननीय मुख्यमंत्री जी से

निवेदन है कि उन्हें सामजिक पंचायतों को महत्व पर गौर करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश ऋषि–मुनियों की धरती है लेकिन पूरे हरियाणा प्रदेश में अभी पिछले दिनों जिस प्रकार से जाति–पाति के नाम पर यहां के भाईचारे के माहौल को बिगाड़ने का काम किया गया उसकी वजह से हरियाणा प्रदेश का आम आदमी अपने आपको असुरक्षित महसूस करने लगा गया था। मेरा मानना है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो जात–पाति के नाम पर राजनीति करते हुए प्रदेश के भाइचारे को बिगाड़ने का काम करेगा उसका बहिष्कार करके ही हम हरियाणा प्रदेश को सशक्त हरियाणा बना सकेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, सबको साथ लेकर, छोटे–बड़े, अमीर–गरीब तथा जात–पात का भेद समाप्त करके हम एक मजबूत हरियाणा की नींव रख सकते हैं। कबीर जी ने भी कहा कि 'कर गुजरान गरीबी में–दुनिया में नहीं रहना' अर्थात जब दुनिया में रहना ही नहीं है तो गरीब और अमीर कमजोर या ठाडे की कोई बात नहीं होनी चाहिए बस एक मजबूत हरियाणा बनाने पर जोर देना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश खेती के मामले में पंजाब के बाद दूसरे नम्बर पर आता था लेकिन आज दूसरे स्टेट्स भी खेती के मामले में हमारे प्रदेश से आगे निकल चुके हैं। उसका कारण यह है कि जिस प्रकार से हर चीज में मिलावट हो रही है और रसायनिक खादों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा हो रहा है उससे खेती की पैदावार कम होती जा रही है। अगर हम सिरसा, हिसार आदि की तरफ जायेंगे तो मिलावट के कारण कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से सरकार को ज्यादा से ज्यादा अस्पताल खोलने पड़ रहे हैं और उनमें डॉक्टर्ज की नियुक्तियां भी करनी पड़ रही हैं। (घंटी) मेरा यह कहना है कि मिलावट करने वाला चाहे वह मजदूर, व्यापारी, किसान कोई भी हो उसके लिए कानून के तहत ज्यादा से ज्यादा सजा का प्रावधान होना चाहिए। पहले किसी भी सेना की भर्ती में हरियाणा प्रदेश का नौजवान भर्ती होता था तो दूर से पत चल जाता था कि यह नौजवान हरियाणा प्रदेश का है। समय के अभाव के कारण मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिन्द।

श्री भाम□ोर सिंह गोगी (असंध) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को पहले एक सुझाव देना

चाहता हूँ। जब हम गणतंत्र दिवस पर अपना राष्ट्रीय तिरंगा फहराते हैं तो जहां सब–डिवीजन लेवल पर सरकार का नुमाइंदा नहीं जाता वहां पर स्थानीय एस0डी0एम0 झण्डा फहराता है और स्थानीय विधायक उसके पीछे भीगी बिल्ली बनकर खड़ा रहता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से पूछना चाहता हूँ कि क्या वहां पर एस0डी0एम0 की जगह स्थानीय विधायक को झण्डा फहराने की इजाजत नहीं होनी चाहिए? हमें मिलकर इस सिस्टम का जरूर चेंज करना चाहिए। यह कहने से काम नहीं चलेगा कि यह सिस्टम पहले से ही चलता आ रहा है। मैंने स्वयं इस बात को नोट किया और महसूस भी किया कि यह सिस्टम सरासर गलत है। उपाध्यक्ष महोदय, आज के दिन ऐसे विधायक भी हैं जो पहले मंत्री व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जब गणतंत्र दिवस पर एस.डी.एम. महोदय स्थानीय विधायक को आने के लिए निमंत्रण पत्र भेजता है अगर विधायक उस समारोह में न जाये तो उसके बारे में कहा जायेगा कि विधायक गणतंत्र दिवस का सम्मान नहीं कर रहा है और यदि वह जाये तो झण्डा फहराते समय एस.डी.एम. के पीछे खड़ा होना पड़ता है। यह सिस्टम प्रोटोकॉल के विरूद्ध है, जहां एक विधायक का प्रोटोकॉल मुख्य सचिव के बराबर का होता है वहां इस प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि मेरे इस सुझाव से सभी माननीय सदस्यगण सहमत होंगे अतः उन्हें भी एकमत से इस सुझाव को स्वीकार भी करना चाहिए और समर्थन भी करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सभी बातों का जिक्र किया गया है। इस अभिभाषण में माननीय राज्यपाल महोदय का भी कोई दोष नहीं है क्योंकि जो सरकार लिखकर देती है वही माननीय राज्यपाल महोदय पढ़ देते हैं। इस प्रकार का सिस्टम पहले से ही बना हुआ है और मैं इस विषय की गहराई में नहीं जाना चाहता। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात जरूर सदन में रखना चाहता हूँ कि किसानों के टयूबवैल्ज के जो कनैक्शन हैं, अगर सरकार की तरफ से नहीं दिए जायेंगे तो फिर किसानों का काम नहीं चलेगा। किसानों को टयूबवैल्ज कनैक्शन लेने के लिए सबसे पहले दो लाख रुपये जमा करवाने के लिए कहा जाता है। यदि किसी किसान का ट्रांसफार्मर चोरी हो जाता है तो उससे दोबारा से पैसे जमा करवाए जाते हैं। इस प्रकार का सिस्टम बंद होना चाहिए। सरकार किसानों को कुछ नहीं दे रही है और कह रही है कि हम बिजली में सब्सिडी दे रहे हैं। जब किसानों से दो–दो लाख रुपये ले लिए तो मेरे ख्याल से सब्सिडी की राशि

तो पहले से उनसे ले ली गई है। इस प्रकार से किसानों के साथ हर जगह ठगी हो रही है। किसानों के साथ पारदर्शिता सिस्टम को ओपन करना चाहिए। 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' में भी पारदर्शिता होनी चाहिए। मैं स्वयं किसान का बेटा हूँ और मैं कोई चण्डीगढ़ से बटन दबाकर खेती नहीं करता बल्कि जमीनी स्तर पर खेती से जुड़ा हुआ हूँ। मैं अपनी मेहनत से और अपने क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से आज सदन में पहुँचा हूँ। हमारा एजुकेशन सिस्टम भी दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। दिनांक 17 फरवरी से 19 फरवरी, 2020 तक प्री बजट को लेकर चर्चा हुई थी तो मैंने एक सुझाव दिया था कि यदि हम एजुकेशन सिस्टम को नहीं संभालेंगे तो हम धीरे–धीरे सोशली बैकवर्ड होते जायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्पेशली तौर पर सरकार से कहूँगा कि स्कूल्ज की तरफ विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। मेरे एक अतारांकित प्रश्न के जवाब से पता चला है कि 1233 स्कूल्ज में पंजाबी विषय पढ़ाया जाता है। लेकिन उस प्रश्न का जवाब डिटेल में नहीं आया अर्थात् इस सवाल के जवाब में यह नहीं पता लग पाया कि हरियाणा प्रदेश में कितने पंजाबी अध्यापक हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से कहना चाहता हूँ कि आज तक पंजाबी को एन0एस0क्यू0एफ0 (नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क) के साथ क्यों नहीं जोड़ा गया। हम तेलुगू लैंग्वेज पढ़ाएंगे और पंजाबियों की यहां पर तादाद बहुत होने और प्रदेश का मुख्य मंत्री स्वयं पंजाबी होने के बावजूद अगर माननीय मुख्य मंत्री महोदय पंजाबी भाषा को स्कूलों में पढ़ाना अनिवार्य नहीं करते तो यह प्रदेश के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है । अब मैं आउटसॉर्स बेस्ड इम्पलॉयमैंट पर बात करना चाहूंगा । उपाध्यक्ष महोदय, इसके हमें 2 तरह के नुकसान हो रहे हैं । (विघ्न) आप मेरा शरीर देखिये । अभी तो मैंने वॉर्म अप किया है । मैंने दौड़ना तो अभी तक शुरू भी नहीं किया है । जो बच्चे आउटसॉर्स बेस पर भर्ती होते हैं और 2–4 साल बाद जब उनको वहां से ठेकेदार द्वारा निकाल दिया जाता है तो उसके बाद उनकी बहुत दुगर्ति होती है । उस समय वे ओवर एज हो जाते हैं और किसी अन्य काम को अच्छे तरीके से सीखने–करने के योग्य नहीं रहते, इसलिए बच्चों को रैगुलर बेस पर नौकरी दी जानी चाहिए । आउटसॉर्स बेस पर भर्ती करने से गरीब आदमी का कोटा भी खत्म हो रहा है । अतः इस पर विशेष ध्यान दिया जाए । गांवों में वाटर लॉगिंग और पानी की निकासी की बहुत समस्या है । इस संबंध में मैं सरकार को एक आइडिया देना चाहता हूं । हर गांव में तो वाटर ट्रीटमैंट प्लांट नहीं लगाया जा सकता

लेकिन अगर केवल 5–10 गांवों का एक क्लस्टर बनाकर उनमें वाटर ट्रीटमैंट प्लांट लगाकर पानी निकासी का काम किया जाए तो इस समस्या का हल हो सकता है । **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए ।)** मेरे हल्के में असंध के पास जयसिंहपुर नाम का एक गांव है । उस गांव में हैपेटाइटिस 'बी' और 'सी' के बहुत ज्यादा मरीज हैं । वहां पर इतने मरीज इसलिए हैं क्योंकि वहां पर पानी की निकासी की ठीक व्यवस्था नहीं है । वहां के बच्चे गंदे पानी में से निकलकर स्कूल जाते हैं । मैंने अधिकारियों से रिकवैस्ट करके गलियों से पानी निकलवाकर नैशनल हाइवे के नाले में डलवाया है तब जाकर वहां की गलियां साफ हुई है । अतः इस बात का ध्यान रखा जाए । उपाध्यक्ष महोदय, हम जानवरों खासकर गऊ माता की बहुत चिंता करते हैं । उनके लिए वेटरनरी डॉक्टर्स की बहुत आवश्यकता है । आजकल गऊएं ज्यादा इसलिए मर रही हैं क्योंकि हमारे पास उनके इलाज के लिए डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं । मुझे 2–3 बातें और कहनी हैं । हमारे असंध में एक बाइपास बन रहा है लेकिन वह अभी आधा ही बना है । मेरा निवेदन है कि उसको जल्दी से जल्दी कंपलीट करवाया जाए । एक छोटे–से शहर में 3–3 घंटे का जाम लगा रहता है । अगर ऐसे जाम में मैं फंस जाऊँ और मैंने कहीं पर जाने का किसी को टाइम दिया हुआ हो और मैं निर्धारित समय से अगर 3 घंटे लेट पहुंचू तो वे लोग मुझसे बहुत नाराज हो जाएंगे । असंध का सीवरेज सिस्टम भी बहुत खराब हो चुका है । मेरा निवेदन है कि उसको ठीक करवाया जाए । मेरे हल्के के गांव सालवन में एक बहुत बड़ा तीर्थ है । मैंने माननीय मंत्री जी को उसे टूरिस्ट कम रिलीजियस कॉम्पलैक्स के रूप में डिवैल्प करने के लिए रिटन लैटर दिया है । उसकी 22 एकड़ जमीन है और वहां पर हजारों लोग माथा टेकने आते हैं । मेरा निवेदन है कि उसे टूरिस्ट कम रिलीजियस कॉम्पलैक्स के रूप में डिवैल्प किया जाए । इससे सरकार को वहां से रिवैन्यू का भी अच्छा कलैक्शन प्राप्त होगा । मेरे हल्के के बला गांव में एक स्टेडियम बनना पैंडिंग पड़ा है । उस पर पिछले 15 साल से यह फैसला नहीं हो पा रहा है कि उसको पंचायत बनाएगी या स्पॉर्ट्स डिपार्टमैंट बनाएगा । इस बारे में मैंने माननीय खेल मंत्री जी को लिखकर भी दिया है । वह इतना बड़ा गांव है कि वहां के हजारों लड़के स्पॉर्ट्सपर्सन हैं । वहां से नैशनल लैवल के खिलाड़ी निकले हैं । इसके अलावा मेरे हल्के में एक चोरकारसा गांव हैं। उस गांव का लड़का ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स में भाग लेने वाली टीम का कैप्टन भी है । मेरा निवेदन है कि उस गांव में भी एक स्टेडियम की

सुविधा दी जाए । इसके अतिरिक्त धान की नवम्बर से आज तक की असंध की मंडी की 114 करोड़ रुपये और करनाल की मंडियों की 150 करोड़ रूपये पेमेंट पेंडिंग है । मेरा कहना है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय कम से कम अपने जिले का काम तो करवा दे बाकी हरियाणा को तो बाद में देख लेंगे । मेरी सरकार से आखिरी रिकवैस्ट है । जीरी का जो घपला सारे हरियाणा में हुआ वह शुरू तो करनाल जिले से हुआ था और उसकी इंकवायरी भी हुई है । इस संबंध में सरकार से मेरे 2–3 सवाल हैं । कितने एकड़ में जीरी लगी ? कितनी प्रोडक्शन हुई ? जीरी तैयार होने से एक महीना पहले कितने लाइसैंस बनाए गए ? ऐसे लोगों को लाइसैंस दिए गए हैं जिनके पास न तो कोई दुकान है, न फड़ है और न कंडा है । उन्होंने सिर्फ एक पर्ची छपवा रखी है और उसी पर 7–7, 8–8 करोड़ रुपये की जीरी की खरीद दिखा रखी है । माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र करनाल से तो कई आढ़ती पैसे लेकर भाग भी गए और सरकार को अब उनको ढूंढना पड़ रहा है । अब मैं आपको एक और रिकॉर्ड की बात बताता हूं । अब ऐसे–ऐसे आढ़तियों के बारे में पता चला है जिन्होंने गेहूं का एक दाना तक नहीं खरीदा और जीरी का 15–15 करोड़ रुपये की जीरी उनके नाम से खरीदी गई है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य श्री हरविन्द्र कल्याण जी को भी कहना चाहूंगा कि वे भी इस बारे में पता करें। इस मामले में वे भी मेरे हिस्सेदार हैं, क्योंकि वे भी किसान हैं। अध्यक्ष महोदय, किसानों को उनकी फसल मंडियों में बेचने पर 1,000 से 1500 रुपये तक का घाटा पड़ा है क्योंकि पहले जो जीरी 3,400 रुपये से 4,000 रुपये तक बिकती थी, वह जीरी 2,000 से भी नीचे बिकी है। इसमें अतिरिक्त फसलों में नमी की कटौती के बारे में भी कल बात की गयी थी। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहूंगा कि क्या जीरी में नमी वर्ष 2014 के बाद से ही आनी शुरू हुई है ? क्या ये नमी पहले नहीं होती थी ? हम सभी का मीठे/नमकीन चावल खाने का दिल करता है, लेकिन जब किसान अपने खेत की पराली को जलाता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है। जब चावल खाने हैं तो पराली के निष्पादन का इन्तजाम करना भी जरूरी है। किसान पर मुकदमा दर्ज करना इन्सानियत के खिलाफ जुर्म है। उदाहरण के तौर पर आप खेती के लिए मेरे से मुफ्त में जमीन ले लें और आप उस खेत में पराली फैंक दें, परन्तु इसके बाद आप उस खेत में 3 साल तक कोई फसल नहीं उगा सकते क्योंकि उस खेत में फसल नहीं होगी ? किसान को अपराधी बना दिया गया है।

15:00 बजे

यानी अन्नदाता को अपराधी बना दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट है कि मेरा हल्का पिछड़ा हुआ है, इसलिए उसको कम से कम करनाल के बराबर तो ला ही दें। मैं करनाल जिले से अकेला ही दूसरी पार्टी का विधायक हूं और बाकी 4 विधायक तो आपकी पार्टी के ही हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्य मंत्री जी महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण पर जवाब देंगे।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, इस महीने की 24 तारीख को माननीय राज्यपाल महोदय ने जो अपना अभिभाषण दिया, उसके बाद 25, 26 और 27 तारीख तक लगातार 4 दिनों से उसके ऊपर सभी माननीय सदस्य डिबेट कर रहे हैं। डिबेट के दौरान बहुत से विषय और बहुत से अनुभव हमारे सामने आये हैं और आते ही हैं, क्योंकि हमारे प्रदेश के सभी माननीय विधायक जन प्रतिनिधि यहां पर बैठे हुए हैं। चाहे वे अपने पूरे प्रदेश की बातचीत करें या अपने–अपने क्षेत्रों की बात करें। यह स्वाभाविक बात है कि उनका यहां पर बोलने का पूर्ण अधिकार भी है और आपने उन सबको बोलने का अवसर भी दिया है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इस दौरान कुछ विषय खासकर हमारे विपक्ष के माननीय सदस्यों की तरफ से जरूर उठाये जाते हैं और उनमें अगर सार्थक विषय उठाये जाएं, तो ठीक है, परन्तु कभी– कभी नॉन इशूज को भी इशू बनाकर यहां पर प्रोजैक्ट किया जाता है और यह कहा जाता है कि विपक्ष है और उसका एक अधिकार है, इसलिए आपको उनकी बात सुननी पड़ेगी और माननी भी पड़ेगी। कभी कभी तो कोई सुधार की भी बात की जाए तो उसमें से मीन–मेख निकाल कर के उसको इस प्रकार से जनता के समक्ष पेश किया जाता है कि इसमें भी गड़बड़ की गयी है। उदाहरण के लिए एक्साइज पॉलिसी का ही विषय आया और उसमें कहा गया कि इससे गांव–गांव में ठेके खुल जाएंगे, घर–घर में ठेके खुल जाएंगे। इस विषय को बहुत जोरदार तरीके से आगे बढ़ाया गया, परन्तु जब सदन में ये सारी बातें आयी कि यह पॉलिसी 15 वर्ष पुरानी है। वैसे तो यह इससे भी पुरानी पॉलिसी है। यह ठीक है कि 15 साल पहले जो उसका कोटा था, उसमें बोतलों की संख्या बढ़ा दी गयी। वरना 1–2 बोतलें देने का प्रावधान तो अंग्रेजों के टाईम से ही चल रहा है। यह काम पिछले काफी दिनों से चला आ रहा है, लेकिन फिर भी उस

एक्साईज पॉलिसी के डिक्लेयर होते ही विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा एक इस तरह का वमबार्टमैंट किया गया कि जैसे इससे सबका सत्यानाश हो जाएगा क्योंकि अब सरकार ने घर–घर शराब के ठेके खोल दिये हैं। हालांकि सरकार ने इसमें एक संशोधन भी किया है कि पहले तो किसी को भी शराब रखने का लाईसैंस मिल जाता था और किसी को नहीं मिलता था, लेकिन अब हमने इस सिस्टम को ऑनलाईन कर दिया है। यानी अगर कोई लाईसैंस लेना चाहता है तो उसको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपना ऑनलाईन आवेदन करिए, आपको लाईसैंस मिल जाएगा। बल्कि एक दिन का लाईसैंस चाहिए तो जो भी ऑनलाईन आवेदन करेगा, उसको तुरंत एक दिन का लाईसैंस मिल जाएगा। इसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता। यह मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो सदन में भी कहे जाते हैं और कभी –कभी मीडिया में भी जबरदस्त तरीके से प्रचार किया जाता है कि सरकार को बने हुए 100 दिन का समय हो चुका है, परन्तु सरकार ने अभी तक कोई कार्य शुरू ही नहीं किया है। पिछले 5 साल बेकार हो गये और आगे पता नहीं क्या करेंगे ? कब काम शुरू करेंगे ? ये सारी बातें हम सुनते हैं, लेकिन हम भी जनता को अपना अकाउंट बताते हैं कि हमने क्या–क्या काम किये हैं ? बिना काम किये कोई भी सरकार नहीं चलेगी, परन्तु कोई कम काम करता है और कोई ज्यादा करता है। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा यह कहना कि सरकार ने कोई काम नहीं किया इस प्रकार की बातें करेंगे तो कभी–कभी लगता है कि नॉन इशू को इशू बनाकर आगे बढ़ने वाला जमाना अब चला गया है। गोयबल्ज के सिंद्धांत के बारे में कहा जाता था कि किसी झूठ को दोहराओ तो सच हो जाएगा। कहने का मतलब यही है कि अगर हम एक बात को 100 बार कह देते हैं, चाहे वह बात झूठी भी हो परन्तु उस बात को लोग सत्य मानने लग जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आज ऐसा जमाना नहीं है, अब ऐसा नहीं होता है। पुराने जमाने में तो कहा जा सकता था कि मैं सच कहूंगा, मगर फिर भी हार जाऊंगा और वो झूठ बोलेगा लाजवाब कर देगा लेकिन आज जनता लाजवाब होती नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आज जनता को सब बातों का पता है कि क्या बात सच है और क्या बात झूठी है? हम इस बात से इनकार भी नहीं करते हैं कि कांग्रेस पार्टी का सत्ता में रहने का अनुभव कम है क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता में आये हुए थोड़ा ही समय हुआ है। जहां तक मेरी जानकारी है कि कांग्रेस पार्टी

ने हरियाणा प्रदेश में लगभग 30–35 साल तक शासन किया लेकिन इस दौरान कुछ ऐसी पार्टियां थी, जिनका हमने भी सहयोग किया था। उस समय हमारी पूरी कोशिश रहती थी कि बहुत सी चीजों को ठीक किया जाये लेकिन वह समय ही ऐसा था कि हम स्पोर्ट करते थे, इंजन किसी का था और हम डिब्बे की तरह उस गाड़ी को चलाने के लिए हमारी जितनी भी भूमिका होती थी, उस भूमिका को हम निभाने की पूरी कोशिश भी करते थे लेकिन आज वर्तमान समय में हमारी भूमिका बदली हुई है। आज हमें जनता को जो ठीक बातें हैं वे बतानी हैं। हम भी सरकार चला रहे हैं और बिल्कुल शुद्ध व सात्विक तरीके से और अपने प्रिंसिपल्स के आधार पर चला रहे हैं। हम एक ट्रांसपेरेंट तरीके से सरकार चला रहे हैं। मैं इसके अलावा सदन में यह बताना चाहूंगा कि हम हरियाणा प्रदेश में भ्रष्टचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेंगे और हम बिना भेदभाव किए सरकार चलायेंगे। अध्यक्ष महोदय, हम इस प्रकार की भूमिका निभाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अंत्योदय के नाते से हमारी सरकार की जो भूमिका है उसे निभा रहे हैं और हमारी सरकार का भी यही प्रयास रहेगा कि हमारी जितनी सरकारी सेवाएं हैं, उनको प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक किसी न किसी तरीके से पहुंचाने का काम किया जाये। मैं इस बारे में एक दो लाइन सदन में पढ़कर सुनाना चाहता हूं किः–

चिराग की तासीर रखते हैं हम,
यह नहीं देखते कि घर किसका रोशन हुआ।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार यह नहीं देखती है कि प्रदेश का कौन व्यक्ति हमारा विरोध करता है और कौन व्यक्ति हमारा समर्थन करता है लेकिन मैं इस महान सदन में कहना चाहता हूं कि मेरे समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उस परिवार को सरकारी सेवाएं और सर्विस पहुंचनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मुझे कभी–कभी ऐसा लगता है कि इस लोकतांत्रिक समाज में पहले से आज तक एक प्रक्रिया चलती रही है। हमारे समाज में हर प्रकार के लोग रहते हैं कुछ समझदार लोग हैं, कुछ भोले–भाले लोग हैं और कुछ अनपढ़ लोग भी हैं, उनको जिस तरह से चलाया जाता है वे उसी तरीके से चल पड़ते हैं। मैं यह बात मानता हूं कि हमें इन सब लोगों को इस बारे में बताने में समय ज्यादा लगेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तब मैंने एक कहानी सुनी थी कि दो मित्र थे और दोनों मित्रों ने यह तय किया कि चलो संगीत सीखते हैं और संगीत सीखने के लिए एक मित्र एक उस्ताद के पास चला गया और दूसरा मित्र दूसरे उस्ताद के पास चला गया। छह

महीने तक उन दोनों मित्रों ने खूब मेहनत करके संगीत सीखा, बाद में उन दोनों मित्रों की किसी कार्यक्रम में प्रतियोगिता हुई। एक मित्र ने बहुत अच्छा संगीत सुनाया और दूसरा मित्र काफी पीछे रह गया, जो मित्र काफी पीछे रह गया, उसको बड़ा अफसोस हुआ कि मुझे भी उसी उस्ताद के पास संगीत सीखने के लिए जाना चाहिए था, जिसके पास मेरा मित्र गया था। उसने यह तय किया है कि मैं अपने इस उस्ताद को छोड़ देता हूं और जो मेरा मित्र है, जहां से संगीत सीख कर आया है, मैं भी उस उस्ताद के पास संगीत सीखने के लिए चला जाता हूं। अध्यक्ष महोदय, वह संगीत सीखने के लिए चला गया है और कहने लगा कि उस्ताद जी मुझे भी संगीत सीखना है तो वह उस्ताद कहने लगा कि आपने पहले कभी संगीत सीखा है तो उसने कहा कि मुझे संगीत आता है। उसने कहा कि आपने किस उस्ताद से संगीत सीखा है तो उसने कहा कि मैं फलां उस्ताद से संगीत सीखकर आया हूं तो उस उस्ताद ने उसका टैस्ट लिया और टैस्ट लेने के बाद वह उस्ताद बोला ठीक है मैं आपको संगीत सिखा दूंगा। उसने पूछा कि उस्ताद जी मुझे संगीत सीखने में कितने पैसे देने पड़ेंगे और मुझे संगीत सीखने में कितना समय लगेगा। उस्ताद ने कहा कि आपको 1 हजार रुपये देने पड़ेंगे और 1 साल का समय लगेगा। अब उसने कहा कि उस्ताद जी मेरा पहले वाला मित्र है, उसने और मैंने छः महीने पहले संगीत सीखना शुरू किया था, वह मित्र छः महीने में इतना सब कुछ सीख गया और उसने मात्र 500 रुपये ही दिये। मुझे संगीत सीखने में 1 साल का समय लगेगा और 1 हजार रुपये भी देने पड़ेंगे। उसने उस्ताद से पूछा ऐसा क्यों? वह उस्ताद कहने लगा कि जो कुछ तुम पहले उस्ताद से संगीत सीखकर आये हो। मुझे आपको संगीत सीखाने के लिए दो काम करने पड़ेंगे, पहला तो यह है कि जो तुमने संगीत सीखा है, उसको भुलाना पड़ेगा दूसरा यह है कि मुझे भी अपना संगीत सिखाना पड़ेगा इसलिए इस बात पर आपको समय और पैसा डबल देना पड़ेगा। **(इस समय मेजें थपथपाई गईं।)** अध्यक्ष महोदय, मैं कांग्रेस पार्टी के मित्रों को कहना चाहता हूं कि जो कुछ आपने हरियाणा प्रदेश की जनता को 30–35 साल में सिखा दिया है और इस दौरान जनता की स्थिति बुरी भी कर दी है। हमें वे सारी स्थितियां भी ठीक करनी हैं और हमें अपनी बातें भी आगे बढ़ानी हैं। हम इस बात को मानते हैं कि कांग्रेस सरकार ने 35 साल तक प्रदेश में राज किया है लेकिन अब हमें ये सारे काम करने के लिए 70 साल चाहिए इसलिए कांग्रेस पार्टी को 70 साल तक विपक्ष में बैठना पड़ेगा। **(इस समय मेजें थपथपाई**

गई ।) अध्यक्ष महोदय, इनको हमारे द्वारा सत्ता हासिल करने के कारण बहुत तिलमिलाहट हो रही है। विपक्ष के सदस्य कल भी कह रहे थे कि अगर आपको हमारी नीतियां इतनी पंसद है तो हमें सत्ता पक्ष की तरफ बैठा दो। इससे साफ पता चलता है कि इनको सत्ता पक्ष की तरफ बैठने की कितनी तड़प पैदा हो रही है। मैं इनको कहना चाहूंगा कि सत्ता पक्ष की तरफ बैठने की इतनी तड़प नहीं दिखानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के सदस्यों से कहना चाहूंगा कि न तो मैं सत्ता पक्ष की ओर बैठा सकता हूं और न ही विपक्ष के सदस्य हमें विपक्ष की ओर बैठा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसका फैसला हमारे प्रदेश की जनता करेगी कि किस पार्टी को कहां बैठाना है और किस पार्टी को कहां नहीं बैठना है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से कांग्रेस के साथियों से यही कहना है कि हमें तो हरियाणा प्रदेश की जनता पर पूरा भरोसा है कि वह कांग्रेस के माननीय साथियों के बहकावे में कभी नहीं आयेगी और इनको विपक्ष में ही रखने का काम करेगी।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, इनको तो मेरा श्राप लगा हुआ है इसलिए ये अब विपक्ष में ही रहेंगे।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष जी, मैं यह कह रहा था कि हमें हरियाणा प्रदेश की जनता पर पूरा भरोसा है इसलिए हम हरियाणा प्रदेश की जनता की भलाई के लिए साफ नियत और नीति के साथ काम करते हैं। हमारी नियत और नीति में कोई भी खोट नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी के अपने मित्रों को यह भी कहना चाहूंगा कि–बेसहारा और गरीब हमारे लिए बस वोट नहीं हैं, काश ये इस बात समझ पाते कि जनता की चोट से बड़ी कोई भी चोट नहीं है। कांग्रेस पार्टी के साथी कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। ये सदन में भी कुछ भी बोल सकते हैं और सदन से बाहर भी कुछ भी बोल सकते हैं। (विघ्न) स्पीकर सर, मैं यह कहना रहा था कि कांग्रेस पार्टी के साथी बोलने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। ये इशूज को नॉन इशूज में बदलने के लिए भी पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। ये हरियाणा प्रदेश की जनता को भी बहकाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। मेरा तो यही कहना है कि जो फैक्ट्स हैं उनको किसी भी सूरत में नकारा नहीं जा सकता। मैं उन्हीं फैक्ट्स के आधार पर कुछ जानकारियां सदन में देना चाहूंगा। यहां पर माननीय सदस्यों द्वारा बहुत से विषय उठाये गये हैं। मैं उन विषयों के अनुसार ही सभी फैक्ट्स सदन के सामने रखूंगा। फैक्ट्स उठाते समय सबसे पहली बात तो मैं यह कहना चाहूंगा कि हम भ्रष्टाचार के प्रति बहुत सख्त हैं। Zero tolerance for corruption में

अण्डरलाईन करके हम अपनी सरकार को चला रहे हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र की सरकार रही हो और चाहे हमारी राज्य सरकार हो दोनों ही जगह कहीं पर भी भ्रष्टाचारियों को कोई भी संरक्षण प्रदान नहीं किया जा रहा है बल्कि इसके विपरीत भ्रष्टाचारियों के प्रति वर्तमान केन्द्र और राज्य सरकार दोनों का बहुत ही ज्यादा सख्त रवैया है। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मैं यह गारंटी नहीं देता कि भ्रष्टाचार कहीं पर भी नहीं होता है। (विघ्न) हम अपनी सरकार के प्रत्येक कामकाज में ट्रांसपैरेंसी को लेकर आये हैं। हमारे स्तर पर कामकाज में ट्रांसपैरेंसी के बावजूद भी निचले स्तर पर भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं होता होगा ऐसी बात भी नहीं है। निचले स्तर पर बहुत से कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा दांव लगते ही भ्रष्टाचार किया जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो कर्मचारी और अधिकारी हमारी सख्ती के बावजूद भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं वे सारे के सारे हमारे भर्ती किये हुए नहीं हैं। उनकी ज्यादातर भर्ती पुरानी सरकारों के समय में हुई हैं। उस समय हरियाणा में किस–किस तरह से भर्ती होती थी, यह भी किसी से छिपा नहीं है। उस समय कोई अपनी मां के गहनों को बेचकर सरकारी नौकरी प्राप्त करता था और किसी को सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए अपने पिता के हिस्से की जमीन के किल्ले बेचने पड़े थे। मैं यह बात पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी सरकार के पिछले पांच वर्ष के शासनकाल के दौरान हमने बिना पर्ची और बिना खर्ची के सरकारी नौकरी देने का काम किया है। हम इसकी गारंटी तो ले सकते हैं कि हमारी सरकार के समय में सरकारी सेवा में भर्ती हुआ कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त होने की लाइन पर चलने वाला नहीं है। हमारी सरकार के समय में गरीब से गरीब व्यक्ति को भी सरकारी सेवा में योग्यता के आधार पर प्रवेश मिला है। उदाहरण के लिए एक लोहार का बेटा जो धोकनी चला रहा होता है उसको उस समय सरकारी सेवा में नियुक्ति का पत्र मिल जाता है कि जा बेटा तेरी क्लर्क की पोस्ट पर अप्वॉयंटमैंट हो गई है या किसी को टीचर की पोस्ट पर अप्वॉयंटमैंट का पत्र प्राप्त हो जाता है और किसी व्यक्ति को सिपाही की पोस्ट पर अप्वॉयंटमैंट का पत्र प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से केवल मात्र योग्यता के आधार पर ही हमारी सरकार ने विभिन्न पदों पर सरकारी भर्ती करने का काम किया है। हरियाणा प्रदेश की पूरी जनता को इसकी सारी जानकारी है। हमने सरकारी भर्ती के लिए पॉलिसी बनाई। हां, यह बात भी जरूर है कि उस पॉलिसी से नाराजगी होनी स्वाभाविक थी। चाहे वह कोई भी रजनेता रहा हो चाहे

वह पक्ष का हो या चाहे विपक्ष का नेता हो बहुत से नेताआं ने इस पॉलिसी से नाराजगी जाहिर की है। इससे विपक्ष की नाराजगी का ही सवाल नहीं है हमारी पार्टी के भी बहुत से ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने शुरू–शुरू में मुझे यह कहा था कि आप यह क्या कर रहे हो क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारे अपने लोग सरकारी सेवा में कैसे आयेंगे? उस समय मैंने उनको यही कहा था कि अपने लोग भी आयेंगे तो उन्होंने कहा कि अपने लोग कैसे आयेंगे? इस पर मैंने उनको यही कहा था कि मैं हरियाणा प्रदेश की सारी की सारी जनता को ही अपना मानता हूं इसलिए हमारी सरकार के समय में जो भी व्यक्ति सरकारी सेवा में आयेगा वह अपना ही होगा और बाहर का कोई नहीं आयेगा। इस प्रकार से इस समय हमारी सरकार की जो नीति है जैसा मैंने बताया कि भ्रष्टाचार के मामले में हम जीरो टॉलरैंस की नीति पर काम करते हैं और हमारे राज में न तो कोई घोटाला हुआ है और न ही भविष्य में होगा। (विघ्न) स्पीकर सर, मुझे यह भी पता है कि विपक्ष के माननीय साथी मेरी सभी बातों से सहमत नहीं हो पायेंगे क्योंकि निश्चित रूप से सदन के अंदर हम पक्ष में बैठे हैं और वे विपक्ष में बैठे हैं। यह सर्वविदित है कि पक्ष और विपक्ष की नोक–झोंक तो हमेशा होती ही रहती है लेकिन अगर मेरा जवाब सुनने के बाद भी विपक्ष के साथियों को यह लगता है कि जो मैंने कहा है उससे वे सहमत नहीं हैं। उस स्थिति में मेरा उनसे यही कहना है कि किसी भी मामले में सुनवाई के और भी बहुत से रास्ते हो सकते हैं क्योंकि किसी भी मामले में आगे के भी बहुत से रास्ते होते हैं। मैं आपको उन रास्तों के बारे में भी जानकारी दूंगा कि आगे के रास्ते कौन–कौन से हैं। इस प्रकार से जैसे मैंने यह बताया कि निचले स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों के स्तर पर बहुत कुछ अवांछनीय चलता रहता है इसलिए अभी भी ऐसे बहुत से अधिकारी और कर्मचारी हैं जो लाईन से उतरे हुए हैं। इसके बारे में भी यदि हमें जनता से, विपक्ष के माननीय साथियों के माध्यम से या कोर्ट के माध्यम से कोई भी credible primary material to believe प्राप्त होगा जिसमें घोटाला होने की सम्भावना के बारे में जानकारी मिलेगी वह कागज जब हमें मिलेंगे तो उसके आधार पर हम जांच के आदेश जारी करके निश्चित रूप से जांच करवायेंगे। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जब हमने अपनी ही सरकार के समय में बहुत सी ऐसी एफ.आई.आर. दर्ज करवाई हैं, बहुत सी ऐसी विजिलेंस जांच चल रही हैं लेकिन उनमें मैटीरियल मिलना चाहिए। हम केवल अपनी ही सरकार के समय की विजिलेंस जांच या एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करवायेंगे

बल्कि पिछली सरकार के समय के हुए केसिज की भी जांच करवायेंगे। कभी कोई यह सोचता हो कि पिछली सरकारें मुक्त हो जायेंगी और आज की सरकारें फसेंगी। जो कोई भी गलत काम करेगा उसके प्रति हमारी गम्भीर धारणा है कि हम गलत काम नहीं होने देंगे, जो गलत काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं इस बारे में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का उदाहरण देना चाहता हूं। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एक ऐसा विषय है कि जो आज का नहीं है। यह वर्ष 2008 से लेकर वर्ष 2014 तक का मामला है और उसी समय इसमें घोटाले हुए हैं। इन घोटालों के खिलाफ हमने 4 एफ.आई.आर. भी दर्ज करवाई हैं। यह इस तरह का घोटाला है कि इसमें बैंक भी शामिल हैं तथा विभाग के कर्मचारी/अधिकारी भी शामिल हैं। अलग–अलग मंडलों से जो जांच आई है उसमें लगभग 46 करोड़ रुपये का घोटाला पकड़ा गया है। जो 4 एफ.आई.आर. दर्ज हुई हैं उसके तहत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजस्थान के एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है क्योंकि वहां तक इसके तार जुड़े हुये हैं। इस पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में हरियाणा के साथ–साथ राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के साथ भी तार जुड़े हुये हैं। बल्कि सही बात तो यह है कि इस घोटाले की जानकारी हिमाचल प्रदेश से ही मिलनी शुरू हुई है। इसमें इंटरस्टेट विषय भी शामिल है। बहुत से ऐसे केसिज हैं जिनमें रोल नम्बर कहीं का, नाम कहीं का और आधार नम्बर भी बदल दिये गये। बैंक में बैठकर कर्मचारियों ने नाम और आधार नम्बर बदले हैं। यह एक बड़ा घोटाला है, इसमें कौन संलिप्त है कौन नहीं है यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा लेकिन जिन कर्मचारियों का इसमें प्रत्यक्ष हाथ है वे मिल गये हैं। इस घोटाले में जो भी दोषी पाए जायेंगे उनके लिए जो भी सजा बनती होगी वह हम दिलवायेंगे। यह विषय कई बार आया है इसलिए इसके बारे में बताना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार पानीपत और करनाल की शुगर मिल के बारे में एक विषय आया था। पहली बात तो यह है कि इस विषय को उठाते हुए पानीपत शुगर मिल की बात कही गई है। कहा तो करनाल वाली शुगर मिल के बारे में भी गया था लेकिन बतरा साहब ने पानीपत वाली शुगर मिल के बारे में कहा है इसलिए मैं पानीपत की शुगर मिल के बारे में बताता हूं। पानीपत के एरिया में गन्ना अभी भी इतना है कि 10 से 15 लाख क्विंटल गन्ना पानीपत के एरिया से दूसरे स्थानों पर भेजना पड़ता है। चाहे वह सोनीपत भेजना पड़े या करनाल या कैथल की मिल में भेजना पड़े। पानीपत में अभी भी जितना गन्ना है उतनी कैपेसिटी पानीपत शुगर मिल की नहीं है। इसलिए

दोनों मिलों की कैपेसिटी बढ़ाना अनिवार्य है। यह कोई आज की मांग नहीं है बल्कि वर्षों पुरानी मांग है। यहां तक कि पानीपत की शुगर मिल को तो दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा रहा है। यह बहुत पुराना प्रोजैक्ट है वह बीच में डिले होता रहा है लेकिन अब दोनों मिलों की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए टैंडर हो चुके हैं और उसका काम शुरू हो चुका है। उस टैंडर में जो चीजें बताई गई कि यह टैंडर जी.एस.टी. के बिना था या जी.एस.टी. के साथ था, बतरा जी ने यह विषय उठाया था। इस बारे में मेरा इतना ही कहना है कि जब जी.एस.टी. का समय नहीं था उस समय की जो हाई पॉवर परचेज कमेटी बनी हुई हैं, उसका एक सिस्टम है कि टैंडर जी.एस.टी. के साथ हो या जी.एस.टी. के बिना हो, उनकी जो नैगोशिएशन होती है वह जी.एस.टी. के बिना ही होती है। टैंडर वैल्यू जी.एस.टी. के साथ भी आए तो बैकवर्ड कैलकुलेशन करके, जी.एस.टी. माइनस करके फिर उसकी नैगोशिएशन होती है। बहुत से लोग इस पर भी ऐतराज करते हैं कि एक बार टैंडर हो गया तो नैगोशिएशन क्यों की जाती है, एल–1 को ही टैंडर दे दिया जाना चाहिए। यह प्रैक्टिस आज की नहीं है यह तो पिछली सरकारों के समय की है। मुझे लगता है कि उस नैगोशिएशन में बहुत सी बचत होती है। मुझे पहले का तो नहीं पता लेकिन पिछले 4 महीने से मैं चेयरमैन, हाई पावर परचेज कमेटी के नाते से देख रहा हूं कि बहुत से रेट अनाप–शनाप भी आते हैं तथा बहुत से लोग इस कम्पिटीशन में रेट कम भी करते हैं। जब हमें रेट बाजार भाव से ज्यादा भी लगते हैं तो हम उस टैंडर को रद्द भी कर देते हैं। अगर मैं पानीपत और करनाल शुगर मिल के बारे में बताऊं तो करनाल का एल–1 का रेट 313 करोड़ 11 लाख रुपये था लेकिन नैगोशिएशन के बाद इसको 263 करोड़ 8 लाख रुपये में फाइनल किया गया है। इसी प्रकार से पानीपत शुगर मिल का एल–1 का रेट 380 करोड़ 50 लाख रुपये आया था और नैगोशिएशन के बाद उसको 354 करोड़ 70 लाख रुपये में फाइनल किया गया है। अब ये सारे जितने भी प्रोसैस है उन प्रोसैस की यहां लम्बी जानकारी देने का अर्थ नहीं है। मैं तो आपको इतना बता देता हूं कि यह सारा प्रोसैस नैगोसिएशन करके ही किया गया है। अगर इसके बाद कोई जानकारी चाहिए तो वह हम विभाग से ले सकते हैं। राईट टू इंफोर्मेशन में ले सकते हैं। सारी चीज ओपन हैं कहीं किसी प्रकार की दुविधा नहीं है। मैं तो आपको जो जानकारी है वह बता रहा हूं। इसमें जो ओरिजिनल बिड थी वह विद जी.एस.टी. रेट थी लेकिन नैगोसिएशन में जी.एस.टी. रेट कम करके बाद में जो रेट आया

उसके ऊपर नैगोसिएशन किया गया था। वह रेट चाहे जी.एस.टी. के साथ करे या उसके बिना करे क्योंकि जी.एस.टी. के बिना रेट करने के बाद नैट रेट जो भी आता है उसमें फिर जी.एस.टी. लगाकर उसका जो फाइनल कॉन्ट्रैक्ट होता है वह जी.एस.टी. के साथ ही होता है। यही उसकी जानकारी है। इसी प्रकार शायद यह बतरा जी ने ही सवाल उठाया है कि करनाल में पब्लिक हैल्थ विभाग का एक 50 एम.एल.डी. का एस.टी.पी. है और एक 40 एम.एल.डी. का एस.टी.पी. हिसार का है। इसमें 40 एम.एल.डी. का रेट केवल 29 करोड़ 75 लाख रुपये है और 50 एम.एल. डी. का रेट 72 करोड़ समथिंग रुपये हैं जो हमने रिकॉर्ड में से उठाया है। इसमें इतना अन्तर क्यों है? इसके बारे में मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि इन दोनों एम. एल.डी. की स्पैसिफिकेशन और रिक्वायरमैंट अलग–अलग हैं और अलग–अलग होने में भी दोनों टैंडर से आए हैं। ये नहीं है कि किसी ने किसी को कह कर टैंडर लिया है। इसमें जो मोटी चीज है वह यह है कि जो करनाल का प्रोजैक्ट है वह ऑटोमैटिक है और हिसार का जो प्रोजैक्ट है वह मैनुअल है। करनाल के प्रोजैक्ट में पांच साल की ओ.एण्ड एम. ए.एम.सी. साथ में है जबकि हिसार के प्रोजैक्ट में यह नहीं है। हिसार का प्रोजैक्ट तो वह एक बार लगाकर छोड़ जाएगा लेकिन करनाल के प्रोजैक्ट को उसको पांच साल तक चलाना पड़ेगा। चाहे उसमें कोई भी कमी होगी तो वह उसको पूरी करनी पड़ेगी इसलिए इन दोनों में बहुत अन्तर है। वैसे अन्तर तो और भी बहुत हैं। उन्होंने हर एक आइटम का अन्तर बताया है। उन्होंने बताया है कि एक जगह साढे छः करोड़ रुपये का अन्तर है, एक जगह 13 करोड़ रुपये का है, एक जगह फिर 6 करोड़ रुपये का है, एक जगह 1 करोड़ 61 लाख रुपये का है, 1 करोड़ 20 लाख रुपये का है। इस तरह से ये 38 करोड़ रुपये का अन्तर हुआ है जो एक्सप्लेनेबल है। इसी तरह से एक विषय और है लेकिन उसको उठाने से पहले मैं एक भूमिका जरूर बताना चाहूंगा। विषय उठाया गया है कि किसी एक जगह की कीमत कितनी होती है और उसका कितना उपयोग होता है। यह भूमि की उपयोगिता के आधार पर उसकी वैल्यूएशन नापी जाती है। अगर हम कोई प्लॉट कॉमर्शियल तरीके से लेंगे या बेचेंगे तो उसकी कीमत अलग आएगी। अगर हम उसको रैजिडैंशियल तरीके से लेंगे तो उसकी कीमत कुछ और आएगी और उसको हम पब्लिक यूटिलिटी के लिए लेंगे तो उसकी कीमत कुछ और आएगी। अगर हम उसको किसी प्रोजैक्ट के लिए लेंगे तो उसकी कीमत कुछ और आएगी। किसी एक भूमि पर उसकी कितनी उपयोगिता है वह हर

एक चीज के लिए बराबर नहीं की जा सकती है। कई बार तो इसमें अलार्मिंग चीजें हो जाती है जिससे हमें लगता है कि अच्छा इतना रेट है। इस संबंध में मैं एक काल्पनिक उदाहरण दे रहा हूं कि चण्डीगढ़ में यह इतना बड़ा हॉल है, इतनी बड़ी जमीन है चण्डीगढ़ में इसकी कीमत का अंदाजा तो कोई नहीं लगा सकता। मान लो अगर हम इस जमीन की कीमत 50 हजार करोड़ भी लगाएं तो उसकी प्रतिवर्ष कोस्ट और वैल्यू 500 रुपये बनती है। अगर हम ये कहें कि यहां हम 100 या 90 लोग बैठते हैं तो हमारी कुर्सी का एक आदमी के जिम्मे 5 करोड़ रुपये वार्षिक आता है। जिस कुर्सी पर हम यहां बैठते हैं उसकी कोस्ट ऑफ वैल्यू प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपये है। क्या हम कह सकते हैं कि हम 5 करोड़ रुपये की कुर्सी पर मजे ले रहे हैं। यह हमारा एक यूज है, एक आवश्यकता है। मैं आपको एक उदाहरण और दे रहा हूं कि मान लो आप एक अच्छे वकील हैं। मैं उस नाते से यह उदाहरण दे रहा हूं कि रोहतक में पुराने पुलिस स्टेशन के पास जो पार्किंग बनी है उसके बारे में कहा गया है कि वह जमीन 150 करोड़ रुपये की है। पहली बात तो यह है कि यहीं बैठे हुए अलग–अलग सदस्य उस पर विवाद कर सकते हैं कि वह जमीन 150 करोड़ रुपये की है या 32 करोड़ रुपये की है क्योंकि उसका ओक्शन 32 करोड़ रुपये का हुआ था। बाद में वहां जनता की एक आवाज उठी उस समय हमारी सरकार नहीं थी। उस समय आपकी कांग्रेस की ही सरकार थी। जनता की आवाज उठने के बाद 31.01.2014 को वह ऑक्शन कैंसिल हो गई और कैसिल होने के बाद उसी दिन यह तय हो गया कि यह जमीन किसी को बेची नहीं जा सकती और चूंकि यह जमीन मार्किट के अंदर है और मार्किट में पार्किंग की आवश्यकता है अतः इस जमीन को पब्लिक यूटिलिटी के तहत पार्किंग बनाने के लिए प्रयोग किया जाये। अध्यक्ष महोदय, इसके पश्चात यहां पर पार्किंग बनी और पार्किंग बनने के बाद अब यह हिसाब लगाया जा रहा है कि 150 करोड़ रूपये की इस जमीन से पार्किंग बनाने के बाद कितना पैसा मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, जिस जमीन की कीमत आज 150 करोड़ रूपये बताई जा रही है कभी उसी जमीन को कमर्शियली 32 करोड रूपये की वैल्यू के हिसाब से खरीदा गया था। अगर इस जमीन पर दुकानें बनें तो उन दुकानों की कीमत 32 करोड़ हो सकती है लेकिन अगर इस जमीन का प्रयोग पब्लिक यूटिलिटी के तहत पार्किंग बनाने के लिए किया जा रहा है तो फिर ऐसी परिस्थिति में इस जमीन की कीमत 32 करोड़ रूपये नहीं आंकी जा सकती। जब पार्किंग बनाने के लिए ठेका हुआ तो तब प्रश्न चिह्न लगाये

गए कि फलां कंपनी को क्यों ठेका दिया। तरह–तरह के एतराज किए गए। एतराज करना ठीक है लेकिन जब एतराज हुआ तो उसके बाद इस सारे मामले की इंक्वॉयरी करवाई गई और उस इंक्वॉयरी में सब कुछ ठीक निकलकर आया परन्तु बावजूद इसके इस मामले को फिर से माननीय हाई कोर्ट में ले जाया गया और जब वहां पर यह केस रिजेक्ट हो गया तो उसके पश्चात इस केस को माननीय सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी यह केस रिजेक्ट हुआ और निर्णय आया कि संदर्भित मामले में जो टैंडर हुआ, वह बिल्कुल ठीक है और जिस कंपनी को काम दिया गया है, उसको भी ठीक ढंग से ही काम दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य बतरा जी ज्यूडरशियरी से नजदीक से जुड़े हुए एक अच्छे एडवोकेट हैं, को प्रस्तुत संदर्भ के तहत बताना चाहूंगा कि जिस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट तक ने अपना निर्णय दे दिया हो, उस मामले में भी अगर प्रश्न चिह्न लगाये जायेंगे तो फिर बताओ जनता पर ऐसी बातों का क्या असर पड़ेगा? आखिर कहीं तो हमारा भरोसा होना चाहिए। ठीक है हम विधान सभा के इस सदन में जो मर्जी बोल सकते हैं लेकिन अगर विधान सभा से बाहर अगर इस तरह की बातें बोली जायेंगी तो याद रखिए कोई भी व्यक्ति माननीय कोर्ट की अवमानना के नाते वहां ले जाकर खड़ा कर देगा कि देखिए फलां व्यक्ति द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ जनता में क्या कुछ बोला जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, विधान सभा में एक अलग प्रिविलेज होता है और इसलिए यहां कुछ भी बोल ले चल जाता है लेकिन जनता के बीच अगर ऐसे केस में जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट तक ने अपना निर्णय दे दिया हो, कुछ गलत कहना, मुश्किल में डाल सकता है। अध्यक्ष महोदय, संदर्भित केस में जो इंक्वॉयरी हुई उसमें साफ तौर से कहा गया है कि जिस कंपनी को ठेका दिया गया है, वह ठेका भी सही दिया गया है और रेट भी सही है। अध्यक्ष महोदय, 2414 स्क्वेयर मीटर पार्किंग स्थल में से 997 स्क्वेयर मीटर में ही इस कंपनी को पार्किंग बनाने का ठेका दिया गया है और इसके अतिरिक्त यह भी मैंशन है कि अगर वह व्यक्ति यहां पर अपना कुछ निर्माण करेगा तो उसके लिए उसको 2 करोड़ 70 लाख रूपये देने होंगे। अध्यक्ष महोदय, जब पार्किंग बनकर तैयार हो जायेगी तो इसका इंचार्ज म्यूनिसिपल कापोरेशन, रोहतक ही रहेगा और इस पार्किंग से जो भी आमदन प्राप्त होगी वह भी म्यूनिसिपल कापोरेशन, रोहतक की होगी तथा यहां पर जो जगह बची हुई है वह भी म्यूनिसिपल कापोरेशन, रोहतक के अधिकार क्षेत्र में ही रहेगी। यह सब वे तथ्य

हैं जो इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, कोई जगह पार्किंग के लिए है या कोई जगह कमर्शियल यूज के लिए है, रेट की दृष्टि से इन दोनों में किसी भी सूरत में मिलान नहीं किया जा सकता है। Compare orange with orange and apple with apple. You should not compare apple with orange यह मेरा इस पूरे मामले में जवाब है। जहां तक खनन की बात है इसके बारे में भी सदन में बहुत सी बातें कही गई। मैं इसमें इतना ही कहूंगा कि खनन कोई शुद्ध रूप से एकदम पवित्र काम होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। काफी बड़ी संख्या में लोग इस कार्य में लगे रहते हैं। खनन का बहुत बड़ा और ओपन एरिया होता है। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो खुले आकाश के नीचे भी फसलें होती हैं और कहीं–कहीं फसलों की चोरियां भी हो जाती हैं लेकिन उन चोरियों में इतनी ज्यादा वोल्यूम की कीमत नहीं होती जितनी की खनन के क्षेत्र में होती हैं। खुले आकाश के नीचे खनन के क्षेत्र में इतनी बहुमूल्य चीजें उपलब्ध हैं कि उन बहुमूल्य चीजों की बदौलत खनन के धंधे में काम करने वाले लोग इल्लीगल खनन भी करने लग जाते हैं। इसको रोकने के लिए किए गए हमारे प्रयत्नों के फलस्वरूप हमें जो परिणाम प्राप्त हुए, अब मैं उनके बारे में इस माननीय सदन को बताता हूँ। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2014 तक या वर्ष 2015 ही लगा लें क्योकि हमारी सरकार 14 अक्टूबर, 2014 को सत्ता में आई थी तो इस प्रकार मैं मार्च, 2015 मार्च तक का ही हिसाब बताता हूँ। अध्यक्ष महोदय, जो तारीख मैंने अभी बताई इन तारीखों से पहले खनन के क्षेत्र में जो रिवेन्यू आता था वह 92 करोड़, 153 करोड़, 136 करोड़, 215 करोड़, 195 करोड़, 248 करोड़, 75 करोड़, 87 करोड़, 75 करोड़, 81 करोड़, या फिर 43 करोड़ यानि इस एक पूरे पीरियड में खनन क्षेत्र से महज 140 करोड़ रूपया प्रति वर्ष की एवरेज के हिसाब से रिवेन्यू आता था। इसके बाद हमारी सरकार के सत्ता में आने के पहले ही साल में वर्ष 2015–16 में जो खनन क्षेत्र का रिवेन्यू हमारी सरकार के सत्ता में आने से पहले वाले साल में 43.89 करोड़ रूपये का आया था वह बढ़कर 265 करोड़ रूपये हो गया। इसके बाद यह 494 करोड़ रूपये, फिर 712 करोड़ रूपये, इसके बाद 583 करोड़ रूपये हो गया और अभी जो वर्ष चल रहा है मैं समझता हूँ कि इस वर्ष यह रिवेन्यू 600 करोड़ रूपये के आस पास हो जायेगा यानि हमारा एवरेज बैठा 520 करोड़ रूपया। कहां खनन से 140 करोड़ रूपये की एवरेज आती थी और कहां अब यह एवरेज 520 करोड़ रूपये के आंकड़े पर पहुंच गई है। (विघ्न)

.....

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, यदि हाउस की सहमति हो तो सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ा दिया जाये?

आवाजें: ठीक है जी।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाता है।

.....

राज्यपाल महोदय के अभिभाशण पर चर्चा (पुनरारम्भ) तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, एक मजेदार उदाहरण मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ। यह उदाहरण जनवरी, 2015 का है और हमारी पहली दफा सरकार अक्टूबर, 2014 में बनी थी। वर्ष 2015 में एक सज्जन का मैसेज आया कि सी.एम. साहब को कहो कि जो सामान रखा है उसे कहा पहुँचाना है। मैंने कहा कि मेरे पास तो कपड़े की एक अटैची थी जो मैं अपने साथ ले आया हूँ, इसलिए मेरा कोई भी सामान बाहर नहीं है। मुझे कहा गया कि नहीं सामान रखा हुआ है और लगातार सामान रखा जाता है, इसलिए आपको भेजा है। मैंने कहा कि मुझे तो कोई सामान आज तक नहीं मिला, उसने कहा कि आप से पहले भी मुख्यमंत्री जी को सामान भेजा जाता था। अध्यक्ष महोदय, मुझे बताया गया कि खनन माफिया के लोगों ने एक समूह बनाया हुआ है और हर महीने इतना–इतना पैसा इक्ट्ठा करके मुख्यमंत्री जी के यहां भेजते हैं। मेरे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है और न ही मैं इस बात का किसी पर आरोप लगाता हूँ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, जब माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात का पता है तो इन्क्वॉयरी क्यों नहीं करवाते। (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, जो विषय मेरे संज्ञान में आया है, वह मैंने सदन को बता दिया है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं तो उदाहरण ही सदन को बता रहा था। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मनोहर लाल जी ने यह बात सदन में एक जिम्मेवार पद पर होने के बावजूद कही है, इसलिए वे स्पष्ट करें कि ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री था, जिन्हें खनन माफिया सामान पहुँचाता था। (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, इन बातों में कोई दम नहीं होता है। (विघ्न) कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने मेरे बारे में खूब कहा है कि ये लूट गया वो लूट गया, फलां आदमी इस सरकार में खा गया। देखने में तो मुख्यमंत्री बड़ा ईमानदार है लेकिन कहीं न कहीं खनन माफिया में उनका भी हाथ है। अध्यक्ष महोदय, मैं तो सदन में सुनी सुनाई बातों का ही जिक्र कर रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, मैंने तो सदन को वो बताया है, जो उनके साथ घटा, ऐसी बातों का कोई सबूत नहीं होता है, यह हर कोई जानता है। वर्ष 2014–15 में खनन के ठेकों से 44 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्त हुआ था और वर्ष 2015–16 में 265 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्त हुआ था। नई सरकार आते ही राजस्व प्राप्ति के मामले का अंतर कहीं नजदीक भी नहीं बैठा। अध्यक्ष महोदय, आज हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि खनन में खा गये–खनन में खा गये। खनन का काम तो कांग्रेस सरकार में बंद था और हमारी सरकार में खनन का काम चालू हो गया था। खनन का काम जो करते थे उनकी जानकारियां चाहे वह फरीदाबाद, गुरूग्राम, भिवानी, नारनौंद, मेवात, अटेली आदि जगहों का हो, उनका आज भी पता लग सकता है कि कौन–कौन अवैध माइनिंग करते थे। अध्यक्ष महोदय, यह बात है सही कि हम सभी जगहों पर अवैध खनन को रोक नहीं पायें हैं। हम आने वाले वर्ष में दावा करते हैं कि अवैध खनन के ऊपर जरूर रोक लगायेंगे। खनन में किसी को भी अवैध रूप से माइनिंग नहीं करने देंगे। (इस समय मेजें थपथपाई गई।)

श्री जगबीर सिंह मलिक : डाडम खान के बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय का क्या फैसला हुआ था? (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, सभी फैसले मेरे पास हैं, माननीय सदस्य मेरे पास आ जायें वे जिस तरह चाहेंगे उसी फैसले के अनुसार भविष्य में कार्य करेंगे। मुझे पता है कि मलिक साहब कैग की रिपोर्ट के आधार पर कह रहे हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, आने वाले समय में ई–रवन्ना और ई–ब्रिज दोनों व्यवस्था हम लेकर आ रहे हैं। ई–रवन्ना से जहां से गाड़ी चलेगी उसकी वहीं से जानकारी मिलेगी। उसका बिल भी वहीं कट जायेगा बिल ऑन–लाइन हो जायेगा और जी0एस0टी0

की कोई चोरी नहीं कर पाएगा। अभी तक ओवर लोडिड व्हीक्लज की चैकिंग ट्रांसपोर्ट विभाग करता है। अध्यक्ष महोदय, चाहे हमें इसमें कानून को भी बदलना पड़े हम उसमें यह संशोधन चाहते हैं कि माइनिंग डिपार्टमैंट को भी अधिकार हो कि जो ओवर लोडिड व्हीकल्ज हैं उन्हें माइनिंग विभाग के अधिकारी पकड़ कर चालान कर दें। यदि गाड़ी का बिल ज्यादा का बनता हो और ड्राईवर के पास कम राशि का बिल हो तो उस गाड़ी को आगे बढ़ने ही न दिया जाये। इस प्रकार का अधिकार अभी माइनिंग विभाग के पास नहीं है। इस बात पर हम आगे विचार कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि इस प्रकार के जितने विषय हैं, मैं फिर कह रहा हूँ और जिसको लेकर मैंने पहली पंक्ति बोली है अगर क्रेडिबल प्राइमरी मैटीरियल टू बिलीव, कहने में तो कुछ भी कहा जा सकता है लेकिन इस बारे में यदि कोई भी विषय हमारे संज्ञान में आयेगा तो हम जरूर उस विषय को आगे बढ़ायेंगे अर्थात् कार्रवाई करेंगे, यह मैं सदन के समक्ष वायदा करता हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक जिम्मेवार पद पर होते हुए जो एक कहानी सुनाई है उसके विषय में मेरा कहना है कि उन्हें उस विषय की तह तक जाकर कुछ कहना चाहिए था । ऐसी खबरें तो मेरे पास भी बहुत आती हैं लेकिन अगर मैंने कभी किसी का नाम लिया हो तो बताओ ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं विषय की तह में अवश्य जाऊँगा । मैं इसकी इंक्वायरी भी करवाऊँगा कि वर्ष 2013–14 में इतना कम रिवैन्यू कम क्यों आया था ?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैंने तय किया है कि जब तक मेरे पास सबूत नहीं होगा तब तक मैं किसी का नाम नहीं लूंगा ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, हमारे पास जब तक क्रैडिबल प्राइमरी मैटीरियल टू बिलीव नहीं आएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ाएंगे । जब सबूत मिल जाएगा तो करेंगे ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैंने कभी बिना सबूत के किसी का नाम नहीं लिया ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, हम विधान सभा में बैठे हैं और जो चर्चाएं चल रही होती हैं हमको उन्हीं को सदन में बताना होता है । नेता प्रतिपक्ष ने भी सब बातें वही कही हैं जिनका इनके पास कोई सबूत नहीं है । (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास बहुत सबूत हैं । मैं बिना सबूत के बात नहीं करता ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, सदन में एक विषय मोलायसिज का आया है । यह विषय सदन में कई बार उठा है । कहा जा रहा है कि ऐसे व्यक्ति को को–ऑपरेटिव मिनिस्टर बना दिया जो मोलायसिज का काम करता है । पहली बात तो यह है कि विधान में कहीं भी यह कंडीशन नहीं है कि किस व्यक्ति को कौन–सा विभाग दिया जाए । यह तो सी.एम. को सरकार चलाने के लिए एक प्रैरोगेटिव मिला हुआ है कि वह किसको कौन–सा विभाग देगा । अगर हम किसी फील्ड के अच्छे जानकार को वह विभाग नहीं देंगे तो फिर हम किसी खिलाड़ी को खेल विभाग चलाने के लिए नहीं दे सकते । हमने एक उच्च स्तर के खिलाड़ी, भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान और गोल्ड मैडलिस्ट स्पोर्ट्सपर्सन को खेल विभाग का काम सौंपा है । इस तरह से तो हम किसी किसान को क्या कृषि मंत्री भी नहीं बना सकते जबकि वह उस क्षेत्र के बारे में अच्छी जानकारी रखता हो । इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति एक अच्छा वकील है, अच्छा वक्ता है तो क्या हम जनता को उसके बारे में यह कहें कि आप इसको चुनकर विधान सभा में मत भेजना नहीं तो यह एक अच्छा विधायक बन जाएगा । (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इसमें कंफलिक्ट ऑफ इंट्रैस्ट होता है ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, इसमें कंफलिक्ट ऑफ इंट्रैस्ट होता है लेकिन उसको उसकी कुछ जानकारियां होती हैं और उन जानकारियों के बारे में बता रहा हूं । मैं उसी का जवाब दे रहा हूं । मैं जिनको यह बात कह रहा हूं वे मेरी बात को सुन रहे हैं । मैं यह बात अपने एक विधायक की बात पर कह रहा हूं । (विघ्न)

श्री बलराज कुण्डू : अध्यक्ष महोदय, मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं घर चला गया था । आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बोलने के बाद मुझे सदन में बोलने के लिए सिर्फ 2 मिनट दे देना ।

श्री अध्यक्ष : बलराज जी, आप अपनी चेयर पर बैठ जाइये । पिछले 4 दिन से सभी माननीय सदस्य सदन में बोल रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज

उनका उत्तर दे रहे हैं । सभी ने अपने–अपने प्रश्न सदन में रखे हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय उन सभी के प्रश्नों का एक–एक करके उत्तर दे रहे हैं ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं एक तरीका बताना चाहता हूं । अगर कोई माननीय सदस्य मेरी इस बात से सहमत नहीं होते तो वे आगे किसी भी प्रकार के तौर–तरीके अपना सकते हैं । वे मुझसे लिखित जवाब मांग सकते हैं और मैं उनको जवाब दूंगा । इसके अलावा वे अगले 4 दिन में उस विषय पर फिर से चर्चा कर सकते हैं । हाउस की परम्परा यह बनाई हुई है कि सदन में जितने भी प्रश्न आएंगे, शंकाएं खड़ी होंगी, आरोप–प्रत्यारोप लगेंगे उनका जवाब सदन के नेता को देना होता है । ऐसा नहीं है कि सदन के नेता के जवाब देने के बाद वह मामला खत्म हो जाएगा । इसके बाद भी लम्बी प्रक्रियाएं चलाई जा सकती हैं और उसे माननीय सदस्य चलाए रखें । इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है । हम उसको लॉजिकल ऐण्ड तक ले जाएंगे । अगर कोई माननीय सदस्य कहे कि सदन के नेता ने सदन में जो जवाब दिया है मैं भी उसका अभी जवाब देना चाहता हूं तो ऐसे नहीं चलेगा । अगर किसी माननीय सदस्य को लगता है कि सदन के नेता गलत जवाब दे रहे हैं तो उसके आगे भी बहुत–से रास्ते हैं । (विघ्न)

श्री बलराज कुण्डू : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बात सुन रहा था । मैं इनकी बात पर कहता हूं कि इन्होंने यू.एल.बी. का मुद्दा उठाया था । मान लिया कि वह ठीक था और उस पर एस.आई.टी. की जरूरत ही नहीं पड़ी लेकिन इन्होंने 27 करोड़ रुपये और 72 करोड़ रुपये के अंतर को ही जस्टिफाई कर दिया ।

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलराज कुंडूः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी 27 करोड़ रुपये को 72 करोड़ रुपये से जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि मैं भी इसी काम से जुड़ा हुआ हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कुंडू जी, प्लीज, आप बैठ जाएं।

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मलिक साहब, प्लीज, आप बैठ जाएं। इस तरह का व्यवहार उचित नहीं है।

श्री बलराज कुंडूः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं रिकार्ड के आधार पर ही बातें कह रहा हूं।

चौधरी आफताब अहमदः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों की बातों को जवाब दे रहा हूं, इसलिए माननीय सदस्यों को पहले मेरी बात सुननी चाहिए।

चौधरी आफताब अहमदः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आफताब जी, प्लीज, आप बैठ जाएं। सदन के नेता जवाब दे रहे हैं और आप उनके बीच में बोल रहे हैं। यह ठीक नहीं है। सभी माननीय सदस्य चार दिन से अपनी–अपनी बातें रख रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी उन सभी बातों का जवाब दे रहे हैं। आप अपनी बात सिस्टम के हिसाब से ही कह सकते हैं, इसलिए इस तरह से बीच में बोलना उचित नहीं है।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, अगर विपक्ष के माननीय सदस्यों को मेरी कोई बात गलत लगे तो भी बीच में नहीं बोल सकते।

श्री बलराज कुंडूः अध्यक्ष महोदय, मैं जो विषय रखा है, उसकी एस.आई.टी. से जांच करवायी जानी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कुंडू जी, अगर आपको कोई बात गलत लगती है तो उसके समाधान के लिए एक सिस्टम बना हुआ है।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिस विषय की जांच करवाने के लिए कह रहे हैं, उसके लिए पहले से एस.आई.टी. गठित है और उसकी जांच हो जाएगी। सरकार ने उसको कैंसिल नहीं किया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलराज कुंडूः अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार ईमानदार है तो संबंधित मामले की एस.आई.टी. गठित करके जांच करवानी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि वे तय करेंगे वह ईमानदार है और तय नहीं करेंगे। वह ईमानदार नहीं है, ऐसी बात नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलराज कुंडूः अध्यक्ष महोदय, सरकार को संबंधित मामले की जांच करने के लिए एस.आई.टी. गठित करनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर मेरा प्वॉयंट गलत हो तो मैं विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर चला जाऊंगा।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, अगर कोई गलत बात होगी तो वह सिद्ध हो जाएगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलराज कुंडू: अध्यक्ष महोदय, मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी पर भ्रष्टाचार का कोई छींटा न लगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की बातों को समझ रहा हूं।

श्री बलराज कुंडू: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि उन्होंने जो ये बातें कहीं हैं, उनसे मेरा मन दुःखी हुआ है। मैं पिछले कई दिनों से बीमार चल रहा हूं। मैं टी.वी. पर ये बातें सुनकर दोबारा घर से आया हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, एक बात यह आयी है कि पिछले 4 सालों से मोलायसिज 200 रुपये प्रति क्विंटल से कम भाव पर बेचा जा रहा है। यह जो बात कही गयी है। इसका मेरे पास जो डाटा है, उसी के आधार पर जवाब दूंगा। इसमें पहली बात तो यह है कि 4 साल में सिर्फ एक साल ऐसा आया जिसमें मोलायसिज के रेट 200 रुपये प्रति क्विंटल से कम हुए हैं। वरना यह वर्ष 2014–15 में 510 रुपये प्रति क्विंटल से ऊपर रहा है और इसका हॉयस्ट रेट 673 रुपये प्रति क्विंटल तक गया है। वर्ष 2014–15 में 510 रुपये प्रति क्विंटल से नीचे की कोई डीलिंग नहीं हुई। वर्ष 2015–16 में 315 रुपये प्रति क्विंटल से नीचे की कोई डीलिंग नहीं हुई और इसका हॉयस्ट रेट 440 रुपये प्रति क्विंटल तक गया है। वर्ष 2016–17 और 2017–18 में इसकी एवरेज 575 रुपये प्रति क्विंटल की है और वर्ष 2018–19 में यानी पिछले साल में 200 रुपये प्रति क्विंटल आया है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, पहले माननीय सदस्य मेरी पूरी बात सुन लें। अब चूंकि यह कोई एक शुगर मिल का विषय नहीं है क्योंकि सभी शुगर मिल्ज में मोलायसिज बेचने के रेट्स के लिए इंडिपैंडैन्ट ऑक्शन होती है और उनका इंडिपैंडैन्ट टैंडर होता है।

श्री बलराज कुंडू: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूंगा कि पूरे हरियाणा में इसको खरीदने के लिए सिर्फ 2 ही एजेंसी है जिन्होंने पूरे हरियाणा को लूटा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि ये कोई हरियाणा से बाहर की किसी एजेंसी को मोलायसिज परचेज करने के लिए ले आएं।

श्रीमती शकुंतला खटक: अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री जयवीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी आफताब अहमदः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आफताब जी, इस तरह से बीच में बोलना ठीक नहीं है। प्लीज, आप बैठ जाएं। आपने जो बात बोलनी थी, वह आप पहले ही बोल चुके हैं।

चौधरी आफताब अहमदः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं तथ्यों पर आधारित बातें कह रहा हूं, इसलिए माननीय सदस्यों का इस प्रकार बीच में बोलना ठीक नहीं है।

श्री बलराज कुंडूः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, लीडर ऑफ दि हाऊस माननीय सदस्यों की बातों का जवाब दे रहे हैं, परन्तु ये उनकी बात सुनने की बजाए बीच में बोल रहे हैं। यह ठीक नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः प्लीज, सभी माननीय सदस्यगण बैठ जाएं। सदन के नेता आपकी बातों का ही जवाब दे रहे हैं।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं तथ्यों पर आधारित बातें कह रहा हूं। पिछले 3 सालों से शीरा लगातार 200 रुपये प्रति क्विंटल से ऊपर ही बिकता आ रहा है। इसलिए मैंने पिछले तीन सालों पर काटा लगा दिया है और सिर्फ वर्ष 2018–19 के बारे में ही कहा है कि इस वर्ष 200 रुपये प्रति क्विंटल बिका है। यानी एक ही वर्ष के बारे में कहा है कि इस वर्ष पहले से कम भाव पर बिका है। मैंने ये बातें तथ्यों पर आधारित कही हैं और संबंधित रिकार्ड मैंने नहीं बनाया है। पिछले तीन सालों के दौरान शीरे का भाव 200 रुपये प्रति क्विंटल से नीचे कभी नहीं रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलराज कुंडूः अध्यक्ष महोदय, विधान सभा का सदस्य होने के नाते मेरा भी सदन में बोलने का अधिकार है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कुंडू जी, आप इस प्रकार से बीच–बीच में न बोलें। आपने अपने बोलने का अधिकार यूज किया है। आप इस प्रकार से बीच में डिस्टर्ब नहीं कर सकते।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि मैं तथ्यों पर आधारित बातें कह रहा हूं, इसलिए पहले मेरी बात को सुन लें।

श्री अध्यक्षः कुंडू जी, पिछले 4 दिनों से सदन में चर्चा चल रही है। हर माननीय सदस्य ने अपना–अपना पक्ष रखा है। आदरणीय मुख्य मंत्री जी उसका जवाब दे रहे हैं, इसलिए माननीय सदस्यों को उनका जवाब सुनना चाहिए।

श्री बलराज कुंडू: अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा इन बातों का जस्टिफिकेशन नहीं किया जाना चाहिए, परन्तु आज माननीय मुख्यमंत्री जी उन बातों को जस्टिफाई कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कुंडू जी, आप बार–बार बीच में खड़े होकर न बोलें। अगर आप किसी बात से सहमत नहीं हैं तो आपके पास सारे आप्शन हैं।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि मैं किसी बात को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं।

श्री अध्यक्षः कुंडू जी, आप अपनी बात रख चुके हैं। प्लीज, आप बैठ जाएं।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी को कहना चाहूंगी कि वे संबंधित मामले की इन्कवायरी करवाएं।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, किसी चीज की इन्कवायरी तो तब करवायी जाती है, जब किसी के अगेंस्ट कोई तथ्य हो। विपक्ष के माननीय सदस्य पहले मेरी बात सुन लें। आप हर चीज पर झूठ बोलें, मैं यह गोयबल्ज सिद्धान्त नहीं कह रहा हूं। गोयबल सिद्धान्त यही होता है कि झूठ पर झूठ बोलें, लेकिन हम झूठ नहीं चलने देंगे। मैं आपको तथ्यों पर आधारित बातें कह रहा हूं और माननीय सदस्य चाहें तो उन बातों को नोट भी कर लें।

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बत्तराः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यावधान)

श्री अध्यक्षः बत्तरा जी, आप जो बात रखना चाहते थे, वह बात रख चुके हैं। अब आप माननीय मुख्य मंत्री जी की बात सुन लें। अगर इसके बाद भी आप किसी बात से सहमत न हों तो आपके पास सभी ऑप्शन खुले हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने यही कहा है कि आज ही सभी ऑप्शन बन्द हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसके आगे भी बहुत ऑप्शन हैं। प्लीज, अब आप बैठ जाएं।

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, आपने सदन में जो बात बतानी थी वह बात आपने बता दी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आज ये ऑप्शन बंद हो जायेंगे, ऐसी भी कोई बात नहीं है। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आगे भी आपके पास केस करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलराज कुंडू : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिना जांच किए ही श्री मनीष ग्रोवर जी क्लीन चिट दे दी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कुंडू जी, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्री मनीष ग्रोवर जी को क्लीन चिट दे दी है तो आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन खुले हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कुंडू जी को कहना चाहता हूं कि अगर मैंने श्री मनीष ग्रोवर जी को क्लीन चिट दे दी है तो इनके पास बहुत सारे ऑप्शन है। ये माननीय हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, एफ.आई.आर. भी दर्ज करवा सकते हैं और इनके पास और ऑप्शन भी बहुत हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूशण बत्तरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं। (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, अगर कोई व्यक्ति गलत बात कहेगा तो मैं उसको गलत ही कहूंगा और अगर कोई व्यक्ति सच बात कहेगा तो मैं उसको सच ही कहूंगा। (विघ्न)

डॉ. बि□ान लाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : बिशन लाल जी, प्लीज आप बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान) देखिये सदन की मर्यादा भी होती है इस तरह से नहीं चलेगा।

श्री भारत भूशण बत्तरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि कृप्या सदन की मर्यादा और गरिमा बनाये रखें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी सदन के नेता हैं। इस सदन में सभी माननीय सदस्यों ने चर्चा की है उसका जवाब वे दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात सदन में और कही कि मैंने जो यहां पर किसी बात का जवाब दे दिया तो वह विषय यही खत्म नहीं हो जाता है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन और भी हैं। आप उन ऑप्शंज का इस्तेमाल कीजिए लेकिन मैं सभी माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं कि सब कुछ इसी सदन में फैसला हो जायेगा, मुझे नहीं लगता है इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि सभी सदस्य आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो जवाब दे रहे हैं, उनको धैर्य से सुनने की कोशिश करें।

श्री भारत भूशण बत्तरा : अध्यक्ष महोदय, अब हमारा काम यही रह गया। (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : बत्तरा जी, सभी माननीय सदस्यों ने माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा की है। मैं उस पर अपनी रिप्लाई दे रहा हूं तो आपको मेरी बात सुननी ही पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष : बत्तरा जी, आप ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी को बीच में डिस्टर्ब नहीं कर सकते। (विघ्न) बत्तरा जी आप तो इस महान सदन के पुराने सदस्य हो। आपको तो सभी विधान सभा के नियमों की पूरी जानकारी है।

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल) : बत्तरा जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहूंगा कि पहला नियम तो यही है कि जब लीडर ऑफ दि हाउस सदन में चर्चा का जवाब देंगे तो दूसरा कोई माननीय सदस्य उनको बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा। दूसरा नियम यह है कि जब अध्यक्ष महोदय अपनी सीट पर खड़े हो जाते हैं तब सभी सदस्य जो अपनी सीट से उठकर खड़े हैं वे तुरन्त ही अपनी सीट पर बैठ जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि ये दोनों नियम ही इन लोगों ने नहीं माने। अगर हम हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के तहत नियम मानेंगे तो ही सदन की कार्यवाही सही तरीके से चलेगी। बत्तरा जी, ये नियम तो जब से विधान सभा बनी है तब से लागू है और हुड्डा साहब भी दो बार लीडर ऑफ दि हाउस रह चुके हैं, वे भी इस बारे में सब जानते है और बता भी सकते हैं कि जब लीडर ऑफ दि हाउस सदन में अपना वक्तव्य देते हैं तो कोई भी माननीय सदस्य बीच में खड़े होकर डिस्टर्ब नहीं कर सकते।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, अब मैं सदन में यह बात बता रहा हूं कि वर्ष 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18 और 2018–19 में पांचों साल के सभी शुगर मिलों के आंकड़े हमारे पास हैं जैसे पानीपत, रोहतक, करनाल, सोनीपत, शाहबाद, जींद, पलवल, महम, कैथल, गोहना और यमुनानगर भी क्योंकि यमुनानगर शुगर मिल तो प्राइवेट है, इसके बावजूद भी इस शुगर मिल के आंकड़े हमारे पास है। अध्यक्ष महोदय, मैं सभी शुगर मिल के बारे में न बताकर यमुनानगर शुगर मिल के बारे में बताना चाहूंगा कि यमुनानगर शुगर मिल में शीरे का वर्षवार ब्यौरा इस प्रकार है, वर्ष 2014–15 में 432 रुपये प्रति क्विंटल, वर्ष 2015–16 में 342 रुपये प्रति क्विंटल, वर्ष 2016–17 में 524 रुपये प्रति क्विंटल और वर्ष 2017–18 में 195 रुपये प्रति क्विंटल यानी 200 रुपये प्रति क्विंटल से कम है, वर्ष 2018–19 में 251

रुपये प्रति क्विंटल शीरे का भाव था। अध्यक्ष महोदय, सभी शुगर मिलों का शीरे का अलग–अलग रेट होता है। इन शुगर मिलों में शीरे के लिए टैंडरिंग की जाती है और जिस समय टैंडरिंग प्रक्रिया होती है उस वक्त शीरे का क्या भाव होगा, यह अलग बात है। अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश और राजस्थान इन दोनों राज्यों की शुगर मिलों में शीरा नहीं मिलेगा। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि हरियाणा की शुगर मिलों में शीरे का भाव एक जैसा है इसलिए मैं इनको एक और मौका देता हूं कि हमारे दोनों पड़ोसी राज्यों पंजाब प्रांत और यू.पी. की शुगर मिलों का पिछले 5 वर्षों के शीरे का भाव बता दें। यदि सरकार को उसमें कोई गड़बड़ नजर आयेगी तो हम अपनी इन शुगर मिलों के शीरे के दामों को चैक करवा लेंगे। (विघ्न)

श्री बलराज कुंडू : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कुंडू जी, प्लीज आप बैठ जायें। यह कोई बहस का विषय नहीं हैं। (विघ्न)

श्री बलराज कुंडू : अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार की मंशा ठीक होती तो इन शुगर मिलों के शीरे की जांच करवा लेती। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कुंडू जी, यदि सरकार ने इन शुगर मिलों के शीरे की जांच करवा ली तो फिर आप कहेंगे कि जांच ठीक तरीके से नहीं हुई। प्लीज आप बैठ जायें, यह कोई बहस का विषय नहीं है। (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : कुंडू जी, ऐसी बात नहीं है। हमें कोई भी आकर ऐसे ही कह दे कि जांच करवाओ तो क्या सरकार ऐसे ही जांच करवा देगी? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कुंडू जी, आप जो बात कहेंगे सिर्फ वही बात फाईनल है और उसके बाद कुछ नहीं है। ऐसा नहीं होता है। आपने सदन में जो विषय रखना था वह रख दिया। (विघ्न)

श्री बलराज कुंडू : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बता दीजिए कि इन शुगर मिलों में हुए घोटाले की जांच क्यों नहीं करवा रहे हो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कुंडू जी, सरकार को सब देखना पड़ता है कि किस विषय की जांच करवाई जानी चाहिए किसकी नहीं? प्लीज, आप बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : मैंने पहले भी यह कहा है again the credible primary material to believe जिस दिन ये आ जायेगा, उस दिन जांच करवायेंगे उससे पहले जांच नहीं करवायेंगे। इस तरह से सरकारें चल नहीं सकती है। हर विषय पर विपक्ष के सदस्य कहेंगे कि संबंधित स्थान पर घोटाला हो गया, इस स्थान पर किसी के साथ बेईमानी हो गई, इस स्थान पर किसी के साथ रिश्वतखोरी हो गई और इस स्थान पर भ्रष्टाचार हो गया। (शोर एवं व्यवधान) कुंडू जी, प्लीज आप बैठ जायें, बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए।

श्री बलराज कुंडू : अध्यक्ष महोदय, मैंने सरकार को बिना किसी कंडीशन के समर्थन दे रखा है।

श्री अध्यक्ष : कुंडू जी, प्लीज आप बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के जितने भी विषय माननीय साथियों द्वारा उठाये गए हैं मैं उनका जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। घोटालों के सम्बन्ध में मेरा यह कहना है कि किसी भी घोटाले के सम्बन्ध में सरकार की ओर से जो उत्तर मिलता है अगर माननीय सदस्यों को उसके ऊपर भरोसा है तो ठीक बात है और अगर सरकार के जवाब पर माननीय सदस्यों को कोई भरोसा न हो तो घोटालों के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करवाने के और भी बहुत से रास्ते हो सकते हैं। किसी के दबाव में सरकार के स्तर पर यह नहीं हो सकता कि किसी मामले की इंक्वॉयरी करवाई जाये और या फिर एस.आई.टी. का गठन किया जाये। मैं बार–बार यही कहना चाहता हूं कि अगर प्रदेश में हुए किसी भी घोटाले के सम्बन्ध में हमें अगर पूरी तरह से ठीक मैटीरियल मिलेगा तो हम उस घोटाले की जांच करवायेंगे लेकिन अगर सही मैटीरियल नहीं मिलेगा तो फिर जांच का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरा यह भी कहना है कि बहुत से ऐसे विषय भी रहे हैं जिनमें हमने अपने आप आगे होकर एक्शन लिया है। ऐसी बात नहीं है कि सरकार द्वारा घोटालों के मामले में कार्यवाही नहीं की जाती है। इसी प्रकार से यहां पर एग्रीकल्चर के बारे में एक विषय आया था कि जो पैडी की खरीद है उसके अंदर यह कहा गया कि कुल कितने एकड़ में कुल कितनी फसल हुई? पहली बात तो मैं यह बताना चाहता हूं कि जो पैडी की खरीद का काम है उसको स्टेट गवर्नमैंट नहीं करती है बल्कि स्टेट की एजेंसीज के माध्यम से पैडी की खरीद एफ.सी.आई. के लिए की जाती है। एफ.सी.आई. ने ऐसी कोई रोक नहीं लगा रखी

है कि किसी स्टेट की मण्डियों में केवल उसी स्टेट की ही पैडी की खरीद की जायेगी। पैडी की खुली खरीद होती है और देश की किसी भी स्टेट के किसान अपनी पैडी को कहीं पर भी बेच सकते हैं। इस मामले में हमने इतना जरूर ध्यान रखा है कि पैडी की खरीद के समय सबसे पहले हरियाणा के किसानों की पैडी की खरीद की जानी चाहिए। जब हरियाणा के किसान की पूरी पैडी की खरीद हो जाये तो उसके बाद आस–पास और पड़ोस की मण्डियों से चाहे वे उत्तर प्रदेश की हों और चाहे वे पंजाब की हों उन मण्डियों से भी धान हरियाणा की मण्डियों में आता है। इसी कारण से ही जो हमारे राज्य की उपज के टोटल एस्टीमेट होते हैं उनसे ज्यादा खरीद हरियाणा की मण्डियों में होती है। दूसरी बात मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि पैडी की ज्यादा खरीद होने पर सिर्फ एफ.सी.आई. को ही एतराज करने का अधिकार है लेकिन एफ.सी.आई. ने इस पर कभी एतराज नहीं किया। उनका यही कहना है कि जितनी पैडी खरीदी जायेगी उसके हिसाब से हमें निर्धारित मात्रा में चावल की प्राप्ति हो जायेगी। एफ.सी.आई. ने तो पैडी के हिसाब से चावल की क्वांटिटी तय कर रखी है कि पैडी के हिसाब से इतने परसैंट चावल का कोटा आप पूरा करते जायें और अपना पैसा लेते जायें। (विघ्न) मैंने टोटल पैडी की खरीद के बारे में बताया है। यह भी पूछा गया था कि कितने एकड़ में पैडी थी, उसमें से कितनी मात्रा में पैडी प्राप्त होनी थी और कितनी मात्रा में पैडी की खरीद होनी थी। इसके बाद जब सभी तरफ से खरीद खुली हुई है। हम पैडी की खरीद करने के बाद पैडी मिलर को देते हैं। यह सारे का सारा सिस्टम आज से नहीं है बल्कि बहुत पहले से चला आ रहा है। मिलर एक निर्धारित मात्रा में पैडी ले लेगा और उसके बदले में एक निर्धारित मात्रा में चावल देगा लेकिन बीच में जब भी कभी ऐसा एतराज हो जाये कि उस बिल में पैडी है या नहीं है सरकार धान की कभी भी फिजीकल वैरीफिकेशन करवा सकती है और अगर फिजीकल वैरीफिकेशन में कहीं कोई गड़बड़ पाई जाती है तो सरकार उसको स्टॉक को पूरा करने के लिए भी कह सकती है। अगर कोई मिलर स्टॉक को पूरा न कर पाये तो मिलर के खिलाफ एक्शन भी हो सकता है। जो एक्शन होगा वह किसी भी सीमा तक हो सकता है। हमने दो बार फिजीकल वैरीफिकेशन करवाई है। एक बार फिजीकल वैरीफिकेशन करवाई कुछ शिकायतें मिली हमने उन शिकायतों को दूर करने के लिए मिलर्ज को आठ दिन का समय दिया। अब अगर किसी मिलर ने चाहे धान यहां से खरीदी हो या फिर बाहर से खरीदी हो उसने स्टॉक को पूरा

किया है। एफ.सी.आई. का पैसा लगा हुआ है। हम उसके जिम्मेवार हैं इसलिए हम उसको उसका पूरा धान देना है। वैरीफिकेशन के बाद टोटल मिला करके जो आंकड़े बने हैं उनको देखते हुए हमें पैडी कम मिली है लेकिन जिस प्रकार से इस विषय को इतना बढ़ा–चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है वह ठीक नहीं है। मौटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि धान में एक परसैंट से ज्यादा की कमी नहीं पाई गई है। वैरीफिकेशन के बाद कुल 90 करोड़ रुपये की पैडी कम पाई गई है। उसमें यह अलग बात है कि किसी मिलर की 50 लाख रुपये की पैडी कम हो गई, किसी मिलर की 2 लाख रुपये की पैडी कम हो गई, किसी मिलर की एक करोड़ रुपये की पैडी कम हो गई। किसी मिलर की पैडी इस अमाउंट से ज्यादा भी हो सकती है। हमने इन सभी मिलर्ज को यह कहा कि इतना तुरंत वापिस जमा करवाईये ताकि आपकी पैडी का मिलान पूरा हो जाये। उनको इस आशय के नोटिस दे दिये गये हैं। इसके बाद बहुत से मिलर्ज ने पैसा जमा करवा दिया है। जो मिलर्ज ये पैसा जमा नहीं करवायेंगे उनके खिलाफ एफ.आई.आरज. भी दर्ज करवाई जायेंगी और उसके बाद नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी क्योंकि हमने तो एक–एक पैसे का हिसाब देना है। मैं यहां पर फिर से यह बात बताना चाहूंगा कि जब वर्ष 2014–15 में हमने हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन किया उस समय लगभग 230 करोड़ रुपये से 250 करोड़ रुपये का धान हमको मिलों से कम मिला था। कभी उसकी वैरीफिकेशन नहीं हुई और कई–कई सालों से उसका बैकलॉग चला आ रहा है। फिजिकल वैरीफिकेशन हमने या तो इस साल दो बार करवाई है या इससे दो साल पहले हमने ही करवाई थी। फिजिकल वैरीफिकेशन करवाने के बाद अब सभी को यह एहसास हो गया है कि अब पैडी गलत नहीं खरीदी जायेगी। खरीदेंगे तो उसका कम से कम हिसाब जरूर रखेंगे क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि कहीं से भी पैडी ला सकते हैं, पैडी लाने पर कोई बंधन नहीं है। जितनी पैडी खरीदी है उसके हिसाब से उसका 67 प्रतिशत चावल उनको जमा करवाना है। जहां तक धान की मॉइश्चर का विषय है तो वर्ष 2014 से पहले जब तक धान में मॉइश्चर की मात्रा 17 प्रतिशत पर नहीं आ जाती थी तब तक धान खरीदा नहीं जाता था, किसानों की धान बेचने के लिए लाईनें लगी रहती थी। जब हम 2015 में आए तो वे लाईनें देखी, भीड़ लगी हुई थी और खरीद न होने के कारण किसान आंदोलन कर रहे थे, तब हमने कहा कि इसका कोई रास्ता निकालिए। उसका हमने रास्ता निकाला और

यहां सदन में भी बताया कि 17 प्रतिशत से जितनी अधिक धान में मॉइश्चर होगी उतना पैसा किसान का काटा जायेगा क्योंकि मॉइश्चर तो आखिर किसान की है। अगर किसान उस मॉइश्चर को सुखायेगा तो वजन तो किसान के धान का ही कम होना है। 17 प्रतिशत मॉइश्चर एफ.सी.आई. का स्टैंडर्ड है अगर वह मॉइश्चर 22 प्रतिशत पर आता है तो 17 प्रतिशत से ऊपर 5 प्रतिशत का पैसा किसान का कम कर दिया जायेगा। इन सारी टैक्निक्लिटीज को विभाग देखता है। उपरोक्त स्थिति में विभाग के पास दो रास्ते थे। एक रास्ता तो यह था कि उसके कुल वजन का 5 प्रतिशत वजन कम कर दिया जाये तथा एम.एस.पी. के हिसाब से उसकी पेमैंट कर दी जाए। दूसरा रास्ता यह था कि विद 22 प्रतिशत मॉइश्चर जितना वेट हुआ है उसको उतना पूरा पैसा दिया जाये तथा उससे 5 प्रतिशत मॉइश्चर का पैसा वापिस ले लिया जाए और मिलर को दे दिया जाए तथा मिलर उस पैसे से धान खरीद कर अपना धान पूरा कर लेगा। ये दो ही रास्ते थे और मैं नहीं समझता कि इनमें से कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है आखिरकार मॉइश्चर तो किसान की धान में से ही कटना है। अब तरीका यही है कि किसान के धान की तुलाई होती है और जितना वजन होता है उसके अनुसार बिल बनाया जाता है। उसमें से जितने प्रतिशत मॉइश्चर ज्यादा है उसके हिसाब से पैसा काट कर किसान को पैसा दे दिया जाता है और वह काटा हुआ पैसा मिलर को दे दिया जाता है। आज यही रास्ता अपनाया जा रहा है। अगर हमें लगता है कि इस रास्ते की बजाय दूसरे रास्ते पर जाना है तो दूसरे रास्ते के तहत जितनी नमी है उसके हिसाब से उसके धान का वेट कम कर सकते हैं। उसके बाद जितनी जीरी जायेगी, उतनी की पेमैंट हो जायेगी और मिलर को उसके बदले और जीरी नहीं खरीदनी पड़ेगी और मिलर का यह बहाना खत्म हो जायेगा कि पड़ी–पड़ी जीरी 2 प्रतिशत या 3 प्रतिशत सूख गई है मैं कहां से लाऊं? मिलर का वह झंझट भी खत्म हो जायेगा। हम इस दूसरे रास्ते पर विचार कर रहे हैं कि इस दूसरे तरीके को अपनाया जा सकता है। इस विषय से संबंधित मुख्य रूप से ये तीन बातें थी जिनमें मॉइश्चर की, पैसा कम देने की और फिजिकल वैरीफिकेशन में कम जीरी मिली है उसके खिलाफ कार्रवाई करने की, ये सभी बातें मैंने बता दी है। मैं यह कहना चाहूंगा कि इसमें से किसी को बख्शा नहीं जायेगा। हां, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इससे आगे हम यह भी सोच रहे हैं कि जिन डीलर्स का रिकॉर्ड ठीक है, फिजिकल वैरीफिकेशन में भी और वैसे भी, आखिर सभी एक जैसे नहीं होते हैं। हरियाणा में लगभग 750

राईस मिल्ज हैं और राइस मिल्ज इतना पैसा भी नहीं दे सकते कि इस सारी की सारी जीरी की हम उनसे सिक्योरिटी ले लें, यह सम्भव ही नहीं है। वे थोड़ा बहुत लगभग 5 से 10 लाख रुपये देते हैं और उसके बाद वे पूरी की पूरी जीरी रखते हैं। चूंकि जीरी एफ.सी.आई. की है तो अब एक विचार आ रहा है कि जिन मिल्ज के रिकॉर्ड ठीक नहीं हैं उनमें जो राईस रखा जाए वह ज्वॉइंट कस्टडी में रखा जाए। मिल के अन्दर ही उसका अलग से एरिया हो तथा उसके ऊपर मिल का भी ताला हो और एफ.सी.आई. का भी ताला हो या जो ऐजेन्सी खरीदती है उसका भी ताला हो। जब वहां से वह राईस निकालेंगे तो उसको ज्वॉइंटली निकाल कर चढ़ायेंगे और बाद में चावल एफ.सी.आई. को दे देंगे। इस प्रकार के ये दो रास्ते मेरे ध्यान में आते हैं हम इस प्रकार का सोचते हैं कि कहीं पर इसमें जो लीकेज है वह लीकेज बंद करने की सम्भावना इसमें बन जाए। अध्यक्ष महोदय, इसके बाद विषय आया मेरी–फसल, मेरा–ब्यौरा। मेरी–फसल, मेरा–ब्यौरा क्यों शुरू किया गया। हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है और किसान के इंट्रस्ट में लिया है क्योंकि कई चीजें शुरू हो गई हैं। फसल बीमा योजना शुरू हो गई है, एम.एस.पी. शुरू हो गया और हमको एम.एस.पी. पर खरीद करनी थी। धान और गेहूं तो केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों के माध्यम से खरीदती है बाकी चीजें केन्द्र सरकार नहीं खरीदती है इसलिए हमें कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा कि जो एम.एस.पी. घोषित किया गया है उसमें हम ज्यादातर खरीद कर सकें। जब हमने बाजरा खरीदना शुरू किया, सरसों खरीदनी शुरू की तो उस खरीद में न तो सरसों पंजाब सरकार खरीदती है और न ही राजस्थान सरकार खरीदती है। इसी प्रकार से बाजरा भी न ही तो पंजाब सरकार और न ही राजस्थान सरकार खरीदती है। उस स्थिति में अगर हम पूरा रेट देकर सरसों और बाजरा खरीदते हैं तो यह जो बाजरे और सरसों की स्मगलिंग है यह आसपास की स्टेट से होगी। खरीदने के बाद फिर हमें उसकी कहीं न कहीं भरपाई करनी पड़ती है। हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि हम उसकी सारे की खपत कर लें। हम बाजरा, मक्का पी.डी.एस. में तीन महीने देते हैं अब शायद 4 महीने हो गए हैं। इससे ज्यादा हमारे पास खपत नहीं होती है और हमें बाजार में बेचना पड़ता है। ये पोल्ट्री फार्म वाले या बीज वाले लेकर जाते हैं और उसमें सरकार को कुछ घाटा पड़ता है। वह घाटा हम हमारे किसान का तो उठा सकते हैं लेकिन पड़ोस के राज्य का घाटा भी हम ही उठाएं तो क्या आप मंजूर करेंगे। जब मंजूर नहीं करेंगे तो हर किसान का रिकॉर्ड चाहिए कि किस किसान ने कितना

16:00 बजे

बाजरा बोया, कितनी सरसों बोई। उसका रिकॉर्ड किसान फसल को बोते समय दर्ज करे। यह नई व्यवस्था है और किसान इतना पढ़ा–लिखा नहीं है इसलिए हमने उनको सुविधा दी जिसके लिए हर गांव में कम्प्यूटर हैं, सी.एस.सी. हैं, हर गांव में वी.एल.ई. बैठे हुए हैं। इस प्रकार से इस समय ग्रामीण क्षेत्र में ये सब 4000 सुविधाएं हैं जिनसे आज 8 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है कि मैंने अपने खेत में इस एकड़ में सरसों बोई है, इस एकड़ में बाजरा बोया है, इस एकड़ में धान बोया है। किसान जो भी फसल अपने खेत में बोता है उसका 6 महीने में एक बार रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और अगर वह अपने फसल को खुद रजिस्टर्ड करता है तो उसको 10 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से पैसे मिलते हैं। किसान एक बार वहां जाए और अपने खेत की पूरी जानकारी दे आए तो उसको 30 रुपये तो मिलते ही हैं और जो सी.एस.ई. रजिस्ट्रेशन करता है तो उसको भी पैसा मिलता है। इस तरह से दोनों को ही पैसा दिया जा रहा है। इस कारण से पैसा जा रहा है ताकि जो वी.एल.ई. बैठा हुआ है उसकी भी आमदन बढ़ जाए। अगर वह 10–15 हजार रुपये कमाने वाला बन जाएगा तो वह अपने ठिकाने पर बैठा रहेगा। इस तरह से हम उनसे कई रजिस्ट्रेशन और करवा रहे हैं। अब हमने यह भी तय किया है कि जो किसान मानो रजिस्ट्रेशन नहीं भी करवाते हैं तो फिर एग्रीकल्चर विभाग उस सारे डाटा को खुद चैक करेगा। मान लो किसी गांव की टोटल जमीन पांच हजार एकड़ है और रजिस्टर्ड करवाया गया है साढ़े तीन हजार एकड़ तो पंद्रह सौ एकड़ का रजिस्ट्रेशन एग्रीकल्चर विभाग कराएगा। बाद में जो रिवैन्यु पटवारी है मैंने रिवैन्यु पटवारियों के बारे में सुना है कि जो पटवारी गिरदावरी करते हैं वह कभी कहीं जाते नहीं है। उन्होंने तो एक जगह खाट पर बैठकर गिरदावरियां कर दी कि किस–किस किसान ने अपने खेत में क्या–क्या फसल बोई हुई है। अब वह इस प्रकार से नहीं कर पाएगा क्योंकि उससे पहले दो एजेंसियां फसल को रजिस्टर्ड कर चुकी हैं इसलिए उसको भी खेत में जाकर देखना होगा और अपने डाटा को टेली करना होगा। अगर किसी का रिकॉर्ड टेली नहीं हुआ तो उससे पूछा जाएगा कि आपने यह गिरदावरी गलत क्यों लिखी? चौथा चरण है ड्रॉन और सैटेलाईट्स का। इस फैसिलिटी से भी हम उस डाटा को कन्फर्म करेंगे। चार में से अगर तीन चीजें मिल गई तो ही उसको फाईनल माना जाएगा। यह रजिस्ट्रेशन का काम हर किसान को साल में दो बार करना है ताकि उस किसान की प्रिक्योंरमैंट ठीक हो जाए और कल को किसान की फसल खराब हो गई तो उसका मुआवजा ठीक मिल

जाए तथा उसके जो बैंक के झमेले हैं उनसे पिंड छूट जाए। आज क्या होता है कि किसान बैंक में जाकर कहता है कि मुझे गन्ने का लोन दे दीजिए तो वह गन्ने की फसल का लोन लेकर आ गया और गन्ने के पैसे फसल बीमा योजना के तहत कट कर चले गये और बाद में कल को नुकसान हो गया और सर्वे में आया कि वहां तो गन्ना था ही नहीं, वह तो गेहूं की फसल थी। वह खराब हुई है तो वह झंझट में पड़ गया। उसके रास्ते भी हमने निकाले हैं कि ऑफ लाईन करने के बाद बाकी का रजिस्ट्रेशन विभाग करेगा। इन सारी समस्याओं का हल निकालना हमारा काम है । मैं यह बता रहा हूं कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा गलत कार्यक्रम नहीं है अच्छा कार्यक्रम है और किसान के हित का कार्यक्रम है। हम हर कठिनाई का रास्ता निकालेंगे। कोई चीज पहली बार शुरू की है तो वह कब पहली बार ठीक हो जाती है। कुछ दिन में साल–दो साल, तीन साल में सारी चीजें ऑनलाईन हो जाएंगी।

श्रीमती किरण चौधरी : मुख्यमंत्री जी, जो कमियां हैं, खामियां हैं पहले उनको पूरा कीजिये।

श्री मनोहर लाल : किरण जी, वह हम कर रहे हैं। उसी तरह से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बात तो हमारे सामने पहले ही आ गई हैं। इसमें पहले बैंक अपने आप काटते थे। अब प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी है। जिसका अभी नोटिफिकेशन होना है। आगे से शायद ये हुआ है कि वौलैंटियरली फसल बीमा करवाना चाहेंगे तो करवाएंगे और जो नहीं करवाना चाहेंगे वह नहीं करवाएंगे लेकिन हाऊस में बैठे सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि इसको अदरवाईज न लें क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि हम किसान के हित में बोल रहे हैं कि यह फसल बीमा जबरदस्ती क्यों काटा जा रहा है? अगर किसान फसल बीमा योजना स्कीम में नहीं जाएगा तो उससे किसान का नुकसान है क्योंकि वहां बीस–पच्चीस हजार रुपये तक का मुआवजा मिल जाता है और हरियाणा में सरकार का मैक्सिमम बारह हजार रुपये मुआवजा है। हम तो बारह हजार रुपये मुआवजा कर ही रहे हैं लेकिन हम बारह हजार से एक दम पच्चीस हजार रुपये मुआवजा नहीं कर सकते हैं खेतिहर किसान आज अच्छी स्थिति में नहीं है यह तो ठीक है लेकिन समय की मांग है कि खेती को भी कमर्शियल एक्टिविटी में जोड़ा जाना चाहिए तो इसका फायदा यह होगा कि अगर खेती का नुकसान होगा तो उसके प्रति हम सबको भी चिंता बढ़ानी ही पड़ेगी। आज कोई भी चीज खरीदते हैं तो सबसे पहले उसका बीमा कराते हैं। गाड़ी खरीद लो, घर खरीद लो या कुछ भी खरीद लो, खरीदते ही उस चीज का

बीमा करवा दिया जाता है। आज तो हालात ऐसे हो गए हैं कि इंसान भी अपना बीमा करवाने लग गया है कि पता नहीं कल भगवान क्या कर दे? (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, इस योजना के फेल होने का मेन कारण यह है कि जहां ड्रौट होता है वहा फ्लड का बीमा कर दिया जाता है और किश्तें काट ली जाती हैं और जहां फ्लड होता है वहां ड्रौट का बीमा करके किश्तें काट ली जाती हैं और इस प्रकार किसान पर डबल–डबल मार पड़ती है। यही कारण है कि यह स्कीम कामयाब नहीं हो सकती है।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, यदि इस स्कीम में कमियां है तो उनको दूर करने का भी प्रयास लगातार किया जा रहा है। जैसे पूरे गांव को एक यूनिट मानना, खेत को एक यूनिट मानना या फिर ब्लॉक को एक यूनिट मानना इस तरह के प्रावधान करके इन स्कीम में आई हुई कमियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, फसल बीमा योजना के बारे में पिछले 30 साल से बात चल रही थी। इस दरम्यान विभिन्न पार्टियों की सरकारें रही। 30 साल के बाद अगर हमने हिम्मत की है और अगर इस योजना में कुछ कमियां है तो उन कमियों को भी दूर करने का काम किया जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, फसल बीमा योजना के तहत किसानों को मुआवजा भी नहीं मिल पाता है और किसान बेचारे धक्के खाते फिरते है। कंपनियां हमारे किसान भाइयों को बहुत ज्यादा परेशान करती हैं।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि निःसंदेह कंपनियों पर भी शिकंजा कसने का काम किया जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जिन किसानों ने बैंक से लोन नहीं ले रखा है ऐसे कितने किसानों ने बीमा करवाया है? (विघ्न)

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री(श्री जय प्रकाश दलाल): अध्यक्ष महोदय, अगर हमारे भिवानी की बात करें तो वहां पर इस बार लगभग 5000 किसानों ने यह बीमा करवाया है।(विघ्न)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, हमारे मंत्री जी ने 5000 की जो संख्या बताई वह बहुत कम है लेकिन चूंकि मैं फसल बीमा योजना के बारे में विस्तार से बता रहा हूँ तो पहले मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ। हमारे समाज के लोगों में कुछ ऐसी धारणा बनी हुई है कि अगर अपने लाभ के लिए भी कोई योजना है और उसके लिए यदि थोड़ा बहुत प्रीमियम भरना पड़े तो उन्हें उस प्रीमियम को भरने में भी दिक्कत होती है।(शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, जो कंपनियां बीमा करती हैं ये कंपनियां भी हर साल चेंज होती रहती हैं इस दिशा में भी ध्यान देने की जरूरत है।(विघ्न)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि अब एक कंपनी को तीन साल के लिए यह काम दिया जायेगा।(शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, इस योजना में जो सबसे बड़ी खामी है, वह यह है कि किसान बीमा तो करवा लेते हैं लेकिन जब कंपनसेशन की बात आती है तो किसानों को दर–दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं और उनको कुछ नहीं मिलता है। इस स्कीम को सफल बनाने के लिए सबसे बड़ी जरूरत यह है कि कंपनियों पर शिकंजा कसा जाये। हमारे भिवानी में एक कंपनी किसानों के करोड़ों रूपये लेकर भाग गई थी। (विघ्न)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि हमने भिवानी तथा सिरसा के इस तरह के केसिज को सैटल भी करवाया है।(शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप वत्सः अध्यक्ष महोदय, कई बार ऐसा होता है कि किसान की फसल को बिजली या अन्य किसी कारण से आग लग जाती है। उस नुकसान के मुआवजे को भी इस योजना में शामिल करना चाहिए।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के प्वॉयंट को भी नोट कर लिया है और इस प्वॉयंट पर भी विचार किया जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, पाले से हुए नुकसान को भी इस स्कीम के तहत शामिल किया जाना चाहिए।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने यह प्वॉयंट पहले भी उठाया था और इसको नोट कर लिया गया है। सदन में इस स्कीम में सुधार के लिए जो

भी बातें कहीं गई हैं वे सभी नोट कर ली गई हैं। अब हमने एक और योजना बनाई है कि 5 एकड़ से कम जमीन का किसान और जिसकी आमदनी वार्षिकी 1 लाख 80 हजार से कम है इनको हमने बी.पी.एल. परिवार की श्रेणी में माना है। ऐसे परिवारों को साल में 6000 रूपये का लाभ विभिन्न प्रकार की योजनाओं के तहत देने का निर्णय लिया गया है। यह सारा प्रोसेस शुरू हो गया है और रजिस्ट्रेशन वगैरह की प्रक्रिया चालू हो गई है। इसमें कुछ योजनायें केन्द्र सरकार की हैं जैसे जीवन ज्योति योजना या फिर सुरक्षा बीमा योजना। इनमें एक योजना का 12 रूपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष का प्रीमियम है और दूसरे का 330 रूपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष प्रीमियम है। इसके बाद आती है किसान मानधन योजना जिसमें तहत 18 साल से 40 साल तक की आयु के किसान के लिए 50 रूपये से लेकर 200 रूपये तक हर महीने जमा कराने की एक योजना है। इसी प्रकार की एक बराबर की योजना और है जिसका नाम है लघु व्यापारी मानधन योजना। इसी प्रकार से एक 'प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना' है, इन सब योजनाओं के तहत 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक प्रति महीना प्रीमियम जमा करवाना होता है ताकि वह 60 वर्ष के बाद पैंशन का हकदार बन सके। इन योजनाओं के नाम अलग–अलग हैं परंतु ये सब एक ही योजना है। इसमें किसान की योजना किसान के लिए है, व्यापारी की योजना व्यापारी के लिए है और श्रम योगी की योजना श्रम योगी के लिए है। इसलिए हरेक को लगे कि हमारे लिए योजना है परंतु योजना एक ही है। इस प्रकार से इस योजना का जो प्रीमियम है ये सारे के सारे उस 6 हजार रुपये में से हम भरेंगे बाकी जो पैसा बचेगा वह उसके अकाउण्ट में जायेगा। ये सभी योजनाएं सामाजिक सुरक्षा की है। आखिर सामाजिक सुरक्षा योजना यही होती है, इस प्रकार से वह पेंशन का हकदार हो जायेगा। हमारा उद्देश्य यह है कि इन योजनाओं का लाभ लोगों को मिलना शुरू हो। (विघ्न)

श्री भारत भूशण बत्तरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी की स्पीच समाप्त होने से पहले मुझे एक मिनट के लिए बोलने का समय दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : बत्तरा साहब, आप थोड़ा सा धैर्य तो रखें। आप अपनी बात सोमवार को बोल लेना।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, एक विषय इन्हांसमैंट के बारे में आया था। इन्हांसमैंट नीति में अब तक कमी थी। वह यह थी कि किसान को जैसे ही

इन्हांसमैंट का पैसा आता था, उसे माननीय न्यायालय अलाऊ करता था। उसके बाद उनकी पेमेंट इक्ट्ठी नहीं होती थी। पहले नीचे के कोर्ट ने कर दी फिर माननीय उच्च न्यायालय ने कर दी और उसके बाद माननीय उच्चतम न्यायालय ने कर दी। उसमें भी किस्तों में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण किसानों को पैसा देता था। जितनी किस्त किसानों को देता था उतनी की इन्हांसमैंट प्लॉट आवंटियों पर लागू होती थी। मान लो 10 प्रतिशत किसान को किस्त के रूप में राशि मिली तो वह प्लॉट आवंटी पर भी 10 प्रतिशत लोड कर दी। एक साल बाद और 25 प्रतिशत किस्त हो गई है तो 25 प्रतिशत प्लॉट आवंटियों पर भी लोड कर दी। इस प्रकार से किसी को यह नहीं पता होता था कि आखिर उसके पास इन्हांसमैंट कितनी आनी है। हमने कहा कि सारी की सारी इन्हांसमैंट्स की गणना इक्ट्ठी कर दी जाये और इक्ट्ठी करने के बाद प्लॉट आवंटियों पर भी वजन न आये क्योंकि इस पर ब्याज भी 15 प्रतिशत के हिसाब से लगता है। कोई आदमी तुरंत एन्हांसमैंट देना चाहता है तो वह तुरंत देगा नहीं देना चाहता है तो उन्हें बैंकों से लोन की व्यवस्था हो जाये ताकि एक सैटलमैंट में इन्हांसमैंट का मामला खत्म हो जाये। अध्यक्ष महोदय, जब इसका सारा इक्ट्ठा बिल बना तो बहुत ज्यादा बिल बनाया गया और हमें लगा कि एक सामान्य व्यक्ति इतनी सारी इन्हांसमैंट नहीं दे सकता है। इसके लिए हमने एक स्कीम बनाई है। स्कीम में जितना ब्याज और पैनल्टीज हैं उनको जितना ज्यादा कम कर सकते थे हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण न कम कर दिया। स्कीम यह बनाई कि यह जो टोटल आउट–स्टैंडिंग अमाउण्ट है चाहे उसमें ब्याज शामिल है, चाहे उसमें पैनल्टी शामिल है और चाहे उसमें बेसिक बकाया शामिल हो सब मिलाकर एकमुश्त 40 प्रतिशत छोड़ दें और 60 प्रतिशत भर दें और आगे से इन्हांसमैंट का खाता खत्म कर दे। हमारे रिकॉर्ड के अनुसार हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के लगभग 57 हजार प्लॉट आवंटी इस इन्हांसमैंट से प्रभावित हैं। इनके लिए एकमुश्त 40 प्रतिशत छूट योजना में 24123 प्लॉट आवंटियों ने अपना खाता खत्म कर दिया। उसमें उनको 568 करोड़ 55 लाख रुपये की इन्हांसमैंट रिबेट मिली है। इसके बाद हमें कुछ प्लॉट आवंटियों ने कहा कि हम लेट हो गए हैं, इसलिए इसकी तारीख दो महीने और आगे बढ़ा दें। उनको हमने 40 प्रतिशत छूट न देकर साढ़े 37 प्रतिशत की स्कीम बनाई ताकि जिन्होंने दो–तीन महीने पहले 40 प्रतिशत वालों ने किस्त भरी हैं उन्हें यह न लगे कि उनके साथ धोखा हुआ है। इस प्रकार से थोड़ा सा मार्जन रखा गया। इस प्रकार से इस

स्कीम की दोबारा से घोषणा की गई। उस स्कीम में 4027 प्लॉट आवंटी फिर आ गये। अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर चौबीस प्लस चार हजार लगभग 28 हजार प्लॉट आवंटी इन दोनों स्कीमों में फायदा ले गये। आज भी 28436 प्लॉट आवंटी बाकी हैं, उसमें भी उन्होंने कहा कि हमारा एरिया इतना था, इतना कॉमन एरिया है और इतना उपयोगी एरिया है। इस प्रकार के झगड़े पैदा हो गए हैं। उस झगड़े का निपटान करने के लिए तीन जजों की समिति बनाई गई। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के इन सैक्टर्ज में कौन सी जमीन उन पर लोड हो गई है और कौन सी जमीन लोड नहीं होगी, इस बात पर मंथन किया गया। अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में कमेटी ने अपना अंतिम निर्णय दे दिया। निर्णय देने के बाद दिनांक 22.08.2019 को एक फ्रैश ऑर्डर जारी कर दिया गया कि उन तीन जजों की समिति की रिपोर्ट हमने स्वीकार कर ली है और उसके आधार पर हरेक सेक्टर का री–कैलकुलेशन किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, री–कैलकुलेशन करने का काम अभी चल रहा है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टर्ज की इन्हांसमैंट की दूसरी गणना पूरी करने के लिए सरकार ने 20 मार्च की नई डेडलाइन तय कर दी है। दिनांक 20 मार्च तक हरेक सैक्टर की रिपोर्ट आ जायेगी, उसके तुरंत बाद अलॉटीज को बता दिया जायेगा कि फलां सैक्टर में इतनी इन्हांसमैंट बकाया है। हरेक सैक्टर का अलग–अलग बताना पड़ेगा क्योंकि किसी सैक्टर ने कम इन्हांसमैंट की किस्त कम जमा करवाई हुई है और किसी सैक्टर ने इन्हांसमैंट की किस्त ज्यादा जमा करवाई हुई हैं। अब इस कमेटी के पास जो फाइनल आउट स्टेंडिंग अमाउण्ट सैक्टर्ज की बाकी है वह उनको जमा करवानी होगी। अगर वह अमाउण्ट जमा नहीं हुई तो आगे विभाग जो कार्रवाई करेगा सो करेगा। अध्यक्ष महोदय, मैंने इस प्रकार से इन्हांसमैंट की सारी की सारी बातें आपके माध्यम से सदन में बताई है। अध्यक्ष महोदय, समिति की रिपोर्ट के बाद प्राधिकरण ने दूसरी गणना के लिए नई नीति बनाई है। उसके अनुसार 20 मार्च से पहले दूसरी गणना कर आवंटियों को बता दिया जायेगा कि उनके खाते में कितनी इन्हांसमैंट निकली है। अंतिम राशि जो भी होगी, उन्हें जमा करानी पड़ेगी। भविष्य में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण व एच0एस0आई0आई0डी0सी0 में इन्हांसमैंट नहीं आयेगी। अध्यक्ष महोदय, आगे के लिए सरकार ने भूमि अधिग्रहण करना बंद कर दिया है। वह जमाना चला गया जब भूमि अधिग्रहण हुआ करती थी। उस समय की कांग्रेस सरकार दिसम्बर, 2013 तक अपने कार्यकाल के आखिरी महीने में 5000 एकड़ भूमि पर सैक्शन–4 करके गई

थी। हमारी सरकार की इच्छा जमीन वापिस करने की नहीं थी लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के जज श्री सूर्यकांत जी ने इस संबंध में फैसला सुनाया कि इस संबंध में पिछली सरकार ने गलत निर्णय लिया है मौजूदा सरकार इसे रद्द करे। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से हमारी सरकार ने आते ही 5000 एकड़ पर सैक्शन–4 रद्द कर दिया। अध्यक्ष महोदय, नवम्बर, 2014 में हमारी सरकार के समय में एक भूमि अधिग्रहण का शोर मचा हुआ था कि किसानों के मुआवजे का रेट कम है। लेकिन सब प्रौसीज़र के हिसाब से था। बावल में हमें बताने वाले बताते हैं, सिखाने वाले लोग लोगों को सिखाते हैं कि आप लोग 2–3 करोड़ रुपये भूमि अधिग्रहण के नाम पर मुआवजे के तौर पर नई सरकार से मांग लो। अध्यक्ष महोदय, उस जमीन का प्रति एकड़ का रेट 50–60 लाख रुपये के करीब था और नेशनल हाई–वे के साथ लगती जमीन का रेट लगभग 1 करोड़ रुपये प्रति एकड़ था। हमारी सरकार से किसी ने अपनी जमीन के 2 करोड़ रुपये मुआवजे के तौर पर मांगे तो किसी ने 3 करोड़ रुपये मुआवजे के तौर पर मांग कर एक आंदोलन खड़ा कर दिया। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में नवम्बर, 2014 में 3500 एकड़ भूमि अधिग्रहण के प्रौसेस को खारिज कर दिया। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद आज वही लोग कहते हैं कि हमारी जमीन उतने में ही ले लो जितने में अवार्ड सुनाया गया था। अध्यक्ष महोदय, भूमि अधिग्रहण का एक ऐसा विषय है जिसको लेकर सरकार पर ज्यादा दबाव होता है और वह अपनी व्यवस्थाओं को आगे नहीं बढ़ा सकती। आज हमारे एच0एस0वी0पी0 और एच0एस0आई0आई0डी0सी0 दोनों विभाग केवल इन्हांसमैंट के कारण से बहुत बड़ी दुविधा में आ गये हैं। इस चीज का बजट में कोई उल्लेख नहीं होता है, इसलिए इन व्यवस्थाओं से निकलना बहुत जरूरी है। हम नई पॉलिसी बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। ताकि जो अचानक गुप्त चीजें आती हैं वे आगे न बढ़े और उन्हें एक तरीके से नॉर्मलाइज किया जा सके। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से इन्हांसमैंट के बारे में मैंने सदन को बताया है। अध्यक्ष महोदय, एक विषय संस्कृत अध्यापक टी.जी.टी. के विषय में श्री गौतम जी ने उठाया था जो इस समय सदन में उपस्थित नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि 7 प्रतिशत संस्कृत अध्यापक अनुच्छेद–'बी' में शैक्षणिक योग्यताओं को पूरा करते हुए स्कूल के मुख्याध्यापक के पद पर लग सकते हैं। लेकिन संस्कृत अध्यापक टी0जी0टी0 जो हैं वे जिला काडर के शिक्षक हैं, इसलिए वे स्टेट काडर में नहीं आ सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, एक विषय विश्वविद्यालय को लेकर आया था। मैं बताना

चाहता हूँ जिला कैथल के गांव मूंदड़ी में महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 20 एकड़ भूमि ले ली गई है। बिजली की जो लाइन विश्वविद्यालय के ऊपर से गुजर रही थी उसको हटाने के लिए उसकी भी मंजूरी प्राप्त हो गई है। विश्वविद्यालय की चार दीवारी भी बना दी गई है। विश्वविद्यालय में उप–कुलपति की नियुक्ति हो गई है। शैक्षणिक और गैर–शैक्षणिक के जो पद हैं, वे भी स्वीकृत हो गए हैं और बहुत ही जल्दी इस पर काम शुरू हो जायेगा। (इस समय मेजें थपथपाई गईं) अध्यक्ष महोदय, राज्य में वन क्षेत्र घट रहा है, ऐसा विषय श्री वरुण जी ने उठाया था, इस समय वे भी सदन में उपस्थित नहीं है। मेरा इसके बारे में केवल इतना कहना है कि राज्य में वन क्षेत्र कम नहीं हुआ है और वह 3.50 प्रतिशत ही है। बहरहाल, हरियाणा राज्य में वृक्षाच्छादित क्षेत्र धीरे–धीरे करके बढ़ रहा है। वर्ष 2013 में 6.49 प्रतिशत था, वर्ष 2015 में 6.65 प्रतिशत, वर्ष 2017 में 6.79 प्रतिशत और वर्ष 2019 में 7.13 प्रतिशत हो गया है। इसको और आगे बढ़ाने के लिए हम योजनाएं बना रहे हैं ताकि फौरेस्ट डिपार्टमैंट के माध्यम से कुछ सार्वजनिक स्थानों पर या प्राईवेट जगहों पर भी पेड़ लगाये जाएं। जैसे पहले एक योजना है जिसके तहत संबंधित व्यक्ति/किसान अपने–अपने खेतों में पेड़ लगाते हैं। इसी प्रकार से और योजनाएं बनाकर वन क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा। इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य श्री नीरज शर्मा जी ने कहा था कि अगर कोई लाभार्थी अपने क्षेत्र की पी.डी.एस. की दुकान को छोड़कर दूसरी दुकानों से राशन लेता है तो उसको वहां से राशन नहीं मिलता है। इसमें मेरा यह कहना है कि मेरे पास नवम्बर, दिसम्बर और जनवरी के तीन महीनों के आंकड़े हैं जिसमें प्रदेश भर में 23–24 प्रतिशत ऐसे लाभार्थी हैं जो अपने क्षेत्र के डिपो को छोड़कर दूसरे डिपो से राशन लेते हैं। इसी विषय से संबंधित फरीदाबाद का आंकड़ा भी है जो कि बहुत ही मजबूत आंकड़ा है। जिसमें 47 प्रतिशत लाभार्थी ऐसे हैं जो अपने डिपो को छोड़कर दूसरे डिपो से अपना राशन लेते हैं। सरकार द्वारा इसमें जो ऑनलाईन सुविधा (पी.ओ.एस. सिस्टम के द्वारा) की गयी है, उसमें माननीय सदस्य ने जिस प्रकार की बात रखी थी, वैसी बात इसमें नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में क्राईम रेट के बारे में भी बताना चाहूंगा कि इसमें आंकड़ों के विषय में बहुत सी चीजें आती रहती हैं। इसमें मौटे तौर पर इतनी बात जरूर कह सकता हूं कि हमारे जो पिछले 5 साल का अनुभव है, उसमें हमारे प्रदेश की लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति बहुत ज्यादा खराब नहीं है। एक जनरल ट्रैन्ड है कि ये चीजें आबादी के हिसाब से भी

बढ़ती हैं। जैसे समाज में एक वृति बदलती है। यानी जब पैसा बढ़ता है तो बाकी दूसरी चीजें भी बढ़ती है और उसी हिसाब से क्राइम भी बढ़ता है। कुछ सामाजिक बुराइयां हैं जिनकी चिन्ता हमको बहुत ज्यादा है। इन सामजिक बुराइयों में जैसे महिलाओं के खिलाफ अपराध है। यह ठीक है कि यह क्राइम है, परन्तु इसको मैं सामाजिक बुराई इसलिए कहता हूं कि इस क्राइम को रोकना, अगर हम अकेले सरकार के बलबूते की बात समझेंगे तो वह ठीक नहीं होगा। सरकार के बलबूते की इतनी बात है कि हमने व्यवस्थाएं कैसी बनायी और अपराधियों को दण्डित करने के लिए क्या पग उठाए हैं ? हम ये सब चीजें करते हैं, परन्तु ये सब करने के बाद भी ये चीजें बढ़ती हैं। ऐसे ही दूसरा विषय नशे का आया है कि नशे के संबंधित शिकायतें बढ़ रही है। इसके बारे में एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा कि अभी पिछले दिनों इसके बारे में नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो में एक रिपोर्ट छपी थी। जिसमें कहा गया कि पंजाब से ज्यादा हरियाणा राज्य में नशे का प्रचलन हो गया है। इसमें मरने वाले लोगों की फिगर ली गयी है। उन्होंने रिपोर्ट में कहा कि हरियाणा का डाटा 84 प्रतिशत का है और पंजाब का 78 प्रतिशत का है। सरकार द्वारा जब संबंधित डाटा के ऊपर ऐनालिसिज करवाया गया तो पता चला कि उन्होंने इसमें ऐसी डैथ्स को शामिल किया है जो ओवर डोज ऑफ मेडिसन, सल्फास खा ली या शराब पीने के कारण जिनकी डैथ हुई थी। उनको भी संबंधित रिपोर्ट में शामिल किया गया है। वास्तव में जो डैथ्स नार्कोटिक्स या ड्रग्स के कारण होती हैं, इसमें उस प्रकार की डैथ्स शामिल नहीं हैं। इस प्रकार की डैथ्स इन 84 में से केवल 29 ही हैं और बाकी आंकड़ा दूसरे प्रकार का है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बत्तराः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी रेप की घटनाओं के बारे में भी बताएं।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने रेप की घटनाओं के बारे में बात की है। इसमें मैं हमारे प्रदेश का वर्ष 2018–19 में हुए क्राइम का आंकड़ा बताना चाहूंगा जिसमें क्राइम अगेंस्ट बॉडीज में कुल 8.51 प्रतिशत की एक साल में वृद्धि दिखायी गयी है, लेकिन इसमें अलारमिंग बात यह है कि सबसे ज्यादा वृद्धि मिसिंग पर्सनज की है। यानी ये 340 आई.पी.सी. से संबंधित केसिज हैं।

श्री भारत भूषण बत्तराः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश में क्राइम रेट अगेंस्ट वूमन 17 प्रतिशत है।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि मैंने अभी रेप की बात नहीं बतायी है बल्कि टोटल क्राइम अगेंस्ट बॉडीज की बात कर रहा हूं जिसमें सबसे ज्यादा मिसिंग पर्सनज हैं। वर्ष 2018 में इनकी संख्या 8489 थी और वर्ष 2019 में यह संख्या बढ़कर 10573 हो गयी है। यानी इसमें 24.54 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। हमने डी.जी.पी. साहब को कहा था कि यह संख्या बढ़कर 24.54 प्रतिशत क्यों हो गयी ? इसमें भी हमें अलग–अलग वर्गों के बारे में देखना पड़ेगा क्योंकि इस प्रकार के जो मिसिंग पर्सनज हैं। क्या उनमें बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं या क्रिमिनल्ज भी शामिल हैं ? इसमें अच्छा पक्ष यह भी हो सकता है कि कोई क्राइम करके आसपास के राज्यों में भाग गया हो। इसमें शिकायत तो क्रिमिनल्ज की भी हो सकती है कि वह मिल नहीं रहा है। इन सब चीजों का ऐनालिसिज करते समय यह देखा जाएगा कि मिसिंग पर्सन्ज की संख्या बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है ? अगर मिसिंग पर्सनज को निकाल दें तो हमारा नैट डिफरैंस का आंकड़ा सिर्फ 18 प्रतिशत से 19 प्रतिशत ही रह जाता है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2019–20 का जनवरी तक का एक आंकड़ा है। जिसमें बताया गया है कि इसमें 713 की बजाए 890 पर्सनज मिसिंग हैं। यह पूरे वर्ष का आंकड़ा नहीं है। इसमें भी अगर एवरेज निकालें तो 24 प्रतिशत ही आती है, परन्तु इसको निकाल दिया जाए तो यह आंकड़ा बाकी दूसरी चीजों में बराबर हो जाता है। इस वर्ष 2018–19 में क्राइम अंगेस्ट वुमैन में टोटल 2.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और इसमें रेप के केसिज की संख्या ज्यादा है तथा Eve teasing के केसिज की संख्या 15 प्रतिशत कम है, रेप के केसिज की संख्या 15 प्रतिशत ज्यादा है। अगर हम इन दोनों को मिलाकर देखेंगे तो लगभग बराबर है। इसी तरह से किडनैपिंग के केसिज में 13 प्रतिशत कमी आई है, पिछले वर्ष 2018 में 3700 किडनैपिंग के केसिज आये थे और वर्ष 2019 में 3200 किडनैपिंग के केसिज आये हैं और यह सब मिक्स–अप है। प्रदेश में क्राइम के केसिज की संख्या का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि क्राइम रेगुलर तरीक से बढ़ेगा या घटेगा और कई बार परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं कि क्राइम के आंकड़े अचानक ऊपर नीचे होते रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे ध्यान है कि श्री ईश्वर सिंह जी वर्ष 2012 में चेयरमैन थे, इन्होंने लिखा था कि वर्ष

2012 में रेप के केसिज की संख्या बहुत हो गई थी। इसका अर्थ यह नहीं है कि वर्ष 2012 में रेप के केसिज ज्यादा हो गये थे तो हम इनको जस्टिफाई कर रहे हैं, इसके बाद भी वर्ष 2017–18 में रेप के केसिज हुए हैं। हम यह नहीं चाहते कि प्रदेश में रेप के केसिज बढ़ते जायें, इस संबंध में हमारा यही कहना है कि रेप के केसिज नहीं बढ़ने चाहिए लेकिन हमारी सरकार ने कार्रवाई करने का फैसला किया है। कभी ऐसे चांसिज बढ़ते हैं, नहीं बढ़ने चाहिए हमने इसके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है। उसके बारे में मैं जरूर बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार आने के बाद इस विषय पर कई बातें हमारे सामने आई कि सरकार ने प्रदेश में महिला थाना खोलने का काम किया है। इसमें एक विषय ध्यान करने में आया कि इन महिला थानों के खुल जाने के बाद जिन महिलाओं के साथ अपराध होते हैं, उन महिलाओं ने सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन करवाई है।

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहती हूं कि महिला थानों में महिला पुलिस अधिकारियों को काम करने का तजुर्बा नहीं है।

श्री मनोहर लाल : किरण जी, ऐसा नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि इन महिला थानों के खुल जाने के बाद जिन महिलाओं के साथ अपराध होते हैं, उन महिलाओं ने सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन करवाई है। महिला थानों की अगर हम अलग–अलग फिगर निकालेंगे तो थानों के अनुसार क्राइम अगेंस्ट वुमेन की रजिस्ट्रेशन ज्यादा हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, एक महिला द्वारा दूसरी महिला के सामने बात करना एक अलग विषय है। मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा कि पहले प्रदेश में महिला थाने नहीं होते थे तो जब किसी महिला पर अत्याचार या अपराध होता है तो जनरल थानों में वे महिलाएं अपनी पूरी बात संकोच के कारण कह नहीं पाती थीं क्योंकि कई बार जनरल थानों में महिलाएं अपनी बात बताने में संकोच करती थी, वह अपनी बात जनरल थानों में नहीं बताना चाहती थी और कई बार महिलाएं अंदर ही अंदर घुट जाती थी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे समाज के अंदर जैसे–जैसे बहुत सी चीजें ओपन हो रही है तो समाज में महिलाएं भी जागरुक हो रही हैं।

श्री अमित सिहाग : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सरकार ने महिला थानों को खोलने में बहुत जल्दीबाजी दिखाई है क्योंकि आज की तारीख में महिला थानों में स्टाफ की कमी है और जो

महिला सिपाही भर्ती कर रखी हैं वे अंडर ट्रेंड भी है। वर्तमान सरकार ने इन महिला सिपाहियों की नियुक्ति स्पोर्टस कोटे से तो जरूर कर ली, जैसा कि हमारी माननीय सदस्या ने कहा है कि उनको इन थानों में काम करने का तजुर्बा नहीं है और मैं समझता हूं कि इन महिला थानों में करप्शन अधिक बढ़े हैं। मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं सरकार द्वारा इन महिला थानों को खोलने की जो पहल की गई थी, वह ठीक थी परन्तु आज के दिन इन महिला थानों में जो पॉजिटिव नतीजे मिलने चाहिए थे वे मेरे ख्याल से इन महिला थानों से नहीं आ रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने नारकोटिक्स, ड्रग्स और महिलाओं की सुरक्षा की बात की, इसमें जस्टिफिकेशन नहीं थी। अगर हम इन आंकड़ों को लेकर बात करेंगे तो हम मुद्दे से भटक जायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आशा करता हूं कि आज हमारे प्रदेश में नारकोटिक्स, ड्रग्स और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर समस्या बनी हुई है इन सभी समस्याओं को हमें मिलकर के दूर करने का प्रयास करना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : गोगी जी, प्लीज आप बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भाम□ोर सिंह गोगी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को एक सुझाव देना चाहूंगा। मैं इस महान सदन में कोई गलत बात नहीं करूंगा। सरकार ने जिस मंशा से ये सभी महिला थाने खोलने का काम किया था, वह मंशा पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि इन थानों में भ्रष्टाचार ज्यादा पनप रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इसकी शिकायत डी.जी.पी. साहब से भी की थी।

श्री मामन खान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मामन जी, प्लीज, आप बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, हम भी मानते हैं कि हमें आपस में मिलकर के इन सब विषयों पर गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए। कम से कम यह जो अपराध बढ़ता है इसका राजनीतिकरण करने की बात न करें क्योंकि इन अपराधों को खत्म करने के लिए हर तरह से प्रयत्न किए जाएंगे। इस बारे में विपक्ष के माननीय सदस्यों से सरकार के पास जो सुझाव आयेंगे, उनको भी शामिल करके इन सभी समस्याओं को खत्म करने का काम किया जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन में दो तीन बातें ही कहना चाह रहा था कि हमारी सरकार ने इन महिला थानों में

रजिस्ट्रेशन ओपन की है, इस ओपन रजिस्ट्रेशन का मतलब यह है कि इस बारे में हमारे पास पहले ज्यादा शिकायतें आती थी कि हमारी एफ.आई.आर. ही नहीं लिखी जाती। आज प्रदेश में इन लोगों को ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा, जिसकी एफ. आई.आर. दर्ज न होती हो और आज इनको ऐसी कोई शिकायत सुनने में भी नहीं आयेगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका एक उदाहरण बताना चाहूंगा कि वर्ष 2017–18 में 1054 रेप केसिज के मामलों की रजिस्ट्रेशन हुई थी और इसमें से 237 केसिज को कैंसिल कर दिया गया था क्योंकि ये सभी केसिज झूठे पाये गये थे।

.....

बैठक का समय बढ़ाना

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अगर हाउस की सहमति हो तो सदन का समय 30 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए?

आवाजें : ठीक है जी।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, सदन का समय 30 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारंभ) तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, ऐसे ही वर्ष 2018 में 28 केसिज झूठे पाये गये थे। वर्ष 2019 में 26 केसिज झूठे पाये गये थे। मेरा यही कहना है कि अगर हम इस मामले में आंकड़ों की कैल्कुलेशन की तरफ जायें तो झूठे वाले केसिज को निकालकर जो नैट एफ.आई.आर्ज. हैं हमें केवल उनका ही विश्लेषण करना चाहिए। (विघ्न) उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हमने हरियाणा प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए दुर्गा शक्ति रैपिड एक्शन फोर्स का गठन किया। इसी प्रकार से हमारी सरकार द्वारा हरियाणा प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत हरियाणा पुलिस में महिलाओं की संख्या को भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने का प्रयास किया गया है। ऐसे ही हमारी सरकार द्वारा वन स्टॉप सैंटर का भी प्रावधान किया गया है। आज सदन में निर्भया फण्ड के बारे में भी बात उठाई गई है। इस सम्बन्ध में मैं पूरे सदन को यह सूचित करना चाहूंगा कि इस बार हमें निर्भया फण्ड के तहत 12,05,55,000/– रुपये रिसीव हुए। इस धनराशि में से 6,33,00,000/– रुपये यूटीलाईज हो गये हैं और जो बाकी रह गये हैं उनसे वन स्टॉप सैंटर्स का काम शुरू किया गया है इसलिए मैं

यह समझता हूं कि इस धनराशि का भी बहुत जल्द ही यूटीलाईजेशन हो जायेगा। मैं यह भी बताना उचित समझता हूं कि अगर इस मद के तहत हमें और पैसे की भी जरूरत पड़ेगी तो उसकी डिमाण्ड भी हम केन्द्र सरकार से करेंगे। हमारी सरकार द्वारा हैल्पलाईन नम्बर 112 की सेवा दी जा रही है जिसके अंदर इस प्रकार से महिलाओं के विरूद्ध जो शिकायतें हैं वे सभी इसके अंदर डील की जायेंगी। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, समालखा के हमारे विधायक साथी श्री धर्म सिंह छौक्कर द्वारा यह बात यहां पर यह उठाई गई थी कि बापौली में डार्कजोन में एरिया स्पैसिफिक है। इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहूंगा कि अभी तक केन्द्र सरकार का जो सैंट्रल ग्राउंड वॉटर बोर्ड है वो तय करता है कि किसी प्रदेश का कौन सा एरिया डार्कजोन है और कौन सा नहीं है। बहुत से ऐसे एरियाज हैं जो नदी के किनारे हैं लेकिन वे उनको भी डार्कजोन घोषित कर देते हैं। इस सम्बन्ध में बहुत जल्दी ही हम एक बिल लेकर आ रहे हैं जो ग्राउंड वॉटर बिल होगा जिसके तहत हम अपने प्रदेश के स्तर की एक अण्डर ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी का गठन करेंगे जिसको यह अधिकार होगा कि अगर हम अपने प्रदेश के किसी भी ब्लॉक में डॉर्कजोन की घोषणा करते हुए किसी एक पार्ट को छोड़ना चाहें तो हम उसे छोड़ भी सकेंगे ताकि उसको डॉर्कजोन से बाहर निकाला जा सके। इसी प्रकार से प्रदेश का कौन सा क्षेत्र डॉर्कजोन घोषित किया जायेगा इसकी सिफारिश भी हम जिस प्रकार से करेंगे, वहीं होगा। ऐसा ही एक मामला बापौली से सम्बंधित हैं जहां पर एक ट्यूबवैल का कनैक्शन नहीं दिया गया only because of darkzone area. जब यह सब हो जायेगा तो उसके बाद फिर डॉर्कजोन की डिक्लेरेशन के सम्बन्ध इस प्रकार की समस्यायें नहीं आयेंगी। हरियाणा प्रदेश में 24 घंटे बिजली देने की बात श्री जगबीर सिंह जी ने उठाई थी। इस सम्बन्ध में मेरा यह कहना है कि हरियाणा प्रदेश में आज लगभग 4500 गांव ऐसे हैं जहां पर 26 जनवरी, 2020 तक 24 घंटे बिजली के कनैक्शंज दिये जा चुके हैं। मेरा यह भी कहना है कि इनकी संख्या आने वाले समय में और बढ़ेगी। मेरा यह भी कहना है कि इसमें कई कंडीशंज हैं यह काम केवल एक–आध कंडीशन से पूरा नहीं हो सकता। इसमें बिल की पेमैंट है, जो सम्बंधित गांव के निवासी हैं उनके पिछले बिलों के बकाया को भी क्लीयर करने की बात है, मीटर बाहर निकालने की बात है और तारें बदलने की भी बात है, इनमें से कुछ काम पॉवर डिपार्टमैंट के द्वारा किये जाने होते हैं और कुछ कनैक्शन होल्डर के द्वारा किये जाने होते हैं। ये सारी की

सारी बातें होने के बाद फिर पूरे फीडर को देखा जाता है। किसी फीडर में अगर एक गांव भी इन सारी की सारी कंडीशंज को पूरा कर लेता है तब भी उस फीडर के अंतर्गत आने वाले तमाम इलाके को 24 घंटे बिजली की सप्लाई नहीं दी जा सकती क्योंकि उसमें पूरे फीडर की पॉवर सप्लाई एक ही साथ जाती है। इस प्रकार से प्रदेश के किसी भी इलाके में 24 घंटे बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हम इस अभियान को गति दे रहे हैं। (विघ्न) डिप्टी स्पीकर सर, मेरा आपके माध्यम से सभी सम्मानित साथियों से यह अनुरोध है कि उनके विधान सभा क्षेत्र में अगर पॉवर सप्लाई के मामले में कोई 24 घंटे का डिक्लेयर्ड गांव है और वहां पर 24 घंटे बिजली की उपलब्धता नहीं है तो वे मुझसे शिकायत करें। (विघ्न) डिप्टी स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि मुझे यह बात आज भी याद है कि अप्रैल, 2015 में विधान सभा के अनुसार मेरी पहली सभा बाढ़्ड़ा में हुई थी। बाढ़्ड़ा के लोगों को बिजली के बिल भरने का अभ्यास ही नहीं है। उस समय वहां के विधायक ने मुझे यह कहा था कि आप सभा में बिजली के बिल को भरने की बात मत करना और अगर आपको बिल की बात करनी ही है तो फिर चाहे आप अपनी बाढ़्ड़ा की रैली को ही कैंसिल कर दें। मैंने उस समय उनको यही कहा कि मैं सारे प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं से बिल की मांग कर रहा हूं। मैं सदन की जानकारी के लिए यह भी बताना चाहूंगा कि बिजली के बिलों को भरने के बारे में मैंने अपनी सरकार के पहले कार्यकाल के पहले साल से ही सख्ती की हुई है। हमने इसमें बहुत सफलता भी पाई है जिसके परिणामस्वरूप पॉवर सैक्टर से जुड़ी हमारी चारों कम्पनीज प्रॉफिट में भी आ गई हैं। इतना ही नहीं बल्कि हमने हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं को दी जा रही बिजली के रेट्स भी कम किये हैं। उपाध्यक्ष जी, सदन में एक विषय हरियाणा रोडवेज के लिए 500 बसों की खरीद करने का भी आया था। 500 बसों की खरीद के मामले में मैं इतना ही कहूंगा कि हमने अभी हाल ही में एक टैण्डर निकाला था उस टैण्डर को निकालने में कहीं पर एक गड़बड़ हुई हमने उसका संज्ञान लिया और इस मामले में दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई है। एफ.आई.आर. में कुछ बसिज के कंडक्टर्स के भी नाम हैं और कुछ अधिकारियों के भी नाम हैं। हमने इस मामले की प्रॉपर जांच का काम हरियाणा स्टेट विजीलैंस ब्यूरो को सौंपा हुआ है। हमें उम्मीद है कि इस मामले में बहुत ही जल्दी हरियाणा स्टेट विजीलैंस ब्यूरो की रिपोर्ट हमें प्राप्त हो जायेगी। यह केस

कोर्ट में चला गया और कोर्ट में इस बात पर संज्ञान लिया गया कि चूंकि 31 मार्च, 2020 को वह टैक्नोलॉजी बदल रही है। बी., 4 इंजन से बी., 6 इंजन वाली बसें आ रही हैं। जिन लोगों ने चाहे उन्होंने गड़बड़ भी की है और बसें खरीद भी ली हैं और वे बी., 4 इंजन की हैं, मान लो उन बसों का उपयोग नहीं किया गया तो वे 1 अप्रैल, 2020 को जीरो हो जायेंगी इसलिए उन्होंने कहा कि केस अपनी जगह चलेगा, जो कल्प्रिट होगा उसका क्रिमिनल केस तो उसके साथ ही साथ चलेगा ही चलेगा लेकिन यह आर्थिक नुकसान केवल उन लोगों का नहीं है, एक नैशनल लॉस है। अगर वे बसें जीरो हो गई तो किसी के उपयोग की नहीं रहेंगी इसलिए कोर्ट ने कहा कि आप इनसे कोई एग्रीमैंट करके जो आपका वर्तमान रेट है उसके हिसाब से इनको रख लें। हमने फिर नया टैंडर लगाया तो उसमें लगभग 10 रुपये प्रति किलोमीटर का रेट कम आया है। अगर आप कम रेट के ऊपर चलवाना चाहते हैं तो चलायें लेकिन कोर्ट केस में कोई ढील नहीं है। वह कोर्ट केस क्रिमिनल केस एज इट इज चलेगा जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। उसके अन्तर्गत जितनी भी बसें हैं वे लगभग सभी मान गये हैं और वे सभी 31 मार्च, 2020 से पहले बसें दे देंगे। उनका रजिस्ट्रेशन हो जायेगा और इनका ऑन रोड 26 रुपये 92 पैसा प्रति किलोमीटर स्कीम का जो रेट है वह लागू हो जायेगा। हरियाणा में पहली बार हमको यह किलोमीटर स्कीम मिली है। इससे पहले हरियाणा में किलोमीटर स्कीम किसी ने सफल नहीं होने दी। हरियाणा को छोड़ कर सभी प्रदेश किलोमीटर स्कीम चला रहे हैं। हरियाणा में पिछले साल थोड़ी सी सख्ती की जिसमें हमें सफलता मिली कि लगभग 500 बसें हमारी किलोमीटर स्कीम पर आ जायेंगी। इस समय विषय इतना ही है बाद में कोई विषय आयेगा तो बता दिया जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप वत्सः उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी पर्सनल रिक्वैस्ट है कि अच्छी बात है आप बिजली दे रहे हैं लेकिन जो कई–कई सालों से एक ही जगह पर जे.ई. और एस.डी.ओ. जमे बैठे हैं, जो बिजली के छापे डालते हैं उसमें वे गड़बड़ करते हैं।

श्री मनोहर लालः उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि यह अलग विषय है और इस पर फिर बात कर लेंगे। इस समय हम जो कर रहे हैं उसी की बात करें।

श्रीमती किरण चौधरीः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि अरावली के बारे में भी बताइये। **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए।)**

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या को बताना चाहता हूं कि अरावली वाला जवाब मैं बजट में दूंगा। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बहुत से विषय हाउस में उठाए गये हैं उसमें चाहे डिमांड्ज हैं, प्रश्न हैं शंकाएं हैं, आरोप–प्रत्यारोप हैं उन सभी का जवाब देने की मैंने कोशिश की है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में 70 बिंदु हैं। उनमें से बहुत से बिंदओं की चर्चा हुई और कुछ रह भी गये होंगे। आज भी मैंने बहुत से विषयों के उत्तर दिये हैं। कुछ विषयों के साथ के साथ भी उत्तर दिये गये हैं। कुछ जो डिमांड्ज हैं उन डिमांड्ज की फिजिबिलिटी या लिमिटेशन्ज जो हमारी बजट की हैं, उसको ध्यान में रखते हुए वे सारी जितनी सम्भव होंगी, वे सभी पूरी करवाई जायेंगी और कुछ का उत्तर मैंने दे दिया है। कुछ अभी कल जो बजट प्रस्तुत होगा उसके बाद उन पर चर्चा होगी, उस चर्चा में अंत में भी एक उत्तर मुझे देना ही होगा। बहुत से विषय इसमें ऐसे हैं जो बजट से जुड़े हुए हैं। बजट के भाषण में ही यानि कल जो बजट प्रस्तुत करेंगे तो बहुत सी समस्याओं का हल उसमें हो जायेगा। अलग से उसका उत्तर आज मैं दूं और कल कोई नई बात आ जाये तो वह ठीक नहीं है। आपके सभी विषय नोट किए हुए हैं। हरेक विषय पर मैं आपको बताऊं कि हम चर्चा करवाऐंगे। मैं इस समय सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि हम लोग इस सदन में आते हैं, आलोचना होती है लेकिन मेरा इतना ही निवेदन है कि निन्दा नहीं होनी चाहिए। मैं पंजाबी इच कहणा चाव्हांगा कि इत्थे आलोचना करनी चाहिदी है लेकिन निन्दा नहीं होनी चाहिदी। विपक्ष के नाते हम लोग चर्चा करें, आलोचना करें लेकिन कभी कभी इस प्रकार से हमारा रोल हो जाता है कि हम लोग ब्रेक लगा लेते हैं। ब्रेक मत लगाएं क्योंकि अगर आलोचना ब्रेक के रूप में काम कर गई तो हमारा सारा काम रुक जाएगा, उससे विकास भी रुकेगा। इसलिए मेरा यही कहना है कि विकास को न रोकें और आप अगर साथ आ सकते हैं तो आ जाईये । मैं कह रहा हूं कि आलोचना बेशक करें लेकिन निन्दा न करें। (शोर एवं व्यवधान) मैं कह रहा हूं कि ब्रेक लगने से कई बार विकास रुक जाता है।

श्रीमती किरण चौधरी : मुख्यमंत्री जी, आप भ्रष्टाचार रोकिये हम आपके साथ हैं।

श्री मनोहर लाल : यह बात तो ठीक है कि सदन में हम पक्ष और विपक्ष है और विपक्ष हमारे साथ आकर मिलके खड़ा नहीं होगा। यह भी हमें पता है लेकिन इतना तो जरूर होना चाहिए कि कम से कम जो प्रदेश हित के विषय हैं उसके अन्दर विपक्ष साथ खड़ा दिखाई दे। मुझे इस बात की खुशी है कि कल हुड्डा साहब ने एक स्टेटमैंट दी थी कि एस.वाई.एल. के मुद्दे पर हम सरकार के साथ खड़े हैं। इस तरह से विपक्ष को भी सरकार के साथ खड़े रहना चाहिए ताकि हम प्रदेश को नई ऊंचाईयों तक ले जा सकें। (शोर एवं व्यवधान) अभी तो आप लोग कह रहे थे कि हम सरकार का साथ देंगे। फिर आप हमारे ऊपर डाल रहे हो। हम सभी साथ चलेंगे। जो सिस्टम बने हुए हैं वह अचानक बदले नहीं जाते हैं । हमें लोगों ने उस सारे सिस्टम को बेहतर करना होता है। वह हम कर रहे हैं। अगर आप उसमें हमारा साथ दें तो उसमें आगे बढ़ेंगे। अगर हम अपनी–अपनी जगह पर इसी एक मूड में लगे रहे कि मैं जो बोलूंगा इससे मेरी जनता के अन्दर जगह बनेगी। हम जनता में अपनी जगह बनाने के लिए लालायित होते हैं कि मैं बोलूंगा तो मुझे जनता जानेगी, मुझे मीडिया जानेगी।(शोर एवं व्यवधान) जगह बनाने की बजाए हम तो रास्ते बनाते हैं ताकि इन रास्तों पर हम सब मिलकर के आगे चल सकें। इस प्रकार का काम हम सभी करते हैं।

''अधूरे ख्वाबों को उठान देनी है,
गूंगे जजबातों को जुबान देनी है।
इस विकास के रथ को कोई रोक न सके,
हरियाणा को ऐसी बुलंदी की पहचान देनी है।''

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

''कि राज्यपाल महोदय को एक समावेदन निम्नलिखित शब्दों में पेश किया जाए।

'कि इस सत्र में इक्ट्ठे हुए हरियाणा विधान सभा के सदस्य उस अभिभाषण के लिए राज्यपाल महोदय के अत्यंत कृतज्ञ हैं जो उन्होंने 20 फरवरी, 2020 को 11:00 बजे प्रातः सदन में देने की कृपा की है।'।''

(प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सदन कल दिनांक 28 फरवरी, 2020 को प्रातः 11:00 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है।

*4:43 बजे

(तत्प□चात् सदन की बैठक भ्रुक्रवार, दिनांक 28 फरवरी, 2020, प्रातः 11:00 बजे तक के लिए *स्थगित हुई।)